Tuesday, 21 August, 1962

लोक-सभा वाद-विवाद

तृतीय माला

खण्ड ७, १९६२/१८८४ (शक)

[२० से ३१ अगस्त, १९६२/२९ श्रावण, से ९ भाद्र, १८८४ (शक)]

3rd Lok Sabha

दूसरा सत्र, १९६२/१८८४ (शक)

(खण्ड ७ में अंक ११ से २० तक हैं)

Gazettes & Debates Unit
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

[तृतीय माला, खंड ७—अंक ११ से २०—२० से ३१ अगस्त, १९६२/२९ श्रावण से ९ भाद्र, १८८४ (शक)]

अंक ११—सोमवार, २० अगस्त १९६२, / २९ श्रावण, १८८४ (शक)

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण १३२३

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४३७ से ४३९, ४६७, ४४० से ४४३ और ४४६ से ४४९ १३२२—४३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४४४, ४४५, ४५० से ४६६ और ४६८ से ४७४ १३४५—५६

अतारांकित प्रश्न संख्या १०९० से १२१९ और १२२१ से १२५३ १३५६—१४३१

स्थगन प्रस्ताव के बारे में १४३१

सभा पटल पर रखे गये पत्र १४३१

राज्य सभा से सन्देश १४३६

अणु शक्ति विधेयक १४३६—४८

विचार करने का प्रस्ताव

खंड २ से ३२ और १ १४४८—४९

पारित करने का प्रस्ताव

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

मिलावटी और नकली औषधियों का निर्माण तथा बिक्री १४४९—६२

दैनिक संक्षेपिका १४६३—७१

अंक १२—मंगलवार, २१ अगस्त, १९६२ / ३० श्रावण, १८८४ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४७६, ४७७ और ४८० से ४८४ १४७३—९६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४७८, ४७९ और ४८९ से ५१६ १४९६—१५०८

अतारांकित प्रश्न संख्या १२५४ से १२७०, १२७२ से १३८४, १३८६ से १४०० और १४०२ से १४२६ १५०८—८४

विशेषाधिकार प्रश्न के बारे में १५८४

सभा पटल पर रखे गये पत्र १५८४—८५

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

छठा प्रतिवेदन १५८५

विषय	पृष्ठ
विधेयक पुर:स्थापित—	
(१) संविधान (तेरहवां संशोधन) विधेयक, १९६२	१५८५–८६
(२) नागालैंड राज्य विधेयक, १९६२	१५८६
(३) विनियोग (संख्या ४) विधेयक, १९६२	१५८७
(४) विनियोग (रेलवे) संख्या ४ विधेयक, १९६२	१५८८
विधेयक पारित—	
(१) विनियोग (संख्या ४) विधेयक, १९६२	१५८७–८७
(२) विनियोग (रेलवे) संख्या ४ विधेयक, १९६२	१५८८–८९
औचित्य प्रश्न के बारे में	१५८९—९१
भूमि अर्जन (संशोधन) विधेयक	
विचार करने का प्रस्ताव	१५९१—१६२३
दैनिक संक्षेपिका	१६२४—३३

अंक १३—बुधवार, २२ अगस्त, १९६२ / ३१ श्रावण, १८८४ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ५१८ से ५३१	१६३५—६०
अल्प सूचना प्रश्न संख्या ५	१६६०—६३
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ५१७ और ५३२ से ५४६	१६६३—७२
अतारांकित प्रश्न संख्या १४२७, १४२८, १४३० से १४९९, १५०१ से १५०३, १५०५ और १५०७ से १५१०	१६७२—१७१०
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना	१७११–१२
(१) 'स्वाधीनता' में एक चित्र का प्रकाशन	
(२) दिल्ली में डिप्थीरिया का फैलना	
सभा पटल पर रखे गये पत्र	१७१२–१३
राज्य सभा से सन्देश	१७१३–१४
मत विभाजन के परिणाम में शुद्धि	१७१४
तारांकित प्रश्न संख्या १३१८ के उत्तर में शुद्धि	१७१४

विषय	पृष्ठ
सेनफ्रेंसिस्को शांति सम्मेलन में भारत के भाग न लेने के बारे में वक्तव्य १७१४, १७१८—१९	
भाषायी अल्पसंख्यकों के आयुक्त के प्रतिवेदनों के बारे में प्रस्ताव १७१४—१८, १७१९—३६, १७३७—५०	
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाने के बारे में	
दैनिक संक्षेपिका	१७५१—५७
अंक १४—शुक्रवार, २४ अगस्त, १९६२ / २ भाद्र, १८८४ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ५४९ से ५५४, ५५६ से ५६२ और ५६४ से ५६७	१७५९—८३
अल्प सूचना प्रश्न संख्या ६	१७८३—८५
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ५४७, ५४८, ५५५, ५६३, और ५६८ से ५७४	१७८५—९०
अतारांकित प्रश्न संख्या १५११ से १५१८, १५२० से १५९७, १५९९ और १६०१ से १६२६	१७९०—१८३८
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
आसाम तथा उत्तर प्रदेश में बाढ़	१८३८—४०
विधेयक पुरस्थापित—	
(१) भारत का रक्षित बैंक (संशोधन) विधेयक, १९६२	
(२) बैंकिंग समवाय (संशोधन) विधेयक, १९६२	
(३) संघ राज्य क्षेत्र नाट्य प्रदर्शन (निरसन) विधेयक	
भाषायी अल्पसंख्यकों के आयुक्त के प्रतिवेदनों के बारे में प्रस्ताव	१८४१—४४
अधिवक्ता (तीसरा संशोधन) विधेयक	१८४५—५४
विचार करने का प्रस्ताव	१८५१—५४
खंड २, ३, १-क और १ संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव	
निर्वाचनों का संचालन (दूसरा संशोधन) नियम, १९६२ में रूप-भेद के बारे में प्रस्ताव	१८५४—५६
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
छठा प्रतिवेदन	१८५७
शहरों तथा गांवों में मकान बनाने और गन्दी बस्तियां हटाने की योजना के बारे में प्रस्ताव—अस्वीकृत	१८५७—७०
अनुसंधानकर्त्ताओं और वैज्ञानिक कर्मचारियों की काम की दशा के बारे में प्रस्ताव	१८७०—७४
कार्य मंत्रणा समिति—	
पांचवां प्रतिवेदन	१८७४
दैनिक संक्षेपिका	१८७५—८१

विषय	पृष्ठ
अंक १५—शनिवार, २५ अगस्त, १९६२ / ३ भाद्र, १८८४ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ५७५ से ५८५ और ५८७ से ५९०	१८८३–१९०६
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ५८६ और ५९१ से ६११	१९०६–१८
अतारांकित प्रश्न संख्या १६२७ से १७२९ और १७३१ से १७३३	१९१८–६५
सभा पटल पर रखे गये पत्र	१९६५–६६
सभा का कार्य	१९६६
कार्य मंत्रणा समिति—	
पांचवां प्रतिवेदन	१९६६
तीसरी पंचवर्षीय योजना के लक्ष्यों में कमी के बारे में प्रस्ताव	१९६७–९१
दैनिक संक्षेपिका	१९९२–९८
अंक १६—सोमवार, २७ अगस्त, १९६२ / ५ भाद्र, १८८४ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ६१२ से ६१६, ६१८ से ६२२ और ६२४ से ६२६	१९९९–२०२६
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ६१७, ६२३, ६२७ से ६३२ और ६३४ से ६४२	२०२६–३४
अतारांकित प्रश्न संख्या १७३४ से १७३९, १७४१ से १७४३, १७४५ से १८००, १८०२ और १८०३	२०३४–६९
सभा पटल पर रखे गय पत्र	२०६९–७१
गन्ना नियंत्रण (अतिरिक्त शक्तियां) विधयक—पुरस्थापित	२०७१
स्थगन प्रस्ताव के बारे में	२०७१–७३
तीसरी पंचवर्षीय योजना के लक्ष्यों में कमी के बारे में प्रस्ताव	२०७३–२१०७
दैनिक संक्षेपिका	२१०८–१३
अंक १७—मंगलवार, २८ अगस्त, १९६२ / ६ भाद्र १८८४ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ६४३ से ६५७	२११५–३९
अल्प सूचना प्रश्न संख्या ७	२१३९–४१
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ६५८ से ६६६	२१४२–४५
अतारांकित प्रश्न संख्या १८०४ से १८९६	२१४५–८७

विषय	पृष्ठ
सभा पटल पर रखे गये पत्र	२१८७
नियम ६६ के परन्तुक के निलम्बन के बारे में प्रस्ताव	२१८७–९०
संविधान (तेरहवां संशोधन) विधेयक, १९६२ तथा -	
नागालैंड राज्य विधेयक, १९६२—	
विचार करने का प्रस्ताव	२१९१–२२१२
संविधान (तेरहवां संशोधन) विधेयक का खंड १ तथा २	२२१३
संविधान (तेरहवां संशोधन) विधेयक को पारित करने का प्रस्ताव	२२१३–१७
दैनिक संक्षेपिका	२२१८–२३
अंक १८—बुधवार, २९ अगस्त, १९६२/७ भाद्र, १८८४ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ६६७ से ६८१	२२२५–४९
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ६८२ से ८९६	२२४९–५६
अतारांकित प्रश्न संख्या १८९७ से १९९१, १९९३ से २००२ और २००४ से २०१०	२२५६–२३०६
निधन सम्बन्धी उल्लेख	१३०६–०७
आदेश पत्र से एक प्रस्ताव के हटाने के बारे में	२३०७
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना	२३०७–१०
१. नैपाली सैनिकों द्वारा मिरिस (दार्जिलिंग) में गोली चलाने का कथित समाचार	
२. रायल नेपाल एयर लाइन्स के विमान का कथित लापता होना	
सभा पटल पर रखे गये पत्र	२३१०–११
स्थगन प्रस्ताव के बारे में	२३११
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
सातवां प्रतिवेदन	२३११
जस्ता चढ़ी हुई लोहे की नाली दार चादरों के वितरण के बारे में वक्तव्य	२२११–१४
नागालैंड राज्य विधेयक, १९६२	२३१४–२०
खंड २ से ३३ तथा १	
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव	
भूमि अर्जन (संशोधन) विधेयक	२३२०–४७
विचार करने का प्रस्ताव	
खंड २	२३२४–४७
दैनिक संक्षेपिका	२३४८–५४

विषय	पृष्ठ
अंक १९—गुरूवार, ३० अगस्त, १९६२ / ८ भाद्र, १८८४ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ६९७ से ७०३, ७१२, ७१५, ७०४ से ७०७, ७०९ और ७१०	
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ७०८, ७११, ७१३, ७१४ और ७१६ से ७१९	
अतारांकित प्रश्न संख्या २०११ से २०७२	
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना—	
(१) पाकिस्तानी विमान द्वारा भारतीय वायु-क्षेत्र के कथित अतिक्रमण	
(२) दक्षिण बुलिहारी कोयला खान में दुर्घटना	
स्थगन प्रस्ताव के बारे में	
सभा पटल पर रखे गये पत्र	
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति—	
दूसरा प्रतिवेदन	
तारांकित प्रश्न संख्या १६२८ के उत्तर में शुद्धि	
विधेयक पुरस्थापित—	
(१) संविधान (चौदहवां संशोधन) विधेयक, १९६२, और	
(२) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग (संशोधन) विधेयक	
भूमि अर्जन (संशोधन) विधेयक—	
खंड २ से ४, ३-क, ३-ख, १-क और १	
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव	
सभा का कार्य	
दैनिक संक्षेपिका	
अंक २०—शुक्रवार, ३१ अगस्त, १९६२ / ९ भाद्र, १८८४ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ७२१ से ७३२ और ७३४	२४६७–९०
अल्प सूचना प्रश्न संख्या ८	२४९०–९२
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ७३३ और ७३५ से ७४२	२४९२–९७
अतारांकित प्रश्न संख्या २०७३ से २०८८ और २०९० से २१४३	२४९८–२५३१

विषय	पृष्ठ
अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रस्ताव के विषयों की ओर ध्यान दिलाना—	२५३१–३६
(१) राजशाही के शरणार्थियों पर पाकिस्तानियों द्वारा कथित आक्रमण	२५३१–३३
(२) डुमराव रेल दुर्घटना जांच आयोग	२५३२–३५
सहारनपुर के निकट रेल दुर्घटना के सम्बन्ध में ध्यान दिलाने के प्रस्ताव के बारे में	२५३६
सदस्य की दोष सिद्धि	२५३६
सदस्य का निलम्बन	२५३६–४२
सभा का कार्य	२५४४
उद्योग (विकास तथा विनियमन) संशोधन विधेयक—पुरस्थापित	२५४४
भारत का रक्षित बैंक (संशोधन) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव	२५४४–५१
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
सातवां प्रतिवेदन	२५५१
विधेयक पुरस्थापित	२५५१–५२
(१) संविधान (संशोधन) विधेयक, १९६२ (नये अनुच्छेद १५५ क का रखा जाना और अनुच्छेद १६७ का संशोधन) **[श्री टीका राम पालीवाल का]**	२५५१
(२) दिल्ली भूमि सुधार (संशोधन) विधेयक, १९६२ **[श्री नवल प्रभाकर का]**	२५५२
(३) संविधान (संशोधन) विधेयक १९६२ (अनुच्छेद ३४३ का संशोधन) **[श्री च० का० भट्टाचार्य का]**	२५५२
व्यवहार प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक (धारा ८७ख का लोप) **[श्री म० ला० द्विवेदी का]**—वापस लिया गया	२५५२–६५
विचार करने का प्रस्ताव	
भारतीय समुद्र बीमा विधेयक **[श्री म० वि० भार्गव का]**—	
राज्य सभा की सिफारिश से सहमति का प्रस्ताव	२५६५–७२
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
गाजियाबाद सहारनपुर खंड में गाड़ियों की टक्कर	२५६६–६८
संविधान संशोधन विधेयक—(अनुच्छेद २२६ का संशोधन) **[श्री दी० चं० शर्मा का]**—	
विचार करने का प्रस्ताव	२५७३–७४
मध्य प्रदेश में खनिजों पर स्वामित्व के बारे में आधे घंटे की चर्चा	२५७४–७७
दैनिक संक्षेपिका	२५७८–८३

नोट : मौखिक उत्तर वाले प्रश्न में किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

लोक-सभा

मंगलवार, २१ अगस्त, १९६२

३० श्रावण, १८८४ (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

हुगली नदी पर पुल

+

†*४७६. श्री सुबोध हंसदा :
श्री सू० भू० दास :
श्री बसुमतारी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री ब० कु० दास :
श्री अ० ब० राघवन :
श्री पोवे काट्टे :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हुगली नदी पर हावड़ा के निकट दूसरे पुल की परियोजना का प्रतिवेदन तैयार करने का काम किसी को सौंपा गया है;

(ख) यदि हां, तो किसे ; और

(ग) यह प्रतिवेदन केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति के लिये कब प्रस्तुत किया जायेगा ?

†वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा) : (क) हुगली नदी के ऊपर या नीचे एक दूसरे क्रासिंग की व्यावहारिकता के सम्बन्ध में प्रतिवेदन तैयार करने का काम पश्चिम बंगाल सरकार ने सलाहकार इंजीनियरों की एक फर्म को सौंपा है ।

(ख) मेसर्स रेन्डेल पामर एण्ड ट्रिटन, लन्दन ।

(ग) अनुमान है कि व्यावहारिकता अध्ययन संबंधी अन्तिम रिपोर्ट जनवरी, १९६३ के अन्त तक राज्य सरकार को सौंप दी जायेगी ।

1699 (Ai) LSD—1.

†**श्री सुबोध हंसदा** : क्या सरकार ने विश्व बैंक या किसी दूसरे संगठन से कोई ऋण मांगा है और यदि हां, तो कितना ?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : फोर्ड फाउन्डेशन के सलाहकारों के सुझाव पर यह समझ में आया कि अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक को इस परियोजना में दिलचस्पी हो सकती है। इसलिये इस परियोजना की लागत का विदेशी मुद्रा वाला हिस्सा देने के लिये उसे औपचारिक अपील की गई थी। उसने योजना तैयार करने के लिए परियोजना के विदेशी मुद्रा का कुछ खर्च देना मंजूर कर लिया है।

†**श्री सुबोध हंसदा** : क्या मैं जान सकता हूं कि कितने स्थानों का सर्वेक्षण किया गया है और क्या इस बारे में कोई सिफारिश की गयी है कि पुल किस प्रकार का बनाया जायेगा, उस में खंभे होंगे या नहीं होंगे ?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : माननीय सदस्य मेरे उत्तर की ओर ध्यान दें। यह एक व्यावहारिकता अध्ययन है, इसलिये प्रतिवेदन तैयार नहीं किया गया है। इस रिपोर्ट में इस प्रश्न की छानबीन की जायेगी कि यह परियोजना कार्यान्वित करने योग्य है अथवा नहीं।

†**श्री रामनाथन् चेट्टियर** : इस परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है और इसे पूरा करने के लिये कितनी विदेशी मुद्रा लगेगी ?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : यह व्यावहारिकता अध्ययन है। जिस फर्म को यह काम सौंपा गया है उस ने अनुमान तैयार किये हैं। उस का कहना है कि इस अध्ययन की लागत २½ लाख रुपये होगी और १८,००० पौंड सलाहकारों को देना होगा और ठेकेदार यदि भारतीय हो तो उसे १ लाख रुपया देना होगा।

†**डा० क० ल० राव** : क्या यह काम विदेशी फर्म को सौंपे जाने से पहले, सलाहकार इंजीनियरों की किसी भारतीय फर्म को या भारत सरकार के सलाहकार इंजीनियर को यह रिपोर्ट तैयार करने के लिये बुलाया गया था ?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : विश्व बैंक और फोर्ड फाउन्डेशन के सुझाव पर ही इस फर्म को चुना गया था।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है कि इसे विदेशी फर्म को देने से पहले क्या किन्हीं भारतीय सलाहकार इंजीनियरों से परामर्श लिया गया था ?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : परामर्श लेना या न लेना पश्चिम बंगाल राज्य पर निर्भर है। मैं इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकती।

†**श्री त्रिदिव कुमार चौधरी** : क्या यह परियोजना सी० एम० पी० योजना का एक भाग है ?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : जी हां।

---

†मूल अंग्रेजी में

ई० एन० आई० द्वारा छिद्रण कार्य

+

†*४७७. श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री ब० कु० दास :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :

क्या खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इटली के एक सरकारी उपक्रम "ई० एन० आई० ने प्राकृतिक तेल के लिये छिद्रण कार्य करना स्वीकार किया है;

(ख) यदि हां, तो इस कार्य के लिये कौन सा क्षेत्र चुना गया है ; और

(ग) क्या ई० एन० आई० ने अपना काम शुरू कर दिया है ?

†खान और ईंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) :(क)ई०एन० आई० और तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के बीच इस संबंध में बातचीत चल रही है ।

(ख) अभी तक यह निश्चिय नहीं किया गया है कि ई० एन० आई० किस क्षेत्र में छिद्रण कार्य करेगा ।

(ग) जी नहीं ।

†श्री स० चं० सामन्त : क्या यह सच नहीं है कि इस ई० एन० आई० के साथ २९-८-६१ को एक समझौता किया गया था और यदि हां, तो वह क्या है ?

†श्री के० दे० मालवीय : वह तो तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा सुझाये गये किसी भी क्षेत्र में ठेके पर छिद्रण कार्य की संभावना की छानबीन करने के लिये दोनों पार्टियों के बीच एक सामान्य समझौता है। उस समझौते के परिणामस्वरूप, तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने कुछ प्रस्ताव ई० एन० आई० के सामने रखे थे। दोनों पार्टियां अब उन पर सक्रिय रूप से विचार कर रही हैं। संभव है कि कुछ हफ्तों में उस विषय में कोई निश्चय हो जायेगा।

†श्री स० चं० सामन्त : क्या इस बीच ठेके पर छिद्रण कार्य करना ई० एन० आई० ने मंजूर कर लिया है ?

†श्री के० दे० मालवीय : जी हां। उस ने ठेके पर छिद्रण कार्य करना मंजूर कर लिया है। अब तो उन के आने और छिद्रण कार्य करने की विस्तृत शर्तों का प्रश्न है ।

†श्री दी० चं० शर्मा : हमारे देश ने कई दूसरे देशों के साथ इस तरह के ठेके किये हैं। क्या इस समझौते की शर्तें सभी देशों के लिये एक सी हैं या वे प्रत्येक देश के लिये अलग अलग हैं ?

†श्री के० दे० मालवीय : कुछ समान शर्तों के ढांचे के अन्तर्गत ये शर्तें कहीं कहीं अलग अलग होती हैं। ठेके पर छिद्रण कार्य करने वाले देश बहुत नहीं हैं। ई० एन० आई० ने हम को कुछ ऋण दिया है और इसलिये इटालियन पार्टियों से यह छिद्रण कार्य कराने के प्रस्ताव की छानबीन हम कर रहे हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : क्या ई० एन० आई० द्वारा इन छिद्रण कार्यों के कारण, वर्तमान अनुमान के अनुसार, विदेशी मुद्रा की संभवतः कितनी देनदारी होगी ?

†**श्री क० दे० मालवीय** : ठेके के इस छिद्रण कार्य के अधीन, विदेशी मुद्रा का खर्च इस बात पर निर्भर होगा कि दोनों पार्टियां कितना छिद्रण कार्य करने के लिए सहमत होती हैं और कितना आरंभ करती हैं । अभी, गंगा के मैदान में और देश के कुछ दूसरे भागों में छिद्रण कार्य कराने के स्ताव हैं । यदि यह क्षेत्र बहुत बड़ा होगा तो स्वाभाविक ही छिद्रण कार्य बहुत अधिक होगा और सलिए विदेशी मुद्रा की देनदारी भी काफी अधिक होगी ।

†**श्री हेम बरूआ** : इस बात को देखते हुए कि तेल और प्राकृतिक गैस आयोग और कुछ अन्य पार्टियां इस देश में छिद्रण कार्य कर रही हैं, नयी पार्टियों को क्यों बुलाया गया और इस प्रकार दूसरी पार्टियों द्वारा छिद्रण कार्य का क्षेत्र क्यों बढ़ाया जा रहा है ?

†**श्री कें० दे० मालवीय** : हम थोड़े समय में ज्यादा काम खत्म करना चाहते हैं ।

†**श्री प्र० चं० बरुआ** : इटली की फर्म के कार्य के अन्तर्गत कुल कितना क्षेत्रफल है और उसका काम कब तक पूरा हो जायेगा ?

†**श्री कें० दे० मालवीय** : कार्य अभी आरंभ नहीं हुआ है ।

†**श्री भागवत झा आजाद** : क्या कोई समय अनुसूची दी गयी ह और तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने क्षेत्रों के संबंध में अपनी राय दी है और यदि हां, तो काम कब आरंभ करने का विचार है ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : जैसा कि मैंने बताया है, तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने गंगा के मैदान, बिहार और उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों का सुझाव दिया है और कुछ क्षेत्रों के बारे में अंतिम निश्चय अभी नहीं किया गया है । लेकिन इन दो क्षेत्रों के बारे में निश्चय हो चुका है और तेल और प्राकृतिक गैस आयोग कई कुएं खोदेगा और छिद्रण कार्य के लिए आवश्यक स्थान निर्धारित करेगा ।

दिल्ली में हत्यायें तथा अन्य अपराध

†४८०. { **श्री म० ला० द्विवेदी** :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री रामेश्वरानन्द :
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री यशपाल सिंह :
श्री बलजीत सिंह :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री बी० चं० शर्मा : }

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिल्ली में बढ़ती हुई हत्याओं तथा अन्य अपराधों की ओर दिलाया गया है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) दिल्ली में जनवरी १९६० से अब तक हत्या, हत्या के प्रयत्नों तथा घातक प्रहारों के कुल कितने मामले हुये ; और

(ग) क्या सरकार का विचार इन †अपराधों को रोकने के लिए कोई दृढ़ कदम उठाने का है और यदि हां, तो क्या तथा कब से ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) : (क) पिछले वर्ष की तत्सम् अवधि की अपेक्षा इस वर्ष कुल संज्ञेय† अपराधों तथा हत्याओं की संख्या में कुछ बढ़ोतरी हुई है ।

(ख) हत्यायें १५५
हत्या तथा घातक चोट पहुंचाने के प्रयत्न १०० } ३१-७-६२ तक

(ग) बढ़ी हुई गश्तों तथा सतर्कता के अतिरिक्त जन संख्या तथा दर्ज किए गए अपराधों आदि पर आधारित वर्तमान आवश्यकताओं के अनुसार पुलिस को सशक्त बनाने तथा पुलिस की कार्य क्षमता को सुधारने के प्रस्ताव विचाराधीन हैं । इन प्रस्तावों पर शीघ्र विचार किया जा रहा है ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : क्या मैं प्रार्थना कर सकता हूं कि इस प्रश्न को इसी प्रकार के अतारांकित प्रश्न के साथ लिया जाये ? यह एक असाधारण प्रार्थना है लेकिन इसमें मेरा दोष नहीं है । मैंने इसी तरह के तारांकित प्रश्न की सूचना दी थी लेकिन वह अतारांकित सूची में रख दिया गया है । प्रश्न एक जैसा ही है और वह दिल्ली में अपराधों के संबंध में है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं माननीय सदस्य को अनुपूरक प्रश्न पूछने के लिए अवसर दूंगा ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : जिस तारांकित प्रश्न की मैंने सूचना दी थी वह अतारांकित प्रश्न की सूची में क्यों आया ? औचित्य प्रश्न के हेतु मैं आपसे यह पूछ रहा हूं ।

†**श्री त्यागी** : उससे क्या होता है ? माननीय सदस्य का प्रयोजन पूरा हो गया है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं बाद में उसकी छानबीन कर सकता हूं लेकिन अभी मैं माननीय सदस्य को अनुपूरक प्रश्न पूछने का अवसर दूंगा ।

श्री म० ला० द्विवेदी : पहले दिल्ली की आबादी केवल ढाई लाख थी, जब कि अब वह २६ लाख से अधिक है । मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या अब तक इसी अनुपात में दिल्ली की पुलिस में वृद्धि हुई है; यदि नहीं, तो क्यों नहीं और अब जो वृद्धि की जा रही है, वह कितनी की जा रही है ।

गृह-कार्य मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : यह ठीक है कि जितनी आबादी बढ़ी है, उस की जरूरत के हिसाब से पुलिस की ताकत या पुलिस की संख्या उतनी नहीं बढ़ी है । सच बात यह है कि मेरा अनुमान यह था कि पुलिस की संख्या दिल्ली में बहुत काफ़ी है । मेरा अपना ख्याल यह रहता था कि बमुकाबल और शहरों के दिल्ली को पुलिस ज्यादा मिली है । लेकिन मैं ने अभी जो कांफ्रेंस की, उस से यह अन्दाजा मिला कि मेरा अनुमान ठीक नहीं था । इस बात की जरूरत है कि पुलिस की स्ट्रैंग्थ को, ताकत को, बढ़ाया जाये ।

---

†मूल अंग्रेजी में
Cognisable

श्री म० ला० द्विवेदी : क्या मैं पूछ सकता हूं कि पुलिस के अधिकारियों की दक्षता के सम्बन्ध में मंत्री महोदय की क्या राय है, क्योंकि इस बीच में जो क्राइम्ज हुए हैं, उन की जांच-पड़ताल भी ठीक नहीं हुई है और केसिज भी कम पकड़े गए ? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि कितने परसेंट केसिज पकड़े गए और कितनों को सजा हुई ।

श्री लालबहादुर शास्त्री : संख्या तो खैर मैं इस वक्त बतला सकता हूं । लेकिन जहां तक उन की दक्षता या काबलियत की बात है, यह तो मैं नहीं कह सकता कि वे बहुत अच्छे हैं, मगर यह कहना भी ठीक नहीं होगा कि सब बहुत कमजोर हैं । काफ़ी अफ़सर अच्छे हैं और कुछ में कमजोरियां हैं । लेकिन एक बात में बड़ी कमी रही है और वह यह है कि दिल्ली में जो हमारे सब-इंस्पैक्टर्ज का लैवल है, वह बहुत कमजोर है—कमजोर के मायने ये हैं कि जो सब-इंस्पैक्टर्ज हैं, वे अक्सर प्रोमोटिड हैं, यानी वे हैड-कांस्टेबल थे, या कांस्टेबल थे और असिस्टेंट सब-इंस्पैक्टर हुए तो वह एक बहुत बड़ी कमी रही है और अब हम उस को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं । जब तक सब-इंस्पैक्टर्ज का लैवल कुछ और ऊंचा नहीं होगा, तब तक जांच-पड़ताल में यह कमजोरी रहेगी ।

श्री रामेश्वरानन्द : मैं यह मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि वह कहते हैं कि हमारे अफ़सर बहुत अच्छे हैं, नीचे वाले ऐसे हैं, नीचे वाले वैसे हैं, अफसर बढ़िया हैं, (**अन्तर्बाधा**) जो भी हो,——

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य ऐसे वैसे को छोड़ कर सवाल करें ।

श्री रामेश्वरानन्द : मैं सवाल कर रहा हूं ।

माननीय मंत्री जी ने कहा है कि उन के अफसर अच्छे हैं । और दूसरे लोग ऐसे हैं, वैसे हैं, परन्तु किस लिए भरा हुआ है यह गोबर, इसकी क्या आवश्यकता है, जब वे सुरक्षा के लिए प्रबन्ध नहीं कर सकते ? यहां पर दिल्ली में होने वाले अपराधों का उल्लेख किया गया है, परन्तु देहातों में तो आये-वर्ष अपराधों की संख्या में वृद्धि हो रही है—जिस जिले में किसी वक्त पांच अपराध होते थे, अब वहां १५ हो गए हैं । इसलिए मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री महोदय कभी इस दुख को दूर भी कर सकेंगे या यह कोशिश ही कोशिश रहेगी ।

अध्यक्ष महोदय: श्री पाण्डेय ।

श्री रा० शि० पांडेय : गुण्डा एक्ट के अन्तर्गत जो व्यक्ति दूसरे प्रान्तों से निकाल दिये जाते हैं, वे यहां आ कर बस जाते हैं । क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार को यह खबर है और अगर है, तो उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य तो मर्डर्ज और दूसरे एफ़िलिएटिड जुर्मों से अब गुण्डों पर चले गए हैं ।

श्री बनर्जी ।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या मंत्री महोदय के ध्यान में यह बात आई है कि २५ मई, १९६२ और ३१ जुलाई, १९६२ को कुछ नौकरों ने जहर मिला दिया और जहर मिला देने के बाद कुछ लोग मर गए और जब उन नौकरों को पकड़ा गया, तो पुलिस ने उन को छोड़ दिया ? मैं श्री टीकम दास गुरुलानी की डैथ के बारे में पूछ रहा हूं ।

अध्यक्ष महोदय : मैं इंडिविडुअल के लिये कैसे इजाजत दे सकता हूं ?

श्री स० मो० बनर्जी : मैं यह जानना चाहता हूं कि ऐसे केसिज आए हैं ?

अध्यक्ष महोदय : श्री शास्त्री ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : दिल्ली भारत की राजधानी है और भारत की राजधानी के सम्बन्ध में गृह मंत्री महोदय ने जो अभी विवरण दिया है, उससे यह भी सन्तुष्ट नहीं है । मैं यह जानना चाहता हूं कि कत्ल, हत्यायें, डाके, चोरी और अपहरण आदि जैसे कांडों को देखते हुए तथा स्थिति की भंयकरता का अनुमान लगाते हुए इस सम्बन्ध में संतोषजनक पग उठाने के लिए क्या गृह मंत्रालय ने कोई विशेष कार्यक्रम बनाया है, यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ?

श्री लालबहादुर शास्त्री : माननीय सदस्य को हमारी लठिनाई का भी थोड़ा अनुभव करना चाहिए । दिल्ली में जिस तरह से पुलिस फोर्स बनी है, उसका थोड़ा बहुत अन्दाजा शायद उन्हें हो । काफी बाहर के लोग और पंजाब के काम करने वाले आए, जिनको भर्ती करना पड़ा और जैसा कि मैंने कहा है, उसमें हमको हर लेवल के, हर दर्जे के जो वहां आफिसर थे, उनको लेना पड़ा, जिसमें हमें काफी कठिनाई और दिक्कत हुई है । एक तरफ तो उनको काम पर लगाना था और दूसरी तरफ हमको उनकी क्षमता या एफिशेन्सी भी देखनी थी ।

दुसरी बात यह है कि यह बढ़ता हुआ शहर है और इसकी इतनी बड़ी आबादी है, इसलिये उसमें कठिनाइयां पड़ी हैं । लेकिन मैं नहीं समझता कि उसको सुधारने की तरफ हमारा ध्यान नहीं है । अभी हाल में पार्लियामेंट के मिलने से थोड़े दिन पहले मैंने इंस्पैक्टर जेनरल डी० आई०जी० और डिप्टी कमिश्नर की मीटिंग बुलाई, जिनमें उन प्रश्नों पर विचार किया गया, जो कि माननीय सदस्य यहां पर उठा रहे हैं । हम कई ऐसे कदम उठाने जा रहे हैं, कई ऐसी बातें करने जा रहे हैं, जिससे पुलिस की क्षमता बढ़ाई जायेगी । खास तौर से जैसा कि मैंने कहा है सब-इंस्पैक्टर्ज और दूसरे ऊंचे अफसरों को सुधारने के बारे में कदम उठाए जायेंगे ।

जहां तक उनकी माबिलिटी का ताल्लुक है, अब हालत यह है कि ट्रांसपोर्ट की गाड़ियां पुरानी पड़ी हुई हैं, टूटी हुई हैं या खराब हैं । अभी चार पांच ही रोज पहले उनको करीब बारह जीप्स या स्टेशन वेगन्ज दी गई हैं । हमने माबिलिटी को बढ़ाने, और सेंटर खोलने और नये थाने खोलने पर बिचार किया है और उसके मुताबिक हम काम करेंगे ।

श्री यशपाल सिंह : क्या मैं जान सकता हूं .....

अध्यक्ष महोदय : नैक्स्ट क्वैस्टियन ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : आपने मुझे अवसर देने का वचन दिया था ।

अध्यक्ष महोदय : मिनिस्टर साहब ने काफी लम्बा और डिटेल्ट स्टेटमेंट दिया है । अब काफी हो गया है ।

†**डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : प्रश्न में हमारे नाम हैं । हमें मौका नहीं मिला है ।

श्री यशपाल सिंह : जब कोई सदस्य सवाल लिख कर देता है, तो उसको सप्लीमेंटरीज पूछने का मौका मिलना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : नैक्स्ट क्वैश्चन ।

---

†मूल अंग्रेजी में

कोयले के मूल्य

†*४८१. { श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री प्र० रं चक्रवती :

क्या खान और ईंधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोयले क मूल्य बढ़ाने के बारे में कोई निर्णय कर लिया है; और

(ख) दि नहीं, तो सरकार कोयला उत्पादकों कों प्रोत्साहन देने के लिये क्या उपाय करने जा रही है ?

†खान और ईंधन मंत्री (श्री क० दे० मालवीय) : (क) १३–६–१९६२ से अधिसूचित वृद्धि का ब्यौरा १८–६–१९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या १५१६ क उत्तर में सभा पटल पर रखे गये विवरण में दिया हुआ है ।

(ख) मूल्यों में जो वृद्ध घोषित की गयी है, उसके अलाबा सरकारने माल रखने के लिए सहायता देने की योजना और सरल बनादी है और वह विपरीत परिस्थितियों से संकट ग्रस्त कोयला खानों की सहायता देने और सरल शर्तों पर ऋण देने के प्रश्न पर विचार कर रही है ।

†श्री रामेश्वर टांटिया : मूल्य में वृद्धि तथा माननीय मन्त्री द्वारा उल्लिखिन अन्य प्रोत्साहनों के अलावा, परिवहन सयस्या को जो अधिक कोयला उत्पादन के मार्ग में बाधक है, सुलझाने के लिये क्या किया गया है ?

†श्री के० दे० मालवीय : परिवहन का प्रश्न मूल्य वृद्धि से बिल्कुल अलग है । यह प्रश्न खास कर मूल्य में वृद्धि के सम्बन्ध में है ।

†श्री रामेश्वर टांटिया : क्या यह मूल्य बढ़ाये जाने और नये प्रोत्साहनों के बाद, सरकारी कोयला खानों में उत्पादन ५० या ६० प्रतिशत बढ़ गया है ?

†श्री के० दे० मालवीय : हम आशा करते हैं कि कोयले का उत्पादन बढ़ जायगा, और इन रियायतों की वजह से सम्भवत: जो वृद्धि होगी उसके ठीक ठीक ढ़ांचे के सम्बन्ध में हम छानबीन कर रहे हैं ।

श्री विभूति मिश्र: क्या यह सही है कि मन्त्री जी नेकोय ले की कीमत के बारे में जो नीति निर्धारित की है, उसका नतीजा यह हो रहा है कि बिहार में जिस कीमत पर कोयला मिलेगा, बम्बई में कोयला उससे सस्ते दाम पर मिलेगा ?

श्री के० दे० मालवीय : ऐसा तो मुझे नहीं मालूम पड़ता । बम्बई में कोयले का दाम बिहार से कुछ ज्यादा होगा, क्योंकि ट्रांसपोर्ट का भी दाम बढ़ जाता है ।

†श्रीमती सावित्री निगम : क्या माननीय मन्त्री को मालूम हैं कि राजधानी में कोयले की अनियमित सप्लाई के अलावा, जो कोयला दिया जा रहा है उस की किस्म भी बहुत घटिया और खराब है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री के० दे० मालवीय** : जब कभी कोयले की खराब किस्म की ओर हमारा ध्यान दिलाया जाता है हम आवश्यक कार्यवाही करते हैं । कठिनाई यह है कि यहां के कुछ व्यापारी सीधे कोयला खानों से सम्पर्क रखते हैं और खुद ही अपनी खरीद करते हैं और इसलिये सरकार यह समझ नहीं पाती कि वह किस्म पर नियन्त्रण किस प्रकार रखे । जैसा कि मैंने बताया, हम किस्म को बनाये रखने की अधिक से अधिक कोशिश कर रहे हैं ।

†**श्री भागवत झा आजाद** : क्या माननीय मन्त्री का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि इस वृद्धि से 'बी' श्रेणी या अन्य श्रेणियों के कोयले की तुलना में एक विशिष्ट श्रेणी के कोयले को अधिक लाभ हो रहा है ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : जी हां । यही आशय भी था । क्योंकि मूल्य वृद्धि का उद्देश्य यह था कि ऊंची किस्म के कोयले के अधिक उत्पादन को वरीयता प्रदान की जाये । सरकार इन प्रस्तावों पर भी विचार कर रही है कि श्रेणी २ और ३ का कोयला भी देश की आवश्यकता के अनुसार पैदा किया जाये ।

†**श्री श्यामलाल सर्राफ**: सभी चीजों में सुधार के साथ साथ क्या आधारभूत उत्पादन भी देश की आवश्यकताओं के अनुसार बढ़ा है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह कोयले की कीमत के सम्बन्ध में है, वह दूसरा प्रश्न है ।

†**डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : क्या कोयले का मूल्य निर्धारित करने के लिये सरकार ने कोई नीति या कसौटी तय की है ? क्या मन्त्री महोदय हमें बता सकते हैं कि वह कसौटी क्या है ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : कोयले का मूल्य निर्धारण उसकी कसौटियां, आदि के सम्पूर्ण प्रश्न की छानबीन हो रही है । 'ग्रेडिंग' के बारे में एक समिति नियुक्त की गयी थी और उसने अभी हाल में अपनी रिपोर्ट पेश की है । हम उस रिपोर्ट के सम्बन्ध में सरकार की नीति निश्चित करने में लगे हुए हैं । आशय यह है कि कोयलें की कीमत उसकी किस्म से सम्बन्धित हो ।

श्री बड़े : मध्य प्रदेश में ट्रकों से जो कोयला जाता था कालियरीज़ से, उसको ले जाना बन्द कर दिया गया है और कोटे के रिशफलिंग की वजह से और कोटा कम कर दिये जाने की वजह से वहां पर कोयले की प्राइसिस बढ़ गई हैं, क्या यह सच है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : कोटे का ताल्लुक इस सवाल से नहीं है ।

श्री बड़े : उसके कारण प्राइसिस.....

अध्यक्ष महोदय : वह दूसरा सवाल है ।

श्री बड़े : ट्रकों से ले जाना बन्द कर दिया गया है, इसलिए.....

अध्यक्ष महोदय : वह दूसरा सवाल है ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : क्या यह सच है कि कोयले के मूल्य बढ़ाये जाने पर मालिकों ने कोयला खान कर्मचारियों की मजूरी बढ़ाना मंजूर कर लिया था ? यदि हां तो क्या मजूरी बढ़ा दी गयी है ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : जी नहीं । मजूरी को अलग से छानबीन की जा रही है । इस प्रश्न की पूरी तरह छानबीन किये जाने के बाद कोयले के मूल्यों में सम्भवत: पुन: परिवर्तन किया जायगा ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†श्री दाजी : क्या मूल्य वृद्धि के बाद, कोयला मालिक सन्तुष्ट हैं या वे और अधिक वृद्धि के लिए भारतीय वाणिज्य मण्डल की विचारधारा अपना रहे हैं ? उस बारे में, सरकार की क्या नीति होगी ?

†श्री के० दे० मालवीय : जहां तक कोयला खानों के प्रतिनिधियों का सम्बन्ध है, वे हमारे पास आते हैं और उन्होंने अपना सन्तोष व्यक्त किया है लेकिन कभी कभी अखबारों में यह खबर आती है जिससे यह दिखायी पड़ता है कि कुछ लोग उनकी ओर से बात करना चाहते हैं और अपना असन्तोष व्यक्त करना चाहते हैं । इस प्रत्यक्ष सम्मेलन के फ़लस्वरूप हमें यह मालूम नहीं है कि काफी अधिक असन्तोष है । खान मालिक कुछ मामलों के सम्बन्ध में अब भी अभ्यावेदन कर रहे हैं । इन सभी प्रश्नों पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है ।

चीन द्वारा वायु सीमा का उल्लंघन

+

†*४८२. **श्री वी० चं० शर्मा :**
श्री भक्त दर्शन :
श्री राम रतन गुप्त :
श्री द्वा० ना० तिवारी :

क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल में ही चीन के विमान द्वारा भारतीय वायु सीमा के उल्लंघन की कुछ और घटनायें हुई ; और

(ख) क्या ब्यौरे सभा पटल पर रखे जायेंगे ?

†प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) : (क) और (ख). इस सभा में २६ अप्रैल, १९६२ को तारांकित प्रश्न संख्या १९८ के उत्तर के बाद से चीनी हवाई जहाजों ने भारतीय वायु सीमा का एक बार उल्लंघन किया था । ब्यौरा श्वेत पत्र संख्या ६ में, जो ६ अगस्त, १९६२ को प्रधान मन्त्री द्वारा सभा पटल पर रखा गया था, दिया हुआ है ।

†श्री वी० चं० शर्मा : क्या उन विमानों को गोली मार कर या अन्य किन्हीं उपायों द्वारा भारतीय वायु सीमा के ये उल्लंघन रोकने के लिये हमने कोई कार्यवाही की है ?

†श्री कृष्ण मेनन : यह विमान चुशूल के ऊपर हमारे राज्य क्षेत्र में आया था और वह लगभग ३०,००० से ४०,००० फुट की ऊंचाई पर उड़ रहा था आकाश में इस तरह की कार्यवाही करने की सरकार की नीति नहीं है ।

†श्री वी० चं० शर्मा : क्या ये विमान हमारे राज्य क्षेत्र में सैनिक सर्वेक्षण करने और हमारे देश के नक्शे लेने के लिए आते हैं जैसा कि दूसरे देशों में हो रहा है ?

†श्री कृष्ण मेनन : चूंकि यह हवाई जहाज इतनी ऊंचाई पर उड़ता है इसलिये यह बताना कठिन है कि वह सर्वेक्षण करने वाला विमान था या और कोई । हम केवल इतना ही बता सकते हैं कि वह एक हवाई जहाज था और जिस दिशा से वह आया और जिस दिशा में वह गया उससे यह पता चला कि वह चीनी हवाई जहाज था ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री भक्त दर्शन** : चीनी हवाई जहाज अधिक से अधिक कितनी दूरी तक हमारी वायु सीमा में अब तक घुस आये थे और वह कौनसा क्षेत्र है ?

†**श्री कृष्ण मेनन** : इन उल्लंघनों का सम्पूर्ण इतिहास प्रधान मन्त्री ने सभा पटल पर रखा है ।

†**श्री हेम बरुआ** : चीनी विमानों द्वारा हमारी आकाश वायु सीमा के बार बार उल्लंघनों को देखते हुए क्या सरकार ने उन विमानों का पीछा करने के लिये अपने हवाई जहाज रखे थे और यदि नहीं तो क्या उसका यह कारण था कि वह सभ्य व्यवहार के विरुद्ध होता ?

†**श्री कृष्ण मेनन** : इस विशिष्ट मामले में, पीछा करने का कोई सवाल नहीं था क्योंकि जब तक हम वहां पहुंच पाते तब तक वह हमारे राज्य क्षेत्र से बाहर चले जाते । फिर, पीछा करने के लिये यह आवश्यक होता है कि हमारे हवाई जहाज अपने अड्डों से उड़ें और हमारे लिए यह उचित नहीं है कि हम अपने अड्डों के बारे में दूसरों को जानकारी दें ।

†**श्री नरेन्द्र सिंह महोडा** : क्या हमारे राज्य क्षेत्रों पर कोई अन्तर्राष्ट्रीय आकाश ऊंचाई सीमा है ?

†**श्री कृष्ण मेनन** : सामान्यतया, मैं अन्तर्राष्ट्रीय विधि के इस अनिर्णीत प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता । लेकिन हमारे राज्य क्षेत्र के ऊपर का आकाश हमारा आकाश है । लेकिन पृथ्वी के चक्कर और इसी तरह की चीजों को देखते हुए यह बताना बहुत कठिन है कि सीमा क्या है ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : चीनी आक्रमण के संदर्भ में, क्या अखबारों में यह ठीक लिखा गया है कि मन्त्री महोदय ने यह कहा था कि "देश आज नैतिक दृष्टि से तैयार नहीं है और जब तक कि वह नैतिक दृष्टि से अच्छी तरह तैयार न हो तब तक कोई भी सेना देश के प्रभुत्व सम्पन्नता की रक्षा नहीं कर सकती" । उनके इस वक्तव्य का क्या अर्थ और महत्व है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यहां यह प्रश्न सीमित है और उसका उत्तर दिया जा चुका है कि एक बार आक्रमण हुआ है । अब एक सामान्य प्रश्न नहीं उठाया जा सकता ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : क्या यह चीनी आक्रमण का एक भाग नहीं है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रत्येक चीनी आक्रमण इस प्रश्न के लिये संगत नहीं है ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : मैं यह नहीं पूछ रहा हूं कि हमारी नीति क्या है; लेकिन क्या मैं जान सकता हूं कि यदि हम इन विमानों को मार गिराना चाहें तो क्या हम इस के लिये पूरी तौर से सुसज्जित हैं ?

†**श्री कृष्ण मेनन** : मैं इस प्रश्न का उत्तर अभी नहीं दे सकता । यह इस बात पर निर्भर है कि वह कितनी ऊंचाई पर उड़ता है, उस का अड्डा कितनी दूर है और वह कितनी दूरी पर है, आदि । इसलिये मैं इस तरह के सामान्य प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता ।

†**श्री हरीश्चन्द्र माथुर** : मैं निराधार प्रश्न नहीं पूछ रहा हूं । मेरा प्रश्न इस खास विमान से संबंधित है कि वह किस ऊंचाई पर उड़ रहा था । मंत्री महोदय कहते हैं कि वह एक सामान्य प्रश्न है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मंत्री महोदय कहते हैं कि वह इस समय उत्तर देने की स्थिति में नहीं हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी** : मंत्री महोदय के उत्तर से क्या मैं यह समझूं कि जिस दिन श्वेतपत्र संख्या ६ इस सभा के पटल पर रखा गया था, उस के बाद से चीनियों ने वायु सीमा का कोई उल्लंघन नहीं किया है और क्या सरकार की यह नीति है कि बातचीत के लिये अनुकूल वातावरण निर्माण करने के लिये वायु सीमा के उल्लंघन का कोई समाचार न दिया जाये ?

†**श्री कृष्ण मेनन** : मैं बता चुका हूं कि जब २६ अप्रैल, १९६२ को इस सभा में तारांकित प्रश्न संख्या १९८ का उत्तर दिया गया था, तब से चीनी हवाई जहाज ने भारतीय वायुसीमा का केवल एक बार उल्लंघन किया है ।

†**श्री हेम बरुआ** : मेरे प्रश्न के उत्तर में माननीय प्रतिरक्षा मंत्री ने कहा था कि हम विमानों का पीछा करने के लिये पूरी तरह तैयार नहीं हैं । लेकिन श्री माथुर के प्रश्न के उत्तर में . . .

†**श्री कृष्ण मेनन** : मैं ने ऐसा नहीं कहा है ।

†**श्री इन्द्रजीतलाल मल्होत्रा** : हमारी वायुसेना की राय में, चीनी हवाई जहाज द्वारा हमारी वायु सीमा के इस उल्लंघन का क्या विशिष्ट प्रयोजन होगा ?

†**अध्यक्ष महोदय** : उन्होंने बताया है कि उस प्रश्न का उत्तर देना उन के लिये संभव नहीं है । डा० अणे ।

†**डा० मा० श्री० अणे** : मेरा प्रश्न श्री माथुर के प्रश्न जैसा ही था । उन के प्रश्न के उत्तर को देखते हुए, मैं उसे दोहराना नहीं चाहता ।

दुर्गापुर म धातुमिश्रित तथा विशेष इस्पात कारखाना

+

†*४८३. **श्री ब० कु० दास :**
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री मुरारका :

क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुर्गापुर में धातुमिश्रित तथा विशेष इस्पात कारखाने की परियोजना रिपोर्ट अन्तिम रूप से तैयार कर ली गई है ;

(ख) इस परियोजना की लागत क्या होगी ; और

(ग) यह कारखाना कब तक पूरी तौर से बन जायेगा ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)** : (क) जी हां ।

(ख) मूल परियोजना रिपोर्ट के अनुसार, परियोजना की अनुमानित लागत ५० करोड़ रुपया है । इस अनुमान में कुछ परिवर्तन का संकेत मिला है लेकिन चूंकि उपकरण के लिये टेन्डर मांगे जा चुके हैं इसलिये अब इस दशा में पहले के अनुमान को बदलने का विचार नहीं है ।

(ग) १९५५-५६ में ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री ब० कु० दास** : क्या इस परियोजना के लिये कोई विदेशी सहयोग प्राप्त किया जायेगा और यदि हां, तो कितना ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम** : जी हां हमने कनाडा की एक फर्म, मेसर्स एटलस एण्ड कम्पनी को नियुक्त किया है ताकि वह इस मामले में हमको तकनीकी जानकारी दें और हमें सहायता दें।

†**श्री सुबोध हंसदा** : क्या हमारे देश में इस इस्पात कारखाने के लिये मशीनों के पुर्जे तैयार करने की कोई योजना है और यदि हां, तो कितने प्रतिशत पुर्जे इस देश में तैयार किये जायेंगे और उस से कितनी विदेशी मुद्रा की बचत होगी ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम** : टेन्डर प्रस्तुत किये जाने के बाद ही वह मालूम होगा। हम टेन्ड कम्पनी छानबीन करते हैं ।

†**श्री स० चं० सामन्त** : क्या कोई भारतीय सलाहकार फर्म इस परियोजना में मदद दे रही है और यदि हां, तो उस फर्म का नाम क्या है ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम** : जी हां ; मेसर्स दस्तूर एण्ड कम्पनी ने इस परियोजन में सहायता की है ।

†**श्री दाजी** : इस कारखाने की क्षमता कितनी होगी और तीसरी योजना में हम कितना ऋण ले सकेंगे ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम** : वर्तमान अनुमानित क्षमता लगभग ५१,००० टन तैयार इस्पात की है ।

†**श्री अ० प्र० जैन** : यह दुर्गापुर कारखाना किस प्रकार का विशेष इस्पात और मिश्र धातु (एलॉय) तैयार करने जा रहा है और देश की कुल आवश्यकता की तुलना में उस का क्या अनुपात होगा ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम** : औजार, कन्स्ट्रक्शनल, स्टेनलेस हीट रेजिस्टेन्स और डाइ ब्लाक्स । तीसरी योजना के दौरान इन श्रेणियों की वास्तविक आवश्यकताओं के सम्बन्ध में, हमें अलग नोटिस चाहिये ।

†**श्री मुरारका** : इस परियोजना का सूत्रपात दूसरी योजना के मध्य में किसी समय हुआ था और अब हम प्रायः तीसरी योजना के मध्य में हैं । इस कारखाने के सम्बन्ध में काम इतना धीरे क्यों हो रहा है और इस परियोजना की शीघ्र प्रगति के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम** : शीघ्रता करने के लिये हम सभी कार्यवाही कर रहे हैं । टेन्डर मंगाये जा चुके हैं । यह परियोजना कुछ पेचीदी होने के कारण, कुछ छानबीन करनी होगी । इसीलिये यह देर हुई है ।

†**श्री ब० कु० दास** : इस कारखाने में उत्पादन से हमारी कितनी प्रतिशत आवश्यकता पूरी होगी ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम** : मोटे तौर पर में लगभग डेढ़ लाख से दो लाख टन विभिन्न किस्मों के विशेष इस्पात की जरूरत पड़ेगी लेकिन प्रत्येक मद के सम्बन्ध में मुझे आंकड़े मालूम नहीं हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हनुमन्तैया** : भद्रावती स्थित मिश्रधातु और इस्पात कारखाने में उत्पादन पहले आरम्भ होगा या दुर्गापुर कारखाने में ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम्** : भद्रावती में अभी कोई मिश्रधातु और इस्पात कारखाना नहीं है। लेकिन वहां विशेष प्रकार का इस्पात तैयार करने की एक योजना है।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : चूंकि माननीय मंत्री ने इस कारखाने की क्षमता अभी बताई है, मैं यह जानना चाहता हूं कि इस कारखाने में कितने लोगों को रोजगार मिल सकेगा।

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम्** : मुझे खेद है कि अभी मेरे पास आंकड़े नहीं हैं।

†**श्री मुरारका** : इस परियोजना के लिये विदेशी सलाहकार हैं, फिर उत्पादन तथा तकनीकी सलाहकार हैं, फिर आगे भारतीय सलाहकार हैं और अन्त में रिपोर्ट की छानबीन करने के लियें हिन्दुस्तान स्टील कम्पनी है। क्या यह सच नहीं है कि इन अनेक सलाहकारों के कारण जरूरत से ज्यादा समय लग गया है ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम्** : जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं, हम पहली बार मिश्रधातु तथा इस्पात कारखाना स्थापित कर रहे हैं। स्वाभाविक ही यह बड़ा पेचीदा कारखाना है और इसलिये हमें उपलब्ध विभिन्न परामर्शों से लाभ उठाना है। लेकिन अब छानबीन पूरी हो चुकी है और हम ने टेन्डर मंगायें हैं।

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

+

†*४८४. { **श्री हरिश्चन्द्र माथुर** :
श्री ब्र० रं० चक्रवर्ती :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का कार्यक्षेत्र क्या है और उसके कार्य क्या

(ख) क्या वह केन्द्र प्रशासित क्षेत्रों के स्कूलों का ही विवेचन करेगा या उससे आगे भी विचार करेगा ; और

(ग) सभी जगह अंग्रेजी और हिन्दी शिक्षा-माध्यम के उच्चतर माध्यमिक स्कूल स्थापित करने की सरकारी योजना की क्या रूपरेखा है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) और (ख). पुनर्गठित केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड समान पाठ्यक्रम और परीक्षा माध्यम से उच्चतर माध्यमिक परीक्षा लेगा। इस की सेवाओं का लाभ भारत के अन्दर और बाहर किसी भी माध्यमिक स्कूल द्वारा उठाया जा सकता है। दिल्ली के सभी उच्चतर माध्यमिक स्कूल इस बोर्ड से सम्बद्ध हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) केन्द्रीय सरकार ने उन कर्मचारियों के बच्चों के लिये जिन का स्थानांतरण हो सकता है तथा अन्य चलते फिरते रहने वाले लोगों के लिये शैक्षिक सुविधाओं की व्यवस्था करने की योजना विचाराधीन है और इन का ब्योरा तैयार किया जा रहा है ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या यह तथ्य नहीं है कि इस समय किसी विशिष्ट राज्य में सभी उच्चतर माध्यमिक स्कूल उस राज्य के बोर्ड से सम्बद्ध होते हैं, यदि हां, तो क्या यह व्यवस्था राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार का अतिक्रमण नहीं करती ? मा० मंत्री इसका कैसे स्पष्टीकरण करेंगे और इस पर कितना धन खर्च होना है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : राज्य सरकारों के अधिकारों का अतिक्रमण करने का कोई सवाल नहीं है । यह सही है कि प्रत्येक राज्य का अपना बोर्ड है । किन्तु कुछ संस्थायें हो सकती हैं जिन में संभव है कि प्रादेशिक भाषायें परीक्षा का माध्यम न हों । और यदि किसी राज्य में किसी स्कूल को संबद्ध किया जाना है तो वह राज्य सरकार की सलाह से किया जावेगा । अतः राज्य सरकारों के अधिकारों को कुचलने का सवाल नहीं उठता ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : यह राज्य सरकारों की सलाह से हो सकता है । किन्तु मा० मंत्री सांविधानिक कठिनाई को कैसे हटायेंगे ? विशेषकर मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या प्रत्येक राज्य में उच्चतर माध्यमिक परीक्षा के लिये भिन्न-भिन्न मानक होंगे, एक केन्द्रीय शिक्षा बोर्ड द्वारा निर्धारित और दूसरा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : हमें देश की वास्तविक स्थिति को देखना है । पहले तो सरकारी कर्मचारियों के बहुत से बच्चे हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान में जाते हैं । वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार भारत सरकार इन सरकारी कर्मचारियों के बच्चों के लिये स्कूलों की शृंखला स्थापित करने का विचार कर रही है जिन में शिक्षा का समान माध्यम समूचे देश भर में होगा । यह सर्वथा स्पष्ट है कि ये स्कूल राज्य बोर्ड से नहीं जोड़े जा सकते, वे केवल केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के साथ जोड़े जा सकते हैं जिस का समान माध्यम है । फिर बहुतेरे स्कूल इस समय अपने विद्यार्थियों को सीनियर कैम्ब्रिज परीक्षा में भेज रहे हैं । अब भी अपने विद्यार्थियों को राज्य बोर्डों द्वारा ली गई परीक्षाओं में नहीं भेजते । हम आशा करते हैं कि उन संस्थाओं को जहां इस समय परीक्षा का माध्यम हिन्दी या अंग्रेजी है, केन्द्रीय माध्यमिक परीक्षा बोर्ड से जोड़ना चाहिये । इस प्रकार, माता पिताओं को अनुभव होने वाली कुछ कठिनाइयां दूर हो जायेंगी ।

†**डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : क्या सरकार ने राज्य सरकारों का समर्थन प्राप्त करने एवं माध्यमिक शिक्षा के केन्द्रीय बोर्ड से उन को जोड़ने के सम्बन्ध में, जिस में पाठ्यक्रम के वैकल्पिक अन्तर की व्यवस्था है, परामर्श करने या पत्र-व्यवहार करने का कोई प्रयत्न किया है, और यदि हां, तो क्या परिणाम निकला है, और यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : सरकार इस मामले में राज्य सरकारों के कार्यों को अपने हाथ में लेने का इरादा नहीं करती । केन्द्रीय बोर्ड दिल्ली के संघ राज्य क्षेत्र की और संस्थाओं की आवश्यकताओं को पूरा करेगा जो अपने आप को इस बोर्ड के साथ जोड़ना चाहेंगी । राज्य बोर्ड के कामों को लेने का सवाल नहीं उठता ।

श्री म० ला० द्विवेदी : अभी जैसाकि स्टेटमेंट में बतलाया गया है कि सिर्फ दिल्ली के हायर सेकेंडरी स्कूल्स को एफिलिएशन दिया गया है मैं जानना चाहता हूं कि यह जो यूनियन टेरीटरीज

---

†मूल अंग्रेजी में

में हायर सेकेंडरी स्कूल्स हैं क्या उन को भी एफिलिएशन देने की बात सोची जा रही है ? राज्यों की किन-किन संस्थाओं को राज्यों के परामर्श से एफिलिएशन दिया जायगा और कब से दिया जायगा ?

डा० का० ला० श्रीमाली : अब जैसे-जैसे बोर्ड काम करेगा वह एफिलिएशन का काम भी आगे बढ़ेगा । अभी तो बोर्ड स्थापित्त हुआ है । दिल्ली के जितने भी स्कूल्स हैं उन को एफिलिएशन दिया गया है । कुछ स्कूल्स पहले से जो थे जैसे राजकुमार कालिज, रायपुर है और अहमदाबाद का श्रीयाज कालिज, यहां और भी कितनों से एफिलिएशन की एप्लीकेशन्स आ रही हैं और शनैः शनैः और स्कूलों को भी रैंकगनीशन दिया जायेगा ।

†**श्री अब्दुल गनी गोनी :** क्या सरकार देश भर में एक ही किस्म की पाठ्य पुस्तकें जारी करने की योजना पर विचार कर रही है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** माध्यमिक स्तर के लिये एक ही किस्म की पाठ्य पुस्तकें न तो संभव हैं और न ही वांछनीय । भारत सरकार ने विशषज्ञों की एक तालिका बनाई है और वह तालिका पाठ्य-पुस्तकें तैयार कर रही है । ये पाठ्य पुस्तकें बाजार में आयेंगी और यदि कोई राज्य सरकार उन को अपनाना चाहेगी, तो वह वैसा कर सकेगी । तथापि हमारी यह इच्छा नहीं है कि समूचे देश के लिये एक समान पाठ्य-पुस्तकें होनी चाहियें ।

†**श्री शं० ना० चतुर्वेदी :** क्या सरकार यह विचारती है कि यह बोर्ड देश भर में उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के मानकों में समता लाने का प्रयत्न करेगा ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** हमारी ऐसी इच्छा है कि इस बोर्ड के उच्चतर मानक होने चाहियें । यदि यह बोर्ड उच्च स्तर कायम कर सकता है, तो स्वाभावतः यह अप्रत्यक्ष रूप से अन्य बोर्डों को भी प्रभावित करेगा । यद्यपि मैं इस समय कोई वचन नहीं दे सकता, मैं आशा करता हूं कि यह बोर्ड उच्च स्तर कायम करेगा, जिन का अनुसरण अन्य बोर्ड भी करें ।

†**श्री मानसिंह पु० पटेल :** चूंकि पुराने बम्बई राज्य या महाराष्ट्र और गुजरात के नवीन राज्यों ने उच्चतर माध्यमिक स्कूलों का ढांचा स्वीकार नहीं किया है, उन राज्यों में इस केन्द्रीय बोर्ड का क्या कार्य होगा ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** महाराष्ट्र सरकार का अपना बोर्ड है । यदि वहां कोई स्कूल इस बोर्ड से सम्बन्ध नहीं जोड़ते, तो उन्हें इस कारण कोई कठिनाई नही होनी चाहिये ।

श्री रामेश्वरानद : मैं जानना चाहूंगा कि क्या सरकार प्राचीन शिक्षा पद्धति की ओर भी कोई ध्यान दे रही है और उस के अनुकूल ही विद्यार्थियों का चरित्र, जैसाकि पहले होता था, बनाने का प्रयत्न कर रही है ? क्या सरकार के ध्यान में यह बात भी आई है कि पहले छात्र और छात्राएं एक साथ नहीं पढ़ते थे बल्कि अलग-अलग पढ़ते थे ?

डा० का० ला० श्रीमाली : इस प्रश्न से यह सवाल नहीं उठता है लेकिन इतना में स्वामी जी को बतलाना चाहता हूं . . . . . .

अध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न से यह नहीं उठता है मगर आप जवाब देने के लिये खड़े हो गये । अगला प्रश्न ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री रामेश्वरानन्द : अध्यक्ष महोदय, आप मेरे किसी प्रश्न का उत्तर देने नहीं देते यह क्या बात है ?

अध्यक्ष महोदय : अब चूंकि स्वामी जी के प्रति मेरे मन में आदर भाव है इस वास्ते मैं आराम से उन के सवाल को सुन लेता हूं मगर चूंकि वह मूल प्रश्न से सम्बन्धित नहीं होता है इसलिये उस का जवाब नहीं दिलावाया जाता है ।

श्री रामेश्वरानन्द : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न मेरा उस से सम्बन्धित है फिर भी ....

अध्यक्ष महोदय : मुश्किल यह है कि इस का फैसला मैं ने करना है । अगला प्रश्न ।

चीनी राष्ट्रजन

†*४८५. { **श्री श्रीनारायण दास :**
श्री डी० चं० शर्मा :
श्रीमती मैमूना सुल्तान :
श्री बागड़ी :
श्री यशपाल सिंह :
श्री राम रतन गुप्त : }

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष पिछले छः महीनों के दौरान अब तक कितने चीनियों को भारत से चले जाने के लिये कहा गया है ;

(ख) जिन्हें भारत से चले जाने के लिये कहा गया है उन में से कितने भारत छोड़ने को नोटिस रद्द कराने के लिये अदालत गये हैं ; और

(ग) कितनों को भारत में रहने की अनुमति दी गई है और कितने मामलों में अभी फैसला नहीं हुआ है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) :** (क) १ जनवरी, १९६२ से ३० जून, १९६२ तक की अवधि में ५६ ।

(ख) और (ग). एक, इस मामले में जो अभी न्यायाधीन है, सरकार को उच्च न्यायालय ने भारत छोड़ देने के आदेश को लागू करने में रोक दिया है ।

†**श्री श्रीनारायण दास :** उन्होंने किन आधारों पर ये अपीलें दर्ज की हैं ?

†**श्री दातार :** उन्होंने कहा है कि उन को भारत से नहीं निकाला जा सकता था ।

†**श्री श्रीनारायण दास :** कितने चीनी लोग अभी भारत में हैं ?

†**श्री दातार :** जनगणना की गई थी और १० जनवरी को १०,८६७ चीनी राष्ट्रजन भारत में थे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री यशपाल सिंह : क्या मैं यह जान सकता हूं कि जबकि चीन में एक भी भारतीय नागरिक नहीं है तो यहां इतने चीनी नागरिकों को बसाना कहां तक उचित होगा और क्या यह मुनासिब नहीं होगा कि उन सब को एक स्थान पर बसा कर उन पर पुलिस की कड़ी निगरानी रक्खी जाय ?

अध्यक्ष महोदय : श्री प्रकाशवीर शास्त्री ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : मैं यह जानना चाहता हूं कि इस प्रकार के चीनी नागरिक जो कि भारत से बाहर भेजे गये हैं क्या इस भारत की राजधानी दिल्ली में भी थे और यदि हां तो उन की संख्या कितनी है ?

†**श्री दातार** : वे अधिकतर पश्चिम बंगाल में जमा हैं । दिल्ली में केवल २६ हैं ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : क्या इस आशय के समाचारों में कोई सत्य है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने केन्द्रीय सरकार को बताया है कि हाल के महीनों में कलकत्ता शहर में बहुत अधिक झूठी चीनी प्रतिष्ठान हो गये हैं और अवांछनीय विरोधी तथा जासूसी कार्रवाई वहां बढ़ रही है और यदि ऐसी बात है, तो सरकार ने उन अवांछनीय लोगों को भारत से निकालने के लिये क्या किया है ?

†**श्री दातार** : पश्चिम बंगाल के प्राधिकारियों ने कलकत्ता में जनगणना की थी । यदि वे देखें कि कोई झूठी प्रतिष्ठान बहुत सी हैं, तो उन को उसे ठीक करने का अधिकार है ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : मेरा प्रश्न यह था कि यह समाचार छपा है कि वे बढ़ रहे हैं और उन की गति विधि बढ़ रही है और पश्चिम बंगाल सरकार की इस आशय की रिपोर्ट पर केन्द्रीय सरकार ने क्या कार्रवाई की है कि ये जासूसी काम बढ़ रहे हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : उत्तर यह है कि कार्रवाई करना राज्य सरकार का काम है ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : राज्य सरकार को मंत्रणा देना केन्द्रीय सरकार का काम है । क्या देश से अवांछित चीनी लोगों को निकालने के मामले में गृह-कार्य मंत्री का कोई उत्तरदायित्व नहीं है ? मा० मंत्री कुछ घबराये हुए प्रतीत होते हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : शान्ति शान्ति ।

†**श्री अ० प्र० जैन** : क्या कुछ चीनी लोगों को भारत छोड़ने के लिये कहा गया था, किन्तु जो न्यायालय में तो नहीं गये अपितु लापता हो गये, अर्थात् मिल गये हैं ? उन की संख्या कितनी है ?

†**श्री दातार** : अभी तक मुझे एक ऐसे मामले का पता चला है । उस व्यक्ति को ढूंढ़ा जा रहा है । अन्य मामलों में प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हूं क्योंकि यह प्रश्न बहुत सीमित ढंग का है ।

†**श्री रघुनाथ सिंह** : करीब ११००० चीनी हिन्दुस्तान में हैं । मैं जानना चाहता हूं कि उन को भारतीय नागरिक ट्रीट करते हैं या चाइनीज़ नागरिक ट्रीट करते हैं और अगर उन को आप चाइनीज़ नागरिक ट्रीट करते हैं तो उन के पास पासपोर्ट हैं या नहीं ?

†**श्री दातार** : यह बात स्पष्ट कर दी गई है । यह संख्या भारत में रहने वाले चीनी राष्ट्रजनों की है ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**श्री रघुनाथ सिंह** : क्या उन के पास पार-पत्र हैं या नहीं ?

†**श्रीमती सावित्री निगम** : क्या माननीय मंत्री को पता है कि कुछ चीनी लोग जो दिल्ली में रहते हैं, चीन को खुराक और अन्य चीजों के बहुत बड़े पार्सल लगातार भेज रहे हैं ?

†**श्री दातार** : मुझे इस आरोप का पता नहीं । कड़ी निगरानी की जाती है ।

†**श्री हेम बरुआ** : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हाल ही में चीनी लांडरियों, जूता दुकानों की देश के कुछ बड़े नगरों में बहुत भरमार होती जा रही है, सरकार ने इस बात के लिये क्या उपाय किये हैं कि ये दुकानें चीनी जासूसी अथवा भारत विरोधी गतिविधियों का केन्द्र न बन जायें ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : : जहां तक मुझे पता है पिछले चार या पांच वर्षों में नहीं अपितु उस के काफी पहले से चीनी लोग इस प्रकार के काम, छोटी दुकानें, लांडरी की दुकानें दांतो की या अन्य ऐसी दुकानें करते हैं । हाल ही में, कलकत्ता में कुछ शिकायतें की गयी थीं । प्रत्येक दुकान की जांच की गई थी और उन के मालों की पड़ताल की थी ।

†**श्री हेम बरुआ** : शिलांग के बारे में क्या स्थिति है ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : मैं इस समय शिलांग के बारे में कुछ नहीं कह सकता । किन्तु कलकत्ता संबंधी सूचना मेरे पास है । राज्य सरकार आवश्यक कार्यवाही कर रही है और काफी सतर्क है ।

विमानों की टक्कर

†४८६. **श्री प्रकाशबीर शास्त्री** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री चकेरी हवाई अड्डे पर विमानों की क्षति के बारे में १८ जून, १९६२ के तारांकित प्रश्न १५२५ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चकेरी हवाई अड्डे पर आंधी में विमानों के टकराने की जांच पूरी हो चुकी है ;

(ख) इस से कुल कितनी हानि हुई और इस के क्या कारण थे; और

(ग) क्या इसके लिये जिम्मेदार व्यक्तियों को दंड दे दिया गया ?

†**प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चावन)** : (क) जी हां ।

(ख) लगभग १७,००० रुपये : दुर्घटना झक्कड़ के कारण हुई, जिस का, चकेरी के हवाई अड्डे पर, वर्षा ऋतु आरम्भ होने से पहले, ३१ मई, १९६२/को संध्या के छै बजे आक्रमण हुआ ।

(ग) संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा रही है ।

†**श्री प्रकाशवीर शास्त्री** : माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में यह विवरण दिया है कि दो जहाज वहां पर खड़े थे और आंधी के साथ वे उड़ गये, जिस के कारण यह हानि हुई । क्या मैं जान सकता हूं कि भविष्य में सेना के या सामान्य विमानों को कोई क्षत्ति न पहुंचे, क्या उस के लिये कोई समुचित व्यवस्था कर दी गई है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या कोई ऐसे पूर्वोपाय किये गये हैं कि ऐसी घटनायें भविष्य में न होने पायें ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : विमान रखने के सम्बन्ध में बड़े निश्चित नियम हैं। यह सर्वथा सही है कि जैसा कि जांच न्यायालय की कार्यवाही ने बताया है, इस के एक पहलू को अच्छी तरह देखा नहीं गया । यह भी सन्देहास्पद है कि आया हैंगर स्थान में इस का पालन किया जा सकता था। यह भी सूचना है कि यदि वे पूर्वोपाय किये भी जाते, आंधी इतनी तेज थी कि परिणाम वही होता। परन्तु इतना सब कुछ होने के बावजूद सरकारी सम्पत्ति को बचाने और विमान बल में अनुशासन कायम रखने के लिये विमान कमांड ने फैसला किया कि जो लोग जिम्मेदार थे उन के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाई की जानी चाहिये ।

†**श्री रामेश्वरानन्द** : अध्यक्ष महोदय; इस की हिन्दी भी सुना दीजिये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मिनिस्टर साहब ने कहा है कि आंधी इतनी जबर्दस्त थी कि अगर एहतियात भी की जाती, तो भी शायद उस का इंतजाम न किया जा सकता । मगर रूल्स की भी कुछ ढिलाई रही कि हैंगर में इतनी जगह नहीं थी और उस के अन्दर नहीं रखा जा सका ।

†**डा० मा० श्री० अणे** : माननीय मंत्री ने अपने उत्तर में वर्षा ऋतु के आरम्भ होने की बात कही है। मैं यह जानना चाहता हूं कि उन के हिसाब से वर्षा ऋतु की शुरूआत कौन से महीने में और कौन सी तारीख पर हो गई।

†**अध्यक्षमहोदय** : मैं माननीय सदस्य के सवाल को नहीं समझ सका। क्या वह उस को दोहरा देंगे ।

भारतीय इंजीनियरों का प्रशिक्षण

†

†*४८७. { **श्री भागवत झा आजाद** :
श्री भक्त दर्शन :

क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस्पात और भारी उद्योग मंत्रालय ने भारत में भारतीय इंजीनियरों को प्रशिक्षण देने के सम्बन्ध में रूस सरकार से कोई करार किया है; और

(ख) क्या यह प्रशिक्षण यहीं पूरा हो जायेगा या उन्हें आगे प्रशिक्षण के लिये रूस भेजना होगा ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी)** : (क) और (ख). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

१९ जून, १९६२ को हैवी इलैक्ट्रिकल्ज (इंडिया) लिमित ने हरद्वार के समीप रानीपुर के भारी बिजली उपकरण संयंत्र में हाइड्रोलिक टर्बाइनों का डिजाइन बनाने और रूसी भाषा सिखाने के लिये भारतीय इंजीनियर प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षण देने के लिये दो रूसी विशेषज्ञों की प्रतिनियुक्ति के लिये मैसर्स परोमशैक्सपोर्ट मास्को के साथ करार किया था। प्रशिक्षार्थियों को भोपाल में उपश्चर्यो प्रशिक्षण दिया जायेगा, जिस के पश्चात् उन को उन्नत और विशेषीकृत प्रशिक्षण के लिये रूस भेजा जायेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

भिलाई इस्पात संयंत्र के सम्बन्ध में भारत में भारतीय इंजीनियरों के प्रशिक्षण के लिये रूसी संगठनों के साथ कोई संविदा / करार नहीं किया गया। तथापि भिलाई इस्पत संयंत्र अपनी निजी प्रविधिक संस्था चला रहा है, जहां स्नातक शिशिक्षु आदि को प्रशिक्षण दिया जाता है। यदि आवश्यकता हुई तो रूस में कुछ व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिलाने की भी व्यवस्था कर दी गई है।

†**श्री भागवत झा आजाद** : क्या यह प्रशिक्षण उन संयंत्रों के लिये कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के कार्यक्रम का अंग है, जो यहां रूसियों द्वारा स्थापित किये गये हैं या क्या यह प्रशिक्षण उन को सामान्यता अन्य काम करने के योग्य बनायेगा ?

†**श्री प्र० चं० सेठी** : यह प्रशिक्षण हरद्वार की परियोजना के सम्बन्ध में हाइड्रोलिक टर्बाइनों आदि के उत्पादन का प्रशिक्षण देने के लिये है ?

†**श्री भागवत झा आजाद** : विवरण में संख्या नहीं दी गई। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत हमारे कितने इंजीनियरों को प्रशिक्षण दिया जायेगा ?

†**श्री प्र० चं० सेठी** : परियोजना प्राप्त होने के पश्चात् ही प्रशिक्षार्थियों की संख्या मालूम होगी।

†**श्री भक्त दर्शन** : यह नवीन करार कब से वास्तव में लागू होगा ?

†**श्री प्र० चं० सेठी** : करार १९ जून, १९६२ को किया गया है।

†**श्री म० ला० द्विवेदी** : ऐसी व्यवस्था की गई थी कि इंजीनियर्स को ट्रेनिंग के लिये वहां न भेजा जायगा, बल्कि वहां के लोग यहां आकर इन को प्रशिक्षण देंगे और ऊंची ट्रेनिंग वहां दी जायेगी। मैं यह जानना चाहता हूं कि अब उन को कैसे भेजा गया है।

†**श्री प्र० चं० सेठी** : अभी दो रशन इंजीनयर्स ट्रेनिंग देने आये हैं। बाद में अगर आवश्यकता हुई, तो वे वहां भेजे जायेंगे।

†**श्री काशीनाथ पांण्डे** : क्या यह सही है कि जो प्रशिक्षणार्थी अमरीका गये थे, उन को इस के लिये प्रशिक्षण नहीं दिया गया था, क्योंकि अधिकांश चीजें उन से गोपनीय रखी गयीं ? क्या इस बात का निश्चय कर लिया गया है कि वही बात इन प्रशिक्षार्थियों के साथ नहीं होगी ?

†**श्री प्र०चं० सेठी** : यह मुख्य प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता।

†**श्री स०मो० बनर्जी** : क्या भोपाल तथा अन्य फैक्टरियों में काम करने वाले वर्तमान इंजीनियरों को प्रशिक्षण के लिये विदेश भेजे जाने की संभावना है या उन को रूसियों द्वारा यही प्रशिक्षण दिया जायेगा, अथवा क्या प्रशिक्षुओं के किसी अन्य दल की भरती की जायेगी ?

†**श्री प्र० चं० सेठी** : जैसा मैं ने पहले बताया है, प्रशिक्षुओं की संख्या परियोजना रिपोर्ट की प्राप्ति के पश्चात् मालम होगी।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : क्या इन का पता नहीं किया गया ? अवश्य ही कोई योजना होगी ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्)** : यह प्रशिक्षण कार्यक्रम हरिद्वार परियोजना के सम्बन्ध में है, अतः भोपाल के इंजीनियरों को प्रशिक्षण देने का सवाल पैदा नहीं होता, जहां तक इस मुख्य प्रश्न का संबंध है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री स० मो० बनर्जी** : मेरा प्रश्न और है । अब जब कि करार हो चुका है, हमारे इंजीनियरों को प्रशिक्षण दिया जायेगा । क्या हरिद्वार परियोजना के लिये इंजीनियरों की किसी नई टुकड़ी पर भरती की जाने की संभावना है ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम** : जी हां । हरिद्वार परियोजना के लिये नवीन भरती की जा रही है ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : सभा पटल पर रखे गये विवरण में बताया गया है कि भोपाल तथा हरद्वार के भारी बिजली सामान के कारखानों के साथ करार हुआ है । कि हाइड्रोलिक टर्बाइनों आदि के डिज़ाइन बनाने में भारतीय इंजीनियर-प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षण देने के लिये दो रूसी विशेषज्ञ प्रति नियुक्त किये जायेंगे । किंतु भिलाई इस्पात संयंत्र के संबंध में, भारत में भारतीय इंजीनियरों के प्रशिक्षण के लिये सभी संगठनों के साथ करार का कोई संविदा नहीं हुआ है । जब कि भारी बिजली उपकरण संयंत्रों के संबंध में भारत में भारतीय इंजीनियरों को प्रशिक्षण देने की व्यवस्था है, भिलाई इस्पात संयंत्र के लिये ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है यह भेद अब क्यों है ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम्** : जहां तक भिलाई इस्पात संयंत्र का ताल्लुक है, प्रशिक्षण किया जा चुका है और अब इंजनियरों को प्रशिक्षण देने के लिये हमारे पास अपनी निजी प्रशिक्षण संस्था है ।

†**डा० क० ला० राव** : क्या सरकार अग्रतर विशेषता प्राप्ति के लिये कुछ चुने हुए लोगों को विदेश भेजने को से पूर्व इंजीनियरों को प्रशिक्षण देने के लिये विदेशों की सहायता के साथ या उसके बिना एक प्रशिक्षण संस्था स्थापित करने का विचार कर रही है ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम** : सरकार की नीति उन को प्रशिक्षण के लिये विदेश न भेजने की है किन्तु जहां तक संभव हो उन को भारत में प्रशिक्षण दिलाया जाए ?

†**डा० क० ला० राव** : उन को विदेश भेजने से पहले प्रशिक्षण देने के लिये प्रशिक्षण संस्था की स्थापना की क्या स्थिति है ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम** : यह विचाराधीन है ।

†**श्री पें० वेंकटासुब्बया** : क्या सरकार का ध्यान भोपाल भारी बिजली उपकरण संयंत्र के प्रशासक के वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि प्रविधिक लोगों की कमी के कारण वे अपना उत्पादन नहीं बढ़ा पाये ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम** : यह उस प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्री भागवत झा आज़ाद** : विवरण में यह नहीं बताया गया कि उन को विदेश में प्रशिक्षण देने के लिये कितना समय लगेगा । क्या तब तक जब कि संयंत्र उत्पादन आरंभ कर दे, संयंत्र को चलाने के लिये वे लोग वापिस आ जायेंगे ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम** : प्रशिक्षण कार्यक्रम इस प्रकार बनाया जाएगा कि जब संयंत्र उत्पादन आरंभ करे, प्रशिक्षण कर्मचारी उपलब्ध हों ।

---

†मूल अंग्रेजी में

सोल्वीन प्रतिनिधिमंडल की रिपोर्ट

+

+*४८८. **श्री मुरारका :**
श्री अ० क० गोपालन :
श्री इम्बिचीबाबा :
श्री वारियर :
श्री मे० क० कुमारन :
श्री रा० बरुआ :
श्री दाजी :
श्री नाथ पाई :
श्री हेम बरूआ :

क्या इस्पात और भारी उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोल्वीन प्रतिनिधिमंडल की रिपोर्ट का प्रारूप तैयार किया जा चुका है ;

(ख) क्या सरकार उस रिपोर्ट की प्रति सभा पटल पर रखेगी ; और

(ग) रूरकेला इस्पात कारखाने में उसकी पूरी पूरी क्षमता तक उत्पादन करने के लिए क्या उपाय किये गये हैं ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) :(क)** जी हां ।

(ख) रिपोर्ट सभा पटल पर १३ अगस्त १९६२ को रखी गई थी ।

(ग) रूरकेला संयत्र में पूर्ण उत्पादन क्षमता का उपयोग करने के लिये स्वीकृत उपायों में अन्य बातों के साथ, मरम्मत की स्थिति को कम करने के लिये फालतू पुर्जों का पर्याप्त स्टाक रखना, वर्कशाप उपकरण तथा परिवहन सुविधाओं में कुछ वृद्धि, और अतिरिक्त प्रविधिक लोगों की भरती शामिल हैं । हिन्दुस्तान स्टील कंपनी का एक प्रतिनिधिमंडल अन्तिम रूप से तै करने और आर्डर देने के लिये १८ अगस्त १९६२ को कार्य कर गया है ।

†**श्री मुरारका :** रिपोर्ट से ऐसी बहुत सी घटनाओं का पता चलता है कि मरम्मत घटिया हुई और वहां काम करने वाले लोगों की लापरवाही के कारण बहुत से विस्फोट हुए । क्या इन सब बातों का उत्तरदायित्व विभिन्न विभाग प्रमुखों पर डाला गया है या कार्यकर्ताओं पर ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम :** यह साधारण शिकायत है कि मरम्मत घडिया हुई है । उत्तरदायित्व निश्चित करना असंभव होता है । किन्तु अब ये सवाल उठाया है और पहले से बहुत अधिक उत्तम संधारण एवं अनुशासन होता है । संयंत्र उत्पादन भी बढ़ा रहा है ।

†**श्री मुरारका :** धन की दृष्टि से कुल कितनी क्षति हुई है और इसकी मरम्मत करने के लिये कितनी राशि की आवश्यकता होगी ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम :** यह इस संबंध में है कि रूरकेला संयंत्र को पूरे उत्पादन तक लाने के लिये क्या करना होगा रिपोर्ट में लिखा है कि हमें लगभग डी० एम० ५१० लाख या लगभग ६ करोड़ रुपये खर्च करने होंगे ।

†**श्री दाजी :** क्या सरकार रिपोर्ट से, जिस प्रकार यह पेश की गई है पूर्णतया सहमत है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम :** हम ने संयंत्र को पूर्ण उत्पादन तक लाने के लिये की गई विविध सिफारिशों को कार्यान्वित करना स्वीकार कर लिया है ।

†**श्री दाजी :** मैंने यह पूछा था कि क्या सरकार रिपोर्ट से पूर्णतया सहमत है जिसमें आरोप भी लगाये गये हैं न कि यह कि क्या सरकार ने सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है । उन्होंने केवल आधा उत्तर दिया है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** केन्द्रों ने संयंत्र में पूर्ण उत्पादन लाने की बात स्वीकार की है ।

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम :** जो मैंने बताया है हम वहीं तक रिपोर्ट से सहमत हैं ।

†**श्री मे० क० कुमारन :** क्या यह सही है कि भारत सरकार तथा पश्चिम जर्मन और उस देश में गैर-सरकारी पूंजीवादी उपक्रमियों तथा दूसरी ओर सरकारी क्षेत्र के उद्योगों के बीच मूलभूत मतभेद से रूरकेला संयंत्र की खराबी बहुत बढ़ गई है ? यदि हां तो सरकार इस कठिनाई से कैसे निकलने का विचार करती है ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम :** मुझे इस विषय में कोई मतभेद दिखाई नहीं देता । मैं यह समझ नहीं सकता कि मतभेद से माननीय सदस्य का क्या अर्थ है ।

†**श्री मे० क० कुमारन :** रिपोर्ट से यह पता चलता है कि दोनों पक्षों के बीच कोई मूलभूत मतभेद है ।

†**श्री हेम बरुआ :** इस बात की दृष्टि से कि रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि इस विशिष्ट संयंत्र में प्रविधिक प्रबंध और प्रशासन में अत्याधिक व्यवस्था थी और इस रिपोर्ट ने हिन्दुस्तान स्टील पर बहुत कम उत्तरदायित्व डाला है, सरकार ने इस का पुनर्गठन करने या हालात को सुधारने के लिये क्या उपाय किये हैं ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम :** हमने कुछ पुनर्गठन भी किया है । जैसाकि मैं पहले कह चुका हूं, हम ने रूरकेला संयंत्र को पूर्ण उत्पादन तक लाने से संबंधित सिफारिश तक ही रिपोर्ट स्वीकार की है । जहां तक अन्य बातों का संबंध है, हम उन की जांच कर रहे हैं और हम उत्तम अनुशासन तथा उत्तम प्रबंध न केवल रूरकेला में बल्कि विविध अन्य संयंत्रों में भी करने का प्रयत्न कर रहे हैं ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

जरूरतमन्द प्रविधिक (टेक्निकल) छात्रों को सहायता

†*४७८. **श्री बसुमतारी :**
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या **शिक्षा** मंत्री २३ अप्रैल, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या ९७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जरूरतमंद प्रविधिक (टेक्निकल) छात्रों को सहायता के लिये एक ऋण सहायता निधि की स्थापना का पूरा ब्यौरा तैयार कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार की निधि की स्थापना के लिये कुल कितने धन की आवश्यकता होगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी नहीं । अभी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

बाल कल्याण के लिये केन्द्रीय बोर्ड

†*४७६. **श्री बिशन चन्द्र सेठ** : क्या **शिक्षा** मंत्री १३ जून, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या १४५६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बाल कल्याण के लिये एक केन्द्रीय बोर्ड के गठन सम्बन्धी प्रस्ताव पर विचार कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस बोर्ड के लक्ष्य और उद्देश्य क्या होंगे ; और

(ग) क्या परियोजनाओं का ब्यौरा तैयार कर लिया गया है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) से (ग). प्रस्ताव विचाराधीन है ।

चौथी योजना के दौरान इस्पात की आवश्यकता

†*४८६. **श्री मुरारका** : क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार चौथी पंचवर्षीय योजनाकाल में इस्पात की आवश्यकताओं का अध्ययन करने के लिए कार्य-संचालन दल बनाने का विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह दल सभी प्रकार के इस्पात के बारे में जांच पड़ताल करेगा ; और

(ग) इस जांच पड़ताल के कब तक समाप्त हो जाने की आशा है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)** : (क) और (ख). सरकार ने चौथी पंचवर्षीय योजना में शामिल करने के लिए क्या पांचवीं योजनावधि में इस्पात की आवश्यकताओं का कार्यक्रम बनाने के लिए एक कार्य संचालन दल बना लिया है और यह दल कच्चा लोहा, विशेष इस्पात और फैरो राल्फ पर इस्पात के साथ साथ विचार करेगा ।

(ग) आवश्यकताओं का अध्ययन होता रहता है परन्तु आश है कि दल लगभग एक वर्ष में अपनी सिफारिशें दे देगा ।

नूनमती तेल शोधक कारखानें के लिए अशोधित तेल

†*४९० **श्री का० ना० तिवारी** :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री विभूति मिश्र :
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :
श्री मे० क० कुमारन :

क्या **खान और ईंधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नूनमती तेल शोधक कारखाने को दियें जाने वाले अशोधित तेल (क्रूड आयल) के मूल्य पर इण्डिया रिफाइनरीज़ लिमिटेड और आयल इण्डिया लिमिटेड के बीच मतभेद हो गया है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो मतभेद दूर कराने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

†खान और ईंधन मंत्री (श्री क० दे० मलवीय) (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

दिल्ली में यातायात संबंधी अपराध

†*४९१. { श्री विभूति मिश्र :
श्री बिशन चन्द्र सेठ :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में प्रतिवर्ष यातायात सम्बन्धी अपराधों के अनेक मामले अनिर्णीत रहते है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ; और

(ग) ऐसे मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). क्योंकि ऐसे बहुत से मामले होते हैं। इन मामलों का फैसला करने के लिए और दण्डाधिकारी नियुक्त किए जा रहे है और चलते फिरते न्यायालयों की भी संख्या बढ़ाई जा रही है ।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की काम की दशा संबंधी अन्तर्विभागीय समिति

†४९२. { श्री भक्त दर्शन :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या गृह-कार्य मंत्री ९ मई, १९६२ के तारांकित प्रश्न ६०३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की काम करने की दशा का अध्ययन करन के संबंध में नियुक्त जिस अन्तर्विभागीय समिति ने कुछ समय पहिले अपनी रिपोर्ट दी थी, उसकी मुख्य मुख्य सिफ़ारिशें क्या हैं; और

(ख) उन सिफ़ारिशों पर क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) समिति ने ९८ सिफारिशें की है । उनके अन्तर्गत कर्मचारी-कल्याण के विभिन्न पहलू आते है, जिनमें से कुछ ये है :—

काम करने की दशाएं

कैंटीनें

कर्मचारियों की अवकाश-वेतन, वेतन-वृद्धि, पेंशन, ग्रेच्युटी आदि जैसी बकाया राशियों का उचित समय पर निपटारा

---

†मूल अंग्रेजी में

रिहायशी मकान

बच्चों की शिक्षा के लिये सुविधायें

चिकित्सा सम्बन्धी सुविधाएं

परिवहन

सामाजिक, सांस्कृतिक और मनोरंजन सम्बन्धी क्रियायें

सहकारी ऋण तथा बचत संस्थाएं

सहकारी उपभोक्ता भंडार

हितकारी निधि

कर्मचारी कल्याण सम्बन्धी प्रशासन-तंत्र

(ख) कुछ सिफ़ारिशें, जैसे केंटीनें, चिकित्सा तथा शिक्षा सम्बन्धी सुविधाएं मुहय्या करना मंजूर कर ली गई हैं और उन्हें लागू करने के लिये कार्यवाही की जा रही है। बाकी सिफ़ारिशों की सम्बन्धित मंत्रालयों के परामर्श से जांच की जा रही है और वे अभी जांच की विभिन्न स्थितियों में है।

हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लि०

†*४९३. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लि० का एक उच्चाधिकारी इस बात का बता लगाने के लिए अमरीका भेजा गया है कि भारत में मशीनी औजार उद्योग में गैर-सरकारी अमरीकी फर्मों के भाग लेने की क्या संभावना है ;

(ख) यदि हां, तो यात्रा का क्या परिणाम रहा ; और

(ग) क्या सरकारी क्षेत्र में अब और कोई मशीनी औजार कारखाने स्थापित नहीं होंगे ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम):** (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) तीसरी योजना में सरकारी क्षेत्र में एक और मशीनी औजार कारखाना स्थापित करने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है ।

ई० एन० आई० के साथ करार

†*४९४. **श्री विद्याचरण शुक्ल :** क्या **खान और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत के सम्पूर्ण फालतू पेट्रोल के इटली के सरकारी तेल तथा गैस उपक्रम ई० एन० आई,० द्वारा खरीदे जाने की संभावना के बारे में अब तक क्या संकेत मिले हैं ?

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) :** कोई औपचारिक बातचीत नहीं हुई है । मामला की जांच हो रही है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

सिंगरैनी कोयला खाने

†*४९५. **श्री म० ना० स्वामी :**
श्री पें० वेंकटासुब्बैया :
श्री मे० क० कुमारन :

क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला उत्पादन को बढ़ाने की दृष्टि से सिंगरैनी कोयला खान समूह के विस्तार के संबंध में आन्ध्र प्रदेश सरकार से कोई प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के पास आए हैं ;

(ख) यदि हां, तो विस्तार पर कितना अधिक व्यय होगा ; और

(ग) इस के संबंध में केन्द्रीय सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) से (ग). सरकार ने सिंगरैनी कोयला खान के समवाय से तीसरी योजना में निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने के प्रस्ताव मांगे है । यह प्रस्ताव मिल गये है और सरकार उन पर विचार कर रही है ।

त्रिपुरा में बाढ़

†*४९६. **श्री दशरथ देव :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा प्रादेशिक परिषद् ने एक संकल्प पारित किया है जिसमें केन्द्रीय सरकार से प्रार्थना की गई है कि हाल की बाढ़ों से प्रभावित लोगों को सहायता देने के लिये तथा बाढ़ों से बचाव के लिये समुचित कार्रवाई की जाए ; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार ने इस मामले में क्या कार्रवाई की है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : (क) जी हां ।

(ख) बाढ़ से प्रभावित लोगों को सहायता देने के लिए प्रशासन ने पर्याप्त कार्यवाही की है । प्रदेश में कई बाढ़ संरक्षण कार्य किए गये हैं तथा कुछ और किए जा रहे है । इसलिए संकल्प के कारण कोई विशेष कार्यवाही नहीं की गई है ।

राष्ट्रमण्डलीय वैज्ञानिक

†*४९७. **श्री रघुनाथ सिंह :** क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नवम्बर १९६२ में नई दिल्ली में राष्ट्रमंडलीय वैज्ञानिकों का सम्मेलन हो रहा है; और

(ख) यदि हां, तो सम्मेलन का उद्देश्य क्या है ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) जी हां ।

(ख) विज्ञान तथा प्रौद्योगिकीय मामलों पर चर्चा करने के लिए ।

---

†मूल अंग्रेजी में

गोआ में इस्पात संयंत्र

†*४९८. **श्री नाथ पाई :** क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार गोआ में एक इस्पात संयंत्र स्थापित करने का है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने अपनी योजनाएं बना ली हैं ; और

(ग) उनका कब कार्य आरंभ करने का विचार है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) :** (क) से (ग). तीसरी योजना में गोआ में इस्पात कारखाना स्थापित करने की कोई योजना नहीं है । चौथी तथा पांचवी योजनावधि के लोहा और इस्पात विकास कार्यक्रम बनाने के लिए जो कार्यकारी दल हाल ही में गठित किया गया है वही इस पर भी विचार करेगा ।

ऐवरो–७४८

†*४९९. **श्री हेम बरुआ :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार को ऐवरो-७४८ की खरीद के लिये एक क्रेता मिल गया है, अर्थात् इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन ;

(ख) यदि हां, तो क्या करार हो गया है ; और

(ग) क्या यह सच है कि सरकार विमान के प्रविधिक पहलू से पूर्णतया संतुष्ट है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) :** (क) परिवहन तथा संचार मंत्रालय ने बताया है कि आई० ए० सी० एवरो ७४८ को बर्मा खरीदेगा जब उसको उनकी वाणिज्यिक उड़ानों के लिए जरूरत होगी ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) जी हां ।

दक्षिणी राज्यों के लिये संयुक्त पुलिस बल

†*५००. **श्री उमा नाथ :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिणी राज्यों के लिये एक संयुक्त पुलिस बल स्थापित किया जायेगा ; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्योरा क्या है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) :** (क) जी हां ।

(ख) दक्षिण खण्ड परिषद् ने दक्षिण राज्यों के इंस्पैक्टर जनरल पुलिस की समिति बनाई थी जो जोन में संयुक्त पुलिस रिजर्व दल बनाने के प्रस्ताव की जांच करेगी । समिति का प्रतिवेदन मिल गया है और परिषद् अपनी अगली बैठक में इस पर विचार करेगी । परिषद् के निर्णयों के संबंध में कार्यवाही संसद् पुस्तकालय में अन्तिम रूप में प्राप्त होने पर रख दी जायेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

राज्यों को कोयले का अभ्यंश

†*५०१. **श्री उ० मू० त्रिवेदी :**
श्री बड़े :
श्री कछवाय :

क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अप्रैल, १९६२ से विभिन्न राज्यों के कोयले के अभ्यंश में कमी की जाने के बाद कुछ राज्यों को हाल में ही अतिरिक्त अभ्यंश दिये गये हैं;

(ख) यह अतिरिक्त अभ्यंश किस आधार पर दिया गया है ; और

(ग) क्या अतिरिक्त अभ्यंश समान आधार पर दिया गया है ?

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री क० दे० मालवीय)** : (क) से (ग). रेलवे द्वारा पश्चिम बंगाल और बिहार से कोयले के लदान के १२० वैगन बढ़ा देने के कारण १ जुलाई, १९६२ से विभिन्न राज्यों का कोयले का कोटा बढ़ा दिया गया है। विभिन्न राज्यों को नये आवंटन समान आधार पर किये गये हैं जिस से १९६१ के सही लदानों में १३·७ प्रतिशत वद्धि कर दी जाये। केवल उन राज्यों के अतिरिक्त जिन में वर्तमान आवंटन १९६१ के लदानों से पहले ही १३·७ प्रतिशत अधिक थी।

नागा विद्रोही

†*५०२. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री रघुनाथ सिंह :
डा० लक्ष्मीमल सिंघवी :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पुलिस ने ५ अगस्त, १९६२ को या इस के आसपास नागा विद्रोहियों के मेगू शिविर नामक सब से बड़े गुप्त अड्डे को नष्ट कर दिया है ; और

(ख) यदि हाँ, तो वहाँ से कितने विद्रोही और शस्त्र और कागज़ात पकड़े गये हैं ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) हमारी सुरक्षा सेनाओं ने १ अगस्त, १९६२ को नागा शिविर को नष्ट कर दिया था।

(ख) किसी भी विद्रोही को नहीं पकड़ा गया। दो कुकरियाँ तथा कुछ गोली बारूद पकड़े गये थे परन्तु कागज़ात कोई नहीं मिले थे।

विमान द्वारा यात्रा पर प्रतिबन्ध

†*५०३. **श्री श्याम लाल सर्राफ :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ब्रिटेन में, भारत से उस देश को विमान द्वारा यात्रा पर लगाये गये प्रतिबन्ध के कारण, व्यापार तथा ऐसे ही अन्य कार्यों में लगे भारतीय राष्ट्रजनों को होने वाली असुविधा और हानि का पता है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या सरकार को तब से भारत और ब्रिटेन के बीच वायु-मार्ग पर विमान चलाने वाली भारतीय और विदेशी विमान कम्पनियों से विमान द्वारा यात्रा करने वाली जनता को होने वाले विलम्ब और असुविधा और विमान सेवा ठीक रूप से चलाने में कठिनाई के बारे में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ?

†**वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा)** : (क) जी हाँ । प्रतिबन्ध तथा नियंत्रण के कारण कुछ सीमा तक ऐसा होना जरूरी है ।

(ख) जी हाँ ।

गुजरात के लिये कोक

†*५०४. **श्री मान सिंह पृ० पटेल** : क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में वर्ष १९६२ के लिये हार्ड और सोफ्ट कोक की कुल कितनी आवश्यकता है ;

(ख) क्या गुजरात सरकार ने पूरी आवश्यकता के संभरण के लिये कोई अभ्यावेदन दिया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में भारत सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) गुजरात राज्य सरकार ने इंजीनियरिंग उद्योग के लिये हार्ड कोक की तथा सोफ्ट कोक की आवश्यकता क्रमशः ३७६ वैगन तथा २९९ वैगन प्रतिमास क्रमशः बताई है । हार्ड कोक तथा सोफ्ट कोक का मासिक कोटा क्रमशः २२४ वैगन और १५० वैगन विभिन्न उद्योगों के लिये हार्ड कोक की उपलब्धता तथा उस के लिये उपलब्ध रेल परिवहन के आधार पर निश्चित किया गया है ।

(ख) जी हां ।

(ग) हार्ड कोक के संभरण में कमी को पूरा करने के लिये राज्य को ६४ वैगन वी० पी० कोक के देने का प्रस्ताव किया गया है । इस के अतिरिक्त सोफ्ट कोक के संभरण की कमी को पूरा करने के लिये नये कोक तथा कोक ब्रीज का भी प्रस्ताव किया गया है ।

उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति

†*५०५. **श्री त्यागी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में उच्च न्यायालय के कुल कितने न्यायाधीश नियुक्त किये गये ; और

(ख) इन नियुक्तियों के सम्बन्ध में विभिन्न उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों द्वारा पेश की गई सूचियों/प्राथमिकताओं से सरकार कितने मामलों में असहमत हुई ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) ७९ ।

(ख) एक ।

---

†मूल अंग्रेजी में

कावेरी बेसिन में तेल की खोज

†*५०६. **श्री रामेश्वर टांटिया :**
श्री यशपाल सिंह :
श्री कजरोलकर :
श्री मे० क० कुमारन :
श्री उमा नाथ :
डा० रा० बनर्जी :
श्री सुबोध हंसदा :

क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कावेरी बेसिन के तेल की खोज के सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) योजना के कब तक पूरा हो जाने की आशा है ?

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) :** (क) भूतत्वीय नकशे बना लिये गये हैं। समस्त बेसिन में भार तथा चुम्बकीय सर्वेक्षण किये गये हैं। वर्ष में दो दलों ने भूकम्पीय कार्य किये हैं ।

(ख) यह बताना इस समय संभव नहीं है कि काम कब तक पूरा होगा ।

गोरखपुर में उर्वरक कारखाना

†*५०७. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री भक्त दर्शन :
डा० महादेव प्रसाद :

क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर में उर्वरक कारखाना स्थापित करने में और आगे क्या प्रगति हुई है और कारखाने में उत्पादन कब तक आरम्भ हो जाने की आशा है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) :** एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

कारखाने तथा नगर के लिये स्थान चुन लिया गया है और उत्तर प्रदेश सरकार से अनुरोध किया गया है कि भूमि अर्जन की कार्यवाही आरम्भ करे। गोरखपुर में एक स्थान संगठन स्थापित किया जा रहा है। उर्वरक परियोजना का मुख्य संयंत्र जापानी निर्माताओं के संघ द्वारा दिये जाने की आशा है। आशा है कि उर्वरक निगम निकट भविष्य में संभरणकर्ताओं से एक ठेका कर लेगा। प्रस्ताव मिल गया है और उर्वरक निगम उस पर विचार कर रहा है। जो समय अनुसूची बनाई गई है उस के अनुसार आशा है कि कारखाने में जुलाई १९६६ में उत्पादन आरम्भ हो जायेगा ।

मिट्टी हटाने तथा निर्माणउ पकरण के लिये उर्वरक निगम द्वारा टेंडर मंगाये गये हैं। सहायक सुविधाओं के लिये विशिष्टतायें माँगी गई हैं और टेंडर मंगाये जा रहे हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

जनसंख्या के आंकड़े तथा मतदाता सूचियां

†*५०८. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मतदाता सूचियों में दर्ज लोगों की संख्या जनसंख्या आँकड़ों के अनुसार वयस्कों की संख्या के बराबर है ; और

(ख) कमी को पूरा करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

†**विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र)** :(क) १९६१ की जनगणना के अनुसार वयस्क जनसंख्या के आँकड़े अभी प्रकाशित नहीं हुए हैं और इसलिये मतदाता सूची से उनकी तुलना करना संभव नहीं है ।

(ख) यदि वयस्क जनसंख्या के आँकड़ों के प्रकाशन के बाद इन आँकड़ों और मतदाता सूची के आँकड़ों में कोई अन्तर पाया गया तो जन प्रतिनिधान अधिनियम, १९५० की धारा २१(२) के अधीन मतदाता सूची का वार्षिक पुनरीक्षण करके अथवा यदि चुनाव आयोग ठीक समझे तो अधिनियम की धारा २१(३) का विशेष पुनरीक्षण करके पूरा किया जा सकता है ।

राज भाषा के सम्बन्ध में राष्ट्रपति के आदेश

*५०९. **श्री भक्त दर्शन :**
श्री भागवत झा आजाद :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री २० मार्च, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या १८२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि राजभाषा के सम्बन्ध में राष्ट्रपति जी ने जो आदेश दिये थे, उनमें से प्रत्येक के बारे में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) : एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या २१ ।]**

केन्द्रीय क्षेत्रीय परिषद्

†*५१०. **श्री विद्याचरण शुक्ल** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री १ मई, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या ३१० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच केन्द्रीय क्षेत्रीय परिषद् की कोई बैठक हुई ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसकी बैठक कब बुलाने का विचार है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) जी नहीं।

(ख) कभी आगामी माह में बैठक करने का विचार है ।

टैल्को द्वारा ट्रकों का उत्पादन

†*५११. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
श्री स० मो० बनर्जी :
डा० उ० मिश्र :

क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेशी पुर्जों के आयात पर प्रतिबन्ध की सरकार की नीति के कारण "टैल्को" के ट्रकों का उत्पादन कम किया जाना है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हाँ, तो किस प्रकार के तथा किस सीमा तक प्रतिबन्ध लगाये गये हैं ;

(ग) क्या इस कारण "टैल्को" के बहुत से कर्मचारी बेकार हो जायेंगे अथवा उनकी छंटनी कर दी जायेगी ; और

(घ) यदि हाँ, तो प्रभावी कर्मचारियों को सरकार क्या सुविधा देने का विचार कर रही है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)**:(क) और (ख). वर्तमान विदेशी मुद्रा के कारण मोटर उद्योग तथा अन्य उद्योगों के विदेशी मुद्रा के आवंटनों में अप्रैल-सितम्बर, १९६२ की चालू लाइसेंस अवधि में कटौती कर दी गई थी। परन्तु मोटर उद्योग के महत्व को समझते हुए मैसर्स टैल्को समेत उद्योग के विदेशी मुद्रा के आवंटनों में ट्रकों के पुर्जे तथा कच्चे माल के आयात के लिये कुछ कटौती कर दी गई थी। सरकार को आशा है कि उत्पादन में कोई कमी नहीं की जायेगी। वह संस्था से बातचीत कर रहे हैं और देसी पुर्जों को आयात किये गये पुर्जों के स्थान पर लगायेंगे।

(ग) और (घ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक

†*५१२. **श्री नाथ पाई :** क्या **वित्त** मन्त्री १८ जून, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या १५१० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नियन्त्रक तथा महालेखा परीक्षक के कृत्यों, शक्तियों तथा प्राधिकार की परिभाषा करने के उस प्रश्न पर अन्तिम रूप से निर्णय कर लिया गया है जिस पर मन्त्रिमण्डल के स्तर पर विचार किया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : (क) आशा है कि नियन्त्रक तथा महालेखापरीक्षक के कर्तव्यों तथा अधिकारों की परिभाषा करने वाला विधेयक संसद् के आगामी सत्र में पुरस्थापित हो जायेगा।

(ख) माननीय सदस्य समझेंगे कि भविष्य में पुरस्थापित होने वाले विधानों के ब्यौरे पुरस्थापना से पहले बताना सरकार के लिये ठीक नहीं होगा।

आयात तथा निर्यात

†*५१३. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर :**
श्री कौल्ला वैंकैया :

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आयात और निर्यात की वस्तुओं के अधिक बीजक बनाने तथा कम बीजक बनाने को रोकने के लिए, जिससे मुद्रा का अपव्यय रुक जाए, यदि कोई कदम उठाए गए हैं तो वे क्या हैं; और

(ख) इस कदाचार के कारण प्रतिवर्ष विदेशी मुद्रा की निर्धारित अथवा प्राक्कलित हानि कितनी है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : (क) समुद्र सीमा शुल्क अधिकारी आयात तथा निर्यात की गई वस्तुओं के धन की जांच करती है । जी० आर० फार्म, जिनको निर्यात कर्त्ता भर कर भारत के रिजर्व बैंक को भेजते हैं, की जांच की जा सकती है । जब भी विदेशी मुद्रा के उल्लंघन का मामला सरकार के सामने आता है तभी उसकी जांच की जाती है और अपराध मालूम होने पर समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम और/अथवा विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अधीन अपराधियों तथा ऐसी वस्तुओं के विरुद्ध कार्यवाही की जाती है ।

(ख) इसके कारण विदेशी मुद्रा की सम्भावित हानि मालूम करना सम्भव नहीं है ।

केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के साम्प्रदायिक नाम

†*५१४. **श्री रामेश्वर टांटिया :**
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री भक्त दर्शन :
श्री भागवत झा आजाद :

क्या **शिक्षा** मन्त्री २३ अप्रैल, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या ८२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के साम्प्रदायिक नामों को हटाने के बारे में कोई अन्तिम निर्णय हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो निर्णय कब तक क्रियान्वित कर दिये जायेंगे ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) और (ख). मामला अभी विचाराधीन है ।

ढलाई तथा गढ़ाई का दूसरा कारखाना

*५१५. **श्री भक्त दर्शन :**
श्री कोल्ला वैकैया :

क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री २१ जून, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३६८७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकारी क्षेत्र में द्वितीय फाउण्ड्री फोर्ज प्लाण्ट (ढलाई तथा गढ़ाई का कारखाना) स्थापित करने के बारे में क्या निर्णय किया गया है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)** : सरकारी क्षेत्र में द्वितीय फाउण्ड्री फोर्ज प्लांट (ढलाई तथा गढ़ाई का कारखाना) स्थापित करने का प्रश्न अभी तक विचाराधीन है ।

रूस से परिवहन विमान तथा हेलिकाप्टर

†*५१६. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री हेम राज :
श्री बसुमतारी :

क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रूस से ए० एन० १२ भारी परिवहन विमानों तथा हेलीकोप्टरों की खरीद के बारे में अब तक क्या प्रगति हुई है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) ऐसे कितने विमान खरीदने का विचार है तथा इनकी लागत क्या होगी ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)**: (क) तुरन्त आवश्यकता वाले भारी परिवहन विमान तथा हेलीकाप्टरों के बारे में बातचीत हो रही है ।

(ख) इनके मूल्य तथा अन्य शर्तें सरकार के लिये लाभदायक हैं । उपकरण के ब्यौरे बताना लोकहित में नहीं हैं ।

भूतपूर्व सैनिकों को पेंशन

†१२५४. **श्री हेम राज** : क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे भूतपूर्व सैनिकों को पेंशन देने के कितने मामले हैं जिन्होंने युद्ध सेवा की और अल्पकालीन सेवा की ;

(ख) क्या यह सच है कि पुनः नाम लिखाने पर युद्ध उपदान वापस ले लिये गये थे ; और

(ग) उन्हें पेंशन न देने के क्या कारण हैं ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) ऐसे ३५२ मामले हैं (२०५ स्थगित स्वयंसेवकों के और १४७ अल्पकालीन सेवा वाले कर्मचारियों के) जिन्होंने केवल अल्पकालीन या युद्ध सेवा की है । इन मामलों में विद्यमान नियमों के अन्तर्गत पेंशन नहीं दी जाती ।

(ख) युद्ध उपदान, जो युद्ध में की सेवा का पुरस्कार होता है, लौटाया नहीं जाता । यदि अनियमित सेवा की नियमित सेवा के साथ पेंशन के लिये गणना किये जाने की अनुमति दे दी जाये तो भी यह पुरस्कार नहीं लौटाया जाता ।

(ग) केवल युद्ध सेवा या अल्पकालीन सेवा के लिये यदि नियमित सेवा के साथ न जोड़ी जाये, तो पेंशन नहीं मिलती ।

सहायक उपकरणों का निर्माण

†१२५५. **श्री श्याम लाल सर्राफ** : क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हमारे विमान कारखाने विमानों के ढांचों तथा इंजनों के अतिरिक्त और क्या बनाते हैं ;

(ख) इनमें कितने सहायक उपकरण बनाये जाते हैं ; और

(ग) हम देश में परिवहन विमान से सुपरसोनिक लड़ाकू विमानों के निर्माण करने के कार्य तक कितना कार्य कर चुके हैं ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) हिन्दुस्तान एयर क्राफ्ट लिमिटेड, बंगलौर विमानों के ढांचों तथा इंजनों के अतिरिक्त रेल के डिब्बे बनाता है ?

(ख) विमानों के पुर्जों का निर्माण करने के लिये कार्यवाही की जा रही है ।

(ग) हिन्दुस्तान एयर क्राफ्ट लिमिटेड में परिवहन विमान 'नट' और सुपरसोनिक विमान 'एच० एफ० २४' बनाने की सुविधाओं की व्यवस्था हो गई है । हिन्दुस्तान एयर क्राफ्ट लिमिटेड में एक मूल जैट प्रशिक्षक भी बनाया जा रहा है । एयर क्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग डिपो कानपुर में मध्यम श्रेणी के परिवहन विमान के उत्पादन की व्यवस्था हो गई है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

स्टाक बाजार

†१२५६. **श्री श्याम लाल सर्राफ :** क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विदित है कि देश में स्टाक के समान-मूल्य स्टाक बाजार में निम्नतम हो गये हैं ; और

(ख) क्या उक्त बाजारों में इस मामले की जांच करने का विचार है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :** (क) और (ख). अखिल भारतीय परिवर्तनीय लाभांश औद्योगिक प्रतिभूति देशनांक (मूल १९५२–५३–१००) ३० दिसम्बर, १९६१ को १८४.८ से बढ़ कर १९ मई, १९६२ को १९५.६ हो गया । उसके बाद धीरे-धीरे गिरावट आई और २१ जुलाई, १९६२ को देशनांक १८२.८ थे। सरकार बाजारों पर निरन्तर नजर रखती है और मूल्यों में उक्त गिरावट के कारण, जो अनोत्तरदायी सट्टे के कारण नहीं हुई थी, कोई विशेष जांच करने का उसका विचार नहीं है । तत्पश्चात् बाजार स्थिर हो गये हैं और ४ अगस्त, १९६२ के देशनांक १८६.७ थे ।

सिन्दरी उर्वरक कारखाना

†१२५७. **श्री तन सिंह** : क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिन्दरी उर्वरक कारखाने में अमोनियम सल्फेट के उत्पादन के लिये गैस जनक यन्त्रों के निर्माताओं ने एक अतिरिक्त यूनिट की विशेष रूप से व्यवस्था की थी ;

(ख) क्या सिन्दरी उर्वरक कारखाने के प्रबन्धकवर्ग ने, निर्माताओं के परामर्श के विरुद्ध, ३,५०,००० लोंग टन का वार्षिक उत्पादन लक्ष्य प्राप्त करने के उद्देश्य से कोई अतिरिक्त यूनिट नहीं रखा ;

(ग) क्या यह सच है कि ज़ेनरेटरों के निरन्तर प्रयोग होने के फलस्वरूप भारी टूट फूट हो गई और उत्पादन वर्ष १९५९–६० तक काफी गिर गया ;

(घ) क्या सरकार ने ज़ेनरेटरों से अधिक काम लेने का उत्तरदायित्व किसी व्यक्ति पर रखा है, यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)** : (क) और (ख). सिन्दरी उर्वरक कारखाना स्थापित करने वाली परामर्शदाता फर्म की इच्छा थी कि अधिष्ठापित आठ गैस ज़ेनरेटरों में से एक ज़ेनरेटर को आवश्यकता के समय प्रयोग किये जाने के लिये बन्द रखना चाहिये। वस्तुतः व्यवहार में देखा गया कि निर्धारित क्षमता पर, अर्थात् ३५०,००० टन अमोनियम सल्फेट का वार्षिक उत्पादन प्राप्त करने के लिये सात गैस ज़ेनरेटर पर्याप्त नहीं हैं ।

(ग) वर्ष १९५९–६० में उत्पादन में कमी अनुचित कोयला सम्भरण तथा निम्न कोटि के कोक के मिले जुले सुझाव और वर्ष १९५७–५८ व १९५९-६० में ज़ेनरेटरों के निरन्तर प्रयोग के कारण हुई ।

†मूल अंग्रेज़ी में

(घ) और (ङ). उत्पादन बनाये रखने के लिये ऐसा लगता है कि सिन्दरी के प्रबन्धकों ने यन्त्रों के पर्याप्त रख रखाव की उपेक्षा की। सरकार ने उत्तरदायित्व निर्धारित करने पर विचार नहीं किया। एक टैक्निकल समिति ने मामले की छानबीन की थी और उसकी रिपोर्ट के आधार पर बोर्ड रख रखाव तथा उत्पादन में सुधार करने पर ध्यान दे रहा है।

कुल्लू और स्पिती का भूगर्भीय सर्वेक्षण

१२५८. **श्री हेम राज** : क्या खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कुल्लू और स्पिति घाटियों में खानों की खोज का कोई प्रोग्राम ज्योलोजिकल सर्वे ने बनाया है; और

(ख) यदि हां, तो यह काम कब तक आरम्भ होगा ?

†**खान और ईंधन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री हजरनवीस)** : (क) इस क्षेत्र में भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण विभाग प्रारम्भिक परीक्षण कर रहा है।

(ख) अन्वेषण प्रगति पर है। इस क्षेत्र में कार्य का आगामी कार्यक्रम अब किये जा रहे अन्वेषणों के परिणाम पर निर्भर होगा।

शिक्षा सम्बन्धी पर्यटन

१२५९. **श्री हेम राज** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६२-६३ में राज्य सरकारों को विद्यार्थियों के शिक्षा संबंधी पर्यटनों के लिये कितनी धनराशि निर्धारित की गई है;

(ख) प्रत्येक राज्य को कितनी-कितनी धनराशि दी जावेगी; और

(ग) उस धनराशि के वितरण का क्या आधार नियत किया गया है ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) १.८२ लाख रुपये।

(ख) राज्यवार विवरण संलग्न है।

(ग) प्रत्येक राज्य में हाई/हायर सेकेन्डरी स्कूलों और कालेजों के विद्यार्थियों की संख्या के अनुपात के आधार पर धनराशि राज्य सरकारों को दे दी गयी है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या २२।]**

प्रादेशिक सेना

†१२६०. **श्री हेम राज** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रादेशिक सेना के उन अधिकारियों के लिये, जो भारतीय सेना अकादमी में प्रवेश के लिये प्रार्थनापत्र देते हैं, निश्चित की जाने वाली शर्तों के बारे में कोई निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या ब्यौरा है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) हां, श्रीमान्।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) प्रादेशिक सेना अधिकारियों को भारतीय सेना अकादमी द्वारा स्थायी नियमित कमीशन देने की मुख्य शर्तें निम्न हैं :—

(१) पात्रता

(१) **आयु सीमा**—भारतीय सेना अकादमी में जिस दिन पाठ्यक्रम आरम्भ होता है उस दिन उम्मीदवार की आयु २१ से २७ वर्ष तक होनी चाहिये। प्रादेशिक सेना के जो अधिकारी एक वर्ष की निरन्तर या अनिरन्तर सेवा पूरी कर लते हैं, उनको आयु की उच्च सीमा में ढील पाने के लिये कुल सेवा की आधी सेवा अवधि का लाभ दिया जायेगा, परन्तु शर्त यह है कि प्रादेशिक सेवा का कोई भी अधिकारी, जो ३२ वर्ष से अधिक आयु का है उस दिन हो जिस दिन अकादमी में पाठ्यक्रम आरम्भ , यह लाभ पाने का अधिकारी न होगा ।

(२) **शिक्षा योग्यता**—किसी भी मान्यता-प्राप्त विश्वविद्यालय की डिग्री, जिसके होने पर कोई विशेष प्रेवश परीक्षा न होगी, या इन्टरमीडियेट या समान परीक्षा, इस मामले में अकादमी में प्रवेश पाने के लिये विशेष प्रवेश परीक्षा होगी।

(३) **प्रादेशिक सेना की सेवा**—प्रादेशिक सेना के अधिकारियों की सेवा पहिले नियमित सेना की सेवा सहित प्रादेशिक सेना में कम से कम दो वर्ष की होनी चाहिये ।

(२) **यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता की स्वीकृति**—एम्बाडीड प्रादेशिक सेना अधिकारियों को सेवा संवर्ग बोर्ड चिकित्सा परीक्षा विशेष प्रवेश परीक्षा द्वारा बुलाये जाने पर अपने पदानुसार यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता मिलेगा। अन-एम्बाडीड प्रादेशिक सेना अधिकारियों को असैनिक उम्मीदवारों के समान ही समझा जायेगा ।

(३) **प्रशिक्षण**—एक या अधिक वर्ष की एम्बाडीड सेवा के प्रादेशिक सेना अधिकारी अकादमी में एक वर्ष प्रशिक्षण लेंगे। अन्य व्यक्ति १८ मास तक प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे ।

(४) **वेतन तथा भत्ता**—प्रशिक्षण काल में प्रादेशिक सेना अधिकारियों को कोई वेतन तथा भत्ता नहीं मिलेगा ।

(५) **आउटफिट भत्ता**—सेना में नियमित कमीशन मिलने पर इन अधिकारियों को आउट-फिट भत्ता नहीं मिलेगा। हां, प्रादेशिक सेना की पिछली अन्य सेवा आउट-फिट भत्ता के नवीकरण के लिये गिनी जाती है।

उद्योगों में भूतपूर्व सैनिक

†१२६१. **श्री हेम राज** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न उद्योगों में भूतपूर्व सैनिकों की योग्यता तथा अनुभव का प्रयोग करने के बारे में अध्ययन दल की उप-समिति की सिफरिशों पर अन्तिम निश्चय कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या ब्यौरा है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया)** : (क) अध्ययन दल की उप-समिति की सिफरिशें अभी विचाराधीन हैं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

त्रिपुरा में जनगणना

†१२६२. **श्री दशरथ देव** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा में वर्ष १९५१ और १९६१ की जनगणना में (१) मुसलमानों, (२) आदिम जातियों, (३) मनीपुर वालों, (४) हिन्दी भाषी हिन्दुओं की कितनी जनसंख्या निर्धारित की गयी थी; और

(ख) प्रत्येक मामल में वृद्धि या कमी की, जो भी हुई हो, क्या दर है

†**गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्र शेखर)** : (क) और (ख). वर्ष १९५१ कीं जनगणना के आंकड़े, जिनमें धर्म के आंकड़े शामिल हैं, त्रिपुरा तथा अन्य सभी राज्यों के लिये भारत की जनगणना खंडों में उपलब्ध है। वर्ष १९६१ की जनगणना में धर्म तथा मात्रा भाषा के एकत्रित किये गये आंकड़ों की अभी देखभाल हो रही है और आशा है कि वर्ष १९६३–६४ में प्रकाशित होने की संभावना है ।

त्रिपुरा के महाजन

†१२६३. **श्री दशरथ देव** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा में लागू किये गये बम्बई ऋणदाता अधिनियम के अन्तर्गत वर्ष १९६०–६१ और १९६१–६२ में त्रिपुरा में दिये गये ऋणों पर ब्याज की दर संबंधी उपबन्धों के उल्लंघन के लिये महाजनों के खिलाफ कितने अभियोग चलाये गये हैं; और

(ख) अधिनियम के उन उपबन्धों का उल्लंघन करने वाले महाजनों के खिलाफ और अधिक अभियोग चलाने में प्रशासन को क्या कठिनाइयां हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : (क) और (ख). जानकारी एकत्रित की जा रही है और पटल पर रख दी जायेगी ।

मलयाली भाषा का विश्वकोष

†१२६४. **श्री मे० क० कुमारन** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने मलयाली भाषा का विश्वकोष तैयार करने के लिये वित्तीय तथा टेक्नीकल सहायता के लिये केन्द्रीय सरकार से प्रर्थना की थी; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) हां, श्रीमान् । वर्ष १९६१–६२ में केवल वित्तीय सहायता के लिये ।

(ख) पूर्ण ब्यौरा मांगा गया था और यह अभी प्राप्त नहीं हुआ है ।

बहुभाषी शब्दकोश

†१२६५. **श्री मे० क० कुमारन** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समूचे देश के लिये बहुभाषी शब्दकोश तैयार करने का कोई प्रस्ताव है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो यह किस अवस्था में है ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

जम्मू में कोयला

†**१२६६. श्री मे० क० कुमारन** : क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण द्वारा की गई और आगे जांच पड़ताल से सिद्ध हुआ है कि जम्मू के इलाके में पहिले के अनुमान से अधिक कोयला के निक्षेप हैं;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या जम्मू तथा काश्मीर राज्य में कोयले की खानों का विकास करने का राष्ट्रीय कोयला विकास निगम का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो वह किस अवस्था में है ।

†**खान और ईंधन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री हजरनवीस)** : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) जम्मू कोयला क्षेत्र में कोयला दो तलों पर है । ऊपरी और निचला दोनों तल कालकोट महोगाल क्षेत्रों में हैं और अन्य खानों में केवल ऊपरी तल है । भारत में भूतत्वीय सर्वेक्षण के हाल के कार्य से सिद्ध हो गया है कि लड्डा क्षेत्र में निचली परत है और इस प्रकार अन्य क्षेत्रों में भी इन परतों के होने की आशा है । लड्डा क्षेत्र में लगभग ६१० लाख टन कोयला है और कालकोट तथा कुरा क्षेत्रों में ६६ लाख टन का अनुमान लगाया गया है ।

(ग) जम्मू तथा काश्मीर में कोयले की खानों का विकास करने की राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की कोई योजना है ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

काश्मीर में सीमेंट उद्योग

†**१२६७. श्री मे० क० कुमारन** : क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जांच पड़तालों से सिद्ध हुआ है कि काश्मीर में सीमेंट कारखाना स्थापित करने की काफी गुंजाइश है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इसकी स्थापना के लिये कोई कार्यवाही की गई है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)** : (क) सीमेंट बनाने के लिये उपयुक्त लाइम स्टोन के निक्षेप जम्मू तथा काश्मीर के वुयान क्षेत्र में और कालकोट जंगल गली पट्टी में होने का समाचार मिला है ।

(ख) २०,३०० मीट्रक टन की वार्षिक क्षमता का एक सीमेंट कारखाना वुयान में पहिले से ही बन रहा है और आशा है कि वहां वर्ष के अन्त तक उत्पादन आरम्भ हो जायेगा । जम्मू क्षेत्र में रियासी में एक सीमेंट कारखाना बनाने का लाइसेन्स लेने के लिये प्रार्थनापत्र प्राप्त हो गया है और विचाराधीन है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

त्रिपुरा में आदिम जाति रक्षित क्षेत्र

†१२६८. **श्री दशरथ देव** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा में स्थायी खम्भे लगा कर आदिम जाति रक्षित क्षेत्रों की सीमाओं का सीमांकन करने की कार्यवाही की गई है ;

(ख) यदि नहीं, तो आदिम जाति रक्षित क्षेत्रों की सीमाओं के बारे में विवाद उत्पन्न होने पर सीमाओं का निश्चय कैसे किया जायेगा ;

(ग) क्या त्रिपुरा के भूतपूर्व महाराज ने त्रिपुरा में जो आदिम जाति रक्षित क्षेत्र बनाये थे, उन में अन-आदिम जातीय व्यक्ति घुस गये हैं;

(घ) यदि हां, तो ऐसे व्यक्तियों का क्या ब्यौरा है; और

(ङ) ऐसा प्रवेश रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : (क) नहीं ।

(ख) इस संबंध में त्रिपुरा के भूतपूर्व महाराज द्वारा जारी की गई अधिसूचना की अनुसूची में आदिम जाति रक्षित क्षेत्रों का ब्यौरा दिया है ।

(ग) स्वयं आदिम जाति के व्यक्तियों ने कुछ अन-आदिम जाति व्यक्तियों को 'बरगा" कृषक के रूप में रखा है और वे रक्षित क्षेत्रों में चले गये हैं ।

(घ) और (ङ). भाग (ग) में उल्लिखित आदिम जाति व्यक्तियों की कोई जनगणना नहीं हुई है । परन्तु अधिकारियों को अनुदेश दे दिये गये हैं कि आदिम जाति व्यक्तियों से अन-आदिम जाति व्यक्तियों के नाम जमीन का कोई पट्टा पंजीबद्ध न करें । ये अनुदेश भूमि राजस्व तथा भूमि सुधार अधिनियम, १९६० की धारा १८७ के परन्तुक के अनुसार दिये गये हैं ?

†केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की सेवावधि बढ़ाना

१२६९. **श्री कृष्ण देव त्रिपाटी :**
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री मुरारका :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार ने वर्ष १९६२ में कितने अपने कर्मचरियों का कार्यकाल सेवा-निवृत्ति प्राप्त करने की आयु पूरी करने के पश्चात् बढ़ाया; तथा

(ख) अलग अलग मंत्रालयों के अन्तर्गत ऐसे व्यक्तियों की संख्या इस समय क्या है; और

(ग) इन में से कितने कर्मचारियों की अवधि इसलिये बढ़ाई गई है कि उस कार्य विशेष को करने योग्य व्यक्तियों का अभाव है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) : (क) से (ग). सूचना एकत्रित की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

त्रिपुरा में विस्थापित व्यक्तियों को ऋण

†१२७०. **श्री वीरेन दत्त** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा में वर्ष १९६०–६१ में विस्थापित व्यक्तियों को 'टेरेसिंग' ऋण¹ के रूप में कितना धन दिया गया है;

(ख) ऐसे कितने विस्थापित हैं कि जिन्हों ने 'टेरेसिंग' ऋण के कागजों पर हस्ताक्षर कर दिये हैं परन्तु उन्हें अभी ऋण नहीं दिया गया है; और

(ग) उन्हें 'टेरेसिंग' ऋण कब दिया जायेगा ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : (क) २,७५,००० रुपये।

(ख) शून्य ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

निर्वाचक नामावली का वार्षिक पुनरीक्षण

†१२७२. **श्री वीरेन दत्त** : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष में निर्वाचक नामावली का वार्षिक पुनरीक्षण हो गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं ?

†**विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र)** : (क) निर्वाचन-सूची का वार्षिक पुनरीक्षण समस्त राज्यों तथा संघ प्रशासित राज्य क्षेत्रों में हो रहा है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

प्रादेशिक सेना

†१२७३. **श्री वीरेन्द्र बहादुर सिंह** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार नियमित सेना अधिकारियों की कमी पूरा करने के लिये प्रादेशिक सेना के अन-एम्बाडीड यूनिटों में उपयुक्त प्रादेशिक सेना अधिकारियों को नियमित सेना अधिकारियों के स्थानों पर रखने का है;

(ख) यदि हां, तो प्रादेशिक यूनिटों में लेफ्टीनेन्ट करनल पद के कितने नियमित सेना अधिकारी हैं; और

(ग) उन के स्थान पर प्रादेशिक सेना अधिकारियों को रखने के लिये सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री रघुरामैय्या)** : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) २४ ।

(ग) अपेक्षित अनुभव और वरिष्ठता वाले प्रादेशिक सेना के उपयुक्त अधिकारियों के उपलब्ध होते ही नियमित सेना अधिकारियों के स्थान पर रख दिये जायेंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में

¹Terracing loan.

सेना मुख्यालय में प्रादेशिक सेना निदेशालय

†१२७४. **श्री वीरेन्द्र बहादुर सिंह** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेना मुख्यालय में प्रादेशिक सेना निदेशालय में प्रादेशिक सेना अधिकारियों को रखने की सराकार की नीति है; और

(ख) यदि हां, तो कितने प्रादेशिक सेना अधिकारी वहां श्रेणी एक, दो और तीन में कर्मचारियों के रूप में काम करते हैं ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) श्रेणी १	शून्य
श्रेणी २	१
श्रेणी ३	१

अब प्रादेशिक सेना का एक अधिकारी प्रादेशिक सेना के उप-निदेशक के पद पर है और उस का पद कर्नल का है ।

दिल्ली में उपनगरीय प्रादेशिक सेना यूनिट

†१२७५. **श्री वीरेन्द्र बहादुर सिंह** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में उप-नगरीय प्रादेशिक सेना यूनिटों में कितने केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों ने नाम लिखाया है; और

(ख) अधिक संख्या में नाम लिखाने का प्रोत्साहन देने के लिये सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) १,५५० ।

(ख) भर्ती की स्थिति सन्तोषजनक है । अतः भर्ती के लिये प्रोत्साहन देने के लिये और कोई विशेष कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं है ।

प्रादेशिक सेना यूनिट

†१२७६. **श्री वीरेन्द्र बहादुर सिंह** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भरे हुए प्रादेशिक सेना यूनिटों को समाप्त करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या उपयुक्त अन्य कर्मचारी अनुभवी तथा प्रशिक्षित सैनिकों की कमी पूरी करने के लिये नियमित सेना में रखे जायेंगे; और

(ग) यदि नहीं, तो उन्हें पुनः काम देने के लिये सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : हां, श्रीमान । जब भी ऐसे यूनिटों की आवश्यकता न रहेगी ।

(ख) और (ग). प्रादेशिक सेना की सेवा पूर्णकालीन सेवा नहीं है । यदि प्रादेशिक सेना में भर्ती होने वाले व्यक्ति किसी असैनिक काम में लगे हैं तो यूनिट में कार्य करने की अवधि में असैनिक पद पर उन का अधिकार सुरक्षित रखा जाता है । उन्हें सरकार द्वारा पुनः काम पर लगाये जाने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता । जो व्यक्ति नियमित सेना में भर्ती होना चाहते हैं वे सामान्य रूप में नाम लिखे जाने की प्रार्थना कर सकते हैं ।

संगीत नाटक अकादमी के वार्षिक पुरस्कार

†१२७७. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संगीत नाटक अकादमी के वार्षिक पुरस्कारों के लिये चुनाव करने के हेतु कोई नियमित प्रक्रिया निर्धारित की गई है;

(ख) यदि हां, तो प्रक्रिया का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पुरस्कारों के लिये सुझाव और सिफारिशें आमंत्रित की जाती हैं;

(घ) यदि हां, तो किन से;

(ङ) क्या पुरस्कार देने के लिये कोई प्रवर समिति है; और

(च) यदि हां, तो समिति का स्वरूप क्या है ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) से (च). अकादमी की महा परिषद् के नृत्य, नाटक और संगीत के क्षेत्रों ने ऐसी श्रेणियां निर्धारित की हैं जो अकादमी के पुरस्कार प्राप्त करने की पात्र हैं । किसी वर्ष में कितने पुरस्कार देने चाहियें इसका निर्णय भी महा परिषद् करती है । पुरस्कारों के लिए सुझाव और सिफारिशें महा परिषद् के सदस्यों, अकादमी द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाओं, राज्य संगीत नाटक अकादमियों, परिषदों और अकादमी का पहले पुरस्कार पा चुके व्यक्तियों और नृत्य नाटक और संगीत के क्षेत्रों में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों से मांगी जाती है । इन लोगों से कहा जाता है कि वे कला के प्रत्येक वर्ग में अधिमान के क्रम से तीन व्यक्तियों के नामों की सिफारिश करें । जो नाम प्राप्त होते हैं उन्हें कार्य पालिका बोर्ड के समक्ष रखा जाता है जो उनके आधार कुछ नामों की सूची की सिफारिश करता है ताकि महा परिषद् उन पर विचार करे । अन्तिम चुनाव महा परिषद् द्वारा किया जाता है ।

गंधक के तेज़ाब पर कर

†१२७८. { **डा० पू० ना० रंक :**
श्री सुदोध हंसदा :
श्री बसुमतारी :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गंधक के तेज़ाब पर अत्यधिक करों के कारण अमनियम सल्फेट और अन्य रासायनिक उर्वरकों का उत्पादन सरकारी और गैर-सरकारी उद्योग क्षेत्रों में कम हो गया है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो सरकार ने उत्पादन को स्थिर रखने के लिए क्या कदम उठाये हैं ; और

(ग) क्या इसका प्रभाव अगले वर्ष के कृषि उत्पादन पर पड़ेगा।

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)** : (क) से (ग). उत्पादन में, गंधक के तेज़ाब पर उत्पादन शुल्क लगाने के कारण, कमी नहीं हुई। किन्तु ऐसे उर्वरकों के मूल्य में, जिन में गंधक के तेज़ाब का प्रयोग किया जाता है, तनिक वृद्धि हो जायेगी। सरकार ने यह ध्यान रखा है कि मूल्य में वृद्धि सीमांतिक ही हो ताकि उर्वरकों के उत्पादन को हानि न हो। इस लिये अगले वर्ष के कृषि उत्पादन पर कोई बुरा प्रभाव पड़ने की सम्भावना नहीं ?

विदेशी छात्रवृत्तियां

†१२७९. **श्री प० कुन्हन** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार की छात्रवृत्तियों में से कितनी विदेशी छात्रवृत्तियां गत पांच वर्षों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों को दी गईं ; और

(ख) उनका राज्यानुसार ब्योरा क्या है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) तथा (ख). शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रशासित योजनाओं के सम्बन्ध में अपेक्षित जानकारी का एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट संख्या २, अनुबन्ध संख्या २३।]**

पश्चिम बंगाल में उर्वरक परियोजनायें

†१२८०. **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री सुबोध हंसदा :
श्री बसुमतारी :
श्री व० कु० दास :

क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में उर्वरक परियोजनाओं के लिए मशीनों का प्रबंध किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो वे किस देश से ली गई है ;

(ग) क्या यह सच है कि ये परियोजनाएं निर्धारित समय पर पूरी नहीं हो सकेंगी ; और

(घ) उर्वरक उत्पादन में कमी को पूरा करने के लिए सरकार क्या अन्तरिम पग उठाना चाहती है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)** : (क) तथा (ख). पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर उर्वरक परियोजना के लिए उपकरणों के संभरण के लिए एक अमरीकी कम्पनी के साथ वार्ता काफी बढ़ी हुई स्थिति है।

(ग) इस परियोजना के लिए विदेशी सहयोग की व्यवस्था करने में कुछ विलम्ब हो गया है अतः संभवतः यह पहले निर्धारित समय के अनुसार पूरी न हो।

(घ) उत्पादन और मांग का अन्तर बना रहेगा जिसे उस सीमा तक जहां तक कि इस प्रयोजन के लिए विदेशी मुद्रा उपलब्ध होगी आयात द्वारा पूरा किया जायेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

अंदमान विशेष वेतन

†१२८१. { श्री अ० क० गोपालन :
श्री उमानाथ :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अंदमान में एक "अंदमान विशेष वेतन" है जो एन० जी० ओ० अधिकारियों पर लागू होता है और जो मूल वेतन का ३३ $^1/_3$ प्रतिशत है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि विशेष वेतन केवल उन लोगों को दिया जाता है जो प्रतिनियुक्त हो कर अंदमान जाते हैं और जो यहां मुख्य प्रदेश से भर्ती किये जाते हैं ; और

(ग) यदि हां, तो वहीं भर्ती किये जाने वाले लोगों को यह वेतन क्यों नहीं दिया जाता है ?

†**गृह कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) (ख) तथा (ग), मुख्य प्रदेश में भर्ती किये गये और द्वीपों में सेवा के लिए प्रतिनियुक्त व्यक्तियों के निम्नलिखित दरों पर अन्दमान विशेष वेतन दिया जाता है :—

(१) यदि दक्षिण अंदमान में नियुक्त किया जाये तो मूल वेतन का ३३ $^1/_3$ प्रतिशत किन्तु अधिकतम ३०० रुपये तक ।

(२) मध्य या उत्तर अन्दमान में नियुक्ति पर मूल वेतन का ४० प्रतिशत किन्तु अधिकतम ३५० रुपये तक ।

(३) निकोबार में नियुक्ति पर मूल वेतन का ४५ प्रतिशत किन्तु अधिकतम ३५० रुपये तक ।

स्थानीय अर्थात् अंदमान और निकोबार द्वीपसमूह में भर्ती किये गये लोग यदि दक्षिण अंदमान में नियुक्त किये जायें तो वे किसी विशेष वेतन के अधिकारी नहीं होते । किन्तु दक्षिण अंदामन में भर्ती किया गया कोई व्यक्ति मध्य अंदमान, उत्तर अंदमान या निकोबार में नियुक्त किया जाता है तो निम्नलिखित दर पर विशेष वेतन दिया जाता है ?

(१) उत्तर या मध्य अंदमान में नियुक्त होने पर मूल वेतन का १० प्रतिशत किन्तु न्यूनतम १० रुपये तक ।

(२) निकोबार में नियुक्ति पर मूल वेतन का १५ प्रतिशत किन्तु १५ रुपये तक ।

जो लोग अपनी इच्छा से काम की तलाश में द्वीप समूह में जाते हैं उन्हें द्वीप समूह के स्थानीय निवासियों की तरह समझा जाता है अतः उनकी सेवा की शर्तें वही होती हैं । उनका मामला उन लोगों से भिन्न होता है जिन्हें मुख्य प्रदेश से प्रतिनियुक्त किया जाता है या मुख्य प्रदेश में प्रशासन कार्य के लिए भर्ती किया जाता है ।

मेहतर कार्य जांच समिति[1]

†१२८२. { श्री सु० भू० दास :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री बसुमतारी :
श्री एस० सी० सामन्त :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मेहतर कार्य जांच समिति की रिपोर्ट के बारे में केन्द्रीय सरकार को राज्य सरकार की टिप्पणियां प्राप्त हुई हैं ;

---

†मूल अंग्रेजी में

[1] Scavenging Conditions Enquiring Committee.

(ख) यदि हां, तो उनकी टिप्पणियां क्या हैं; और

(ग) क्या ये सभा पटल पर रखी जायेंगी ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर)** : (क) मेहतर कार्य जांच समिति की रिपोर्ट की प्रतियां सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों आदि को उन पर विचार करने और उन्हें कार्यान्वित करने के लिए भेज दी गई थीं। उन्हें अपनी टिप्पणियां भेजने के लिए विशेष रूप से नहीं कहा गया था और समिति की सिफारिशों के बारे में कोई प्रश्न पैदा होने पर उन्हें राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार के बीच पत्र व्यवहार द्वारा निबटाने के लिए छोड़ दिया था ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

पश्चिम जर्मनी द्वारा भेंट किया गया मुद्रणालय

१२८३. **श्री म० ला० द्विवेदी :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री ब० कु० दास :
श्री सुबोध हंसदा :

क्या **शिक्षा** मंत्री ८ जून, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या २८५६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम जर्मनी की सरकार से जो एक आधुनिकतम मुद्रणालय भेंट में मिला है उसको कहां खोला जा रहा है ;

(ख) मुद्रणालय का संचालन किस की देख रेख में रहेगा, और कार्य विधि सिखाने के लिये जो जर्मनी के विशेषज्ञों की व्यवस्था की गई है वह क्या है;

(ग) जर्मनी के विशेषज्ञ कब आये थे और कब तक रहेंगे और इन के काम की शर्तें क्या हैं; और

(घ) जो मुद्रणालय भेंट में मिला है उस का मूल्य क्या है और इस की क्या विशेषतायें हैं ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) से (घ). विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

(क) मैसूर ।

(ख) मुद्रणालय, भारत सरकार के पर्यवेक्षण और नियंत्रण में कार्य करेगा। पश्चिम जर्मन सरकार से हुए समझौते के अंश के रूप में आरम्भ में भारतीय कार्मिकों को प्रशिक्षण देने के लिये प्रेस के साथ जर्मन विशेषज्ञों की सेवायें भी उपलब्ध की जायेंगी। फिलहाल, इस के ब्यौरे तैयार किये जा रहे हैं ।

(ग) दो जर्मन विशेषज्ञ २८ फरवरी, १९६२ को भारत में आये थे। उनमें से एक २० मार्च को और दूसरा २९ मार्च, १९६२ को वापस चले गये। ये दोनों विशेषज्ञ भारत सरकार के अतिथि रहे और उन का दूसरा सारा व्यय पश्चिम जर्मन सरकार ने उठाया।

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) मुद्रणालय का मूल्य लगभग दस लाख मार्क होगा। उपलब्ध आफसेट छपाई की मशीनों में यह नवीनतम मशीन है।

रुपये का नया सिक्का

१२८४. **श्री म० ला० द्विवेदी :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस बात में कहां तक तथ्य है कि रिजर्व बैंक ने जो एक रुपये का नया सिक्का जारी किया है उस में टकसाली सिक्के की सफाई नहीं है;

(ख) यह सिक्का अभी तक चालू सिक्के की तुलना में घटिया दिखाई देता है इस का क्या कारण है;

(ग) क्या उन को यह मालूम है कि इस नये सिक्के के किनारे साफ नहीं हैं और जो महर अंकित की गई है वह सिक्के के दोनों ओर उतनी खूबसूरती नहीं है; और

(घ) क्या ये नये सिक्के इसी प्रकार से चलते रहेंगे। अथवा इन में सुधार होगा और कब ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) और (ख) हाल में जारी किये गये दशमिक रुपयों (सिक्कों) की किस्म के बारे में न तो भारत सरकार को और न रिजर्व बैंक को ही कोई शिकायत मिली है। हो सकता है एकाध सिक्के घटिया किस्म के हों लेकिन साधारणतः उन की दिखावट काफी संतोषजनक पायी गयी है।

(ग) दशमिक रुपयों (सिक्कों) की परिधि के साथ-साथ लगभग ५० कलापूर्ण दाने बने हैं जिन से इस सिक्के का किनारा, उस पुराने सिक्के से अल ग तरह का दिखाई देता है जिस पर ऐसे दाने नहीं हैं। सिक्के की दोनों तरफ का बाकी डिजाइन उतना ही अच्छा है जितना कि पहले से चल रहे दशमिक प्रणाली के किसी भी दूसरे सिक्के का।

(घ) इन सब बातों को देखते हुए, इन सिक्कों की दिखावट में सुधार करने का सवाल ही पैदा नहीं होता।

पुरानी चुनाव याचिकायें

†१२८५. **श्री स० म० बनर्जी :**
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री हेम राज :

क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १९५२ और १९५७ के चुनावों से सम्बन्धित कुछ चुनाव याचिकायें अभी तक निबटाई नहीं गयीं ;

(ख) यदि हां, तो वे याचिकायें कौन सी हैं; और

(ग) असाधारण विलम्ब के क्या कारण हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र)** : (क) से (ग) १९५२ के आम चुनाव से सम्बन्धित कोई चुनाव याचिका किसी न्यायालय या न्यायाधिकरण के पास विचाराधीन नहीं है; १९५७ के आम चुनाव से सम्बन्धित केवल एक याचिका निबटाने के लिये अभी विचाराधीन पड़ी है। यह याचिका मैसूर राज्य के कारण संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से सम्बन्धित है और याचिका से सम्बन्धित पक्ष श्री शिवमूर्ति स्वामी और संगप्पा हैं। चुनाव न्यायाधिकरण ने इस याचिका का निबटारा १४ नवम्बर १९५९ में कर दिया था। न्यायाधिकरण के निर्णय के विरुद्ध अपील २० नवम्बर १९५९ को की गयी थी और १० सितम्बर १९६० को उसे निबटा दिया गया था। उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील करने की विशेष अनुमति ८ फरवरी, १९६१ को दी गयी थी और इस समय यह अपील उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है।

कोयला खानों के श्रमिकों की मजदूरी

†१२८६. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयले के मूल्य में वृद्धि के बाद कोयला खानों के श्रमिकों की मजूरी में वृद्धि करने के लिये खानों के मालिक सहमत हो गये हैं ;

(ख) यदि हां, ो कहां तक;

(ग) क्या कुछ खानों में वेतन बढ़ा दिये गये हैं; और

(घ) यदि हां, तो किन किन खानों में ?

†**खान और इंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) १३ जून १९६२ को कोयले के मूल्य में जो वृद्धि अधिसूचित की गई थी वह लागत की किन्हीं विशेष मदों से सम्बन्धित नहीं थी किन्तु वह तदर्थ आधार पर तीसरी योजना के लक्ष्य की प्राप्ति के लिये उत्पादन बढ़ाने के लिये प्रोत्साहन स्वरूप की गई थी।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) तथा (घ). सरकार को विदित नहीं कि हाल में ही किसी खान में वेतन वृद्धि की गई है।

औद्योगिक सहकारी समितियां

†१२८७. **श्री मो० म० बनर्जी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयुध कारखानों में औद्योगिक सहकारी समितियां स्थापित करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य विशेषतायें क्या हैं; और

(ग) क्या ऐसी सहकारी समितियां स्थापित कर दी गई हैं ?

†**प्रति रक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) हां, श्रीमान्।

(ख) सभी प्रगतिशील आयुध कारखानों में औद्योगिक सहकारी समितियां स्थापित करने का विचार है। इन समितियों का उद्देश्य सामान्यतः आयुध कारखानों के कर्मचारियों

---

†मूल अंग्रेजी में

और उन पर निर्भर करने वालों के बीच औद्योगिक सहकार स्थापित करना, कारखाना सम्पदा को प्रविधिक आधार प्रदान करना, कारखाने के कर्मचारियों के परिवारों को अनुपूरक आय उपलब्ध कराना और कारखानों और देश दोनों के लिये उत्पादन को बढ़ाना है।

इन समितियों की सदस्यता आयुध कारखानों और उसी स्थान पर सम्बन्धित स्थापनाओं के कर्मचारियों के लिये खुली है। अंश का मूल्य १० रुपये है और एक सदस्य कम से कम एक तथा अधिकाधिक १०० अंश रख सकता है। समिति के निदेशक बोर्ड का प्रधान कारखाने का महा प्रबन्धक होगा जो पदेन इस पद को संभालेगा और बोर्ड में विशेषज्ञ होंगे तथा पदेन सभापति द्वारा नाम निर्दिष्ट सचिव होगा ।

(ग) हां, श्रीमान्। कानपुर में एक समिति बनाई गई है और दूसरी जबलपुर में बनाई जा रही है ।

आयुध कारखाने

†१२८८. **श्री स० मो० बनर्जी :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कुछ आयुध कारखानों में तीन पारियां चलाने का विचार रखती है;

(ख) यदि हां, तो उस के क्या कारण हैं ? और

(ग) कब से ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन): (क), (ख) तथा (ग). कारखानों में चलाई गयी पारियां सेवाओं के लिये अपेक्षित उपकरणों और उपलब्ध श्रमिकों और सामान पर निर्भर होनी चाहियें।

इस समय तीन पारियों की कोई योजना नहीं है किन्तु इस समय भविष्य के लिये किसी ऐसी योजना के बारे में आश्वासन नहीं दिया जा सकता।

उत्तर प्रदेश के अध्यापकों का महंगाई भत्ता

†१२८९. **श्री स० मो० बनर्जी :** क्या **शिक्षा** मंत्री ९ मई, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या ९४० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अध्यापकों का मंहगाई भत्ता बढ़ाने के लिये उत्तर प्रदेश सरकार को कोई धन राशि दी है;

(ख) यदि हां, तो क्या अध्यापकों का मंहगाई भत्ता बढ़ा दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो कहां तक, और

(घ) केन्द्र ने कुल कितनी राशि दी है ?

†**शिक्षा मंत्री (श्री का० ला० श्रीमाली):** (क) तथा (घ). अभी तक कोई धन राशि नहीं दी गई है। किन्तु यदि उत्तर प्रदेश सरकार राज्य की तीसरी पंचवर्षीय योजना में इस योजना को सम्मिलित कर ले तो वह केन्द्रीय सरकार की सहायता के रूप में अतिरिक्त खर्च का ५० प्रतिशत मांग सकती है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) तथा (ग). सहायता प्राप्त गैर-सरकारी जूनियर हाई स्कूलों और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में ३५० रुपये तक वेतन पाने वाले सभी कर्मचारियों (जिनमें नौकर, अनुसचिवीय कर्मचारी और अध्यापकगण सम्मिलित हैं) के लिए ३० प्रतिशत मंहगाई भत्ता बढ़ा कर २० रुपये मासिक कर दिया गया है जिसका सीमांतिक समायोजन ३७० रुपये मासिक तक किया जायेगा ।

मशीनी औजारों का कारखाना

†१२९०. **श्री प्र० क० देव** : क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेश के विभिन्न भागों में मशीनी औजारों के कारखाने स्थापित करने के लिए गैर-सरकारी उद्योग क्षेत्र के १९ सार्थों को अनुज्ञप्तियां जारी की गई थी ?

(ख) क्या सरकार ने अब उनकी अनुज्ञप्तियां रद्द कर देने का निर्णय किया है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)** : (क) मशीनी औजारों के कारखाने स्थापित करने के लिए उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, १९५१ के अन्तर्गत १४० सार्थों को अभी तक अनुज्ञप्तियां दी गई हैं ;

(ख) अभी तक २७ सार्थों को सूचनाएं भेजी गई है जिन में पूछा गया है कि उन्हें जारी की गईं अनुज्ञप्तियां क्यों न रद्द कर दी जायें ।

(ग) ये सार्थ प्रयोजनार्थ विहित समय के भीतर उन्हें जारी की गई अनुज्ञप्तियों को कार्यान्वित करने के लिए प्रभावी कदम उठाने में असफल रहे हैं ।

हिमालय प्रदेश में कला वीथिका[1]

†१२९१. **श्री रामेश्वर टांटिया** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश में अन्य वीथिका स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो यह कहां स्थापित की जायेगी ; और

(ग) इस पर कुल कितना व्यय होगा ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) सरकार के पास कोई जानकारी नहीं है ।

(ख) तथा (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

उत्तर प्रदेश राज्य वेधशाला, नैनीताल

†१२९२. **श्री सुरेन्द्र पाल सिंह** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश राज्य वेधशाला, नैनीताल की लागत केवल उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दी जा रही है या केन्द्र द्वारा कोई वित्तीय सहायता दी जा रही है ; और

(ख) केन्द्र द्वारा दी गई राशि क्या है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[1] Art Galery.

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) वेधशाला के निर्माण का खर्च उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

दिल्ली पब्लिक लायब्रेरी

†**१२९३. श्री सुरेन्द्र पाल सिंह** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू योजना की अवधि में दिल्ली पब्लिक लायब्रेरी को कुल कितनी धन राशि वित्तीय सहायता के रूप में दी जानी है और निर्धारित राशि में से कितनी अब तक दी जा चुकी है ; और

(ख) किन किन मुख्य मदों पर यह सहायता अनुदान खर्च किया जाना है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)**: (क) (१) दिल्ली पब्लिक लायब्रेरी केन्द्रीय परियोजना के रूप में चलाई जा रही है । पुस्तकालय के कर्मचारिवृन्द और कार्यों पर व्यय के लिए वर्ष १९६१–६२ में ३,३०,००० रुपये (योजना से भिन्न) की धन राशि दी गई थी और वैसा ही उपबंध वर्ष १९६२–६३ के बजट (योजना से भिन्न) में किया गया है जिसमें से १,६५,००० रुपये की राशि दी जा चुकी है । प्रायः इसी आधार पर योजना अवधि के शेष महीनों में भी पुस्तकालय के कर्मचारिवृन्द और अन्य कार्यों पर व्यय के लिए उपबन्ध किया जायेगा ।

(२) "दिल्ली में पुस्तकालय सेवा का विकास दिल्ली पब्लिक लायब्रेरी" के लिए १२.५ लाख रुपये (योजनागत) की राशि का उपबंध किया गया है । अभी तक इस निर्धारित राशि में कोई व्यय नहीं किया गया ।

(ख) (१) योजना के भिन्न उपबंधित राशि पुस्तकालय के कर्मकारियों और कार्यों पर व्यय की जायेगी ।

(२) योजनागत उपबंध की राशि मुख्य पुस्तकालयों के भवन निर्माण और दो शाखा पुस्तकालय खोलने पर व्यय की जायेगी ।

बर्मा से बकाया ऋण

†**१२९४. श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ३० जून, १९६२ को विभाजन पूर्व और विभाजन के बाद की अवधियों के लिये अलग-अलग, भारत को बर्मा से कितना ऋण वसूल करना था ;

(ख) ३० जून, १९६२ को उस पर कितना ब्याज हुआ था ;

(ग) मूल और ब्याज की वसूली के लिए क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) बर्मा से विभाजन पूर्व के ऋण १९५४–५५ और १९५५–५६ में निबटा दिये गये थे । इस संबंध में स्थिति १९५९–६० के लिए केन्द्रीय सरकार के बजट के व्याख्यात्मक ज्ञापन के पृष्ठ ५५ पर पूरी तरह बतायी गयी है ।

विभाजन के बाद की अवधि के लिए, २० करोड़ रुपये के १९५७ के ऋण में से १५.८३ करोड़ रुपया ३०-६-१९६२ को बर्मा से वसूल करना था ।

(ख) ३० जून, १९६२ तक, २० करोड़ रुपये के ऋण पर ३.५७ करोड़ रुपया ब्याज हुआ जो बर्मा से वसूल कर लिया गया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) जैसा कि उपर भाग (क) के उत्तर में बताया गया है, बर्मा से विभाजन पूर्व के ऋण का भुगतान किया जा चुका है। २० करोड़ रुपये के १९५७ के ऋण के संबंध में, बर्मा दिनांक १२ मार्च, १९५७ के करार की शर्तों के अनुसार नियमित रूप से भुग तान करता रहा है और वसूली के लिए कोई विशेष कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं है।

घटिया दर्जे के कोयले का आयात

†१२९५. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **खान और ईंधन** मंत्री २६ अप्रैल, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या २०२ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब और राजस्थान में ईंट भट्टा उद्योगों की ईंधन संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पश्चिम पाकिस्तान से घटिया दर्जे के कोयले के आयात के प्रस्ताव के संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) वह कब तक कार्यान्वित किया जायगा ?

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय):** (क) और (ख) दिल्ली, राजस्थान, पंजाब और उत्तर प्रदेश में उपयोग के लिए भारत सरकार ने चालू वर्ष में पाकिस्तान से माहवार १०,००० टन ईंटें जलाने का कोयला मंगाना मंजूर कर के लिया है बशर्ते कि पाकिस्तानी कोयले की कीमत इन क्षेत्रों में सप्लाई किये गये भारतीय कोयले की कीमत के अनुरूप हो।

गैर-सरकारी फर्मों में नौकरी मंजूर करने वाले पदाधिकारी

†१२९६. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री प्र० के० देव :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की करेंगे कि :

(क) सेवाओं की ऊंची पदालियों के, जैसे आई० सी० एस०, आई० ए० एस०, और आई० पी० एस०, के कितने सेवानिवृत्त सरकारी पदाधिकारियों ने पिछले पांच वर्षों में भिन्न भिन्न पदों पर सरकारी या गैर-सरकारी क्षेत्रों में नौकरी मंजूर कर ली है ;

(ख) उन की नियुक्तियां किस ढंग की हैं और उन्हें कितनी आमदनी हो रही है ;

(ग) क्या सरकार ने उनके रोजगार का क्षेत्र सीमित करने के लिये कोई उपबन्ध लागू किया है ; और

(घ) यदि हां, तो किस रूप में ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय राज्य मंत्री (श्री दातार) :** (क) और (ख). गैर-सरकारी रोजगार के सम्बन्ध में, सरकार उन्हीं पदाधिकारियों के बारे में जानकारी रखती है जिन्होंने सेवानिवृत्ति से दो साल के अन्दर ही दूसरी नौकरी कर ली हो। ऐसे पदाधिकारियों के बारे में और सरकारी क्षेत्र में पुन: नियुक्त पदाधिकारियों के बारे में जानकारी इकट्ठी की जा रही है और वह सभा-पटल पर रख दी जायगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) और (घ). इस विषय में विद्यमान नियमों के अधीन, अखिल भारतीय सेवा के पदाधिकारियों को सेवानिवृत्ति की तारीख से दो साल की अवधि के अन्दर कोई वाणिज्यिक पद स्वीकार करने से पहले सरकार की मंजूरी लेनी पड़ती है। यह मंजूरी देने से पहले सरकार इस बात की छानबीन करती है कि उस पदाधिकारी को किस प्रकार का रोजगार दिया गया है और सेवा में रहते हुए उस पदाधिकारी के मालिक के साथ किस प्रकार के सम्बन्ध रहे।

कांगड़ा जिले में तांबे के निक्षेप

†१२९७. श्री गो० कु० सिंह :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री बसुमतारी :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत के भूगर्भ-शास्त्रीय सवक्षण विभाग को पंजाब के कांगड़ा जिले में तांबे के काफी अधिक निक्षेपों का पता लगा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या कोई विस्तृत सर्वेक्षण किया गया है ; और

(ग) उस सर्वेक्षण का क्या परिणाम निकला ?

†**खान और इंधन मंत्रालय म उपमंत्री (श्री हजरनवीस)**: (क) जी नहीं। भारत के भूगर्भ-शास्त्रीय सर्वेक्षण विभाग को गरषा घाटी में नरौल के पास ८ किलोमीटर की लम्बाई तक तांबा खनिज मिलने के संकेत मिले हैं।

(ख) और (ग). इस क्षेत्र में जांच पड़ताल अप्रैल, १९६२ में शुरू की गई थी और वह अभी जारी है। वह पूरी हो जाने के बाद ही उस के परिणाम मालम होंगे।

गैर-सरकारी संगठन

†१२९८. डा० पू० ना० खां :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के कल्याण के लिये पिछले सात वर्षों से अर्थात् १९५५ से किन किन गैर-सरकारी संगठनों को केन्द्रीय सरकार से अनुदान मिल रहे हैं ; और

(ख) क्या ये अनुदान प्रतिवर्ष दिये जाते ह ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर)** : (क) १९५५ से केन्द्रीय सरकार से प्रत्यक्ष अनुदान प्राप्त करने वाले गैर-सरकारी संगठनों के नाम संलग्न विवरण में दिये हुए हैं :—

विवरण

१. ईश्वर शरण आश्रम

२. हरिजन सेवक संघ

३. भारतीय दलित वर्ग लीग

४. अखिल भारतीय पिछड़े वर्ग संघ

५. भारतीय आदिम जाति सेवक संघ

६. भारतीय रेड क्रास सोसाइटी ।

(ख) जी हां ।

सीमेन्ट के दाम

†१२९९. **श्री ब० कु० दास :**
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने सीमेंट-निर्माताओं ने ईंधन के तौर पर कोयले की बजाय फरनेस तेल का उपयोग शुरू कर दिया है ; और

(ख) उस से सीमेंट का दाम कितना बढ़ गया है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)** : (क) अभी तक केवल एक सीमेन्ट-निर्माता अर्थात् मैसर्स इंडिया सीमेन्ट्स लिमिटेड, मद्रास, ने अपने तलैयुथू सीमेन्ट कारखाने में एक ईंट-भट्टे में कोयले की जगह फरनेस तेल का उपयोग शुरू किया है ।

(ख) तलैयुथू सीमेन्ट कारखाने में उत्पादक को देय सीमेन्ट का कारखाना-बाहर मूल्य २.३७ रुपये प्रति टन बढ़ा दिया गया है लेकिन सीमेन्ट के बिक्री मूल्य में कोई वृद्धि नहीं हुई है ।

भारत में दबा हुआ सोना

१३००. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में छिपे सोने को बाहर लाने के लिये क्या कुछ सफल उपाय सोचे गये हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि यह प्रवृत्ति धीरे-धीरे बढ़ रही है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) लगभग कितने रुपयों का सोना इस समय दबा हुआ होगा ; और

(घ) क्या सरकार ने यह जानने का भी प्रयास किया कि यह प्रवृत्ति बढ़ क्यों रही है ?

वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई): (क) संचित (होर्डेड) सोने का पता लगाने और देश की अधिक से अधिक भलाई के लिये उस का उपयोग करने के सवाल पर सरकार बराबर विचार करती रहती है । लेकिन बहुत सी अमली और कानूनी कठिनाइयां भी हैं जिन्हें दूर करने के बाद ही कोई प्रभावशाली उपाय किया जा सकता है ।

(ख) इस बात के स्पष्ट संकेत नहीं हैं कि यह प्रवृत्ति बढ़ रही है ।

(ग) संचित सोने के बारे में ठीक-ठीक अनुमान लगाना कठिन है । देश में लोगों के पास जो सोना जमा है उस का कुल मल्य, कुछ अनुमानों के अनुसार, सोने के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य के हिसाब से लगभग १८५० करोड़ रुपया है ।

(घ) यह सवाल पैदा ही नहीं होता ।

दिल्ली में प्लाटों का दिया जाना

१३०१. श्री म० ला० द्विवेदी : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में मध्यम तथा कम आय वाले व्यक्तियों को मकान बनाने के लिये २,००० प्लाट देने की जो योजना बनाई गई थी वह अब तक किस अवस्था में है ;

(ख) यह प्लाट कब तक उपलब्ध कर देने का निश्चय था और इस में विलम्ब क्यों हो रहा है ; और

(ग) यह प्लाट अब कब तक उपलब्ध किये जायेंगे ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार): (क) नीलाम द्वारा देने के लिये २,००० प्लाट बनाने की योजना से सम्बन्धित विकास कार्य काफी आगे बढ़ चुका है और वह साठ प्रतिशत से अधिक पूरा हो चुका है ।

(ख) इन प्लाटों को देने के लिये कोई निश्चित तिथि नहीं रखी गई थी परन्तु जैसा पहले से अनुमान किया गया था उस से कुछ अधिक समय लग गया है, क्योंकि ठेकेदारों से पूरा पूरा सहयोग नहीं मिला ।

(ग) ऐसी आशा है कि ये प्लाट मार्च, १९६३ तक पूर्णत: विकसित हो सकेंगे और उस के बाद ही लोगों को मिल सकेंगे ।

विदेश भेजे गये विद्वान

१३०२. श्री म० ला० द्विवेदी : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६१-६२ में सांस्कृतिक संबंध स्थापित करने के लिये कितने विद्वान् विदेशों को भेजे गये ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) इन में से कितने विदेशी सरकारों ने निमंत्रित किये थे और कितने भारत सरकार ने बाहर भेजे थे ; और

(ग) इन विद्वानों की यात्रा पर सरकार ने कुल कितना व्यय किया ?

वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) : (क) २९ ।

(ख) उन में से सभी, विदेशी सरकारों या सांस्कृतिक संगठनों द्वारा निमंत्रित किये गये थे ।

(ग) रुपये ७७,१८२.५५ न० पै० ।

उर्वरक कारखाने

१३०३. श्री म० ला० द्विवेदी : क्या **इस्पात तथा भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उर्वरक उद्योग को स्थापित करने के लिये निजी औद्योगिकों ने पिछले एक वर्ष में अब तक क्या प्रगति की है ;

(ख) अब तक जिन औद्योगिकों को आन्ध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और मद्रास में कारखानों को खोलने के लिये जो लाइसेन्स दिये गये उन के सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है ?

इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख). एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

(क) और (ख). विभिन्न राज्यों में निजी क्षेत्र में उर्वरक कारखानों की स्थापना में अब तक हुई प्रगति निम्नलिखित है :—

१. आंध्र प्रदेश :—

(क) कोठागोदाम उर्वरक कारखाना :

सर्वश्री आन्ध्र शुगर ने, जिन्हें इस प्रायोजना के लिये लाइसेंस दिया गया है, उस सहयोग समझौते का एक मसौदा प्रस्तुत किया है जिसको वे तकनीकी और वित्तीय सहयोग के लिये एक सुप्रसिद्ध अमेरिकन फर्म के साथ करने का विचार रखते हैं । मसौदे की जांच हो रही है और अगले कुछ ही दिनों में इसके अनुमोदित होने की सम्भावना है । इस बीच में पार्टी, प्रायोजना के लिये भूमि अवाप्ति हेतु तथा अन्य उपयोगी वस्तुएं जैसे जल, विद्युत् शक्ति और कोयला, जो एमोनिया के उत्पादन में प्रमुख कच्चा माल होगा, की पूर्ति के लिये प्रबन्ध कर रही है । पार्टी ने प्रायोजना को कार्यान्वित करने के लिये एक पब्लिक लिमिटेड कम्पनी बनाने का जिसमें एक संचालक-मण्डल होगा, और पूंजी जारी करने के लिये कण्ट्रोलर आफ कैपीटल इसूज की अनुमति प्राप्त करने के लिये भी प्रबन्ध कर लिया है । सहयोग की शर्तों के अनुमोदित हो जाने के पश्चात् इन बातों को अन्तिम रूप दिया जावेगा । यह सम्भावना है कि कारखाने में मार्च, १९६५ के पहले पहले उत्पादन होने लगेगा ।

(ख) विशाखापटनम उर्वरक कारखाना :

कंसोरटियम ने, जिन्हें कारखाने को स्थापित करने के लिये लाइसेंस दिया गया है, प्रायोजना को कार्यान्वित करने हेतु प्राथमिक कदम उठाने के लिये 'कोरोमण्डल फर्टेलाइज़र प्राइवेट लिमिटेड' के नाम से एक प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी रजिस्टर करवाई है । प्राइवेट कम्पनी ने विशाखापटनम् पत्तन प्राधिकारियों से कारखाने के निर्माण के लिये ४०० एकड़ भूमि, जो पत्तन प्राधिकारियों की है, पट्टे पर देने के लिये बातचीत की है । कम्पनी स्थानीय अधिकारियों से पानी, पावर इत्यादि की पूर्ति के लिये भी बातचीत कर रही है । नावोद्दिष्ट प्रबन्ध-संचालक, जिसे विदेशी सहयोगकर्त्ताओं ने नामज़द किया है, गत मास भारत आ गया है और यह आशा की जाती है कि वह निकट भविष्य में स्थल का प्रबन्ध सम्भाल लेगा और काम शुरू कर देगा । यह आशा की जाती है कि कारखानय १९६४ के अन्त तक से पहले उत्पादन आरम्भ कर देगा ।

२. मध्य प्रदेश :

सर्वश्री खान्देलवाल ब्रादर्स ने, जिन्हें कारखाना स्थापित करने के लिये लाइसेंस दिया गया था, लाइसेंस वापिस कर दिया है । अब कारखाने को सरकारी क्षेत्र में लगाने का फैसला किया गया है ।

३. राजस्थान :

श्री बी० एल० जालान ने, जिन्हें हनुमानगढ़ में उर्वरक कारखाना लगाने के लिये लाइसेंस दिया गया है, प्रायोजना को कार्यान्वित करने के लिये एक कम्पनी के रजिस्ट्रेशन के लिये आवेदन पत्र दिया है । पार्टी की प्रायोजना के लिये अमरीका की एक फर्म से तकनीकी और वित्तीय सहयोग प्राप्त करने के बारे में चल रही बातचीत अन्तिम अवस्था में है ।

४. मद्रास :

सर्वश्री कोठारी एण्ड सन्स, जिन्हें टुटीकोरिन में एक उर्वरक कारखाना स्थापित करने के लिये लाइसेंस दिया गया है, प्रायोजना के लिये अमरीका की एक फर्म से तकनीकी और वित्तीय सहयोग प्राप्त करने के बारे में बातचीत कर रहे हैं । आशा है कि बातचीत को अन्तिम रूप देने के लिये अमरीकी सहयोगी सितम्बर के महीने में भारत आयेंगे ।

सर्वश्री ईस्ट इण्डिया डिस्टिलरीस एण्ड शुगर फैक्टरीज़ ने, जिन्हें मद्रास राज्य में इन्नौर के स्थान पर एक उर्वरक कारखाना स्थापित करने के लिये लाइसेंस दिया गया है, कारखाने का निर्माण लगभग पूर्ण कर लिया है । कारखाने के शीघ्र ही उत्पादन आरम्भ करने की सम्भावना है ।

५. मैसूर :

मैंगलौर में एक उर्वरक कारखाना लगाने के लिये सर्वश्री शा वैलेस एण्ड कम्पनी द्वारा प्रस्तुत स्ताव को कुछ शर्तों के साथ मंजूर कर लिया गया है । पार्टी को शीघ्र ही लाइसेंस दिया जाएगा । इस प्रायोजना में हालैण्ड की एक फर्म से सहयोग प्राप्त होने की प्रस्थापना है । यह आशा की जाती कि वे कार्यारम्भ करने के लिये इस साल के आखिर में भारत आयेंगे ।

प्रतिरक्षा विभाग की कैंटीनों के लिये तेल

†१३०४. श्री वारियर :
श्री वासुदेवन् नायर :

क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य सरकार ने उनके मन्त्रालय से यह प्रार्थना की है कि वह कोजीकोड

†मूल अंग्रेजी में

में राज्य सरकार के कारखाने के पिघलाये हुए उत्पादों को प्रतिरक्षा उपाहारगृहों को सप्लाई कर उसे आश्रय प्रदान करे ; और

(ख) यदि हां, तो उस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)**: (क) और (ख). केरल सरकार से अभी हाल में ऐसी कोई प्रार्थना प्राप्त नहीं हुई है ।

त्रिवर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम

†१३०५. **श्री यल्लमंदा रेड्डी** : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि त्रिवर्षीय डिग्री पाठ्यक्रमप ठीक से नहीं चल रहा है ;

(ख) क्या यह सच है कि विश्वविद्यालय पूर्व पाठ्यक्रम वर्ग (प्री यूनिवर्सिटी कोर्स क्लासेस) देश में बहुत ही कम हैं ;

(ग) क्या इस सम्पूर्ण प्रश्न की छानबीन करने के लिये एक समिति नियुक्त करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(घ) यदि हां, तो कब ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) से (ग). जी नहीं ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

विद्रोही नागा

†१३०६. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री बिशन चन्द्र सेठ :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री यशपाल सिंह :

क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जून-जुलाई, १९६२ में कई विद्रोही नागाओं ने आत्मसमर्पण कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो कितनों ने; और

(ग) इन नागाओं के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)**: (क) और (ख). जून और जुलाई, १९६२ में ४ नागा विद्रोहियों ने सुरक्षा सेनाओं के सामने आत्मसमर्पण किया था । असैनिक अधिकारियों के सामने कितने विद्रोही नागाओं ने आत्मसमर्पण किया, इस बारे में जानकारी तुरन्त उपलब्ध नहीं है ।

(ग) जानकारी इकट्ठी की जा रही है ?

रांची आवास परियोजना की लागत

१३०७. **श्री मुरारका** : क्या इस्पात और भारी उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रांची टाउनशिप परियोजना की लागत मूल अनुमान से कई गने ज्यादा बढ़ गयी है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) वर्तमान हिसाब के आधार पर अन्तिम अनुमान क्या है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)**: (क) से (ग). लागत मूल अनुमान से कई गुना नहीं बढ़ी है । रांची आवास परियोजना का स्वीकृत अनुमान ८० लाख रुपया था । इस आंकड़े में मुख्यत: निर्माण कार्यों और विकास अर्थात् पानी सप्लाई, मलमूत्र की सफाई, बिजली की सप्लाई आदि, में वृद्धि के कारण कुछ बढ़ोत्तरी हो सकती है । हिन्दुस्तान स्टील कम्पनी इस मामले की छानबीन कर रही है ।

खेतरी तांबा परियोजना

†**१३०८. श्री मुरारका** : क्या **खान और ईंधन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खेतरी तांबा परियोजना के सम्बन्ध में अभी तक क्या प्रगति हुई है ;

(ख) अभी तक कितनी रकम खर्च की गयी है ; और

(ग) क्या स्मेल्टर संयन्त्र के लिये आर्डर दिये जा चुके हैं ?

†**खान और ईंधन मंत्री मंत्रालय में उपमंत्री (श्री हजरनवीस)** : (क) सरकार ने सालाना २१,००० टन इलेक्ट्रोलिटिक तांबे की क्षमता वाली खेतरी तांबा परियोजना को कार्यान्वित करने की आवश्यकता मंजूर कर ली है । यह योजना परियोजना के सलाहकार मेसर्स वेस्टर्न नैप इंजीनियरिंग कम्पनी द्वारा प्रस्तुत, खेतरी तांबा परियोजना की तकनीकी और आर्थिक आवश्यकता सम्बन्धी रिपोर्ट में दी गयी है । उसमें तीसरी योजना में १०,००० टन का लक्ष्य निर्धारित किया गया था ।

२. २,५०० फीट तक की गहराई तक अयस्क निक्षेपों का अस्तित्व सिद्ध करने के लिये और अधिक भू-छेदन जारी है ।

३. शैफ्ट सिंकिंग और कारखाने की जगह की सफाई के लिये विस्तृत डिजाइन, इंजीनियरिंग ड्राइंग और अन्य प्रलेख तैयार कर लिये गये हैं और उन निर्माण कार्यों के लिये टेंडर जांच शुरू हो गयी है । शैफ्ट और खान उपकरण के लिये विस्तृत डिजाइन, ड्राइंग्ज और स्पेसिफिकेशन्स सलाहकारों से सम्भवत: शीघ्र ही प्राप्त हो जायेंगे ।

४. परियोजना के लिये पानी की सप्लाई के लिये जांच पड़ताल पूरी हो रही है । अनुमान है कि निटकटवर्ती क्षेत्रों—सिंघाना, जोधपुरा और छौंरा—में भूमिगत जल की सम्भावना के सम्बन्ध में भारत के भूगर्भ शास्त्रीय सर्वेक्षण की रिपोर्टें शीघ्र ही प्राप्त हो जायेंगी ।

५. राजस्थान राज्य बिजली बोर्ड निर्माण और कार्य संचालन की दशा में परियोजना को बिजली की सप्लाई के लिये निर्माण-कार्य आरम्भ कर रहा है ।

६. कारखाने और परियोजना में रिहायशी बस्ती के लिये स्थान निर्धारित किये जा चुके हैं और गैर-सरकारी भूमि प्राप्त करने के लिये राज्य सरकार ने कार्रवाई शुरू कर दी है ।

७. खनन पट्टे के लिये और उसके अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों के आसपास के क्षेत्रों की खोजबीन के लिये आवेदन पत्र राज्य सरकार को दिये जा चुके हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

८. कर्मचारियों को अस्थायी आवास दिवाने के लिये एक आधारभूत शिविर कायम किया जा चुका है और नगर के निर्माण के लिये कई दौर वाला कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है और प्रगति हो रही है ।

९. सन्यन्त्रक्षेत्र का सर्वेक्षण पूरा हो गया है ।

(ख) मई, १९६२ तक १४,०६,८२२ रुपये ६८ नये पैसे ।

(ग) जी नहीं ।

औद्योगिक प्रबन्ध 'पूल'

†१३०९. **श्री मुरारका :** क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८ में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा प्रबन्ध 'पूल' में कितने व्यक्ति चुने गये थे ;

(ख) क्या चुने हुए सभी व्यक्ति नियुक्त किये गये हैं ;

(ग) क्या वे व्यक्ति भी जो संघ लोक सेवा आयोग द्वारा चुने नहीं गये हैं, नियुक्त किये गये हैं ; और

(घ) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) :** (क) २१२ ।

(ख) चुने गये उम्मीदवारों में से, २ को अभी नियुक्त किया जाना है ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

त्रिपुरा में अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम की क्रियान्विति

†१३१० **श्री दशरथ देव :** क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा में कोई समिति अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित किये जाने की ओर ध्यान देने के लिये नियुक्त की गयी है ;

(ख) यदि हां, तो उसके सदस्य कौन कौन हैं ; और

(ग) उसके काम में क्या प्रगति हुई है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) :** (क) जी हां ।

(ख) समिति में त्रिपुरा प्रशासन के निम्नलिखित पदाधिकारी हैं :—

(१) जिला मजिस्ट्रेट;

(२) पुलिस सुपरिन्टेंडेट;

(३) उपसचिव, राजस्व विभाग; और

(४) सचिव, न्याय विभाग ।

(ग) अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम, १९५५ के उपबन्धों के उल्लंघन का कोई मामला अभी तक सरकार की नजर में नहीं आया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

उर्वरक परियोजनाओं के सम्बन्ध में संयुक्त राष्ट्र संघ के दल की रिपोर्ट

†१३११. **श्री क० ना० तिवारी :**
श्री विभूति मिश्र :
श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :

क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि करीब एक साल पहले संयुक्त राष्ट्र संघ का एक दल उर्वरक परियोजनाओं का अध्ययन करने के लिये यहां आया था और उस ने एक प्रतिवेदन सरकार को प्रस्तुत किया था;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य मुख्य सिफारिशें क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने वह प्रतिवेदन प्रकाशित किया है; और

(घ) उन सिफारिशों पर क्या कार्यवाही की गई है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)** : (क) जी हां।

(ख) प्रतिवेदन की एक प्रति संसद् पुस्तकालय में उपलब्ध है।

(ग) जी नहीं ।

(घ) जहां कहीं संभव है, प्रतिवेदन में उल्लिखित सिफारिशें कार्यान्वित की जा रही हैं ।

दिल्ली विश्वविद्यालय

†१३१२. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विश्वविद्यालय के विभिन्न कालेजों में प्रवेश चाहने वाले छात्रों को अपनी जाति और धर्म लिखने के लिये कहा गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस विषय में कोई कार्यवाही करने का सरकार का विचार है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)**: (क) दिल्ली विश्वविद्यालय के विभिन्न कालेजों में प्रवेश चाहने वाले छात्रों को प्रवेश के लिये आवेदन पत्र में केवल अपना धर्म और/अथवा राष्ट्रीयता लिखनी होती है, न कि अपनी जाति। फिर भी उन्हें लिखना होता है कि वे अनुसूचित जातियों के हैं या नहीं। यह जानकारी सांख्यिकीय प्रयोजनों के लिये और रियायत संबंधी नियम लागू करने के लिये आवश्यक है ।

(ख) चूंकि विश्वविद्यालय द्वारा अपनायी गयी प्रथा इस संबंध में सरकारी नीति के अनरूप है, इसलिये कोई कार्यवाही अवश्यक नहीं है ।

जिला सैनिक, नाविक और वैमानिक बोर्ड

†१३१३. **श्री अ० ब० राघवन** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में जिला सैनिक, नाविक और वैमानिक बोर्डों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) क्या बोर्डों के सचिवों के वेतन क्रम प्रत्येक राज्य और जिले में भिन्न भिन्न होते हैं ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) क्या सरकार के सामने जिला सैनिक, नाविक और वैमानिक बोर्डों के सचिवों के समान वेतन क्रम करने का कोई प्रस्ताव है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामय्या)** : (क) १८६ ।

(ख) सब राज्यों में जिला सैनिक, नाविक और वैमानिक बोर्डों के सचिवों के निम्नलिखित समान वेतन क्रम हैं :—

(१) प्रथम संवर्ग के बोर्डों के सचिवों के लिये
२५०—१०—३००—१५—४५० रुपये ।

(२) द्वितीय संवर्ग के बोर्डों के सचिवों के लिये
१२०—८—२००—१०/२—२२० रुपये ।

(३) तृतीय संवर्ग के बोर्डों के सचिवों के लिये
८०—५—१२० रुपये ।

(ग) जिला सैनिक, नाविक और वैमानिक बोर्डों के सब संवर्गों के सचिवों के लिये समान वेतन क्रम नियत करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

सरकारी कर्मचारियों को छुट्टी यात्रा

†१३१४. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह तथ्य है कि गृह-कार्य मंत्रालय के परिवार कल्याण संगठन द्वारा सरकारी कर्मचारियों और उन के परिवारों के लाभार्थ काश्मीर और अन्य स्थानों के लिये कुछ अवकाश योजनायें आयोजित की जाती हैं;

(ख) यदि हां, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में सरकार द्वारा प्रति वर्ष इन यात्राओं पर कितनी राशि व्यय की जाती है ;

(ग) क्या लेखाओं का लेखा परीक्षण किया जाता है और यदि हां, तो किस के द्वारा; और

(घ) क्या उन लोगों को भी जो न तो सरकारी कर्मचारी हैं और न ही उन के परिवारों के सदस्य हैं, मेहमानों आदि के तौर पर इन यात्राओं में शामिल किया जाता है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय म राज्य मंत्री (श्री दातार)** : (क) जी हां । ऐसी योजनायें कर्मचारी कल्याण संगठन (गृह कल्याण केन्द्र) द्वारा आयोजित की जाती हैं ।

(ख) १९६०—६१	३,४३७ रुपये १८ न.पै.
१९६१—६२	२,१८८ रुपये ६२ न. पै.
१९६२—६३	२,४०० रुपये (लगभग)

(ग) जी हां । आरम्भ में एक चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट द्वारा और बाद में यथा समय महालेखापाल, केन्द्रीय सरकार द्वारा ।

(घ) जी नहीं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

व्यायाम शिक्षा

†१३१५. { श्री प० कुन्हन :
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या व्यायाम शिक्षा को उन्नत करने का सरकार का कोई कार्यक्रम है;

(ख) यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या व्यायाम शिक्षा को केन्द्रीय व्यायाम शिक्षा सलाहकार बोर्ड द्वारा अनिवार्य विषय बनाये जाने की सिफारिश की गई है ?

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) जी हां ।

(ख) (१) ग्वालियर में एक राष्ट्रीय व्यायाम शिक्षा कालेज स्थापित किया गया है जहां उत्तम श्रेणी के व्यायाम शिक्षा अध्यापक तैयार करने के लिये एक तृवर्षीय स्नातक शिक्षा की प्रशिक्षण सुविधायें हैं ।

(२) जिमने शिक्षा और खेलने के मैदानों आदि की सुविधाओं के विकास तथा उन्नति के लिये व्यायाम शिक्षा प्रशिक्षण संस्थाओं के समान आधार पर वित्तीय सहायता दी जाती है ।

(३) शारीरिक स्वास्थ्य की आदत को लोकप्रिय बनाने एवं शारीरिक कुशलता का उच्चतर स्तर प्राप्त करने के लिये लोगों में जोश पैदा करने के लिये अच्छी तरह बनाये गये प्रयोगों के आधार पर राष्ट्रीय शारीरिक कुशलता आन्दोलन चलाया गया है ।

(४) लड़कों और लड़कियों के लिये व्यापक शिक्षा का नमूने का पाठ्यक्रम तैयार किया गया है और व्यायाम शिक्षा के अध्यापकों के लिये पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों के माध्यम से इन पाठ्यक्रमों को लोकप्रिय बनाने के लिये कार्यवाही की जा रही हैं ।

(५) देशी व्यायाम कार्यों में उच्चतर प्रशिक्षण के लिये छात्रवृत्तियों के रूप में वित्तीय सहायता दी जाती है ।

(घ) व्यायाम शिक्षा के कार्यक्रम में समुचित योगिक क्रियायें शामिल की गई हैं । योग संबंध मूलभूत वैज्ञानिक अनुसन्धान करने के लिये वित्तीय सहायता भी दी जाती है ।

व्यायाम शिक्षा की उन्नति के कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिये तीसरी पंचवर्षीय योजना में ८९ लाख रुपये की व्यवस्था की गई है ।

(ग) जी हां । व्यायाम शिक्षा और मनोरंजन के केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड ने ६ और ७ जुलाई १९६२ को हुई अपनी बैठक में सिफारिश की है कि व्यायाम शिक्षा को मैट्रिक परीक्षा के एक दर्जा नीचे तक स्कूल परीक्षा के लिये एक अनिवार्य विषय बना दिया जाना चाहिये । बोर्ड ने यह भी सिफारिश की है कि व्यायाम शिक्षा को बी० ए० और बी० एस० सी० में सांख्यिकीय विषय के तौर पर कालेजों और विश्वविद्यालयों में भी लागू किया जाना चाहिये ।

†मूल अंग्रेजी में

विद्रोही नागा

†१३१६. **श्री रघुनाथ सिंह :**
श्री प्र० चं० बरूआ :
श्री रिशांग किशिंग :
श्री द्वा० ना०, तिवारी .
डा० ल ० म० सिंघवी :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १ जून, से ले कर कितने नागा विद्रोही मारे गये, घायल हुए और गिरफ्तार हुए और उसी अवधि में कितने भारतीय नागरिक नागा विद्रोहियों ने मारे घायल किये और गिरफ्तार किये ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन): प्रथम जून से ३१ जुलाई, १९६२ तक मारे गये, घायल हुए तथा पकड़े गये विद्रोही नागाओं की संख्या निम्नलिखित है :—

मारे गये	१५
घायल	११
पकड़े गये	२७८

विद्रोही नागाओं द्वारा मारे गये, घायल हुए तथा पकड़ लिये गये (सुरक्षा सेनाओं के अतिरिक्त) व्यक्तियों की संख्या के बारे में सूचना सहज प्राप्य नहीं है ।

कावेरी बेसिन में तेल

१२१७. **श्री उमा नाथ :** क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि कावेरी बेसिन तेल की खोज करने के लिये ३००० फुट गहरा सूराख खोदने का फैसल किया गया है

(ख) यदि हां, तो इस कार्यवाही का प्रयोजन क्या है और इस निर्णय की कार्यान्विति किस स्तर पर है;

(ग) यह सूराख किस स्थान पर खोदा जायेगा, किस गांव और किस जिले में, और

(घ) कब कार्य पूरा होने की आशा की जाती है ?

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय):** (क) जी नहीं । कावेरी सिंचित क्षेत्र में संरचनात्मक खुदाई करने का विचार है ।

(ख) भूतत्वीय सूचना प्राप्त करने और भूमि तल के नीचे चट्टान आदि संबंधी सूचना प्राप्त करने के लिये संरचनात्मक खुदाई करने का विचार है । कावेरी सिंचित क्षेत्र तक संरचनात्मक रिग भेजने की व्यवस्था की जा रही है ।

(ग) अभी स्थान का फैसला नहीं किया गया है ।

(घ) इस स्तर पर यह कहना संभव नहीं है कि इस के कब तक पूर्ण होने की आशा की जाती है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

सरकारी क्षेत्र क तेल शोधक कारखानों का विस्तार

†१३१८. **श्री दाजी :** क्या खान तथा ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार तीसरी पंचवर्षीय योजना अवधि में सरकारी क्षेत्र के तेल शोधक कारखानों की क्षमता को बढ़ाने की योजना पर विचार कर रही है ?

†**खान तथा ईंधन मंत्री (श्री क० दे० मालवीय) :** (क) जी हां ।

जीवन बीमा निगम के मंडलीय सम्मेलन[1]

†१३१९. श्री शं० ना० चतुर्वेदी: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन बीमा निगम के अफसरों और क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं के मंडलीय सम्मेलन प्रतिवर्ष होते हैं;

(ख) यदि हां, तो उन में प्रत्येक सम्मेलन पर कम से कम और ज्यादा से ज्यादा कितना व्यय किया जाता है ।

(ग) १९६०, १९६१ और १९६२ में इन सम्मेलनों पर क्रमश: कितना कितना व्यय किया गया; और

(घ) इन में से प्रत्येक वर्ष में इस काम पर दिल्ली मंडल में कितना व्यय किया गया ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :** (क) से (घ) . सूचना एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

पोलिटैक्निकों के लिये राज्यों को केन्द्रीय सहायता

†१३२०. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं सामंत :

क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यों को लड़कियों के कनिष्ठ प्रविधिक स्कूल और पोलिटैक्निक स्थापित करने के लिये किस प्रकार की केन्द्रीय सहायता दी जाएगी ;

(ख) क्या प्रत्येक राज्य के लिये कोई अभ्यंश नियत किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इन अभ्यंशों को नियत करने के आधार क्या हैं ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मन्त्री (श्री हुमायून कबिर):** (क) केन्द्रीय सरकार पांच वर्षों तक अनावर्तक व्यय का ५० प्रतिशत और ७५ प्रतिशत अनावर्तक व्यय देगी ।

(ख) कोई अभ्यंश नियत नहीं किया गया । किसी राज्य को केन्द्रीय सहायता की मात्रा राज्य की तीसरी योजना में स्थापित किये जाने वाले पोलिटैक्निकों और जूनियर प्रविधिक स्कूलों की संख्या पर निर्भर करती है ।

(ग) सवाल पैदा नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Divisional Conference.

आन्ध्र प्रदेश को अकाल राहत के लिये वित्तीय सहायता

१३२१. **श्री प० वेंकटा सुब्बैया** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रायलसीम के लगातार अकाल ग्रस्त क्षेत्रों में स्थायी आराम उपाय आरंभ करेंने के लिये आंध्र प्रदेश सरकार को कोई वित्तीय सहायता दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी राशि ; और

(ग) क्या अकाल सहायता के ढांचे का सुझाव उनकी सरकार द्वारा दिया गया है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) और (ख). ५५३ लाख रुपये की ऋण सहायता आंध्र राज्य को, अकाल ग्रस्त क्षेत्रों की स्थायी उन्नति के कार्यक्रम के अन्तर्गत पहली और दूसरी योजनाओं में दी गई थी । इसमें से कितनी राशि रायलसीम क्षेत्र में खर्च की गई थी यह सूचना उपलब्ध नहीं है । आंध्र प्रदेश राज्य के १२ तालुकों के लगातार अकाल ग्रस्त क्षेत्रों के विकास की एक अग्रिम योजना खाद्य तथा कृषि मंत्रालय के वृद्धि विभाग में प्राप्त हुई है । इस की जांच से सामुदायिक विकास, पंचायती राज और सहकार मंत्रालय के परामर्श से की जा रही है ।

(ग) जी नहीं ।

इंडिया आयल का पैट्रोल डिपो

१३२२. **श्री भक्त दर्शन:** (क) क्या **खान और ईंधन** मंत्री ८ जून, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या १३७० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि नई दिल्ली कार्यपालिका समिति द्वारा इंडियन आयल कम्पनी का एक पैट्रोल डिपो खोलने के बारे में इस बीच क्या निश्चय हुआ है ।

खान और ईंधन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री हजरनवीस) : अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ है क्योंकि नई दिल्ली नगरपालिका ने फिल्लिंग/सर्विस स्टेशनों के चालू कराने के लिए इण्डियन आयल कम्पनी के पास औपचारिक प्रस्ताव नहीं भेजे हैं ।

भ्रष्टाचार

१३२३. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री १४ मई, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या ७१८ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि भ्रष्टाचार संबंधी मामलों का शीघ्रता से निबटारा करने के लिये तत्संबंधी अधिनियमों में संशोधन करने का जो प्रश्न विचाराधीन था, उस के बारे में इस बीच क्या निश्चय किया गया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) : प्रस्तावों की जांच की जा रही है ।

दिल्ली राज्य संस्कृत विश्व परिषद्

१३२४. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **शिक्षा** मंत्री १८ जून, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३३४६ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली राज्य संस्कृत विश्व परिषद् द्वारा प्रस्तुत की गई जिन मांगों पर विचार किया जा रहा था, उन में से प्रत्येक के बारे में क्या निश्चय किया गया है ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : दिल्ली राज्य संस्कृत विश्व परिषद् की मांगों के संबंध में सरकार द्वारा लिये गये निर्णयों का विवरण संलग्न है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

विवरण

दिल्ली राज्य संस्कृत विश्व परिषद् की मांगें	सरकार द्वारा लिया गया निर्णय
(१) संस्कृत अध्यापकों के पद के लिए जो योग्यताएं निर्धारित हैं, उनमें अंग्रेजी की योग्यता सम्मिलित नहीं होनी चाहिए ।	विषय अभी विचाराधीन है ।
(२) प्रशिक्षित शास्त्रियों को ग्यारहवीं कक्षा पढ़ाने दी जाए और उन्हें उत्तर-स्नातक अध्यापकों का २५०–४।१० रुपये का वेतन-मान स्वीकृत किया जाए ।	स्वीकृत नहीं की गई है ।
(३) पश्चिमी पंजाब और सीमांत प्रान्त से आने वाले शास्त्रियों को १७०––३८० रुपये का वेतन-मान स्वीकृत किया जाए ।	विषय विचाराधीन है ।
(४) उच्च माध्यमिक परीक्षा के संस्कृत के प्रश्न-पत्र संस्कृत में बनाए जाने चाहिए ।	केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने संस्कृत के प्रश्न-पत्रों को भविष्य में अंग्रेजी और संस्कृत (देव, नागरी लिपि) में बनाने का निर्णय कर लिया है ।
(५) सातवीं कक्षा की संस्कृत पाठ्य-पुस्तक, बहुत कठिन है और उसके स्थान पर कोई अन्य पुस्तक लगा दी जाए ।	पाठ्य पुस्तक अब उचित रूप से संशोधित और सरल कर दी गई है ।

त्रिपुरा में हाई स्कूल

†१३२५. **श्री दशरथ देव :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा प्रादेशिक परिषद् ने अपने १९६२–६३ के आय व्ययक प्राक्कलनों में तीसरी पंचवर्षीय योजना में की गई व्यवस्था के अतिरिक्त पांच हाई स्कूल स्थापित करने का प्रस्ताव किया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या चालू वित्तीय वर्ष में उन पांच हाई स्कूलों को आरंभ करने के लिये परिषद् को पर्याप्त वित्तीय सहायता दी जाएगी ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) :** (क) जी हां ।

(ख) क्योंकि इस प्रस्ताव में तीसरी योजना के बाहर नवीन व्यय होना है परिषद् को कहा गया है कि प्रस्ताव के पक्ष में विस्तारपूर्वक युक्तियुक्ता दें । इस कार्य के लिये वित्तीय सहायता देने के प्रश्न पर विचार किया जाएगा राज्य परिषद् अपेक्षित ब्योरा दे देगी ।

†मूल अंग्रेजी में

अगरतल्ला में म्यूनिसिपल मार्केट

†१३२६. **श्री दशरथ देव :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा प्रशासन के पुनर्वास विभाग द्वारा दिये गये वित्त के साथ, महाराजगंज बाजार अगरतला, त्रिपुरा में एक नगरपालिका बाजार बनाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो कितने दुकान कमरे बनाये गये हैं ;

(ग) कितने दुकान कमरे किराये पर दिये गये हैं ; और

(घ) यदि दुकानें किराये पर नहीं दी जा सकीं, तो इसके कारण क्या हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) :** (क) जी हां ।

(ख) १०० ।

(ग) १६ दुकान-कमरे किराये पर दिये जा चुके हैं जबकि ४६ को शीघ्र ही किराये पर दिये जाने का विचार है ।

(घ) शेष ३८ दुकान-कमरे किराये पर दिये जायेंगे जब अपेक्षित जोड़-बदल का काम पूरा हो जाएगा ।

राष्ट्रीय लेखागार

†१३२७. **श्री रघुनाथ सिंह :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या भारतीय राष्ट्रीय लेखागार नई दिल्ली को अपनी शैल्फों पर अपने अभिलेखों को रखने के लिये स्थान की कठिनाई अनुभव हो रही है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** जी हां । विभाग द्वारा अनुभव की जाने वाली स्टैक स्थान की कमी को हटाने के लिये राष्ट्रीय लेखागार इमारत जनपथ, नई दिल्ली की नई इमारत के साथ एक अनैक्सी बनाने का फैसला किया गया है ।

स्कूल के बच्चों को मध्याह्न भोजन

†१३२८. **श्री वें० वेंकटा सुब्बैया :**
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री कृष्ण देव त्रिपाठी :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में तुरन्त स्कूल जाने वाले बच्चों को मध्याह्न भोजन देने की योजना का विस्तार करने का विचार करती है ;

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्योरा क्या है और उस पर कितना व्यय होगा ;

(ग) कितने राज्यों ने इस योजना को चालू किया है और कितने बच्चों को इस का लाभ प्राप्त हुआ है ; और

(घ) इन राज्य सरकारों को कितनी वित्तीय सहायता दी जाएगी ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) से (ग). विवरण संलग्न है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

विवरण

(क) और (ख). मध्याह्न भोजन की योजना केन्द्रीय नहीं, बल्कि राज्य की है। इसे अपनी राज्य योजनाओं में जोड़ना राज्य सरकारों का काम है।

(ग) मध्याह्न भोजन की योजना ग्यारह राज्यों में चल रही है। इस समय लगभग ४० लाख बच्चों को इस का लाभ प्राप्त है।

(घ) केन्द्रीय सहायता राज्यों को योजनावार नहीं अपितु स्कूली योजना के लिये दी जाती है। प्रतिशतता आधार पर मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के लिये वित्तीय सहायता देने का प्रश्न विचाराधीन है।

रिजर्व बैंक द्वारा प्रदत्त ऋण

†१३२९. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रिजर्व बैंक ने राष्ट्रीय ऋण (दीर्घ-कालीन कार्य) निधि में से अब तक कितना ऋण दिया है ;

(ख) कितना ऋण राज्य सरकारों को दिया गया है और आसाम सरकार को, कितना ; और

(ग) सहकारी बैंकों को कितनी राशि दी गई है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :** (क) ३० जून १९६२ तक, रिजर्व बैंक ने राज्य सरकारों, राज्य सहकारी बैंकों और केन्द्रीय सहकारी भूमि बंधक बैंकों, को ६३.७९ करोड़ रुपये तक राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घ-कालीन कार्यों) विधि से दीर्घ और मध्य-कालीन ऋण मंजूर किये हैं। मंजूर राशि में से ३० जून १९६२ तक ५२.६३ करोड़ रुपये की राशि दी गई थी।

(ख) राज्य सरकारों को ३० जून १९६२ तक २८.५६ करोड़ रुपये की राशि मंजूर की गई थी, जिसमें से २६.२९ करोड़ रुपये उस तारीख तक निकाले गये थे। विभिन्न राज्य सरकारों के लिये २८.५६ करोड़ रुपये की मंजूर राशि में से आसाम सरकार को ३६ लाख रुपये की राशि मंजूर की गई थी, जिसमें से ३५ लाख रुपये की राशि ली गई है।

(ग) जून १९६२ के अन्त तक, खेती-बाड़ी के कामों के लिये राज्य सहकारी बैंकों को ३५.०७ करोड़ रुपये की राशि मंजूर की गई है, जिसमें से २५.२८ करोड़ रुपये दिये गये हैं।

नूनमती तेल शोधक कारखाना

†१३३०. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नूनमती तेल शोधक कारखाने की पूरी उत्पादन क्षमता अभी रोकी हुई है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी ; और

(ग) इस समय तेल शोधन कारखाने को किन मुख्य कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) :** (क) जी नहीं। तेल शोधन कारखाना पूरी क्षमता पर चल रहा है।

(ख) और (ग). सवाल पैदा नहीं होता।

---

†मूल अंग्रेजी में

लोक सेवा आयोगों के प्रधानों का सम्मेलन

†१३३१. **श्री श्याम लाल सर्राफ :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ लोक सेवा आयोग के प्रधान के सभापतित्व में मार्च, १९६१ में दिल्ली में हुई लोक सेवा आयोग (केन्द्रीय तथा राज्य) के प्रधानों के सम्मेलन में यह प्रयास किया गया था कि देश में विभिन्न सेवाओं में अधिकारियों की भर्ती तथा पदोन्नति की समान प्रक्रिया बनाई जाये ; और

(ख) क्या यह नीति सभी राज्यों में सभी लोक सेवा आयोगों ने अपना ली है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) :** (क) तथा (ख) मार्च, १९६१ में हुई लोक सेवा आयोगों के प्रधानों के सम्मेलन में विचार विमर्श का मुख्य उद्देश्य दृष्टिकोण तथा संचालन प्रक्रिया के समान स्तर बनाना था परन्तु कोई औपचारिक संकल्प स्वीकार नहीं हुआ था । विचार विमर्श पूर्णतया अनौपचारिक था क्योंकि लोक सेवा आयोगों अपने अपरिनियत कार्यों के करने में जो प्रक्रिया अपनाते हैं वह उन का आन्तरिक मामला है जिस का निश्चय प्रत्येक आयोग स्वयं करेगा ।

निर्वाचन आयोग क अधिकार

†१३३२. **श्री यशपाल सिंह :** क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान भारत के महान्यायवादी श्री एम० सी० सीतलवाद के उस सुझाव की ओर आकर्षित किया गया है जो उन्होंने मैसूर राज्य विधि-वेत्ता आयोग द्वारा आयोजित गोष्ठी में दिया था जिसका समाचार ८ जुलाई, १९६२ को नई दिल्ली के 'स्टेट्समैन' में प्रकाशित हुआ था कि सामान्य निर्वाचनों में दुरुपयोग रोकने के लिये निर्वाचन आयोग को अधिक अधिकार दिये जाने चाहियें और भारत को सच्चे तथा शुभचिन्तक विधान मण्डल बनाने चाहियें ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार तदनुसार देश की निर्वाचन विधि में संशोधन करने का है ?

†**विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) :** (क) हां, श्रीमान ।

(ख) निर्वाचन आयोग से परामर्श किया गया था और उसने बताया है कि इस मामले में निर्वाचन विधान में संशोधन के लिये अभी उसकी कोई सिफारिश नहीं है ।

मनीपुर के पहाड़ी इलाकों में राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्ड

†१३३३. **श्री रिशांग किशिंग :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मनीपुर के पहाड़ी इलाकों में आठ में से प्रत्येक राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्ड में क्रमानुसार वित्तीय वर्ष १९६०-६१ और १९६१-६२ में आदिम जाति कल्याण निधि से कितना धन व्यय हुआ ;

(ख) प्रत्येक खण्ड को किस आधार या सिद्धान्त से धन दिया जाता है ; और

(ग) क्या धन का उचित प्रयोग किया गया था और कार्य का निर्धारित लक्ष्य प्राप्त किया गया था ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय म राज्य मंत्री (श्री दातार) :** (क) और (ग). आदिम जाति कल्याण निधि से अतिरिक्त आवंटन केवल आदिम जाति विकास खण्डों (द्वितीय योजना में जिन्हें विशेष

---

†मूल अंग्रेजी में

बहुप्रयोजनीय आदिम जाति विकास खण्डों की संज्ञा दी गई थी) के लिये किया जाता है। द्वितीय योजना काल में मनीपुर में एक ऐसा खण्ड खोला गया था। तीसरी योजना में ऐसे सात खण्ड और खोले जायेंगे जिनमें से एक वर्ष १९६१-६२ में खोला गया था। इन दो खण्डों के व्यय और प्राप्त लक्ष्यों के आंकड़े संघ प्रशासित राज्य क्षेत्र प्रशासन से मांगे गये हैं और जानकारी प्राप्त होने पर पटल पर रख दी जायेगी।

(ख) प्रत्येक आदिम जाति विकास खण्ड को आवंटित अतिरिक्त राशियां (अनुसूचित आदिम जातियों के कल्याण के लिये निश्चित व्यय में से) निम्न हैं :—

	पांच वर्षों की प्रथम अवस्था में	लाख रु० बाद के पांच वर्षों की दूसरी अवस्था में
१. विशेष बहुप्रयोजनीय आदिम जाति खण्ड (दूसरी योजना में खुला) . . .	१५	५
२. आदिम जाति विकास खण्ड (तीसरी योजना में खला)	१०	५

मनीपुर प्रशासन का सतर्कता विभाग

†१३३४. **श्री रिशांग किशिंग** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९६० से जून १९६२ तक मनीपुर प्रशासन के सतर्कता विभाग ने स्थानीय तथा प्रतिनियुक्त अधिकारियों के विरुद्ध कितने मामले पकड़े तथा जांच पड़ताल की ;

(ख) उपरोक्त काल में ऐसे कितने मामले रोके तथा निपटाये गये ;

(ग) दोषी पाये गये अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ; और

(घ) कितने मामलों में राष्ट्रपति से अपील की गई है तथा उन के द्वारा निपटाये गये ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातर)**: (क) ५३ मामले थे जिनमें ७२ अधिकारी सनिहित थे जिनमें ६६ स्थानीय और ६ प्रतिनियुक्त अधिकारी थे।

(ख) और (ग) ३४ मामले छोड़े गये। ७ मामले पुलिस को, विशेष पुलिस विभाग सहित, सौंपे गये हैं। १७ मामले निपटाये जा चुके हैं जिन के फलस्वरूप ६ सरकारी सेवक निकाले गये, दो की सेवायें समाप्त की गईं और चार पर थोड़ा थोड़ा जुर्माना किया गया।

(घ) एक (राष्ट्रपति ने पुनः जांच के लिये लौटा दिया)।

तेल शोधक कारखाने

†१३३५. **श्री कोल्ला वेंकैया** : क्या खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९६२-६३ में सरकारी क्षेत्र में और गैर-सरकारी क्षेत्र में कितने कितने तेल शोधक कारखाने काम कर रहे थे ;

(ख) वर्ष १९६२-६३ में जिन कारखानों ने काम किया उन में से गैर-सरकारी और सरकारी क्षेत्र के विभिन्न कारखानों की तेल-शोधन क्षमता कितनी थी ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) वर्ष १९६१-६२ में विभिन्न संयंत्रों में कितनी मात्रा में विभिन्न तेल उत्पादों का उत्पादन तथा शोधन हुआ ; और

(घ) वर्ष १९६१-६२ में विभिन्न देतेल शोधन कारखानों में शोधित विभिन्न उत्पादों का थोक मूल्य क्या था ?

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) और (ख). पांच तेल शोधक-कारखानों (चार गैर-सरकारी क्षेत्र में और एक सरकारी क्षेत्र में) और उनकी वर्तमान क्षमता निम्न है :—

नाम	क्षमता मीट्रिक लाख टन वार्षिक
१. गैर-सरकारी क्षेत्र	
बर्मा शेल	३५
ऐस्सो . . .	२४
काल्टेक्स	१०.५
आसाम आयल कम्पनी	४
२. सरकारी क्षेत्र	
नूनमती	७५

(ग) विभिन्न तेल उत्पादों का कारखानावार अलग अलग उत्पादन बताना लोकहित में नहीं है ।

(घ) स्वदेशी तेल शोधक कारखानों में उत्पादित या विदेशों से आयात किये गये उत्पादों का उच्चतम विक्रम मूल्य संलग्न विवरण में दिया है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या २४]**

अध्यापकों के नये वेतन-क्रम

†१३३६. **श्री कोल्ला वैंकैया** : क्या **शिक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कितने विश्व-विद्यालयों और कालजों ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा हाल में सुझाये गये अध्यापकों के वेतनक्रम अपना लिये हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)**: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने १-३-१९६१ से केवल विश्वविद्यालय अध्यापकों के नये वेतनक्रमों का सुझाव दिया है और २२ राज्य विश्व-विद्यालयों में नये क्रम लागू करने के लिये सहमत हो गये हैं

कालेज अध्यापकों के वेतन-क्रमों को आयोग ने १—४—५७ से पुनरीक्षित किया था और ४३० कालेजों ने पुनरीक्षित वेतन-क्रम लागू कर दिये हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

इस्पात की उत्पादन लागत

†१३३७. **श्री कोल्ला वेंकैया :** क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भिलाई, रूरकेला और दुर्गापुर के कारखानों में बने इस्पात की प्रति टन उत्पादन लागत क्या है और लागत में विभिन्नता होने के क्या कारण हैं ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)** : सन्यन्त्रों में उत्पादन-कार्य अभी प्रारम्भिक अवस्था में है और उत्पादन लागत का वास्तविक निर्धारण केवल उस समय हो सकता है जबकि सभी सन्यन्त्रों में पूरी क्षमता पर उत्पादन होने लगे और वह कुछ समय तक होता रहे।

नेशनल स्पोर्टस क्लब स्विमिंग पूल में डूबने की दुर्घटना

†१३३८. **श्री दी० चं० शर्मा :**
महाराज कुमार विजय आनन्द :
श्री विशन चन्द्र सेठ :
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :
श्री हेम बरुआ :
श्री ईश्वर रेड्डी :

क्या **शिक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नेशनल स्पोर्टस क्लब आफ इण्डिया के स्विमिंग पूल में जुलाई १९६२ में जिस लड़के के डूबने का समाचार प्रकाशित हुआ था क्या उसकी मृत्यु की कोई जांच की गई; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)**: (क) और (ख). एक जांच समिति बनाई गई है जिसका काम अभी समाप्त नहीं हुआ है।

नौ-सेना युद्ध पोतों का निर्माण

†१३३९. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) देश में नौ-सेना के युद्ध पोतों के निर्माण में क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) उसका क्या ब्यौरा है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) और (ख). भारत में नौ-सेना के युद्धपोतों का निर्माण करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है। नौ-सेना युद्ध पोतों के निर्माण में निम्न प्रगति हुई है :—

(१) कलकत्ता क्षेत्र में शिपयार्डों में समुद्री प्रतिरक्षा नौकायें हाल में बनी हैं और अब भारतीय नौ-सेना के काम में हैं ;

(२) आजकल विशाखापत्तनम् में हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड में भारतीय नौ-सेना के लिए एक सर्वेक्षण जहाज बन रहा है ;

(३) मजागांव डाक, बम्बई में दो 'इनशोर माइनस्वीपर्स' बन रहे हैं ;

(४) मजागांव में डाक तथा गार्डन रीच कारखानों को एक तटीय माइनस्वीपर और तीन समुद्री प्रतिरक्षा नौकाओं के निर्माण के लिये शीघ्र क्रमादेश दिये जाने की आशा है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(५) मजागांव डाक, बम्बई में विध्वंसकी/युद्धपोतों के निर्माण के लिये खोज सम्बन्धी कार्यवाही की जा रही है ।

वैज्ञानिक उपकरणों के लिये विदेशी मुद्रा

†१३४०. **श्री वी० श्रीकान्तन नायर** : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ जनवरी, १९५९ से ३१ मार्च, १९६१ तक किस किस विश्वविद्यालय तथा कालेज को वैज्ञनिक उपकरणों तथा पुस्तकालय पुस्तकों के लिये विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई ;

(ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने शेष २३ लाख रु० की विदेशी मुद्रा (१७२ लाख रु० १४९ लाख रु०) का क्या प्रयोग किया ; और

(ग) क्या सरकार ने तीसरी योजना के पहिले दो वर्षों में इस उद्देश्य के लिये कोई विदेशी मुद्रा दी है ?

†**शिक्षा मन्त्री (डा० का० ला० श्रीमाली)**: (क) एक विवरण संलगन है । [**पुस्तकालय में रखा है । देखिये संख्या एल० टी० ३५२/६२**]

(ख) २३ लाख रु० की विदेशी मुद्रा का प्रयोग नहीं किया गया ।

(ग) अब तक सरकार ने १½ वष के लिये—अर्थात् तीसरी योजना के ३० सितम्बर, १९६२ तक—आवंटन किया है ।

उड़ीसा में आयकर की अपीलें

†१३४१. **श्री प्र० के० देव** : क्या विधि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा वाणिज्य ने भारत सरकार से अभ्यावेदन किया है कि आय कर की अपीलें पटना न्यायाधिकरण को भेजी जाने के बजाये कलकत्ता न्यायाधिकरण को भेजी जायें; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र)** : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) यह अभ्यावेदन किया गया है कि यदि न्यायाधिकरण की कलकत्ता बैंच को उड़ीसा के मामलों का निर्णय करने का अधिकार दे दिया जाता है तो उड़ीसा के करदाताओं को लाभ होगा क्योंकि कलकत्ता पटना की अपेक्षा पास है और उड़ीसा के करदाता थोड़ा समय व धन लगा कर अपने मामलों का निर्णय कलकत्ता में करा सकते हैं ।

कहा जा सकता है कि वर्तमान प्रथा के अन्तर्गत उड़ीसा के करदाताओं को अपने मामलों के सुनवाई के लिये पटना नहीं जाना पड़ता, अपितु उनके मामलों को सुनने के लिये पटना बैंच उड़ीसा चली जाती है । प्रयास किया जा रहा है कि न्यायाधिकरण की बैंच और अधिक बार उड़ीसा जाया करे ताकि उड़ीसा के मामले अधिक समय तक अनिश्चित न पड़े रहें । फिर भी, यह प्रश्न कि कलकत्ता बैंच को पटना बैंच के स्थान पर उड़ीसा के मामले सुनने का अधिकार हो, विचाराधीन है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

योजना कालों में वास्तविक आय

†१३४२. **श्री यशपाल सिंह : क्या वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछली दो योजना-अवधियों में आय देश में नौकरी करने व अन्य व्यक्तियों की अपेक्षा निम्नतम, अर्थात् केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की लगभग एक प्रति शत रही ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) सेरकार ने कर्मचारियों का जीवन-स्तर ऊंचा करने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)**: (क) और (ख). देश में नौकरी करने वाले अन्य व्यक्तियों की अपेक्षा केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की वास्तविक आय सम्बन्धी आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं। परन्तु इस सम्बन्ध में स्थिति का अध्ययन करने के लिये योजना आयोग ने एक समिति नियुक्त की है जो अध्ययन कर रही है ।

(ग) वेतन-क्रमों में सुधार करने के लिये अतिरिक्त, निम्न कार्यवाही की गई है :—

(१) महंगाई भत्ता और पूरक भत्ता की दर बढ़ाना ।

(२) सेवा-निवृत्ति लाभ बढ़ाना ।

(३) छटीटी-यात्रा-रियायत बढ़ाना ।

(४) शिक्षा सहायता देना ।

(५) सरकारी आवास के किराये में रियायत देना ।

(६) चिकित्सा सुविधा, आदि देना ।

आयकर अपवंचन

†१३४३. **श्री यशपाल सिंह : क्या वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९६१–६२ और १९६२–६३ में अब तक दिल्ली में आयकर अपवंचन के कितने मामलों की सूचना सरकार को मिली है ; और

(ख) इसकी पुनरावृत्ति रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क)

१९६१–६२	३९४
१९६२–६३ (जलाई १९६२ तक)	७१

(ख) आय छिपाने पर जुर्माना करने सम्बन्धी उपबन्ध हाल में आयकर अधिनियम, १९६१ में कड़ी कर दी गई है। अभियोग चलाने का भी उपबन्ध है।

अधिवास प्रमाणपत्र

†१३४४. **श्री हेम राज : क्या शिक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न राज्यों में कालेज अधिकारी विद्यार्थियों को प्रवेश देने में उनके द्वारा अधिवास प्रमाणपत्र दिये जाने पर जोर देते हैं ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे राज्यों का क्या नाम है ; और

(ग) यह बात कहां तक सरकार की राष्ट्रीय एकता नीति के अनुकूल है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) और (ख). सरकार को विभिन्न राज्यों में ऐसे किसी कालेज का पता नहीं है जिसके अधिकारी विद्यार्थियों के प्रवेश के समय अधिवास प्रमाण पत्र के दिये जाने पर जोर देते हैं।

(ग) राष्ट्रीय एकता परिषद् ने २ और ३ जून, १९६२ की अपनी बैठक में विभिन्न राज्यों में विश्वविद्यालयों में प्रवेश के प्रश्न पर विचार किया था और जोरदार सिफारिश की थी कि विश्वविद्यालय में प्रवेश जन्म स्थान, आवास, जाति या सम्प्रदाय के कारण मना नहीं किया जाना चाहिये। सरकार ने अनुदान आयोग से प्रार्थना की है कि वह इस मामले पर विश्वविद्यालयों से बातचीत करे।

राजनैतिक पीड़ितों के बच्चे

१३४५. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **शिक्षा** मंत्री २० मार्च, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या १११ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि राजनैतिक पीड़ित व्यक्तियों के बच्चों को शिक्षा सम्बन्धी सुविधायें देने के लिये कुछ वर्ष पहले जो योजना स्वीकार की गई थी, उसे कार्यान्वित करने में प्रत्येक राज्य और संघ राज्य-क्षेत्र में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : राजनैतिक पीड़ितों के बच्चों को शैक्षणिक सुविधायें देने की योजना को कार्यान्वित करने के सम्बन्ध में १९६१-६२ के दौरान में की गई प्रगति को दिखाने वाला विवरण संलग्न है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या २५]**

कोयला खानों को पट्टे पर देना

१३४६. **श्री रा० स० तिवारी** : क्या **खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि बहुत सी खानों को लोग पट्टे पर उठाये हुए हैं और एक व्यापार बनाये हुए हैं ; और

(ख) यदि हाँ, तो सरकार ने इस पट्टेबाजी को रोकने के लिये कौन से पग उठाये हैं जिस से कोयला उत्पादन में बाधा न पड़े ?

खान और इंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय): (क) और (ख). खनिज रियायत नियमावली के अनुसार कोयले के लिये कोई खनन-पट्टा केन्द्रीय सरकार और सम्बन्धित राज्य सरकार की भी पूर्व मंजूरी के बिना हस्ताँतरण नहीं किया जा सकता है। २५ अक्तूबर, १९४९ से पहले दिये गये पट्टों के लिये ये नियम लागू नहीं होते थे, जिस के परिणामस्वरूप कई पट्टेदारों द्वारा पर्याप्त लाभ पर ऐसे पट्टों का हस्ताँतरण किया गया। इस प्रकार के पट्टों के अव्यवस्थित हस्ताँतरण को रोकने के लिये खनिज रियायत नियमावली को संशोधित किया गया है। इस संशोधन के अनुसार हस्ताँतरण से जोकि २५ अक्तूबर, १९४९ से पूर्व कोयले से सम्बन्धित मंजूर किये गये खनन पट्टों के लिये भी लागू होगा, सम्बन्धित नियमों के उपबन्धों में व्यवस्था की गई है।

खेल गांव

†१३४७. { **श्री हेडा** :
श्री वी० चं० शर्मा :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने दिल्ली में 'खेल गाँव' की योजना त्याग दी है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यह निश्चय करन के क्या कारण हैं ;

(ग) योजना का क्या ब्योरा था ; और

(घ) 'आलम्पिक गाँव' की योजना संबंधी अन्तिम स्थिति क्या है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) नहीं, श्रीमान ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) प्रस्तावित 'खेल गाँव' के लिये भूमि प्राप्त होने के बाद अखिल भारतीय खेल परिषद् की एक समिति ब्यौरा तैयार करेगी ।

(घ) वही जैसाकि उपरोक्त भाग (ग) में है । 'आलम्पिक गाँव' की योजना 'खेल गाँव' की योजना से भिन्न नहीं है ।

रुपया भुगतान

†१३४८. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देशवार मूल तथा ब्याज सहित कुल कितना रुपया भुगतान किया गया ; और

(ख) यह रुपया किस प्रयोजन के लिये उपयोग में लाया जाता है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) यह समझा गया है कि यह जानकारी विदेशी ऋणों पर रुपये के रूप में किये जाने वाले मूल और ब्याज के भुगतान के बारे में माँगी गई है। १९६०-६१ और १९६१-६२ में जिन देशों को ऐसे रुपये भुगतान किये गये वे केवल दो हैं—अमरीका और रूस ।

इन भुगतानों का ब्योरा निम्नलिखित है :—

(करोड़ रुपयों में)

	१९६०–६१		१९६१–६२	
	मूल का भुगतान	ब्याज का भुगतान	मूल का भुगतान	ब्याज का भुगतान
अमरीका	२.९७	३.०१	४.४५	६.३५
रूस	५.४७	१.२९	६.४०	१.२२
कुल	८.४४	४.३०	१०.८५	७.५७

(ख) अमरीका को जो भारतीय रुपया मिलता है उसे वहाँ की सरकार भारत में किसी भी व्यय अथवा भुगतान के लिये प्रयोग कर सकती है । ऐसी मुद्रा अन्य देशों में भी प्रयोग की जा सकती है या अन्य ऐसे देशों में जहाँ परस्पर सहमति दी गई है वहाँ की मुद्रा में परिणत किया जा सकता है । इन लेखों में अमरीका को जो रुपया मिलता है उस का कोई निश्चित उपयोग करते समय भारत की आर्थिक स्थिति का ध्यान रखने के लिये अमरीका ने सहमति दे दी है । किन्तु अमरीका की भूतपूर्व विकास ऋण निधि से लिये गये ऋणों के मूल और ब्याज के भुगतान से प्राप्त रुपया जब तक भारत

†मूल अंग्रेजी में

से सामान के निर्यात के उपयोग में नहीं लाया जायेगा जब तक भारत सरकार से पूर्व सहमति न ले ली जाये ।

जो रुपया रूस सरकार को दिया जाता है वह रूस भारत व्यापार करार जो समय समय पर लागू होता है कि शर्तों के अनुसार निर्यात पर पैसा लगाने के लिए उपयोग में लाया जाता है ।

हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के उत्पादन और प्रबंधक अध्ययन

†१३४९. **श्री दाजी** : क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान इस्पात लिमिटेड ने हिन्दुस्तान इस्पात लिमिटेड और/अथवा इस्पात कारखानों उत्पादन और प्रबन्ध की स्थिति का अध्ययन करने के लिये किसी गैर-सरकारी सार्थ से संविदा किया है ;

(ख) उस अध्ययन के पदनिर्देश क्या हैं ; और

(ग) किस शुल्क पर संविदा किया गया है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)** : (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या २६**]

सीमान्त क्षेत्रों में सड़कें

†१३५०. **श्री हेम राज** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार हिमाचल के सिपकी के दर्रे से ले कर, स्पिती के कौरिक और कश्मीर में लद्दाख तक सीमांत प्रदेश को मिलाने का विचार रखती है ;

(ख) यदि हाँ, तो इस पर कितना व्यय होने का अनुमान है ;

(ग) क्या इन सीमांत प्रदेशों में सड़कों का निर्माण अधिक स्थायी और लाभदायक रहेगा या रस्सों के आकाशमार्ग का निर्माण ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) से (ग). बोर्ड ने कोई ऐसी योजना तैयार अथवा स्वीकृत नहीं की ।

हिन्दी में उच्च शिक्षा के लिये छात्रवृत्तियां

†१३५१. **श्री पें० वेंकटासुब्बया** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अहिंदी भाषी क्षेत्रों के छात्रों के हिन्दी में उच्च शिक्षा पाने के लिये १९६१-६३ में छात्रवत्तियाँ देने का विचार रखती है ;

(ख) क्या छात्रवत्तियाँ अहिन्दी भाषी राज्यों में राज्यानुसार बाँटी जायेंगी ; और

(ग) यदि हां, तो ऐसे वितरण का क्या आधार होगा ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) हाँ, श्रीमान समाचारपत्रों में घोषणा कर दी गई है जिस में १ सितम्बर, १९६२ तक प्रार्थनापत्र माँगे गये हैं ।

(ख) ये छात्रवृत्तियाँ राज्यवार बाँटी जाती हैं ।

(ग) जनसंख्या के आधार पर ।

---

†मूल अंग्रेजी में

तस्कर व्यापार

†१३५२. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब और पश्चिम पाकिस्तान के बीच उनकी सामूहिक सीमा पर बड़े पैमाने पर तस्कर व्यापार होता है और बहुत बड़ी मात्रा में सोना, विलास की वस्तुएं जैसे घड़ियां आदि पाकिस्तान से भारत लाई जाती हैं ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस विषय में क्या कार्यवाही की है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई):** (क) सरकार के पास यह विश्वास करने का कोई कारण नहीं है कि हाल के वर्षों में पंजाब और पश्चिम पाकिस्तान के बीच उनकी सामूहिक सीमा पर बड़े पैमाने पर तस्कर व्यापार हुआ है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

दिल्ली में निर्वाह व्यय देशनांक

†१३५३. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में निर्वाह व्यय का सूचकांक बढ़ रहा है ;

(ख) यदि हां, तो १९५८-५९, १९५९-६०, १९६०-६१ और १९६१-६२ में निर्वाह व्यय के सूचकांक की उक्त वृद्धि का क्या स्वरूप था ; और

(ग) निर्वाह व्यय के सूचकांक की वृद्धि के मुख्य कारण क्या हैं ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई):** (क) दिल्ली में कर्मचारिवर्ग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो जुलाई, १९६१ को १३० (१९४९—१००) पहुंच गया था, अक्तूबर १९६१ में गिर कर १२७ हो गया था और बाद के महीनों में अप्रैल, १९६२ तक १२९ और १३० के बीच रहा । मई, १९६२ में यह पुनः गिर कर १२७ रह गया । जून, १९६२ को अस्थायी आंकड़े १३० हैं । यह स्पष्ट है कि गत कुछ मास में इस अंक में कोई निरन्तर वृद्धि नहीं हो रही ।

(ख) १९५८-५९ में उपरोक्त सूचकांक की औसत ११७ थी, १९५९-६० में ११९, १९६०-६१ में १२१ और १९६१-६२ में १२८ ।

(ग) १९५८-५९ में दिल्ली के उपभोक्ता मूल्य के सूचकांक में हुई वृद्धि मुख्यतः खाद्य पदार्थों के मूल्य में वृद्धि के कारण हुई थी ; बाद के वर्षों में खाद्य पदार्थों के मूल्य गिर गये हैं ; किन्तु ईंधन, प्रकाश, कपड़े और अन्य विधि वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि होने के कारण उपभोक्ता मूल्य का सूचकांक बढ़ गया था । १९६१-६२ में भी उपभोक्ता मूल्य के सूचकांक में वृद्धि (जो वर्ष की पहली छमाही में हुई थी) का मुख्य कारण खाद्य पदार्थों के अतिरिक्त वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि है यद्यपि खाद्य पदार्थों के मूल्य भी बढ़ गये थे ।

भारत में प्राथमिक शिक्षा

†१३५४. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में प्राथमिक शिक्षा के प्रशासन सम्बंधी अध्ययन दल ने अपने काम में कुछ प्रगति की है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो क्या कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है ; और

(ग) उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) अध्ययन दल द्वारा अपेक्षित सामग्री प्राप्त हो गई है और उसे श्रेणीबद्ध किया जा रहा है ।

(ख) तथा (ग). आशा है कि प्रतिवेदन नवम्बर, १९६२ तक तैयार हो जायेगा ।

राज्यों को केन्द्रीय ऋण

†१३५५. **डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों को दिये गये कुल कितने ऋण अब बकाया हैं ;

(ख) वित्तीय वर्ष १९६२–६३ में उस पर कितना ब्याज लगेगा ; और

(ग) वसूलियां करने और इस काम को तेज़ करने के लिए क्या करने का विचार है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) वर्ष १९६१-६२ के लेखे अभी अन्तिम रूप में बंद नहीं किये गये । ३१ मार्च, १९६१ को विभिन्न राज्य सरकारों के नाम ऋण की बकाया राशियों का विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(करोड़ रुपयों में)

आंध्र प्रदेश	१५१
असम	४४
बिहार	१५३
गुजरात	२४
जम्मू और काश्मीर	४५
केरल	२७
मध्य प्रदेश	११३
मद्रास	१०५
महाराष्ट्र	२०५
मैसूर	६९
उड़ीसा	१३९
पंजाब	२५३
राजस्थान	१०९
उत्तर प्रदेश	२११
पश्चिम बंगाल	२४२
कुल आंकड़े	१९१०

†मूल अंग्रेजी में

(ख) १९६२-६३ के बजट प्राक्कलन के अनुसार लगभग ८० करोड़ रुपये ।

(ग) राज्य सरकारों के केन्द्रीय ऋणों का भुगतान ऋणों से सम्बद्ध शर्तों के अनुसार करना होता है । लेखा अधिकारी ऋणों की वसूली का ध्यान रखता है और साथ ही यदि कोई ऋण वसूल न हो तो वह आवश्यक कार्यवाही के लिये सरकार को सूचित करता है ।

पुरानी पाण्डुलिपियां

†१३५६. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुरानी और महत्वपूर्ण १५ पाण्डुलिपियां प्रकाशित की जा रही हैं ; और

(ख) यदि हां, तो पाण्डुलिपियों के नाम और योजना का ब्योरा क्या है ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)**: (क) हां श्रीमान् ।

(ख) (क) **पाण्डुलिपियों के नाम :**

१. निरुक्त नर्तिका (संस्कृत)
२. न्याय कंदली किसी अज्ञात टीका सहित (संस्कृत)
३. भूपालवल्लभ (संस्कृत)
४. न्यायं कला लतिका लेखक आनन्दपूर्ण (संस्कृत)
५. कश्यप संहिता (संस्कृत)
६. असायुर्वेद (संस्कृत)
७. जाम्बवती पारिनायम (संस्कृत)
८. तुप्तीका व्याख्या वर्तिका (संस्कृत)
९. मीमांसा कुतूअलवर्ती लेखक वासुदेव दीक्षित (संस्कृत)
१०. जैमनी सूत्रवर्ती भावाजन्य (संस्कृत)
११. विश्वकर्म शिल्पम और विश्वकर्म्मम (संस्कृत)
१२. वृद्धागर्ग संहिता (संस्कृत)
१३. मनमनोहर (संस्कृत)
१४. ताजुल मातीर (फार्सी)
१५. ज्वामी उल हकामत (फार्सी)

(ख) योजना का ब्योरा—भारत विद्या समिति के परामर्श पर वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्रालय ने राष्ट्रीय महत्व के १५ अलभ्य पाण्डुलिपियों के प्रकाशित करने का निश्चय किया है और यह काम विख्यात विद्वानों को सौंपा गया है ।

जापानी पुरातत्ववेत्ता

†१३५७. **श्री रघुनाथ सिंह : क्या वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि काश्मीर में श्रीनगर के निकट बुरजहूमा के उत्तर पाषाणकालीन स्थानों को जापानी पुरातत्ववेत्ताओं ने देखा है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : एक जापानी पुरातत्ववेत्ता ने ५ जुलाई, १९६२ को बुरज़ाहोम का स्थान देखा था ?

केरल विश्वविद्यालय

†**१३५८. श्री प्र० क०•देव** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल विश्वविद्यालय को अमरीका की सरकार से कोई अनुदान मिला है ;

(ख) यदि हां, तो कितना; और

(ग) इसे किस प्रकार उपयोग में लायो जा रहा है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) २५,००० रुपये ।

(ग) यह अनुदान सी० एम० एस० कालेज कोट्टायम में अंग्रेज़ी के अध्ययन के स्तर में सुधार करने के कार्यक्रम के लिए दो डिप्लोमा पाठ्यक्रमों (अंग्रेज़ी में डिप्लोमा और अंग्रेज़ी के अध्यापन कार्य में डिप्लोमा) के लिए आध्यापन संबंधी सामग्री और अन्य सामान खरीदने के लिए है ।

मजगांव पत्तन गोदियां

†**१३५९. श्री बी० चं० शर्मा** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जो विशेषज्ञ दल हाल ही में इंगलैंड की पत्तन गोदियों में उपलब्ध सुविधाओं का अध्ययन करने के लिए वहां गया था ताकि वे सुविधाएं बम्बई की मजगांव गोदी में भी उपलब्ध कराई जाएं क्या उसने सरकार को प्रतिवेदन दे दिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या प्रतिवेदन पर विचार किया गया है ; और

(ग) इस दिशा में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) तथा (ग). प्रतिवेदन पर विचार किया जा रहा है ।

घड़ियों का निर्माण

†**१३६०. डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मन्त्री १ मई, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या २९९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी उद्योग क्षेत्र में अब तक कुल कितनी घड़ियां बनाई गईं, घड़ियों के पुर्जे जोड़े गये ;

(ख) प्रति घड़ी कितनी औसत लागत आती है और कितनी विदेशी मुद्रा व्यय होती है ;

(ग) उनकी बिक्री की व्यवस्था क्या है और कितनी बिक्री हुई ;

(घ) कितनी घड़ियां निर्यात की गईं; और कितनी विदेशी मुद्रा कमायी गई ; और

(ङ) पूर्णतः देशी घड़ियों का निर्माण कब आरम्भ होने की आशा है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)** : (क) ४ अगस्त, १९६२ तक हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड ने पुर्जे जोड़ कर १८,४८२ घड़ियां तैयार की हैं ;

(ख) आयात किये गये पुर्जों कों जोड़ कर घड़ियों का निर्माण हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड द्वारा प्रशिक्षार्थियों के प्रशिक्षित करने के लिये किया जा रहा है और उस पर की जाने वाली लागत प्रशिक्षण की लागत मानी जाती है। घड़ियों का निर्माण आरम्भ करके नियमित रूप में लागत लगायी जायेगी और घड़ियों की औसत लागत का निश्चय तभी किया जा सकता है। प्रति घड़ी विदेशी मुद्रा का खर्च निम्नलिखित है :—

नागरिक (पुरुष)	२०.०० रुपये
जन्ता (पुरुष)	१८.१४ रुपये
सुजाता (स्त्रियां)	१८.१८ रुपये

(ग) इस समय ये घड़ियां हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड के दिल्ली, बम्बई, मद्रास बंगलौर और चण्डीगढ़ स्थित कार्यालयों में बेची जाती हैं। ४ अगस्त, १९६२ तक १६,६७४ घड़ियां बेची जा चुकी हैं।

(घ) कोई नहीं।

(ङ) सहयोग करार की शर्तों के अनुसार जापान की सिटीजन वाच कम्पनी हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड को प्रविधिक प्रशिक्षण प्रदान करेगी ताकि वह ८४ प्रतिशत तक देशी पुर्जे तैयार कर सके। आशा की जाती है कि हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड इस लक्ष्य को १९६६ तक प्राप्त कर लेगी।

लद्दाख में प्रतिरक्षा सेनाओं में उत्तुंग शिखरीय रोग[1]

†१३६१. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लद्दाख में प्रतिरक्षा सेवा में कितने लोगों के उत्तुंग शिखरीय बीमारी से रुग्न होने की सूचना मिली है ;

(ख) उनमें कितने लोगों की मृत्यु हुई ; और

(ग) इस विचार से कि यह रोग न फैले प्रतिरक्षा सेवा के लोगों के जलवायु के प्रभाव से मुक्त करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) (ख) तथा (ग). १९६० से ३१ जुलाई, १९६२ तक की अवधि में लद्दाख के क्षेत्र में प्रतिरक्षा सेनाओं में ९९ लोग रोगी हुए। १९६० और १९६२ में इन रोगियों में से २४ व्यक्तियों की मृत्यु हुई। १९६२ में कोई मृत्यु नहीं हुई। उत्तुंग शिखरीय रोग न फैले इस विचार से प्रतिरक्षा कर्मचारियों को जलवायु के प्रभाव से बचाने के लिये विशेष प्रबन्ध कि गये हैं ?

---

†मूल अंग्रजी में

[1]High Altitude Sickness.

भारतीय वायुसेना के विमान की दुर्घटना

†१३६२. **श्री रघुनाथ सिंह :**
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या २४ जुलाई, १९६२ को बालासोई से ३० मील के अन्दर यह कुडिफनी गांव में भारतीय वायु सेना का एक विमान गिर गया था ; और

(ख) यदि हां, तो दुर्घटना का क्या कारण था ?

†**प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) हां श्रीमन । यह दुर्घटना कम्पटीमुडा (पश्चिम बंगाल) से प्रायः २ मील की दूरी पर हुई ।

(ख) दुर्घटना के कारण की जांच न्यायालय द्वारा पता लगाया जा रहा है जो इस जांच के लिये नियुक्त किया गया है ।

सीमेंट का उत्पादन

†१३६३. **श्री मुहम्मद ताहिर** : क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में कुल कितने सीमेंट का उत्पादन होता है ;

(ख) उपभोग के लिये कितने सीमेंट की आवश्यकता है ; और

(ग) क्या सीमेंट अन्य देशों से आयात किया जाता है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मन्त्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्)** : (क) भारत में १९६१–६२ में कुल ८२.८ लाख टन सीमेंट का उपादन किया गया ;

(ख) १९६२ में देश में उपभोग के लिये १०० लाख टन सीमेंट की आवश्यकता का अनुमान है ।

(ग) सीमेंट का ऐसा करने की अनुमति नहीं है जिस पर विदेशी मुद्रा व्यय होती हो। पश्चिमी पाकिस्तान में स्थित दो भारतीय समवायों के कारखाने से हाल में ही ४९,९०० टन सीमेंट के आयात की अनुमति लक्ष्य आधार पर दी गई थी, आयात का मूल्य समवाय द्वारा भेजे जाने वाले लाभ में समायोजित किया जाता है ।

नव वर्ष दिवस

†१३६४. **श्री च० का० भट्टाचार्य** : क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६२–६३ के भारत सरकार के केलैंडर में अंग्रेजी केलैंडर की प्रथम जनवरी को नव वर्ष दिवस क्यों माना गया है और प्रकाशित किया गया है ;

(ख) क्या सरकार ने इसे भारत का नव वर्ष दिवस स्वीकार कर लिया है ;

(ग) कब तक इसे माना जायेगा ;

(घ) क्या सरकार इसे नव वर्ष दिवस मानना तुरन्त बन्द करने के बारे में विचार कर रही है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ङ) क्या अंग्रेजी केलेंडर के प्रथम जनवरी के स्थान पर राष्ट्रीय केलेंडर के प्रथम चैत्र को नव वर्ष दिवस मनाने की प्रथा प्रचलित करने और उस दिन की छट्टी घोषित करने का विचार किया गया है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : (क) तथा (ख). भारत सरकार ने कोई दिन सरकारी तौर पर नव वर्ष दिवस निर्धारित नहीं किया है। १ जनवरी केलेंडर में नव वर्ष दिवस दिखाया गया है क्योंकि ग्रेगोरियन केलेंडर में जो अभी तक सरकारी प्रयोजनों के लिये प्रयोग किया जाता है यही नव वर्ष दिवस है।

(ग) से (ङ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

योग

†**१३६५. श्री हेम राज** : क्या **शिक्षा** मन्त्री ९ मई, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या ५५५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योगासनों का चिकित्सा सम्बन्धी मूल्य आंकने के लिये सरकार द्वारा स्थापित की गई विशेषज्ञ चिकित्सक समिति का प्रतिवेदन प्रकाशित किया गया है ;

(ख) यदि हां तो सरकार रोगों के निवारण के लिये ऐसे आसनों को प्रोत्साहन देने के हेतु क्या कार्यवाही करना चाहती है ; और

(ग) सरकार ने उन केन्द्रों में से जिनकी समिति ने सिफारिश की है किन्हें सहायता के लिये चुना है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) प्रतिवेदन अभी छप रहा है।

(ख) तथा (ग). चिकित्सा विशेषज्ञों की समिति की रिपोर्ट पर विचार किया जा रहा है।

जन्म मृत्यु के आंकड़ों संबंधी विधान

†**१३६६. श्री हेम राज** : क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में जन्म मृत्यु सम्बन्धी आंकड़ों पर केन्द्रीय विधान बनाने का विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो कब ; और

(ग) क्या सरकारों से इस विषय में परामर्श किया गया है और उनके विचार क्या हैं ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) से (ग). इस विषय में राज्य सरकारों के विचार पूछे गये हैं। कुछ राज्यों के उत्तर अभी नहीं मिले।

विदेशी

†**१३६७. श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि गत तीन मास के दौरान चीनियों को छोड़ कितने विदेशियों को भारत से चले जाने को कहा गया है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : जानकारी एकत्रित की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जायेगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

यूरोप को जाने वाले युवक शिष्टमंडल

†१३६८. **श्री मुरारका** : क्या **शिक्षा** मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्री टी० रामचन्द्र के नेतृत्व में भारत सेवक समाज का कोई युवक शिष्टमण्डल सद्भावना यात्रा पर यूरोप का भ्रमण कर रहा है ; और

(ख) क्या इस सद्भावना यात्रा के लिये शिष्टमण्डल के सदस्यों के चुनाव के लिये कोई आयु सीमा निर्धारित की गयी थी ?

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) १० शिविर स्वयंसेवकों का एक दल जिसे भारतीय संगठन समिति ने कार्य शिविर ढंगों की परियोजनाओं का दक्षिण पूर्वी एशिया में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये समिति के संयुक्त सचिव, श्री टी० रामचन्द्र के नेतृत्व में यूरोपीय देशों का भ्रमण कर रहा है और कार्य शिविरों तथा युवक कार्यक्रमों का अध्ययन कर रहा ह ।

(ख) जी नहीं ।

आसाम में तेल

†१३६९. **श्री हेम बरुआ** : क्या **खान और ईंधन** मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उन्होंने २५ जुलाई, १९६२ को यह वक्तव्य दिया था कि तेल और प्राकृतिक गैस आयोग एक व्यापक विवरण तैयार कर रहा है जिसमें रायल्टी सम्बन्धी सभी मामलों पर प्रकाश डाला जायेगा जिसके कारण आसाम में तेल की तलाश के मार्ग में कठिनाइयां और रुकावटें आ रही हैं ;

(ख) यदि हां, तो यह कठिनाइयां और रुकावटें क्या हैं और इनके कारण तेल की खोज का कार्य राज्य में किस सीमा तक रुका है ; और

(ग) इस दिशा के कार्य को ठीक ढंग से करने के लिये क्या ठोस कार्यवाही की जा रही है ?

†खान और ईंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) : (क) से (ग). तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के आसाम में तेल की खोज के कार्यक्रम में कुछ देरी हो गयी, इसलिये कि लकवा और टीआक जोरहाट के क्षेत्रों में पेट्रोल की खोज के लाइसेंस देने में देरी हो गयी । आसाम में आयोग को जिस भूमि की आवश्यकता थी उसके अर्जन में भी देरी हो गयी । यह सब मामले राज्य सरकार के नोटिस में लाये गये । उन्होंने मामले की छानबीन करना स्वीकार किया और सब कार्य सन्तोष ढंग से कर दिया ताकि इस खोज को समुचित ढंग से जारी रखा जाय । अपेक्षित लाइसेंस भी आसाम सरकार द्वारा दिये जा रहे हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

प्लाईवुड का अनसंधान

†१३७०. **श्री अ० क० गोपालन :**
श्री इम्बीचिबावा :

क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि बंगलौर में प्लाईवुड निर्माण प्रक्रिया तथा सम्बद्ध विषयों के अनुधान के लिये प्रयोगशाला खोली जा रही है ; और

(ख) यदि हां, तो यह विस्तार से क्या है ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून कबिर)** : (क) जी हां ।

(ख) प्लाईवुड निर्माताओं ने एक सहकारी अनुसन्धान संघ का निर्माण किया है । वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद् इसे सहायता तथा प्रविधिक सलाह देगी । प्रयोगशाला गलौर में और फील्ड स्टेशन कलकत्ता में बनेगा ।

बोकारो इस्पात संयंत्र

†१३७१. **श्री मुहम्मद इलियास** : क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह ठीक है कि बोकारो इस्पात संयंत्र की जल सम्भरण की व्यवस्था काफी है;

(ख) यदि नहीं, तो यह स्थान क्यों चुना गया था ;

(ग) अन्य स्थानों का विस्तृत विवरण जहां कि बोकारो इस्पात सन्यन्त्र लगाने के लिये विचार किया गया था ; और

(घ) इस वर्तमान स्थान को चुनने के विशेष कारण क्या हैं ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्)** : (क) जी हां ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता ।

(ग) और (घ). तीसरे इस्पात संयंत्र के लिये १९५५ में ५ स्थानों पर विचार किया गया है । दो बोकारो में, दो सिंदरी में और एक दुर्गापुर में । बोकारो का स्थान अच्छा था । परन्तु संचार साधनों के विकसित न होने के कारण उसे चुना न जा सका । दुर्गापुर का स्थान चुन लिया गया और बोकारो तक संचार साधनों को चालू करने का निर्णय हुआ और इस प्रकार इस स्थान को चौथे इस्पात संयंत्र के लिये विकसित किया जा रहा है ।

गोहाटी विश्वविद्यालय

†१३७२. **श्री हेम बरुआ** : क्या **शिक्षा** मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आसाम राज्य सरकार ने गोहाटी विश्वविद्यालय के मामलों की जांच के लिये नियुक्त किये पावेट आयोग के प्रतिवेदन को केन्द्रीय शिक्षा मन्त्रालय के पास विशेष सलाह के लिये भेजा है ; और

(ख) यदि हां, तो संघ सरकार ने जो कोई सलाह अथवा राय दी है वह क्या है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी हां ।

(ख) मामला विचाराधीन है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

चित्रों का तस्कर व्यापार

†१३७३. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि चित्रों और अन्य कला की वस्तुओं का बिना लाइसेंस के बहुत सा निर्यात और तस्कर व्यापार भारत से विदेशों को होता है ;

(ख) यदि हां, इसे रोकने के लिये क्या विशिष्ट कदम उठाए जा रहे हैं ; और

(ग) ऐसे अवैधिक निर्यात की सीमा का पता करने के लिये क्या कदम उठाए गए हैं ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) पुरातन वस्तुएं (निर्यात नियन्त्रण) अधिनियम, १९४७ के अन्तर्गत केवल सौ वर्ष से पुराने चित्रों और अन्य कला वस्तुओं के निर्यात के लिये लाइसेंस चाहिये । निकट भूतकाल में इन वस्तुओं के बिना लाइसेंस निर्यात का कोई मामला सरकार के ध्यान में नहीं आया है ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होते ।

अवध के नवाब वाजिद अली शाह के वंशज

†१३७४. { **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :**
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अवध के नवाब वाजिद अली शाह के वंशज अभी हाल सरकार के पास पहुंचे थे ; और

(ख) यदि हां, तो इसका उद्देश्य क्या था, और इसका क्या परिणाम हुआ ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : (क) जी हां ।

(ख) उन्होंने प्रार्थना की है कि उनकी राजनीतिक पेंशन बढ़ा दी जाय और उनके बच्चों के लिये शिक्षा भत्ता दिया जाय । मामला विचाराधीन है ।

महेन्द्रगढ़ जिले में लौह अयस्क के निक्षेप

†१३७५. **श्री अ० ना० विद्यालंकार** : क्या **खान और ईंधन** मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब के महेन्द्रगढ़ जिले में लौह अयस्क के निक्षेपों की खोज करने की सम्भावनाओं पर सरकार द्वारा विचार किया गया है ;

(ख) इन लौह अयस्क खानों की क्षमता टनों में लगभग कितनी होगी ;

(ग) इन निक्षेपों का पूरा लाभ उठाने के लिये क्या कार्यवाही करने पर विचार किया जा रहा है ; और

(घ) क्या सरकार इस खान का कार्य किसी सरकारी उपक्रम द्वारा करना चाहती है अथवा उसका इरादा इसे नीलाम करने का है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**खान और ईंधन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री हजरनवीस)** : (क) गैर-सरकारी समवायों द्वारा महेन्द्रगढ़ जिले में लौह अयस्क निकालने का कार्य किया जा रहा है । यद्यपि राज्य सरकार ने तीन खानों के पट्टे स्वीकार किये हैं, परन्तु लौह अयस्क का कार्य केवल एक खान में ही हो रहा है । अन्य दो में ऐसा नहीं ;

(ख) लौह अयस्क के महेन्द्रगढ़ वाले निक्षेपों का अनुमान लगभग २० लाख टन है । परन्तु विस्तार से इसका ब्यौरा तैयार नहीं किया गया । इस क्षेत्र में लौह-अयस्क का उत्पादन १९५८, १९५९, १९६०, १९६१ में क्रमशः १६,९०३, २०,३६७, १२,२५९, और १२१९२ टन (अस्थायी) हैं ।

(ग) पंजाब सरकार ने इस क्षेत्र के १००० टन लौह अयस्क को राष्ट्रीय धातु कार्मिक प्रयोगशाला जमशेदपुर में परीक्षण के लिये भेजा गया । इन परीक्षणों का परिणाम अच्छा रहा है । पंजाब सरकार अब इस बात पर विचार कर रही है कि महेन्द्रगढ़ जिले के पास एक कच्चे लोहे का संयंत्र लगा दिया जाये ।

केन्द्रीय सरकार के पास एक गैर-सरकारी समवाय से इस क्षेत्र में कच्चे लोहे के निर्माण के लिये लाइसेंस दिये जाने का आवेदन पत्र प्राप्त भी हो गया है । इसकी धवन भट्टी और उत्पादन क्षमता १०८,००० टन प्रतिवर्ष होगी । इस आवेदन पत्र पर विचार किया जा रहा है ।

(घ) इस क्षेत्र में लौह अयस्क खानों पर गैर-सरकारी समवायों द्वारा कार्य हो रहा है । जो खान के पट्टे स्वीकृत किये जाते हैं वह नीलामी द्वारा नहीं प्रत्युत खनिज रियायत सम्बन्धी नियम १९६० के अन्तर्गत दिये जाते हैं ।

विश्वविद्यालय "कैम्पस" कार्य योजना

†**१३७६. श्री हेडा** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) 'कैम्पस' कार्य योजना क्या है;

(ख) इसके अन्तर्गत क्या अनुदान दिये गये हैं और कौन कौन सी संस्थाओं को दिये गये हैं ; और

(ग) ये परियोजनायें अब किस स्थिति में हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) से (ग). विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) और (ख). योजना का लक्ष्य विद्यार्थियों में ठीक ढंग से मानवीय श्रम को समझने तथा साथ ही हाई स्कूलों, हायर सैकेन्डरी स्कूलों, कालिजों और विश्वविद्यालयों की सहायता करना जो कि तीन वर्ष से चल रहे हैं जिनकी अपनी इमारतें तथा भूमि है परन्तु उन्हें बहुत आवश्यक मनोरंजन सुविधायों का अर्जन करना है । केन्द्रीय सरकार का अनुदान ७५ प्रतिशत व्यय से अधिक नहीं होता । किसी भी संस्था को अनुदान देने के लिये २५ प्रतिशत व्यय का अंशदान देना ही पड़ता है ।

†मूल अंग्रेजी में

परियोजना	निर्धारित उच्चतम सीमा
	रुपये
(क) मनोरंजन हाल . .	३५,०००
(ख) तैरने का तालाब (२५ मीटर) . .	३०,०००
(ग) व्यायामशाला	२५,०००
(घ) खेल क्षेत्र के आस पास देखने वालों के लिये स्टेडियम .	२५,०००
(ङ) खुला रंगमंच	१५,०००
(च) मंच	१०,०००
(छ) ४०० मीटर का ओवल सिंडर ट्रैक . . .	१०,०००

(ग) यह योजना के आरम्भ अर्थात १९५३–५४ में जिन ७५० परियोजनाओं को स्वीकृत किया था उनमें से ३७० अब तक पूर्ण हो चुकी हैं, शेष ३८० परियोजनाओं का निर्माण हो रहा है।

डकैतियां आदि

†१३७७. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री बागड़ी :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक संघ क्षेत्र में अलग अलग गत तीन महीनों में होने वाली हत्याओं, आत्म-हत्याओं, और डकैतियों की घटनाओं की संख्या क्या है, और तुलनात्मक तौर पर इससे पूर्व तीन महीनों की स्थिति कैसी थी ;

(ख) इन सब में जानी नुकसान की संख्या क्या है ; और

(ग) सजा दिये जाने वाले और मुक्त कर दिये जाने वाले अपराधियों की संख्या क्या है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : (क) से (ग). जानकारी एकत्रित की जा रही है, यथा समय सभा पटल पर रख दी जायेगी।

अनुसूचित जातियों और आदिम जातियों के विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां

१३७८. **श्री उटिया :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आदिमजाति एवं अनुसूचित जातियों के छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति शैक्षणिक सत्र के अन्त में ही मिल पाती है ; और

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिमजातियों के छात्रों को अन्तरिम धन राशि दिलाने में क्या कठिनाई है ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

फिर भी, राज्य सरकारों से कहा जा चुका है कि यदि अग्रिम छात्रवृत्ति देने की पद्धति उनके यहां लागू न हो, तो शैक्षणिक सत्र के प्रथम चार महीनों के लिए पात्र छात्रों को ये अग्रिम छात्रवृत्तियां प्रदान की जाएं।

'शक्तिमान' और 'निसान' मोटर गाड़ियां

१३७९. श्री उटिया : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रतिरक्षा विभाग द्वारा निर्मित 'शक्तिमान' एवं 'निसान' मोटर यान का उत्पादन सन् १९६०–६१ एवं, १५ जुलाई, १९६२ तक कितना रहा है ; और

(ख) उक्त यानों को सार्वजनिक प्रयोग में उपलब्ध कराने में क्या अड़चनें हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) : (क) आर्डनैन्स फैक्टरियों में १९६०–६१ तथा १९६२ के अन्तर्गत जितनी "शक्तिमान" तथा "निसान" गाड़ियां बनाई गईं, उनकी संख्या इस प्रकार है :—

गाड़ी की किस्म	वर्ष		
	१९६०	१९६१	१९६२ (जुलाई तक)
शक्तिमान (३–टन)	८५८	१२०६	३६४
निसान (१–टन ट्रक)	८१	७१९	३९२
निसान पैट्रोल (५–हंडरवेट)	—	—	१९७

आर्डनैन्स फैक्टिरियों में निसान पैट्रोल का निर्माण केवल जून, १९६२ से आरम्भ हुआ है। और ऊपर दी हुई संख्याओं के अतिरिक्त १४०० निसान गाड़ियां बार्डर रोड के डाइरेक्टर जनरल को सप्लाई की गई हैं। इस समय ३–टन वाली गाड़ियों की उत्पादन क्षमता १५०० गाड़ियां प्रतिवर्ष है। और १–टन वाली गाड़ियों की उत्पादन क्षमता १०००। सन् १९६२ के अन्तर्गत ऊपर दी गई हुई संख्याओं तक पहुंचने की आशा है। सेना तथा सिविल उपयोग के लिए उनकी कार्य-क्षमता और भी बढ़ सकती है।

(ख) इस समय आर्डनैन्स फैक्टरियों की उत्पादन-क्षमता सशस्त्र सेनाओं की इन गाड़ियों की आवश्यकता पूर्ति के लिए काफी है और उस समय भी ऐसा ही था जबकि इन गाड़ियों का उत्पादन आरम्भ हुआ था। आर्डनैन्स फैक्टरियों की उत्पादन-क्षमता बढ़ाकर ४००० शक्तिमान ट्रक (सिविल) काम वाले प्रति वर्ष निर्माण करने की योजना पर सरकार सक्रिय रूपसे विचार कर रही है।

धातु मिश्रित इस्पात परियोजना

†१३८०. **श्री मुहम्मद इलियास :** क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) धातु मिश्रित इस्पात परियोजना का अनुमानित पूंजी व्यय क्या है और इसकी उत्पादन क्षमता कितनी है ;

(ख) परियोजना को कब से कार्यान्वित किया जा रहा है और उसकी वर्तमान स्थिति क्या है ; और

(ग) कार्यक्रम के अनुसार उत्पादन कब से आरम्भ होने की आशा है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्)** : (क) परियोजना प्रतिवेदन के अनुसार धातु मिश्रित इस्पात परियोजना का कुल अनुमानित व्यय ५० करोड़ रुपये है। अनुमान है कि संयन्त्र का उत्पादन ८०,००० मीट्रिक टन डले प्रतिवर्ष होंगे और ४८,००० मीट्रिक टन तैयार माल का उत्पादन होगा।

(ख) फरवरी १९६१ में सरकार ने सिद्धान्त रूप में प्रतिवेदन को स्वीकार कर लिया। हिन्दुस्तान स्टील ने सलाहकारों की नियुक्तियां कर दी हैं। संयन्त्र के तथा अन्य सामान के सम्भरण के लिये टैंडर १६ अक्तूबर, १९६२ तक मांगे गये हैं। इस बीच में हमवार करने और चार दीवारी तथा अन्य अस्थायी कार्यालय इत्यादि बनाने का कार्य किया जा रहा है।

(ग) आशा है कि उत्पादन १९६५–६६ में प्रारम्भ हो जायेगा।

जीवन बीमा निगम कर्मचारियों की मांगें

†१३८१. **श्री उमानाथ** : क्या **वित्त** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) जीवन बीमा निगम कर्मचारियों और जीवन बीमा निगम में जो बातचीत वेतन तथा अन्य मांगों के सम्बन्ध में चल रही थी वह समाप्त हो गयी है ;

(ख) यदि हां, तो उसका परिणाम क्या रहा ; और

(ग) इस मामले को शांति से निपटाने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) और (ख). भारत के जीवन बीमा निगम तथा अखिल भारतीय जीवन बीमा कर्मचारी संघ तथा अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघ के प्रतिनिधियों की बातचीत १२ अप्रैल, १९६२ को आरम्भ हुई थी और २४ जुलाई, १९६२ को बिना किसी समझौते के समाप्त हो गयी।

(ग) इस प्रक्रम पर सरकार का इरादा किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप करने का नहीं है।

'चाइना टुडे' का मुद्रण

†१३८२. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चीनी दूतावास के मासिक पत्र "चाइना-टुडे" का छपना हाल ही में बन्द हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो किन हालात में ऐसा हुआ है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : (क) जी नहीं, १० अगस्त, १९६२ तक का अन्तिम अंक राक्सी प्रिंटिंग प्रैस कनाट प्लेस नयी दिल्ली में छपा है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

लघु उद्योगों के लिये इस्पात

†१३८३. { **श्री उ० मू० त्रिवेदी :**
श्री बड़े :
श्री कछवाय : }

क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों को (श्रेणीवार) १९६०-६१ और १९६१-६२ में लघु उद्योगों तथा इस्पात तैयार करने वाले उद्योगों के लिए देशीय कोटा अलाट किया गया है ;

(ख) गत दो वर्षों में जितना कोटा दिया गया उसके बदले में इस्पात का कौनसा सामान सम्भरण किया गया ;

(ग) क्या यह सच है कि जितना कोटा लघु उद्योगों को दिया जाता है उसका १० प्रतिशत सामान भी बना हुआ सम्भरण नहीं होता ;

(घ) यदि हां, तो सम्भरण स्थिति को सुधारने के लिए सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ; और

(ङ) क्योंकि लघु उद्योगों का महत्व बढ़ रहा है तो क्या सरकार लघु उद्योगों तथा इस्पात उद्योगों को कच्चा माल सम्भरण करने में उच्च प्राथमिकता देने पर विचार कर रही है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)** : (क) से (ग). लघु उद्योगों के लिए इस्पात या तो विकास आयुक्त, लघु उद्योग (वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय) द्वारा आता है अथवा राज्यों के पूल किये हुए कोटा से, इसमें वह कोटा भी सम्मिलित होता है जो कि राज्य सरकार की देख रेख में इस्पात उद्योगों को दिया जाता है। इन दोनों मामलों में बहुत सा कोटा सम्बद्ध अधिकारियों को दे दिया जाता है। लघु उद्योगों के विकास आयुक्त मांग को देख कर यह कोटा सब राज्यों में वितरण कर देते हैं।

१९६०-६१ के प्रथम अर्धवर्ष में (वित्तीय वर्ष के अनुसार) प्लेटें, शीटस तारें ही दी जाती हैं। वर्ष के दूसरे भाग में प्लेटों को भी छोड़ दिया गया और केवल काली प्लेन शीटें ही दी गयीं (जोकि १४ गेज़ से पतली थी) जिन चीज़ों को छोड़ दिया गया उनमें इन्डैन्ट स्वीकार कर लिये गये हैं। ये उपभोक्ताओं और स्टाकिस्टों से सीधे आते हैं और सामान्यतः पूरे होते हैं।

स्टाकिस्टों के पास लघु उद्योगों के बहुत से आर्डर बुक होते हैं और उनके सम्भरण के मामले में सांख्यकीय जानकारी उपलब्ध नहीं है, इसी प्रकार श्रेणी-वाइज भेजने लेने के आंकड़े भी उपलब्ध नहीं हैं। खेद है कि ये आंकड़े प्रस्तुत नहीं किये जा सकते।

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) और (ङ). यह सम्भव नहीं है कि लघु उद्योगों को उच्च प्राथमिकता दी जाये। परन्तु सम्भरण स्थिति के सुधार के लिये कार्यवाही की जा रही है :—

(१) लघु उद्योगों के लिये ¹/₃ भाग उच्च प्राथमिकता के आधार पर और बाकी कोटा द्वितीय प्राथमिकता के आधार पर दिया जायेगा।

(२) राज्य व्यापार निगम के द्वारा ४८,००० टन इस्पात के आयात की व्यवस्था की गई है ताकि देशीय संभरण को बढ़ावा दिया जाये। इसके अतिरिक्त १०,००० टन शीटें और ५,००० टन 'वायर रोडज़' की व्यवस्था भी राज्य व्यापार निगम द्वारा की जा रही है जोकि केवल लघु उद्योग इकाइयों को वितरण किया जायगा।

(३) प्रत्येक छः मास के बाद इस्पात की मदों के लिये, आयात लाइसेंस देने के लिये उपलब्धि के अनुसार अलग से विदेशी मुद्रा अलाट की जाती है।

(४) इस बात के भी प्रयत्न किये जा रहे हैं कि 'वस्तुविनिमय' और 'वाणिज्यिक' आयात में से भी इस्पात 'एसेंशियलिटी सर्टिफिकेट्स' पर लघु उद्योगों को दी जाये। यह उस सीमा तक दी जाये जिस सीमा तक कि विदेशी मुद्रा की कमी के कारण लाइसेंस नहीं दिये जा सके हों।

मध्य प्रदेश में चूना उद्योग को कोयला

†१३८४. **श्री उ० म० त्रिवेदी।**
श्री बड़े :
श्री कछवाय :

क्या **खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश में चूना उद्योग कोयले की कमी के कारण संकटग्रस्त है ;

(ख) क्या इस क्षेत्र में कोयले का संभरण बढ़ाने के लिये कोई प्रस्ताव है ;

(ग) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश का यह चूना उद्योग अब तक उमरिया खदान से कोयला लेता रहा था जोकि अब पिछले तीन महीने से बन्द हो गई है; और

(घ) क्या यह सच है कि भारत सरकार इस उद्योग को अन्य खदानों से कोयला लेने की अनुमति नहीं दे रही है, जिसके कारण बहुत से भट्टे बन्द होने के लिये मजबूर हो गये हैं और इस कारण बेकारी बढ़ जायेगी ?

†**खान, और ईंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) तथा (ख). मध्य प्रदेश में चूना उद्योग के लिय कोयले की कमी की जानकारी जुलाई, १९६२ में हुई। इस कमी की पूर्ति करने के लिये उन मामलों में जहाँ कि वास्तव में आवश्यकता है, विशेष तथा पूर्वाधिकार वाले कोटे दिये गये।

(ग) जी, हाँ।

(घ) जी, नहीं। मध्यप्रदेश के चूना उद्योग को अन्य खदानों से कोयला लेने की अनुमति दे दी गई है और पश्चिम बंगाल, बिहार की खानों से कुछ कोयला उन्होंने ले भी लिया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

राज्यों को स्टेनलैस स्टील का कोटा

†१३८६. { **श्री उ० मू० त्रिवेदी :**
श्री बड़े :
श्री कछवाय :

क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९६०–६१ और १९६१–६२ में प्रत्येक राज्य के स्टेनलैस बर्तन निर्माताओं को स्टैनलैस स्टील का कितना-कितना कोटा दिया गया है ।

(ख) विभिन्न राज्यों को कोटा देने के लिये क्या सिद्धान्त अपनाया गया है; और

(ग) पिछड़े राज्यों को पिछले क्षेत्र में तेजी से प्रगति करने के लिये क्या पूर्वाधिकार दिया गया है ।

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)** : (क) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या २७]**

(ख) प्राप्त इन्डैन्ट के अनुसार आवंटन किया जाता है, साथ ही विभिन्न राज्यों के लिये उपलब्ध आवंटन के लिये उपलब्ध निर्धारित कोटा के आधार पर कोटा दिया जाता है ।

(ग) जी, नहीं । वह बात भी उपलब्धि के अनुसार भविष्य में ध्यान में रखी जायेगी ।

राजस्थान में लघु सिंचाई योजनायें

१३८७. श्री राम सेवक यादव : क्या **गृह-कार्य** मंत्री वह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत राजस्थान में आदिवासियों के लिये लघु सिंचाई योजना हेतु कितनी धनराशि दी गई है ;

(ख) यह धनराशि कितने वर्षों में खर्च की जायेगी ; और

(ग) योजना के प्रथम वर्ष में कितनी धनराशि खर्च होने को थी और कितनी वस्तुतः खर्च हुई ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) ५१.०० लाख रुपये ।

(ख) ५ वर्ष में ।

(ग) राज्य सरकार का विचार १९६१–६२ के दौरान १३.४३ लाख रुपया खर्च करने का था; और ३० सितम्बर, १९६१ तक इसमें से ७.४२ लाख रुपये खर्च किये जा चुके थे । पूरे वर्ष के खर्च के बारे में राज्य सरकार की रिपोर्ट अभी आनी है ।

साक्षर सेना तैयार करने की प्रस्थापना

१३८८. श्री राम सेवक यादव : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि समस्त देश को पाँच वर्ष में ही साक्षर बनाने के लिये शिक्षा मंत्रालय साक्षर सेना निर्माण पर विचार कर रहा है ; और

(ख) यदि हाँ, तो उसकी रूपरेखा क्या है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) जी, नहीं

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

दिल्ली में प्राथमिक शिक्षा

†१३८९. **श्रीमती राम दुलारी सिन्हा** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्राथमिक शिक्षा सम्बन्धी जो सुविधाएं दिल्ली में प्राप्त हैं वे सुविधायें अन्य संघ राज्य क्षेत्रों में उपलब्ध नहीं है ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या अन्तर है; और

(ग) प्राथमिक शिक्षा को समान स्तर पर लाने के लिये क्या कार्यवाही की जायेगी ;

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) जी, नहीं ।

(ख) तथा (ग). ये प्रश्न नहीं उठते ।

नया नांगल के उर्वरक कारखाने के कर्मचारी

†१३९०. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नया नांगल के उर्वरक कारखाने के कर्मचारियों पर द्वितीय वेतन आयोग की सिफारिशें लागू नहीं होतीं ; और

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं ?

†इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : (क) तथा (ख). वित्त मंत्री ने १५ फरवरी, १९६० को लोक-सभा में जो विवरण दिया था (उसका संक्षेप संलग्न है) उसके अनुसार द्वितीय वेतन आयोग की सिफारिशें स्वतः ही सरकारी संस्थानों पर लागू नहीं होती । नांगल उर्वरक कर्मचारियों की प्रार्थना पर द्वितीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार वेतन बढ़ाने के प्रश्न पर उर्वरक कारखाना निगम के बोर्ड के निदेशकों द्वारा स्वतंत्र रूप से विचार किया जा रहा है । बोर्ड ने निर्णय किया है कि जब तक कारखाने की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं हो जाती तब तक इस प्रश्न को स्थगित कर दिया जाय । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या २८]**

विदेश स्थित भारतीय सैनिकों के लिये मनोरंजन

†१३९१. **श्री सुरेन्द्र पाल सिंह** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्तर्राष्ट्रीय आभार को निभाने की दृष्टि से किन-किन देशों में हमारे सैनिक कार्य कर रहे हैं; और

(ख) क्या कहीं उनके मनोरंजन के लिये भारतीय संगीत एवं चलचित्रों की भी व्यवस्था है ?

---

†मूल अंग्रेजी में]

†**प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया)** : (क) इंडोचीन; गाजा और काँगो।

(ख) जी हाँ। गाज़ा और काँगो में सेवा करने वाले भारतीय सैनिकों के लिये साझा सामान्यत: संयुक्त राष्ट्र द्वारा सुविधाएं दी जाती हैं और इन्डोचीन में कार्य करने वाले सैनिकों की देखभाल और उनके नियंत्रण के लिये अन्तर्राष्ट्रीय आयोग द्वारा कार्य किया जाता है। इन राज्यों में कार्य करने वाले हमारे सैनिकों के लाभार्थ भारतीय चलचित्र तैयार करने के लिये विशेष प्रबन्ध किये जाते हैं। छुट्टी पाते समय भारतीय सैनिक भारतीय संगीत के रिकार्ड भी छोड़ जाते हैं। काँगो स्थित भारतीय सैनिकों के लिये आकाशवाणी सप्ताह में एक बार कार्यक्रम प्रसारित करती है जिसमें भारतीय संगीत भी सम्मिलित होता है।

व्यावसायिक कालिजों में स्थान

†**१३९२. श्री निवासन** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या व्यावसायिक कालिजों में पिछड़े वर्ग के लोगों के लिये भी स्थान रक्षित किये जाते हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो कितने प्रतिशत।

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) तथा (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है और उचित समय पर सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

कासीपुर की गनशैल फैक्टरी की दमदम एस्टेट के लिये क्वार्टर

†**१३९३. श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कासीपुर की गनशैल फैक्टरी के दमदम कारखानों में रहने वाले व्यक्तियों के लिये भारत सरकार की नई प्रमापों के अनुसार नये क्वार्टर बनाने का कोई विचार है;

(ख) क्या एक कमरे वाले क्वार्टरों में जो लड़ाई के दिनों में बैरकों में थ, रोशनी तथा बिजली आदि की व्यवस्था है ;

(ग) क्या प्राय: वहां टट्टियां अलग-अलग न होकर जनसाधारण के लिये एक ही स्थान पर हैं और प्राय: क्वार्टरों के साथ ही बनाई गई है; और

(घ) क्या कर्मचारियों की ओर से उनकी कठिनाइयों के बारे में अभ्यावेदन मिला है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री रघुरामैया)**: (क) जी हां। यह प्रस्ताव विचाराधीन है।

(ख) नहीं। वे क्वार्टर लड़ाई की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाये गये थे।

(ग) यह बात ठीक नहीं है कि आधे से भी अधिक क्वार्टरों में टट्टियां अलग-अलग बनाई गई हैं।

(घ) लड़ाई की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाये गये इन क्वार्टरों के बारे में आम शिकायत है। चंकि इन क्वार्टरों की अब मियाद समाप्त हो गई है, अत: अब इन पर खर्च करना बेकार है। अब तो नई डिजाइनों के अनुसार ही नये क्वार्टर बनाये जायेंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में

बीजापुर (मैसूर) में कोयला निक्षेप

†१३९४. **श्री सं० ब० पाटिल** : क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मैसूर राज्य के बीजापुर जिले में तालीकोट के आस-पास कुछ गोल पत्थर पाये जाते हैं जिनसे इसका पता चलता है कि उस क्षेत्र के आस-पास कोयले के निक्षेप पाये जा सकते हैं ;

(ख) क्या वहां कोयला पाये जाने की संभावना है और क्या सरकार वहां भूतत्वीय सर्वेक्षण कराने के बारे में सोच रही है ।

(ग) यदि हां, तो वह सर्वेक्षण कब होगा ?

†**खान और ईंधन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री हजरनवीस)** : (क) तथा (ख) जी नहीं । तालीकोट क्षेत्र का १९५४–५५ में भूतत्वीय सर्वेक्षण हुआ था । बीजापुर जिले के तालीकोट क्षेत्र में भी भीमयुग का चूना पाये जाने की बात है । अन्य पहाड़ियां और भी प्राचीन युग की चीजों की जानकारी देती हैं ।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता ।

मैसूर का सैनिक स्कूल

†१३९५. **श्री सं० ब० पाटिल** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर राज्य में कोई सैनिक स्कूल चालू करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) क्या यह सच है कि मैसूर राज्य ने बीजापुर में इस प्रकार का कोई स्कूल खोलने का निश्चय किया है;

(ग) यदि हां, तो उस योजना की विस्तृत बातें क्या हैं ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं । अभी स्थान के बारे में कोई निर्णय नहीं हुआ है ।

(ग) यह मामला मैसूर सरकार के विचाराधीन है । स्कूल की स्थापना की जायेगी और वह सैनिक स्कूल योजना के अन्तर्गत कार्य करेगा ।

मैसूर में खनिज

†१३९६. **श्री सं० ब० पाटिल** : क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मैसूर राज्य के बीजापुर जिले में काफ़ी मात्रा में चूना, लोहा और मैंगनीज़ अयस्क तथा सीमेंट की चादरें पायी जाती हैं ;

(ख) यदि हां, तो कितनी मात्रा में ये खनन पाये जाते हैं ;

(ग) क्या सरकार का विचार इन खनिज संसाधनों को उपयोग में लाने का है ?

†**खान और ईंधन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री हजरनवीस)** : (क) मैसूर राज्य के बीजापुर ज़िले में पाये जाने वाले इन खनिजों के बारे में सरकार को जानकारी है ।

(ख) तालीकोट में चूने की ३००० लाख टन मात्रा पाये जाने की सम्भावना है । बागलकोट, गदनकेरी, देवनाल, मुदांगडी , तीरगुपी, कालादजी, कज्जांडोनी, चिक और हायर सिलीकेड़ी में

---

†मूल अंग्रेजी में

भी चूना पाये जाने की संभावना है लेकिन कितनी मात्रा में है यह पता नहीं । लौह अयस्क, मैंगनीज अयस्क, ऐस्बस्टस की मात्रा का कोई अनुमान अभी तक नहीं लगा है ।

(ग) इस क्षेत्र के खनिजों को प्रयोग में लाने की योजना सरकार की कोई नहीं है ।

पंजाब में प्रविधिक कालेज

†१३९७. **श्री जगदेवसिंह सिद्धांती** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब में आजकल कुल कितने प्रविधिक/इंजीनियरिंग, और मेडीकल कालेज हैं ;

(ख) उन में से कितने ऐसे कालिज हिन्दी क्षेत्र में हैं ;

(ग) पंजाब के कितने पुस्तकालयों को वित्तीय तथा अन्य प्रकार की सहायता केन्द्रीय सरकार द्वारा दी जाती है ; और

(घ) उनमें से कितने पुस्तकालय हिन्दी क्षेत्र में हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) से (घ). वांछित जानकारी एकत्रित की जा रही है और उपलब्ध होने पर सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

गुजरात तेलशोधक कारखाना

†१३९८. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि क्या सोवियत संघ ने गुजरात तेलशोधक कारखाने को बनाने में सहायता देने के लिये कहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या एक भारतीय दल अभी हाल में सोवियत रूस गया था और प्रस्ताव की शर्तों के बारे में बातचीत की थी; और

(ग) यदि हां, तो प्रस्तावित सहयोग की मोटी-मोटी शर्तें क्या हैं ?

खान और इंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) : (क) जी हां ।

(ख) कोई भी दल अभी हाल में सोवियत रूस नहीं गया था । परियोजना का ब्यौरा नवम्बर १९६१ में तय हुआ था और उस बारे में समझौता हुआ था ।

(ग) (१) सोवियत सरकार ने १० करोड़ रुपये तक की प्राविधिक सहायता और उपकरण के संभरण का आश्वासन दिया है

(२) सोवियत सरकार अंकलेश्वर और कलोल के २० लाख टन तक क्रूड को प्रतिवर्ष साफ़ करेगी ।

(३) सोवियत सरकार कारखाने को बनाने में प्रविधिक सहायता भी देगी तथा भारतीय प्रविधिकों को प्रशिक्षण भी देगी ।

त्रिपुरा कर्मचारियों के लिये प्रतिकरात्मक भत्ता

†१३९९. **श्री बीरेन दत्त** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा प्रशासन के कर्मचारियों को कोई विशेष प्रतीकरात्मक भत्ता दिया गया है;

(ख) किन श्रेणियों के कर्मचारियों को यह भत्ता दिया गया है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) क्या उन श्रेणियों के त्रिपुरा स्थित उन कर्मचारियों को भी जो केन्द्रीय सरकार के हैं यह भत्ता दिया जा रहा है ;

(घ) यदि नहीं तो इस के क्या कारण हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)**: (क) तथा (ख). त्रिपुरा राज्य क्षेत्र में काम करने वाले सभी कर्मचारियों को ७.५० रुपये एक दर से प्रतिकरात्मक भत्ता दिया जा रहा है जो "त्रिपुरा विशेष प्रतिकरात्मक भत्ता" कहलाता है और यह भत्ता उन्हीं लोगों को मिलता है जिनका वेतन १९५ रुपये प्रतिमास से अधिक मिलता है।

(ग) तथा (घ). त्रिपुरा प्रशासन के कर्मचारियों को वेतन तथा भत्ता पश्चिम बंगाल के अधीन इस प्रकार का काम करने वाले कर्मचारियों के अनुसार दिया जाता है। केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को दूसरे नियमों के अनुसार वेतन दिया जाता है।

त्रिपुरा में पशुचिकित्सालय

†१४००. **श्री बीरेन दत्त** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा में पशुचिकित्सालयों में काम करने वाले कर्मचारी इतवार तथा छुट्टियों में भी काम करते हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या उनको समय के अतिरिक्त काम करने के लिये कोई भत्ता दिया जाता है ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या भविष्य में इस प्रकार का कोई भत्ता दिया जायेगा ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : (क) से (ग). जानकारी एकत्रित की जा रही है और उचित समय पर सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

अगरतल्ला में बार लाइब्रेरी की इमारत

†१४०२. **श्री बीरेन दत्त** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अगरतल्ला में बार लाइब्रेरी की इमारत छोटी है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या पुस्तकालय के लिये अधिक स्थान देने के लिये व्यवस्था की जानी चाहिये ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : (क) तथा (ख). जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिये सामान्य भविष्य निधि/जीवन बीमा

†१४०३. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सचिवालय सेवा चतुर्थ श्रेणी (प्रत्यक्ष भर्ती) संस्था ने सरकार को अभ्यावेदन भेजा था कि कम वेतन वाले कर्मचारियों को या तो भविष्य निधि में कटौती करने अथवा जीवन बीमा के लिये कटौती करने की छूट दी जाये ; और

(ख) यदि हां, तो इस संस्था की इस मांग को स्वीकार करने में क्या कठिनाई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) जी हां। संस्था द्वारा की गई मांगों में से यह भी एक मांग थी।

(ख) द्वितीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार परिवार की व्यवस्था के लिये अनिवार्य भविष्य निधि योजना चालू की गई थी। जब तक कोई दूसरी वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हो जाती तब तक इस अनिवार्य भविष्य निधि योजना को बन्द करना ठीक नहीं है। केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिये अनिवार्य जीवन बीमा योजना के प्रश्न पर जांच हो रही है।

कुछ सैनिकों को वेतन तथा भत्ता

†१४०४. **श्री कृष्णपाल सिंह :**
श्री प० कुन्हन :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सेना के विभिन्न अंगों में (क) सिपाही (ख) एन० सी० ओ० (ग) जे० सी० ओ० के वेतन, निवृत्ति वेतन तथा भत्तों की वर्तमान दरें क्या हैं ;

(ख) ये दरें कब निश्चित की गई थीं ;

(ग) बढ़ते हुए मूल्यों को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार का विचार इनको बदलकर बढ़ाने का है ;

(घ) यदि हां, तो कब।

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) तथा (ख). वेतन तथा भत्ता (भारत में दिया जाने वाला) तथा निवृत्ति वेतन सम्बन्धी जानकारी विवरण १ तथा २ में (जो संलग्न है) दिया हुआ है। वेतन तथा भत्ते में संशोधन करने के आदेश सितम्बर, १९६० में दिये गये थे और वे १ जुलाई, १९५९ से भूतलक्षी प्रभावी हुए। निवृत्ति वेतन सम्बन्धी आदेश ६ अगस्त, १९६२ को जारी किये गये थे और ये नियम उन लोगों पर लागू होंगे जिन्होंने १ अप्रैल, १९६२ को अवकाश लिया था या उसके बाद अवकाश लेंगे।

[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या २९]।

(ग) तथा (घ). १९६० में जो परिशोधन किया गया है उसके कारण वतन तथा भत्ते की स्थिति काफी अच्छी हो गई है। निवृत्ति वेतन के नियमों में अभी संशोधन किया गया है। महंगाई भत्ते का प्रश्न विचाराधीन है।

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति छात्रों को छात्रवृत्तियां

१४०५. **श्री वेरवा कोटा** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पहली, दूसरी और तीसरी योजना में राज्यवार अनुसूचित जातियों के छात्रों की कुल संख्या कितनी रही ; और

(ख) कितने छात्रों को छात्रवृत्तियां दी जाती हैं जिस में राजस्थान की क्या संख्या है और कितना रुपया केन्द्रीय सरकार छात्रवृत्ति के लिये देती है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) सूचना उपलब्ध नहीं है । फिर भी, १३ अगस्त, १९६२ को लोक सभा में श्री बाल्मीकी द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या ६२८ के उत्तर की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है ।

(ख) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है ।

[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ३०] ।

टैस्ट मैच की टीमों पर खर्च

†१४०६. **श्री बेरवा कोटा** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हमारे देश के जो टेस्ट मैच खेलने खिलाड़ी विदेश जाते और विदेश से खेलने के लिये यहां आते हैं उन पर सन् १९६१ में कुल कितना खर्च हमारी सरकार द्वारा किया गया ;

(ख) इस में सरकार द्वारा कितना खर्च किया जाता है और खिलाड़ियों द्वारा कितना ; और

(ग) सरकार द्वारा खिलाड़ियों को क्या-क्या सुविधा दी जाती है ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली): (क) टैस्ट मैचों और दूसरी प्रतियोगिताओं (टूर्नामेंटों) के लिए विदेशों में टीमों को भेजने तथा विदेश से टीमों को निमंत्रित करने के लिए खेल संघों/संस्थाओं को कुल ९३,३४९.०० रुपये के अनुदान दिये गये थे ।

(ख) सामान्यतया, सरकार टीमों के सदस्यों को पर्यटक दर्जे के हवाई भाड़े के दोनों ओर के खर्च के बराबर या वास्तविक घाटे को पूरा करने के लिए जो भी कम हो अनुदान देती है खिलाड़ियों द्वारा किया गया खर्च ज्ञात नहीं है ।

(ग) उपर्युक्त वित्तीय सहायता के अतिरिक्त, पासपोर्ट बीसा तथा विदेशी विनिमय की उपयुक्त राशि की व्यवस्था जैसी सुविधाएं भी दी जाती हैं ।

हिमाचल प्रदेश में समाज कल्याण केन्द्र

†१४०७. **श्री वीरभद्र सिंह** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश समाज कल्याण बोर्ड द्वारा संचालित समाज कल्याण केन्द्र बन्द कर दिये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, छंटनी किये गये कर्मचारियों को रोजगार देने को क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी, नहीं । नीति सम्बन्धी निर्णय के अनुसार उक्त केन्द्रों को स्वेच्छा कल्याण संस्थाओं के हाथों सौंप दिया गया ।

(ख) लगभग सारे कर्मचारी स्वेच्छा संगठनों द्वारा नियुक्त कर लिये गये हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

पुनर्वित्त नियम

†१४०८. श्री अ० प्र० जैन :
श्री धवन :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) (१) पी० एल० ४८०, और (२) किसी अन्य निधि में से पुनर्वित्त निगम को कितनी राशि दी गयी है ;

(ख) अब तक इस निधि में से कितनी रकम का ऋण देने के लिये उपयोग किया जाता था। और कितनी राशि वास्तव में दी जा चुकी है ;

(ग) क्या पुनर्वित्त निगन जिन संगठनों को ऋण देगा उनकी सूची में राज-वित्त निगमों का भी नाम दर्ज है ;

(घ) क्या राज्य वित्त निगम, औद्योगिक ऋण और विनियोग निगम के एजेंटों के रूप में काम करेंगे ; और

(ङ) उपरोक्त भाग (घ) में उल्लिखित सुविधाओं का क्या प्रभाव होगा ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) पी० एल० ४८० निधि में से पुनर्वित्त निगम को २६ करोड़ रुपये भारतीय रुपयों में देने की व्यवस्था की गयी है । निगम ८ करोड़ रुपये ले चुका है । क्योंकि २६ करोड़ रुपये का ही उपयोग नहीं हो सका है अतः अतिरिक्त राशि देने का प्रश्न पैदा नहीं होता है ।

(ख) पुनर्वित्त निगम द्वारा जून १९६२ तक मंजूर और वितरित ऋणों की राशि २०.४६ करोड़ और १०.०६ करोड़ रुपये हैं ।

(ग) जी, हां ।

(घ) राज्य वित्त निगम अधिनियम १९५१ के अधीन निगमों को अधिसूचित, वित्त संस्था का एजेंट नियुक्त किया जा सकता है । औद्योगिक ऋण और विनियोग निगम को एक ऐसी संस्था के रूप में अधिसूचित किया गया है, जिसके एजेंट के रूप में निगम कार्य कर सकते हैं ।

(ङ) भाग (घ) के अधीन संशोधन इस उद्देश्य से किया गया, जिससे कि राज्य वित्त निगम ऐसी अन्य संस्थाओं के एजेंट के रूप में काम कर सकें, जो छोटे तथा मध्यम आकार के औद्योगिक उपक्रमों को, जो निगमों से ऋण लेने के अधिकारी हैं ।

दिल्ली में अपराध

†१४०९. श्री हरि विष्णु कामत :
श्री बिशन चन्द्र सेठ :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली तथा नई दिल्ली में चोरियां, डकेतियां, अपहरण, हत्यायें तथा इसी प्रकार के अन्य अपराधों में वृद्धि हो रही है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) १ जनवरी, १९६२ से १५ अगस्त, १९६२ के बीच तथा १९६१ के वर्ष में उसी अवधि में उक्त वर्ग में उल्लिखित प्रत्येक अपराध की पृथक रूप से, पंजीयित, जांच की गई, चालान किये गये तथा दंडित किये गये मामलों की संख्या क्या है; और

(ग) गिरती हुई स्थिति के सुधार के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : (क) पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष अपराधों की वृद्धि हुई है। पूरे वर्ष के आंकड़े उपलब्ध होने पर ही इस सम्बन्ध में निष्कर्ष निकाला जा सकता है।

(ख) सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है।

(ग) जन संख्या तथा अपराधों के पंजीयन संख्या के आधार पर पुलिस द्वारा गश्त और निगरानी के अलावा पुलिस को सुदृढ़ बनाने के लिये कुछ प्रस्ताव विचाराधीन हैं। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ३१]**

पंजाब और दिल्ली में विधि परिषदें

†१४१०. **श्री हेम राज** : क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पंजाब और दिल्ली में विधि परिषदें नहीं बनायी गई हैं ?

†**विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेंद्र मिश्र)** : जी, नहीं। पंजाब तथा दिल्ली की विधि परिषदें क्रमशः ११-११-६१ और १-१२-६१ को स्थापित की गयीं।

हिमाचल प्रदेश में निकिल और कोबाल्ट

†१४११. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश में निकिल और कोबाल्ट के निक्षेप मिले हैं; और

(ख) यदि हां, क्या तहों की क्षमता जानने के लिये कोई सर्वेक्षण किया गया है ?

†**खान और ईंधन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री हजरनवीस)** : (क) और (ख). जी, नहीं। पंजाब के कुल्लू क्षेत्र से निकिल और कोबाल्ट खनिज प्राप्त होने की जानकारी आई है। उक्त क्षेत्रों में अग्रेतर जांच की जा रही है।

अलप्पी तट पर तेल के निक्षेप

†१४१२. **श्री नि० रं० लास्कर** : क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार अलप्पी तट पर समुद्र की सतह पर तेल के निक्षेपों की जांच के लिये विशेषज्ञों से जांच करवाने का विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, जांच किस प्रकार की होगी और कब तक आरम्भ की जायेगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) जी, नहीं। अलप्पी तट पर तेल निक्षेप प्राप्त नहीं हुए हैं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

मद्रास में जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों को मकान निर्माण संबंधी ऋण

†१४१३. **श्री उमानाथ** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जीवन बीमा निगम मद्रास के वे कर्मचारी, जिन्होंने पल्लावरम् में मकानों के प्लाट लिये हैं, व्यक्तिगत रूप में निगम के अध्यक्ष के पास जा कर मकान निर्माण ऋण देने का जिसे वे ब्याज सहित महावारी किश्तों में चुका देंगे, अनुरोध किया है ;

(ख) क्या कर्मचारियों ने ऋण की राशि के बराबर टर्म एश्योरेंस पालिसी लेने का वचन दिया है ;

(ग) क्या उन्होंने यह भी सुझाव दिया है कि जीवन बीमा निगम उस स्थान को लेकर उसमें स्वयं मकानों का निर्माण करे जिससे कि वे किराया-खरीद के आधार पर कर्मचारियों को दिया जा सकें।

(घ) क्या जनवरी, १९६२ को अध्यक्ष महोदय के पास एक अपील भेजी गई ;

(ङ) क्या जोनल मैनेजर ने इस पर कुछ सिफारिशें की हैं।

(च) यदि हां, वे सिफारिशें क्या हैं; और

(छ) अभ्यावेदन के विभिन्न प्रश्नों पर जीवन बीमा निगम का क्या रवैया है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) से (छ). जानकारी एकत्र की जा रही है उपलब्ध होने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी।

खम्भात में तेल और प्राकृतिक गैस

†१४१४. **श्री जसवन्त मेहता :**
श्री टे० जी० नायक :

क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खम्भात परियोजना क्षेत्र में तेल और गैस के अनुमानतः निक्षेप की राशि क्या है ;

(ख) खम्भात की गैस गुजरात विद्युत् बोर्ड के धुवरन थरमल स्टेशन, गुजरात को किस कीमत पर दी जायेगी ; और

(ग) गुजरात क्षेत्र के गैस की कीमत किस आधार पर निश्चित की जायेगी ?

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) वर्तमान संकेतों के अनुसार खम्भात क्षेत्र में गैस की मात्रा १०००० लाख क्यूविक मीटर है। तेल निक्षेप वाणिज्यिक दृष्टि से उपयोगी नहीं है।

(ख) सही कीमतें निश्चित नहीं हुई हैं। तथापि इस कीमत का संबंध उस कीमत से होगा जो कि निकट भविष्य में गुजरात शोधन शाला द्वारा अवशिष्ट ईंधन तेल के लिये निश्चित किया जायेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) यह गैस की किस्म के आधार पर प्रत्येक मामले में पृथक रूप से किया जायेगा ।

खम्भात में अग्रिम तेल शोधक कारखाना

†१४१५. **श्री जसवंत मेहता** : क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खम्पात परियोजना में कूप संख्या २ में अग्रिम शोधशाला का निर्माण कब आरम्भ होगा ;

(ख) इतने विलम्ब से अग्रिम शोधशाला के निर्माण कार्य का आरम्भ होने के क्या कारण हैं; और

(ग) अग्रिम शोधशाला में कुल कितना व्यय होगा ?

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) जुलाई, १९६० ।

(ख) मुख्य कारण कुछ आवश्यक उपकरणों का न मिलना है । उनके आयात के लिये आर्डर दे दिया गया है किन्तु वे अभी प्राप्त नहीं हुए हैं ।

(ग) १.२८ लाख रुपये ।

गुजरात तैल क्षेत्रों में रूसी और रूमानियन टेक्नीकल कर्मचारी

†१४१६. **श्री जसवंत मेहता** : क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के लिये कितने रूसी और रूमानियन टेक्नीकल अधिकारी काम कर रहे हैं ;

(ख) ये किस किस वर्ग के हैं ; और

(ग) उनमें आरम्भ में अब तक कितना काम हुआ है ?

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) से (ग). अपेक्षित जानकारी एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

अगरतला में रवीन्द्र भवन

†१४१७. **श्री बीरेन दत्त** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा की क्षेत्रीय रवीन्द्र शताब्दि समिति अगरतला में रविन्द्र भवन बनाने का विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने योजना स्वीकार कर ली है; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) से (ग). अगरतला के रवीन्द्र भवन की नींव १८ अप्रैल, १९६१ को डाली गई थी । यह मामला त्रिपुरा प्रशासन से सम्बन्धित है अतः भारत सरकार की स्वीकृति की कोई आवश्यकता नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को अध्ययन अवकाश

†१४१८. **श्री म० ला० द्विवेदी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूसरे वेतन आयोग की सिफारिश पर सरकार ने केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को अध्ययन के लिये छुट्टी देने के सम्बन्ध में प्रोत्साहन और सलाह देने का निश्चय किया है;

(ख) यदि हां, तो विदेशों में अध्ययन के लिये छुट्टी किन अनिवार्य शर्तों पर मिल सकती है ;

(ग) छुट्टी के दौरान सरकारी कर्मचारी को कितना वेतन दिया जाता है; और

(घ) क्या सरकारी कर्मचारी अध्ययन अवकाश लेने के पूर्व सीधे किसी विश्वविद्यालय को प्रवेश पत्र भर कर भेज सकता है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) जी हां ।

(ख) अपेक्षित जानकारी देने वाला विवरण संलग्न है ।

(ग) जिस महीने से छुट्टी आरम्भ होती है उसके पहिले के १० महिनो के औसत वेतन का आधा या स्थायी वेतन का आधा, इनमें से जो अधिक हो ।

(घ) जी हां । [देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ३२ ।]

भारी पानी का उत्पादन

†१४१९. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री दलजीत सिंह :

क्या इस्पात और भारी उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नंगल में भारी पानी के संयंत्र के चालू होने पर भारत में भारी पानी का उत्पादन आरम्भ होता है ;

(ख) यदि हां, तो इसकी स्थापना में कितनी लागत लगेगी और;

(ग) अभी तक कितने भारी पानी का निर्माण हुआ है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्)** : : (क) जी हां ।

(ख) लगभग २ करोड़;

(ग) १२५ किलोग्राम १६-८-१९६२ ।

गरीब विद्यार्थियों के लिये ऋण छात्रवृत्ति

†१४२०. **श्री महादेव प्रसाद :**
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार गरीब विद्यार्थियों के लाभ के लिये ऋण छात्रवृत्ति योजना आरम्भ करना चाहती है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी हां ।

(ख) इसका ब्यौरा तैयार किया जा रहा है ।

जम्मू और काश्मीर के लिये सैनिक स्कूल

†१४२१. **श्री अब्दुल गनी गोनी** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू और काश्मीर में सैनिक स्कूल खोलने की मांग की गई है ;

(ख) क्या सरकार इस मांग पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

जम्मू तथा काश्मीर में जड़ी बूटियों संबंधी अनुसंधान

†१४२२. **श्री अब्दुल गनी गोनी** : क्या वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू तथा काश्मीर राज्य में जड़ी बूटियों पर कोई गवेषणा की गई है; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) जी हां । क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला जम्मू ।

(ख) इसका ब्योरा वैज्ञानिक और अनुसंधान परिषद् के वार्षिक टेक्नीकल प्रतिवेदन में दिया हुआ है । इसकी प्रतिलिपियां संसद् पुस्तकालय से उपलब्ध हो सकती हैं ।

सिंगरेनी कोयला खानों के कोयले की बिक्री की कीमत

†१४२३. **श्री प० कुन्हन** : क्या खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिंगरेनी कोयला खान द्वारा उत्पादित कोयले की कीमतें घटाने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो वह कब से लागू किया जायगा ?

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

रक्षित बैंक को 'क्लियरेंस सर्टिफिकेटों' के लिये आवेदन-पत्र

†१४२५. **श्री प० कुन्हन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जुलाई, १९६२ में भारत रक्षित बैंक द्वारा, विदेशों को जाने वाले भारतीयों से क्लियरेंस सर्टिफिकेटों, के लिये कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए ;

(ख) कितने यात्रियों को निकासी प्रमाण-पत्र दिये गये ;

(ग) कितने आवेदन-पत्र अभी निलम्बित हैं ; और

(घ) कितने व्यक्तियों के (पी) फार्म स्वीकृत नहीं हुए ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) ३१५२ ।

(ख) २११३ ।

(ग) ७२८ ।

(घ) ३११ ।

उक्त आंकड़े भारत रक्षित बैंक के केन्द्रीय कार्यालय बम्बई से प्राप्त जानकारी, के आधार पर हैं। 'पैसेज क्लियरेंस' का अधिकांश कार्य वहीं पर केन्द्रित है ।

पांडिचेरी में सीमेंट का कारखाना

†१४२५. **श्री उमा नाथ** : क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांडिचेरी में एक सीमेंट कारखाने की स्थापना का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में लायसेंस दिया जा चुका है ;

(ग) संयंत्र की क्षमता क्या है ;

(घ) लायसेंस कब और किसको दिया गया ;

(ङ) क्या संयंत्र चालू हो गया है ;

(च) यदि नहीं, तो अभी तक क्या प्रगति हुई है ;

(छ) विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(ज) कारखाने में उत्पादन कब तक आरम्भ होगा ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्)** : (क) से (ग). दिसम्बर, १९५६ में मैसर्स के० सी० पी० लिमिटेड, मद्रास को पांडिचेरी में २००,००० टन क्षमता के सीमेंट संयंत्र की स्थापना का लायसेंस दिया गया था। योजना में कोई प्रगति नहीं हुई। जून १९६१ में मैसर्स के० सी० पी० लिमिटेड ने यह बताया कि निवेली लिगनाइट निगम निकट भविष्य में लिगनाइट कोक ब्रीज का संभरण नहीं कर सकेगा अतः वे योजना के अनुरूप कार्य नहीं कर सकेंगे अतः वे स्वीकृत पत्र वापस भेज रहे हैं। अतः वह स्वीकृति रद्द समझी गयी ।

पम्बन, रामेश्वरम् में सीमेंट का कारखाना

†१४२६. **श्री उमा नाथ** :
श्री मे० क० कुमारन :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास राज्य, के रामेश्वरम् के पम्बनम् नामक स्थान में एक सीमेंट कारखाने की स्थापना का विचार है ।

(ख) क्या उस स्थान में संयंत्र लगाने के लिये किसी पार्टी ने लायसेंस की मांग की है ; और

(ग) यदि हां, कितनी क्षमता के लिये लायसेंस लिया गया है ; और

(घ) सरकार ने उस पर क्या निर्णय किया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्)** : (क) से (घ). उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम १९५१ के अधीन मद्रास राज्य के रामनाथपुरम् जिले के पम्बन् के निकट १,६५००० टन की क्षमता की सीमेंट कारखाना की स्थापना के लिये एक गैरसरकारी पक्ष द्वारा अगस्त, १९६१ को एक आवेदन दिया गया। अभी हाल उस पक्ष ने संयंत्र के स्थान में परिवर्तन करने का प्रस्ताव रखा है । आवेदन पर विचार किया जा रहा है ।

विशेषाधिकार प्रश्न के बारे में

श्री प्र० के० देव (कालाहांडी) : मैं ने सभा में विशेषाधिकार भंग के बारे में एक पूर्व सूचना दी थी जिसमें मैंने कहा था कि प्रधान मंत्री ने वाद-विवाद का उत्तर देते समय गलत सूचना दी है ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने माननीय सदस्य को बता दिया था कि इस सम्बन्ध में प्रधान मंत्री को सूचना भेजी जा चुकी है । माननीय सदस्य को उनका उत्तर आने तक प्रतीक्षा करनी चाहिये । मैं यथाशीघ्र इसके सम्बन्ध में निश्चय करूंगा ।

†**श्री प्र० के० देव** : धन्यवाद ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

सिंगरेनी कोलियरीज़ कम्पनीज़ लिमिटेड के वार्षिक प्रतिवेदन और लेखे

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : मैं (एक) कम्पनीज अधिनियम, १९५६ की धारा ६१९क की उप-धारा (१) के अन्तर्गत सिंगरेनी कोलियरीज़ कम्पनीज़ लिमिटेड, हैदराबाद की वर्ष १९६१ की वार्षिक प्रतिवेदन लेखा परीक्षित लेखे और उस पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों सहित ।

(दो) उक्त कम्पनीज़ के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा सभा पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० ३४४/६२ ।]

भारतीय विज्ञान संस्था और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था का वार्षिक प्रतिवेदन

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : मैं निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

(एक) भारतीय विज्ञान संस्था, बंगलौर का वर्ष १९६०–६१ का वार्षिक प्रतिवेदन ।

(दो) भारतीय प्रोद्योगिकी संस्था, खड़गपुर का वर्ष १९६०–६१ का वार्षिक प्रतिवेदन ।

(तीन) भारतीय प्रोद्योगिकी संस्था, बम्बई का वर्ष १९६०–६१ का वार्षिक प्रतिवेदन ।

(चार) भारतीय प्रोद्योगिकी संस्था, मद्रास का वर्ष १९६०–६१ का वार्षिक प्रतिवेदन ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(पांच) भारतीय प्रोद्योगिकी संस्था, कानपुर की वर्ष १९६०-६१ का वार्षिक प्रतिवेदन ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये क्रमशः संख्या एल० टी० ३४५/६२ से ३४९/६२]

अखिल भारतीय सेवायें (मृत्यु व सेवानिवृत्ति लाभ) संशोधन नियम

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री दातार)**: मैं अखिल भारतीय सेवायें अधिनियम, १९५१ की धारा ३ की उपधारा (२) के अन्तर्गत दिनांक २१ जुलाई, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ९६६ में प्रकाशित अखिल भारतीय सेवायें (मृत्यु व सेवानिवृत्ति लाभ) संशोधन नियम, १९६२ की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० ३५०/६२]

केन्द्रीय बिक्री कर (पंजीयन तथा निकास) नियम

†**वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : मैं केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम १९५६ की धारा १३ की उपधारा (२) के अन्तर्गत केन्द्रीय बिक्री कर (पंजीयन तथा निकास) नियम, १९५७ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक २८ जुलाई, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १००१ की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० ३५१/६२]

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

छठा प्रतिवेदन

†**श्री कृष्णमूर्ति राव** (सिमोगा) : मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का छठा प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं ।

संविधान (तेरहवां संशोधन) विधेयक, १९६२

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री कामत** (होशंगाबाद) : संविधान (तेहरवां संशोधन) विधेयक पूरी तरह से नागालैंड राज्य विधेयक पर आश्रित है, तथापि लोक सभा प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के अधीन नियम ६६ के अधीन यह विधेयक तब तक पुरस्थापित नहीं किया जा सकता है जबकि दूसरा विधेयक जिस पर यह आश्रित है पुरस्थापित न किया जाये।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह दोनों विधेयक परस्पर आश्रित नहीं हैं अपितु दोनों विधेयक एक अन्य विधेयक पर आश्रित हैं। दूसरे यह इस आशा पर पुरःस्थापित किये जा सकते हैं कि दूसरा विधेयक पारित हो जायेगा। अतः यह विधेयक पुरस्थापित किया जा सकता है।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : मेरा विचार है कि जब तक आप नागालैंड राज्य स्थापित नहीं करते हैं तब तक आप संविधान का संशोधन नहीं कर सकते हैं। इसके लिये नागालड विधेयक को पुरस्थापित करने की आवश्यकता है।

†**अध्यक्ष महोदय** : मेरे विचार से नागालैंड की स्थापना तब तक नहीं की जा सकती है जब तक कि हम इस विधेयक को पारित नहीं कर लेते हैं।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : इसके संबंध में एक और आपत्ति है। संविधान के अनुच्छेद ३ के अनुसार इस प्रकार के विधेयक पर राज्य विधान सभाओं की रायें आनी आवश्यक हैं और वह सदस्यों को उपलब्ध की जानी चाहिये।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह विधेयक आसाम विधान सभा को भेजा गया था। वहां इस पर चर्चा की जा चुकी है और उसका प्रतिवेदन बिक्री फलक पर उपलब्ध है। माननीय सदस्य वहां से प्रतिलिपियां प्राप्त कर सकते हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में अग्रेत्तर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

नागालैंड राज्य विधेयक, १९६२

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि नागालैंड राज्य के बनाये जाने तथा तत्संबंधी विषयों की व्यवस्था करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि नागालैंड राज्य के बनाये जाने तथा तत्संबंधी बिषयों की व्यवस्था करने वा विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं विधेयक पुरस्थापित करता हूं ।

विनियोग (संख्या ४) विधेयक, १९६२

†**वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : मैं श्री मोरारजी देसाई की ओर से प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष १९६२–६३ में प्रयोग के लिए भारत की संचित निधि में से कुछ और राशियों के भुगतान और विनियोजन का प्राधिकार देने विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है कि वित्तीय वर्ष १९६२–६३ में सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कुछ और राशियों के भुगतान और विनियोजन का प्राधिकार देने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**श्री ब० रा० भगत** : मैं विधेयक पुरस्थापित करता हूं ।

विनियोग (रेलवे) संख्या ४ विधेयक, १९६२

†**रेलवे मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह)** : मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष १९६२–६३ में प्रयोग के लिए रेलवे के निमित भारत की संचित निधि में से कुछ और राशियों के भुगतान और विनियोजन का प्राधिकार देने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है कि वित्तीय वर्ष १९६२–६३ में सेवाओं के लिए रेलवे के निमित भारत की संचित निधि में से कुछ और राशियों के भुगतान और विनियोजन का प्राधिकार देने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**श्री स्वर्ण सिंह** : मैं विधेयक पुरस्थापित करता हूं :

विनियोग (संख्या ४) विधेयक, १९६२

†**श्री ब० रा० भगत** : मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष १९६२–६३ में प्रयोग के लिए भारत की संचित निधि में से कुछ और राशियों के भुगतान और विनियोजन का प्राधिकार देने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है कि वित्तीय वर्ष १९६२–६३ में प्रयोग के लिए भारत की संचित निधि में से कुछ और राशियों के भुगतान और विनियोजन का अधिकार देने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** प्रश्न यह है :

"कि खंड १ से ३, अनसूची, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ा जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड १ से ३, अनुसूची, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिया गये।

†**श्री ब० रा० भगत** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये !"

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विनियोग (रेलवे) संख्या ४ विधेयक, १९६२

†**रेलवे मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह)** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि वित्तीय वर्ष १९६२–६३ में प्रयोग के लिये रेलवे के निमित भारत सरकार की संचित निधि में से कुछ और राशियों के भुगतान और विनियोजन का प्राधिकार देने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है कि वित्तीय वर्ष १९६२–६३ में प्रयोग के लिये रेलवे के निमित भारत की संचित निधि में से कुछ और राशियों के भुगतान और विनियोजन का प्राधिकार देने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री बागड़ी (हिसार) : प्वांइन्ट आफ आर्डर। कल मैंने एक रिजोल्युशन मूव किया था नकली दवाइयों के बारे में, और उसका एक कायदा है कि जब तक मूवर जवाब न दे दे उस वक्त तक बहस खत्म नहीं होती। मैंने कल जवाब के लिए टाइम मांगा था लेकिन मुझे जवाब देने का वक्त नहीं दिया गया।

अध्यक्ष महोदय : आर्डर आर्डर। जो चीज हमारे सामने है उसके साथ इसका सम्बन्ध नहीं है।

श्री बागड़ी : कल जो मैंने रिजोल्यूशन रखा था उसमें कायदे का उल्लंघन हुआ है।

अध्यक्ष महोदय : यह बात आप और किसी वक्त कह सकते थे। अभी जो चीज ली जा रही है पहले उसको खत्म होने दीजिए। दरम्यान में इसको कैसे लिया जा सकता है।

श्री बागड़ी : इसके खत्म होने के बाद ?

अध्यक्ष महोदय : यह मैंने नहीं कहा।

श्री बागड़ी मैंने पूछा है।

अध्यक्ष महोदय : पहले इसे खत्म करें या जो पहले बिजनैस हाथ में है उसको लें।

---

†मूल अंग्रेजी में

अध्यक्ष महोदय : अब हम विधेयक पर खंडवार विचार करेंगे।

प्रश्न यह है :

"कि खंड १ से ३, अनुसूची, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिया जाये ।"

†**श्री स्वर्ण सिंह** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

औचित्य प्रश्न के बारे में

श्री बागड़ी (हिसार) : प्वाइंट आफ आर्डर : । लोक सभा के कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम संख्या ३५८ के उपनियम (३) में दिया हुआ है :

"कोई सदस्य, जिसने कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया हो, उत्तर के रूप में पुन: बोल सकेगा, और यदि प्रस्ताव किसी गैर सरकारी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया गया हो तो सम्बन्धित मंत्री, अध्यक्ष की अनुमति से (चाहे वह वाद-विवाद में पहले बोल चुका हो या नहीं) प्रस्तावक के उत्तर देने के बाद बोल सकेगा ।"

और नियम ३५९ में दिया गया है :

"नियम ३५८ के उपनियम (३) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए वाद-विवाद सब अवस्थाओं में मूल प्रस्तावक के प्रस्ताव के उत्तर देने पर समाप्त हो जायेगा ।"

इसके तहत मुझे जवाब देने का मौका नहीं मिला हालांकि मैंने कहा था कि मुझे जवाब देने का समय दिया जाए, लेकिन हाउस एडजर्न कर दिया गया। इसलिए मैं चाहता हूं कि मुझे जवाब देने का मौका दिया जाए।

अध्यक्ष महोदय : उसकी वहस जब चल रही थी उस वक्त आप उठे थे यह बात ठीक है। लेकिन डिप्टी स्पीकर साहब ने लिखा है कि डिसकशन इज़ ओवर यानी बहस खत्म हो गयी। उनका फैसला काबिले पाबन्दी है। मैं कोई अदालत अपील नहीं हूं जो उनके फैसले को हटा सकूं। अगर कोई सवाल मेरे वक्त में उठेगा तो उस वक्त मैं उस पर गौर करूंगा। मैं इसमें दखल नहीं दे सकता क्योंकि उनके ऊपर आला अफसर नहीं हूं कि जो उन्होंने खास हालत में फैसला दिया है उसमें तबदीली ला सकूं।

श्री बागड़ी : लेकिन कानून तो स्पष्ट है। दो और दो चार होगा पांच नहीं हो सकता।

अध्यक्ष महोदय : जिस से आप अपील करना चाहते हैं उसको अख्तियार न हो तो क्या किया जा सकता है ।

श्री त्यागी (देहरादून) : मैं कुछ अर्ज करना चाहता हूं। इस वक्त चर्चा इस बात की है कि अगर कोई प्रस्ताव पेश किया गया हो और उस पर बहस हो तो प्रस्ताव पेश करने वाले को जवाब देने का मौका दिया जाना चाहिये । परन्तु कल जो बहस चली थी उस में माननीय सदस्य ने कोई

---

†मूल अंग्रजी में

[श्री त्यागी]

प्रस्ताव नहीं रखा था, सिर्फ बहस शुरू की थी और बहस हो गयी। बहस को शुरू करने के साथ साथ अगर वह एक प्रस्ताव भी रख देते कि "मैं तजवीज करता हूं कि इस चीज को पास किया जाये" तो फिर जवाब का सवाल उठता। लेकिन जब प्रस्ताव ही नहीं रखा गया तो जवाब का सवाल कैसे उठ सकता है।

†**श्री दाजी** (इन्दौर) : कल श्री बागड़ी प्रस्ताव के तत्काल पश्चात् उठे थे उन्होंने कहा कि उन्हें वाद-विवाद का उत्तर देने का अधिकार है। तथापि अध्यक्ष महोदय ने कार्यवाही बन्द करना ही ठीक समझा। मेरे विचार से यह इस प्रश्न को उठाने का ठीक समय है।

†**श्री प्रकाशवीर शास्त्री** (विजनौर) : मैं भी आपसे बड़ी नम्रता से निवेदन करना चाहता हूं क्योंकि कल मैं उस समय सदन् में उपस्थित था। अब जैसे कि त्यागी जी ने कहा है कि वह प्रस्ताव नहीं था वह एक बहस थी तो आपको शायद पता होगा कि जिस धारा के अन्तर्गत मूवर ने वह बहस मांगी थी उसका स्पष्ट उल्लेख है "अनियत दिन वाला प्रस्ताव"। उसके अन्तर्गत वह बहस मांगी गई थी और उसके अन्तर्गत जब वह बहस समाप्त हुई तो जिस धारा का आपने अभी उल्लेख किया है उसके अनुसार आप को दो मिनट देने चाहिए थे और प्रस्तावक को उत्तर देने का अवसर देना चाहिए था। प्रस्तावक महोदय इस बात का बराबर आग्रह करते रहे कि वे इस सम्बन्ध में कुछ कहना चाहते हैं लेकिन डिप्टी स्पीकर साहब ने बिना कुछ सुने यह कह कर हाउस ऐडजोर्न कर दिया कि अब हाउस खत्म होता है। ऐसा करना इस धारा का उल्लंघन है। हम चाहते हैं कि इस पर आपकी व्यवस्था क्या है ताकि भविष्य में इस प्रकार की कार्यवाहियां न हों।

†**श्री त्यागी** : श्री बागड़ी ने जो प्रस्ताव रखा था उस पर मतदान लेने की आवश्यकता नहीं समझी गयी। सभा के समक्ष भी कोई ऐसा प्रस्ताव नहीं था। केवल चर्चा की गयी थी।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : मुझे केवल इसी बात पर आपत्ति नहीं है कि प्रस्तावक को उत्तर देने का का अधिकार नहीं दिया गया मुझे इस बात पर भी आपत्ति है कि सभा कार्य मंत्री तथा अन्य जेष्ठ मंत्री बार बार उपाध्यक्ष के पास जा रहे थे और कह रहे थे कि कांग्रेस संसदीय बोर्ड की एक सभा है तथा इस विषय पर चर्चा समाप्त होनी चाहिये।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह चर्चा नियम १९३ के अधीन उठायी गयी थी। उस नियम के साथ लिखा है कि सभा के समक्ष मतदान के लिये कोई प्रस्ताव नहीं रखा जायेगा।

इसमें कोई चीज नहीं हो सकती थी।

यह तो है एक बात। मैं उसमें भी नहीं ले रहा कि रूल का उस वक्त कोई उल्लंघन हुआ या न हुआ। यह सवाल इस वक्त मेरे सामने नहीं रखा जा सकता और मेरे पास कोई पावर्स नहीं है कि उस में कोई फैसला दूं। जो भी कुर्सी पर बैठा हो किसी वक्त चाहे वह स्पीकर हो, , डिप्टी स्पीकर हो या पैनेल आफ चेअरमैन से मिस्टर द्विवेदी हो, जो फैसला उस वक्त वह दे वह काबिले पाबन्दी है। उस वक्त के लिए वही आखिरी है। उसको बदल नहीं सकते। अगर मेम्बर साहबान को कोई हाइपौथिटिकल क्वैश्चन करना चाहते हों जैसा कि बनर्जी ने कहा कि आयन्दा के लिए इसमें कुछ होना चाहिए तो वह अलहदा सवाल है। जब सामने आयेगा तो उसको मैं कंसिडर करके अपना फैसला दूंगा।

जहां तक किसी बैठक का सवाल है, उसका सभा की कार्यवाही से कोई सम्बन्ध नहीं है। क्योंकि सभा किसी बैठक के होने पर भी बैठी रह सकती है।

---

†मूल अंग्रेजी में

इस वक्त मेरे अख्तियार में नहीं है कि उसमें कुछ जान सकूं। जो उन्होंने फैसला दिया वह उस बहस के लिये कतई है। अगर किसी वक्त किसी साहब के सामने जो यहां बैठे हों सवाल उठेगा तो उन हालात के मुताबिक जो उस वक्त पेश होंगे वह फैसला कर सकेंगे। यहां कोई कोर्ट आफ अपील नहीं है जो कि दुबारा उसे सुन सके। मेम्बरों में अगर कुछ अहसास हो कि इसमें कुछ गलती हुई है तो हो लेकिन में नहीं समझता कि कोई हुई है। इस बात का फैसला आयन्दा जब कोई सवाल उठेगा तभी हो सकेगा। dicussion wsas raised under Rule 193—Discussion over

श्री प्रकाशवीर शास्त्री (बिजनौर) : अब फैसला तो आपने कर ही दिया फिर उस के बाद क्या फैसला करने को रह जाता है? आपने जब यह कह दिया कि उसमें आप कोई गलती नहीं समझते हैं तो फिर अपील किसके सामने करी जाय? आपही तो उस हाउस के सबसे बड़े अध्यक्ष हैं।

अध्यक्ष महोदय : क्या मुझे हक नहीं है कि मैं कह सकूं कि मैं इससे इतिफाक करता हूं? लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि आयन्दा जब कभी इस तरह का सवाल उठेगा तो उस वक्त के हालात को देखते हुए प्रीसाइडिंग आफिसर को यह देखना होगा कि उसमें क्या फैसला दिया जाये। चूंकि यह सरसरी तौर पर मेरे सामने आया इसलिये मैंने यह इसके बारे में कह दिया। लेकिन फैसला तो तभी होगा जबकि कोई इस तरह का मामला पेश हो।

†**श्री हरि विष्णु कामत** (होशंगाबाद) : आपने जो कुछ कहा है मैं उस से सहमत हूं तथापि मैं यह कहता हूं कि आप निश्चित रूप से यह बात कहें कि उपाध्यक्ष महोदय ने इस संबंधमें उचित किया या नहीं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं यह नहीं कह सकता हूं कि उन्होंने ठीक किया या गलत तथापि मैं यह बात कह सकता हूं कि उन्होंने जो कुछ भी किया वह उचित था और हमें उस पर अमल करना होगा।

हम यहां पर अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के कार्य के बारे में इस प्रकार की बातें भी कह नहीं सकते हैं। हमारे लिये एक औपचारिक प्रस्ताव पेश करना होगा। मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे इस मामले के संबंध में अधिक आग्रह न करें।

भूमि अर्जन (संशोधन) विधेयक

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री स० का० पाटिल)** : मैं प्रस्तांव करता हूं :

> "कि भूमि अर्जन अधिनियम, १८९४ में अग्रेत्तर संशोधन करने वाले और उस अधिनियम के अधीन किये गये कुछ अर्जनों को वैध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

१८९४ का भूमि अर्जन अधिनियम २ प्रकार की भूमियों के अर्जन से संबंध रखता है। एक तो सरकारी प्रयोजन के लिये भूमि प्राप्त करना और दूसरे समवायों के लिये भूमि प्राप्त करना। जब भूमि सरकरी प्रयोजन के लिये अर्जित की जाती है तो प्रतिकर सरकार की ओर से दिया जाता है और यदि कम्पनियों के लिये की जाती

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री स० का० पाटिल]

है तो कम्पनी द्वारा दिया जाता है। इस अधिनियम के अधीन बाजार दर से १५ प्रतिशत अधिक प्रतिकर दिया जाता है ।

"समवाय" शब्द का प्रयोग इस अधिनियम में बहुत व्यापक अर्थों में हुआ है।

समवाय द्वारा किसी भूमि के अर्जन के पूर्व यह आवश्यक है कि समवाय राज्य या केन्द्रीय सरकार, जैसा भी मामला हो, द्वारा प्रमाण पत्र प्राप्त करे तथा अधिनियम की धारा ४१ के अधीन समझौता करे। धारा ४१ में यह भी लिखा गया है कि समवाय तभी भूमि अर्जित कर सकता है जब कि सरकार इस मामले में संतुष्ट हो। परिच्छेद ७ के अधीन सरकार यह बात देख लेगी कि भूमि मजदूरों के लिये आवास बनाने अथवा किसी ऐसे कारखाने को बनाने के लिए अर्जित की जा रही है जो जनता के लिये लाभदायक सिद्ध होगा। धारा ४१ के अधीन राज्य सरकार तथा समवाय के बीच जिस समझौते पर हस्ताक्षर किये जायेंगे उस में यह भी निर्धारित रहेगा कि जनता कारखाने का किस प्रकार उपयोग करेगी।

पिछले ६८ वर्षों से इस अधिनियम पर अमल किया जा रहा है तथा इसकी क्रियान्विति में कोई विशेष कठिनाई नहीं हुई। तथापि इन उपबंधों पर हाल में ही उच्चतम न्यायालय के समक्ष अरोड़ा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में विचार किया गया। इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कपड़े के कारखानों के पुर्जे बनाने वाले कारखाने के लिये सरकार द्वारा भूमि अर्जित की गयी थी। समझौते में यह नहीं लिखा गया था कि कारखाने से जनता को सीधा लाभ पहुंचेगा ।

इस आधार पर १५ दिसम्बर, १९६१ को उच्चतम न्यायालय ने बहुमत से यह निर्णय किया कि परिच्छेद ७ के अधीन कारखाने से जनता को सीधा लाभ पहुंचना चाहिये तथा समझौते की शर्तों के अधीन जनता को उस से लाभ उठाने का अधिकार होना चाहिये। इस के अतिरिक्त समझौते के पांचवीं शर्त के अनुसार किसी समवाय के लिये इस आधार पर भूमि अर्जित नहीं की जा सकती है कि उस के द्वारा बनायी सामग्री जनता द्वारा उपयोगी हो सकेगी। । अतः उच्चतम न्यायालय ने अर्जन की कार्यवाही को अवैध ठहरा दिया। उच्चतम न्यायालय के इस निर्णय से एक ऐसी समस्या पैदा हो गयी जो पिछले ६८ वर्षों में पैदा नहीं हुई थी। इसका तात्पर्य यह है कि आपको यह सिद्ध करना होगा कि सामग्री का जनता द्वारा सीधा उपयोग किया जाता है । इस से अधिनियम के विरोध की संभावना बहुत बढ़ गयी ।

सरकार को ६ या ७ राज्यों से ये अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि इस निर्णय का कितने मामलों में प्रयोग किया जा रहा है । किन्तु इस निर्णय से यह कठिनाई पैदा होती है कि आप किसी सहकारी संस्था या निगम के लिए भूमि अर्जित नहीं कर सकते। क्योंकि किसी उर्वरकर कारखाने के लिये अर्जित भूमि एक निगम के लिए होगी। बम्बई राज्य में मुकदमेबाज़ी की धमकी दी गई है, कि हम ऐसा नहीं कर सकते जब तक न्यायालय निर्णय न करे। इसलिए राज्यों में यह भावना पैदा हो गई है कि इस निर्णय से योजना को क्रियान्वित करने में कठिनाई होगी।

फिर वे लोग जो अपनी भूमि दे चुके थे अब न्यायालय में जाकर प्रतिकर मांग सकते हैं। भूमियों के मूल्य ४ या ५ गुना बढ़ गये हैं। इसलिए शीघ्र कार्यवाही करना आवश्यक है। औद्योगीकरण

की हानि के अतिरिक्त, यह खतरा भी है कि पहले अर्जित की हुई भूमि को वापस लेने या उन के बदले में प्रतिकर लेने के लिए न्यायालयों में दावे किये जायें । इसलिए केन्द्रीय सरकार के लिए भूत-लक्षी प्रभाव से विधान बनाना आवश्यक हो गया है ।

यह प्रश्न न केवल गैर-सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों के सम्बन्ध में, बल्कि सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों के सम्बन्ध में भी उत्पन्न होता है । विधि मंत्रालय ने यह राय दी है कि संसद् अनुवर्ती सूची की मदों को ध्यान में रखते हुए, सरकारी या गैर-सरकारी कम्पनी की सम्पत्ति को अर्जित करने के लिये कानून बना सकती है । राज्य भी इस सम्बन्ध में विधान बना सकते हैं । इसी कारण भारत में विभिन्न राज्यों में विधान एकरूप नहीं है। इसलिए हम ने एकरूप विधान बनाना उचित समझा है । मांग बहुत से राज्यों ने की है जिन में गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और आन्ध्र भी हैं । वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने भी मांग की है, जिन के बहुत से निगम हैं सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय ने भी मांग की है इसलिये विधान बनानें का प्रयत्न किया जा रहा है । पहले सरकार ने एक आध्यादेश लागू किया था, अब चूंकि संसद की बैठक हो रही है, विधान पारित किया जा सकता है ।

संशोधन बहुत से दिये गये हैं, क्योंकि वह महत्त्वपूर्ण विधान समझा गया है । यह महत्वपूर्ण तो है ही किन्तु जिस भाग को संशोधित किया जा रहा है, वह बहुत छोटा है । यह केवल एक भाग है, दूसरे भाग केवल आनुषंगिक हैं ।

उच्चतम न्यायालय के निर्णय का प्रभाव खंड (ख) पर पड़ता है, जिस में कहा गया है : 'कि यह निर्माण-कार्य जनता के लिए उपयोगी सिद्ध होगा, न्यायालय के निर्णय के बाद न केवल भूमि अर्जित करना कठिन हो जायेगा बल्कि गलत तौर पर अर्जित की गई भूमि के लिए बहुत बड़ी राशि प्रतिकर के रूप में मांगी जायेगी । हमारी योजनाओं की प्रगति रुक जायेगी, न केवल गैर-सरकारी क्षत्र में बल्कि सरकारी क्षेत्र में भी, क्योंकि अर्जन का औचित्य न्यायालयों में परखा जायेगा । इस-लिए यह अधिनियम का मुख्य भाग है जिसे संशोधित किया जायेगा । धारा ४० के उप-धारा (१) खंड (क) और (ख) के साथ खंड (कक) भी जोड़ दिया जायेगा । इस खड से उस निर्णय का प्रभाव दूर हो जायेगा, क्योंकि यह जरूरी नहीं होगा कि सार्वजनिक उपयोग का अर्थ यह लिया जाये कि हर एक आदमी उस का प्रयोग कर सके । ऐसी बहुत सी चीजें हो सकती हैं जो प्रत्यक्षत: लोगों के उपयोग की न हों । यह बाग़ या स्कूल नहीं हो सकते । हमारे मन में वे सम्पत्तियां हैं, जिन से सामान्य जनता लाभ उठा सकती है ।

यदि अधिनियम का संशोधन न किया गया, तो बहुत सी संस्थाएं, सहकारी और अन्य, प्रभावित होंगी । इसीलिए यह संशोधन किया जा रहा है । कुछ और संशोधन भी किये जायेंगे किन्तु वे आनुषंगिक है । सब से महत्वपूर्ण संशोधन मूल अधिनियम की धारा ४१ के बारे में है, जो कि इस विधेयक के खंड ३ में दी गई है । मुख्य अधिनियम की धारा ४१ के स्थान पर अब हम ने यह उपबन्ध रखा है कि संशोधित धारा ४० के नियम अब लागू होंगे फिर हम ने धारा ४१ में एक नये खंड (४क) का उपबन्ध किया है । अन्य संशोधन आनुषंगिक प्रकार के हैं ।

खंड ४ के अन्तर्गत कुछ ऐसे अर्जनों को वैध किया जायेगा जो पहले किये जा चुके हैं । एक दो और संशोधन भी हैं जो आनुषंगिक है ।

मूल अधिनियम में १९१२ आदि के कुछ अधिनियमों का उल्लेख है । किन्तु संविधान के लागू होने के बाद, यह विषय समवर्ती सूची में आ गया है । इसलिए बहुत से राज्यों ने अपने अधिनियम बना लिये हैं, जिन की ओर मूल अधिनियम में उलेख नहीं है । कोई संदेह दूर करने

[श्री स० का० पाटिल]

के लिए हमने यह उपबन्ध किया है कि संशोधित धारा ४० और ४१ अर्जन के समय लागू समझे जायेंगे ।

सहकारी संस्थाओं की सहायता के लिए, 'उद्योग' के स्थान पर 'कार्य' रखने का प्रयत्न किया गया है । विधि मंत्रालय ने बताया था कि केवल 'उद्योग' शब्द रखना पर्याप्त नहीं होगा क्योंकि सहकारी संस्था को उद्योग नहीं कहा जा सकता । इसलिए सहकारी संस्था को क्षेत्र में लाने के लिए हम ने 'काम' शब्द रखा है । यह सदन को बताना है कि क्या 'कार्य' शब्द प्रयोग किया जाय या सहकारी संस्थाओं के सम्बन्ध में दोनों शब्दों का प्रयोग किया जायेगा ।

विधेयक की अविलम्बनियता के बारे में मैं पहले कह चुका हूं कि हमें पहले अध्यादेश जारी करना पड़ता था । वह अध्यादेश संसद का सत्र शुरू होने के ६ सप्ताह बाद समाप्त हो जायेगा । इसलिए यह अध्यादेश १६ या १७ सितम्बर तक लागू रहेगा । यदि विधेयक पारित न किया जाये, तो यह बहुत कठिन हो जायेगा और अर्जन के मामले में कुछ नहीं हो सकेगा । इसलिए सत्र की समाप्ति से पहले विधेयक को पारित करना आवश्यक है, ताकि ये सब भ्रम दूर हो जायें और देश में एकरूप विधि बने ।

पहले इस प्रकार की कठिनाइयां कम ही उत्पन्न होती थीं, क्योंकि किसी निजी कम्पनी का अर्जन बहुत कम ही किया जाता था । किन्तु अब योजना को सफल बनाने के लिए यह आवश्यक है कि भूमि उपलब्ध की जाये । यदि कम्पनी निजी तौर पर ऐसा कर सके, तो बहुत अच्छा है । किन्तु यदि सरकार ने कम्पनी को योजना के कुछ भाग को पूरा करने के लिए कहा है, तो यह देखना भी सरकार का काम है कि कम्पनी को भूमि मिले । यह भूमि कौन सी हो, यह और बात है । यदि कम्पनी वह भूमि सरकार की सहायता के बिना ले लेती है, तो हमारा कोई सम्बन्ध नही किन्तु जब हम कम्पनी के लिए भूमि लेते हैं, तो यह अन्तर पैदा होता है । सरकार की सहायता से कम्पनी के लिए भूमि लेना आसान नहीं होता क्योंकि वर्तमान धारा ४० और ४१ के अन्तर्गत बहुत सी शर्तें पूरी करनी पड़ती हैं, जिन में यह भी है कि राज्य सरकार की संतुष्टि की जाये, कि भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए है । इस सार्वजनिक प्रयोजन की परिभाषा हम ने यह रखी है कि वहां पर जो कुछ किया जाये, वह अन्त में जनता के हित में होगा । यह कोई बाग़ या स्कूल न होकर कोई औद्योगिक उपक्रम हो सकता है, जो कि योजना का भाग हो सकता है और उसके परिणाम देश में आर्थिक विकास के लिए उपयोगी होंगी ।

संशोधनों पर चर्चा खंडवार विचार के समय की जा सकती है । किन्तु मैं दो संशोधनों की चर्चा करना चाहूंगा । एक यह है कि विधेयक प्रवर समिति को सौंपा जाये और दूसरा यह कि इसे राय जानने के लिए परिचालित किया जाये । दूसरा संशोधन सरकार स्वीकार नहीं कर सकती ।

प्रवर समिति को सौंपने के सम्बन्ध में, यदि समय होता तो संशोधन स्वीकार किया जा सकता था । किन्तु हमारे पास अब थोड़े से दिन ही रह गये ह । इस के अतिरिक्त संशोधन बहुत छोटी सी मद के बारे में है, जो कि महत्वपूर्ण तो अवश्य है, इसलिए सरकार यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं कर सकती । यदि चर्चा के दौरान में कुछ उपयोगी सुझाव किये गये, तो सरकार उन पर विचार करने के लिए तैयार होगी । अतः ये दोनों संशोधन स्वीकार नहीं किये जा सकते ।

जहां तक अन्य संशोधनों का सम्बन्ध है, बहुत से संशोधन सहकारी संस्थाओं के संरक्षण के लिए हैं । पर यह संरक्षण हम ने दे दिये हैं । सरकार स्वयं ऐसे संशोधन प्रस्तुत करेगी, जिन के

अन्तर्गत सहकारी संस्थाओं के लिए भूमि अर्जित की जा सकेगी। इसलिए सदस्यों द्वारा ऐसे संशोधन अनावश्यक होंगे ।

कुछ अन्य संशोधनों से ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ लोग निजी कम्पनियों के लिए कुछ नहीं करना चाहते । यदि ऐसा है, तो फिर सदन को एक निर्णय करना पड़ेगा कि योजना केवल सरकारी क्षेत्र तक सीमित रखी जाये और गैर-सरकारी क्षेत्र को इस से अपवर्जित कर दिया जाये। मैं यह नहीं कहता कि आप अंधाधुंध ऐसा करें। आप अधिनियम के अनुसार ऐसा कर सकते हैं । अर्जन से पहले परीक्षा का उपबन्ध है । कम्पनी सरकार को प्रार्थनापत्र देगी और कलैक्टर या कोई अन्य व्यक्ति यह जांच करेगा कि अर्जन उस प्रयोजन के लिए होगा या नहीं। मैं पहले कह चुका हूं कि सार्वजनिक प्रयोजन की व्याख्या करनी पड़ेगी । इस के बाद ही राज्य सरकार आवश्यक आदेश जारी कर सकती है।

इन सब कारणों से विधेयक को शीघ्र पारित किया जाना है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** (होशंगाबाद) : औचित्य प्रश्न के हेतु। कार्य संचालन तथा प्रक्रिया के नियमों के नियम ७१ के अन्तर्गत यह उपबन्ध है कि अध्यादेश का स्थान लेने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करते समय एक वक्तव्य सदन के सामने रखा जायेगा, जिस में अध्यादेश का औचित्य बताया जायेगा ।

†**श्री स० का० पाटिल** : ऐसा वक्तव्य पटल पर रखा गया था ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : इसे विधेयक की प्रतियों के साथ परिचालित नहीं किया गया, जैसा कि नियम ७१ में उपबन्ध है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं माननीय सदस्य के साथ नियम पढ़ता हूं ।

जब विधेयक पुरःस्थापित किया गया था तो एक विवरण सभा पटल पर रखा गया था। माननीय सदस्य यह इतराज़ कर रहे हैं कि चूंकि विधेयक सदस्यों के घर भेजा गया था, विवरण भी उस के साथ होना चाहिये था ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : पहले यह हमेशा किया गया था। कुछ विधेयक जो अध्यादेश द्वारा लागू किये गये थे उन विधेयकों की प्रतियों के साथ वे विवरण भी थे जिन में उन परिस्थितियों की व्याख्या की गई थी जिन के कारण अध्यादेश की आवश्यकता हुई । इस सम्बन्ध में क्यों ढील है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : यदि ऐसा होता था तो मैं आदेश दे दूंगा कि भविष्य में भी ऐसा किया जाये ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : उस के बिना हम कुछ नहीं बोल सकेंगे ।

†**अध्यक्ष महोदय** : यदि ऐसा होता रहा है तो मैं विवरण भेजने के आदेश दे दूंगा। जहां तक नियम का सम्बन्ध है, उस का पालन हो चुका है ।

मैं माननीय सदस्य के सुझाव से सहमत हूं ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : धन्यवाद ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री हरि विष्णु कामत]

दूसरा एतराज़ संविधान के आधार पर है। विधेयक पर विचार के सम्बन्ध में प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए मंत्री ने संशोधन भी प्रस्तुत किये।

†**अध्यक्ष महोदय** : संशोधनों को पुरःस्थापित नहीं किया गया है।

†**श्री स० का० पाटिल** : मैं ने अपने संशोधन पुरःस्थापित नहीं किये हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : इस अवस्था पर संशोधन पुरःस्थापित नहीं किये जाते। संशोधनों की सूचना दी जा चुकी है और वे परिचालित कर दिये गये हैं। अतः मैं पुरःस्थापित करनें का मतलब नहीं समझता।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : आप इस का मतलब समझ जायेंगे जब मैं आगे तर्क करूंगा।

संविधान के अनुच्छेद ३१ में 'सम्पत्ति के बारे में अधिकार' स्पष्ट है। उन का अर्थ वे 'जनता के कामों के लिये' है। अब मंत्री 'जनता के हित' के लिये व्यवस्था करनी चाहते हैं। क्या ऐसा करने से संसद् को संविधान के बाहर कुछ करने के लिये कहा जाता है। मैं आप से प्रार्थना करता हूं कि आप इस पर विचार करें और विनिर्णय दें कि यह विधेयक संविधान के अनुच्छेद ३१ का उल्लंघन करता है।

श्री अ० प्र० जैन (तुमकुर) : 'जनता का हित' शब्द विधेयक में नहीं प्रयोग किये गये हैं। ये शब्द संशोधन में है और संशोधन पुरःस्थापित नहीं किया गया है। अतः श्री कामत अपना मामला बाद में उठायें।

†**अध्यक्ष महोदय** : संशोधनों पर बाद में चर्चा होगी। माननीय मंत्री इसे पेश करें या बिल्कुल ही न पेश करें। इस बात को कौन जानता है ?

†**श्री हरि विष्णु कामत** : विधेयक के खण्ड २ में जो व्यवस्था की गई है वह संविधान के अनुच्छेद ३१(२) की भावना के विरुद्ध है। 'सार्वजनिक प्रयोजन' का विशेष मतलब है और विधेयक के खण्ड में इस का जो अर्थ है वह उस अर्थ से भिन्न है। अतः इस मामले पर मैं आप का विनिर्णय चाहता हूं कि क्या यह संविधान के विरुद्ध नहीं है।

†**विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन)** : महोदय, यदि ऐसे मामले पर आप को कोई सन्देह है तो मुझे आप की सहायता करने से प्रसन्नता होगी। परन्तु मेरे विचार में इस में कोई सन्देह नहीं है।

†**अध्यक्ष महोदय** : सभापति ने वैधानिक प्रश्न पर निर्णय नहीं दिया है। हम नें कई बार ऐसा निर्णय किया है कि यह मामला न्यायालयों के लिये है। ऐसे मामलों में सदन निर्णय करता है। फिर न्यायालय निर्णय करते हैं कि यह संविधान के अनुसार है या उस के विरुद्ध है।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :—

"कि भूमि अर्जन अधिनियम, १८९४ में आगे संशोधन करने वाले और उस अधिनियम के अधीन किये गये कुछ अर्जनों को वैध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

†**श्री रा० बरूआ** (जोरहट) : मैं प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : विधेयक को परिचालित करने के लिये तीन प्रस्ताव हैं। तीन में से श्री रा० बरुआ का प्रस्ताव बाकी दोनों प्रस्तावों से बाद की तिथि देता है। अतः मैं उस का प्रस्ताव प्रस्तुत समझूंगा ।

दो प्रस्ताव प्रवर समिति को निर्दिष्ट करने के लिये हैं—एक श्री दाजी का और दूसरा श्री यलमन्दा रेड्डी का। श्री रेड्डी उपस्थित नहीं हैं। उन का प्रस्ताव ठीक नहीं है क्योंकि उन्हों ने नाम नहीं दिये हैं। मैं श्री दाजी के प्रस्ताव को प्रस्तुत समझूंगा।

†**श्री रा० बरूआ** : मैं अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

†**श्री दाजी** (इन्दौर) : मैं अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

†**अध्यक्ष महोदय** : मूल प्रस्ताव, परिचालित करने के लिये प्रस्ताव और प्रवर समिति को निर्दिष्ट करने के लिये प्रस्ताव सदन के सामने है।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : समय कैसे निर्धारित किया गया है। :

†**अध्यक्ष महोदय** : कुल चार घंटे हैं।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : इसे पांच घंटे करिये।

†**श्री त्यागी** (देहरादून) : क्या आज सामान्य चर्चा ही करना सम्भव है, क्योंकि बहुत से सदस्यों ने विधेयक के महत्व को नहीं समझा है। आप विधेयक के द्वितीय वाचन को किसी और दिन के लिये स्थगित कर दीजिये।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : आप की अनुमति से मैं नियम २९२ के अन्तर्गत प्रस्ताव करता हूं :—

> "कि ७ अगस्त, १९६२ को भूमि अर्जन (संशोधन) विधेयक, १९६२ पर विचार और उसे पारित करन के लिये सदन द्वारा निर्धारित समय (कार्य मंत्रणा समिति के तीसरे प्रतिवेदन द्वारा) को ४ घंटे से बढ़ा कर ६ घंटे कर दिया जाये।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह निर्णय तो सदन को करना है।

†**कई माननीय सदस्य**। हां।

†**अध्यक्ष महोदय** : तो समय बढ़ा कर ६ घंटे कर दिया गया है। आज चार घंटे। आखिर तक हम सामान्य चर्चा जारी रखेंगे। प्रत्येक भाषण के लिये १५ मिनट काफी है।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : २० मिनट तक बढ़ाने के अधिकार के साथ आप को अधिकार है।

†**श्री दाजी** : यह विधेयक इतना साधारण नहीं है जितना कि माननीय मंत्री ने बतलाया है। इस विधेयक के परिणाम बहुत गम्भीर होंगे। जिन पर विस्तारपूर्वक विचार किया जाना चाहिये अतः मैं ने प्रस्ताव किया है कि विधेयक प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाये।

अध्यादेश जारी करने से पहले स्थिति इस प्रकार थी। जबकि भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये ली जा सकती थी यह केवल गैरसरकारी कम्पनी के लिये ली जा सकती थी जो उस का

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री दाजी]

प्रयोग सार्वजनिक प्रयोजन के लिये करेगी । जनता को उसका प्रयोग करने का अधिकार होना चाहिये था । अतः भूमि स्कूल, हस्पताल आदि के लिये ली जा सकती थी । परन्तु भूमि उद्योग आदि स्थापित करने के लिये भी ली गई है । इस प्रकार तो सभी कार्य 'सार्वजनिक प्रयोजन' के कहे जा सकते हैं । इस समस्या के विभिन्न पहलुओं पर उच्चतम न्यायालय ने चर्चा की है—जोकि बिल्कुल स्पष्ट है । उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि कारखाना चलाने की अनुमति देना सार्वजनिक कार्य नहीं है ।

अब उच्चतम न्यायालय के इस तर्क को स्वीकार किया जा रहा है और सरकार को पूंजीपतियों के लिये भूमि-अभिकर्ता बनाया जा रहा है ।

भूमि अर्जन अधिनियम एक असाधारण कानून है जिस से कि सरकार जबरदस्ती भूमि ले सकेगी और उस की कीमत निर्धारित करेगी । जब ऐसा असाधारण कानून बनया जा रहा है हमें इस बात को सुनिश्चित करना है कि भूमि अर्जन का ध्येय राष्ट्रीय हित या सार्वजनिक प्रयोजन होना चाहिये । अब हम भूमि ले कर किसी भी काम के लिये गैर सरकारी समवाय को देना चाहते हैं ।

भूमि थोड़े मूल्य पर ले कर उद्योग-पतियों को दी जायेंगी जोकि उस भूमि पर स्थापित कारखाने में बनाई गई वस्तुओं के लिये मनमानी कीमत लेंगे । इस प्रकार गरीबों से भूमि ले कर उद्योग-पतियों को देना समाजवाद के नियमों से विरुद्ध है ।

जब यह विधेयक कानून बन गया तो प्रत्येक उद्योगपति कहेगा कि हमें भूमि ले दीजिय । इस प्रकार से बड़े बड़े पूंजीपति इस विधेयक से लाभ उठायेंगे और कहा जायगा यह योजना के लिये और समाजवाद के लिये है ।

अतः मैं कहता हूं कि इस विधेयक को वापिस ले लिया जाय । हमें सब व्यवस्थाओं को प्रवर समिति में देखना चाहिये ताकि प्रतिकर आदि की उचित व्यवस्था की जाय और उद्योगपतियों पर नियंत्रण के तरीके मालूम किये जायें ।

†**श्री रा० बरुआ** : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को, उस पर ३० नवम्बर, १९६२ तक राय जानने के लिए, परिचालित किया जाए"

यह विधेयक मुख्य अधिनियम की भावना से सर्वथा विपरीत भावना वाला है । पहले "समवाय" शब्द में सरकारी क्षेत्र सहकारी समितियां शामिल थे । दो व्यवस्थाएं हैं । एक सार्वजनिक प्रयोजनाओं के लिए भूमि का ग्रहण करना और दूसरी कम्पनियों के लिए । समवाय के लिए भूमि ग्रहण करने पर कुछ प्रतिबन्ध भी थे ।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये]

मूल अधिनियम इतने वर्षों तक अच्छी तरह से चला है क्योंकि किसी भी व्यक्ति ने उत्तर प्रदेश के मामले की तरह, जिस की उच्चतम न्यायालय ने निन्दा की है, किसी गैर-सरकारी समवाय के प्रयोजन के लिए भूमि अर्जित करने का प्रयत्न नहीं किया ।

संविधान में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि उत्पादन के साधन एक व्यक्ति के पास एकत्रित नहीं होने चाहिएं । अतः यह कहना कि देश में उद्योग स्थापित करने के लिए हमें इस बात का ध्यान

---

†मूल अंग्रेजी में

रखना चाहिए कि गैर-सरकारी उद्योगों के लिए सरकार भूमि अर्जन करे संविधान की भावना के अनकूल नहीं है ।

कुछ मामलों में शाक्तिशाली गैर-सरकारी समवाय ने समस्त सरकारी यंत्र का प्रयोग अधिनियम के अध्याय ७ के अन्तर्गत निर्धारित दायित्व की पूर्ति किए बिना भूमि का अर्जन करने के लिए किया है । इस विधेयक के व्यवस्थाओं के अनुसार गैर-सरकारी समवाय उस यंत्र का बहुत दुरुपयोग करेंगे । परन्तु यदि विधेयक के उपबन्धों को केवल सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों तक सीमित कर दिया जाय तो कोई आपत्ति नहीं रहेगी ।

मूल अधिनियम की व्यवस्थाएं बिल्कुल ठीक हैं । वर्तमान उपबन्ध जिन के अन्तर्गत गैर-सरकारी समवाय भूमि अर्जित करने के लिए सरकार की सहायता ले सकते हैं, स्थिति की आवश्यकताएं पूरा करने के लिए काफी हैं । ऐसा कहा जाता है कि कानून के संशोधित करने से देश के औद्योगिक विकास में बाधा होती है । यह उचित नहीं है । योजना आयोग ने ऐसी स्थिति की ओर कहीं भी ध्यान आकर्षित नहीं किया है ।

हम ने समाजवादी समाज बनाना है । अतः कानून बनाते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कानून इस लक्ष्य की पूर्ति में बाधा न डाले ।

मैं विधेयक का विरोध करता हूं । विधयक को उस पर लोकमत जानन के लिए परिचालित किया जाना चाहिए ।

†**श्री अ० प्र० जैन** (तुमकूर) : निसंदेह यह ठीक है कि भूमि अधिग्रहण अनुवर्ती सूची के अन्तर्गत आता है । माननीय मंत्री महोदय ने यह विधयक प्रस्तुत करके बहुत अच्छा किया है क्योंकि इसके अनुसार यह सारे भारत पर लागू होगा और भविष्य में उत्पन्न होने वाली सभी जटिलताएं भी दूर हो जायेंगी ।

इस विधेयक में एक उपबंध सहकारी समितियों के बारे में है । अब तक वे ही सहकारी समितियां भूमि का अधिग्रहण कर सकती हैं जिनका पंजीयन सहकारी समिति अधिनियम १९१२ के अन्तर्गत हुआ है । इसके बाद और बहुत सी समितियां बनी हैं । उनको भी यह अधिकार मिलना चाहिये । और इसकी व्यवस्था इस विधेयक में की गई है । इस कारण इसका कोई विरोध नहीं है ।

इसको भूतलक्षी प्रभावी बनाना भी ठीक है ।

इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य समवायों के लिये सम्पत्ति का अभिग्रहण करना है । इसके लिये संविधान में भी व्यवस्था की गई है । यह बात ठीक है कि उसके लिये क्षतिपूर्ति भी देना होगा । साथ ही यह भी व्यवस्था की गई है यह अर्जन की जाने वाली भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये हो । अतः इस बात की सावधानी से जांच की जानी चाहिये कि जिस प्रयोजन की पूर्ति के लिये भूमि को अर्जित किया जा रहा है वह ठीक ही सार्वजनिक प्रयोजन है । यदि ऐसा नहीं है तो संशोधन के "संविधान बाह्य" घोषित किये जाने की संभावना हो सकती है ।

इस अधिनियम में समवाय की परिभाषा बड़े व्यापक ढंग से की गई है । इस प्रकार वर्तमान कानून से बहुत भ्रष्टाचार फैला है तथा इसका दुरुपयोग हुआ है । भूमि के अर्जन के सम्बन्ध में कई अनियमितताएं हुई हैं तथा वैसा क्षतिपूर्ति के निर्धारण के सम्बन्ध में भी हुआ है । हमें

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री अ० प्र० जैन]

इस बारे में बहुत सावधान रहना होगा । प्रायः यह देखने में आया है कि शुरु में समवाय अपने प्रयोग के लिये भूमि ले लेते हैं लेकिन बाद को भारी किराये पर दूसरे लोगों को दे देते हैं ।

विधेयक में वर्णित प्रयोजनों के लिये अध्याय ७ के अन्तर्गत एक 'लिमिटेड कम्पनी' के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को भूमि के अर्जन का अधिकार नहीं होना चाहिये । इस बात की प्रविधिक दृष्टिकोण से पूर्ण जांच होनी चाहिये कि भूमि की वास्तव में किसी कारखान की स्थापना या उसके विस्तार के लिये जरुरत है ।

यह मैं मानता हूं कि प्राइवट समवायों को भी भूमि दी जाये किन्तु कुछ सीमित हदों में । क्योंकि विधयक का उद्देश्य सार्वजनिक हित है ।

आज का युग मिश्रित अर्थ-व्यवस्था का युग है । इसमें किसी को कोई भी आपत्ति नहीं हो सकती यदि भूमि का उपयोग देश के विकास के लिये किया जाता है । लेकिन इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिये कि भूमि का उपयोग एक प्रकार से जनता के हित के लिये ही हो । इस कारण इस बात की भी अच्छी तरह जांच की जानी चाहिये कि जिस कार्य के लिये भूमि ली जा रही है वास्तव में उस प्रयोजन के लिये आवश्यकता है भी अथवा नहीं । इस बात की जांच करना बहुत कठिन है कि आर्थिक विकास के लिय किस बात से प्रेरणा मिलेगी । हम एक योजना के अन्तर्गत काम कर रहे हैं; अतः एक परन्तुक जोड़ा जाये कि अर्जन की अनुमति तभी दी जायेगी जब कि कार्य की व्यवस्था योजना में की गई हो तथा जिसके लिये लाईसेंस पूंजी निर्गमन नियंत्रक द्वारा जारी किये गये हों ।

मंत्री द्वारा दी गई पूर्व सूचना के संशोधन में "सामान्य जनता के हित में" शब्दों के प्रयोग से विधेयक का क्षेत्र बहुत बढ़ गया है । यदि उसे स्वीकार कर लिया गया तो ऐसा कोई प्रयोजन शेष नहीं रह जायेगा । जिसके लिये भूमि को अर्जित न किया जा सकेगा ।

यह बात भी ध्यान में रखनी चाहिये कि औद्योगिक दृष्टि से भूमि लेने की अपेक्षा कृषि जन्य कार्यों के लिये भूमि अधिक उपयोगी है । और कृषि के लिये इसे अधिक महत्व मिलना चाहिये ।

अंत में मैं यही कहूंगा कि इस विधेयक पर बारीकी से विचार नहीं हुआ । यह कोई साधारण सी बात भी नहीं है । अतः यह बहुत ही उपयुक्त प्रस्ताव है कि इस विधेयक को प्रवर समिति को सौंपा जाये ।

†**श्री दे० द० पुरी** (कैथल) : सन् १८९४ से इस विधान के अन्तर्गत स्थिति यह है कि सन्तुष्ट हो जाने पर राज्य सरकारें उसी भूमि को ले लेती थीं जिसको कि वे चाहती थीं । इसके अलावा सार्वजनिक प्रयोग के लिये किसी भी भूमि को लेने का अधिकार भी राज्य सरकार को प्राप्त था । लेकिन उच्चतम न्यायालय के एक निर्णय के कारण आपत्ति उत्पन्न हो गई है और इसी के कारण इसी विधेयक को उपस्थित किया गया है जिसने भूमि अर्जन अधिनियम का निर्वचन यह किया है कि धारा ४० का धारा ४१ के साथ लिया जाना आवश्यक है । तथा उसका प्रथक रूप से अर्थ नहीं निकाला जा सकता । अतएव जब तक संशोधन पारित नहीं होता, पिछले वर्षों में किये गये अर्जन सम्बन्धी सभी मामलों पर इस आधार पर आपत्ति की जा सकती है कि वे आरम्भतः अवैध हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

हमें अवश्य स्मरण रखना चाहिये कि हमारे संविधान में "सार्वजनिक प्रयोजन" के लिये भूमि के अनिवार्य अर्जन सम्बन्धी काफी परित्र.णों की व्यवस्था है किसी भी कानून को लागू करने से पूर्व उसका अनुच्छेद ३१(२) की सर्वोच्च अपेक्षताओं के अनुसार होना आवश्यक हैं । विधेयक के लिये संगत बात यह है कि वह प्रयोजन क्या है जिसके लिये भूमि को अर्जित करने के बाद प्रयोग में लाया गया है तथा उसका स्वामित्व नहीं ।

†**श्री मानसिंह पृ० पटेल** (मेहसाना): इस विधेयक के उद्देश्य से मुझे कोई विरोध नहीं है । और इस विधेयक से मूल अधिनियम के क्षेत्र को विस्तृत कर दिया गया है तथा इस से संविधान में सुरक्षित निजी सम्पत्ति में हस्तक्षेप की और छूट दे दी गई है । मोफस्सल क्षेत्रों से प्राप्तअनुभव से कोई व्यक्ति कह सकता है कि अधिनियम के क्षेत्र में विस्तार करने से कानून की लागू करने वाली स्थापना द्वारा इसका दुरुपयोग किये जाने की संभावना रहेगी । सार्वजनिक प्रयोग "देश का विकास" या "आम जनता के हित में" शब्द ऐसे हैं कि उनका निर्वाचन शरारत भरे प्रयोजनों के विचार से किया जाता है । इस विधयक का प्रत्यक्ष सम्बन्ध किसानों के अधिकारों से है तथा हमें उन अधिकारों की रक्षा अवश्य ही करनी चाहिये ।

अंत में मैं यही निवेदन करूंगा कि इस विधेयक को प्रवर समिति को सौंप देना चाहिये ।

श्री काशीराम गुप्त (अलवर) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने भाषण में बताया है कि पिछले ६८ वर्ष से यह कार्रवाई चल रही है और इसको चैलेंज नहीं किया गया लेकिन अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट में यह मामला उठाया गया और वहां से एक फैसला दिया गया इसलिए उनको यह कदम उठाना पड़ रहा है । मैं कहना चाहता हूं कि पिछले ६८ वर्ष से इस मूल विधेयक में बहुत से संशोधन किए गए हैं किन्तु सरकार के सामने यह चीज़ नहीं आई और जो सुप्रीम कोर्ट ने एक मूल बात को पकड़ा, एक मूल अधिकार को पकड़ा है, तो बिना इस बात को सोचे हुए कि हमारा विधान बन चुका है जिस में प्राइवेट प्रापर्टी की रक्षा की बात को स्वीकार कर लिया गया है, वह इस बिल को यहां ले आए हैं । माननीय मंत्री जी ने यह भी कहा है कि आर्डिनेंस लाने की आवश्यकता इसलिए महसूस हुई कि बहुत कुछ गड़बड़ी होने का अंदेशा था । मैं समझता हूं कि यह अंदेशा मालदारों के लिए हुआ---वे मालदार जो और भी मालदार बनते जा रहे हैं---और गरीबों के लिए कोई अंदेशा नहीं पैदा हुआ । अगर लिटिगेशन होता तो गरीब को तो लाभ ही होने वाला था । अव्वल तो लिटिगेशन होता ही बहुत कम क्योंकि गरीब की हालत ऐसी नहीं है कि वह लिटिगेशन में पड़ सके और फिर उसको तो बहुत सी बातों का पता ही नहीं होता है और जो बात आज इस सदन में कही जा रही है, वह उस तक पहुंचती भी नहीं है ।

एक बात इस बिल से साफ तौर से ज़ाहिर हो गई है कि जो बड़े-बड़े मैगनेट्स हैं, उनका किस तरह से दबाव पड़ता है, स्टेट गवर्नमेंट्स की जो मशीनरी चलती है वह किस तरह से चलती है, किस तरह से मूव करती है । यह साफ ज़ाहिर हो गया है इस कार्रवाई से कि जो मिल मैगनेट्स हैं वे स्टेट गवर्नमेंट्स पर दबाव डालते हैं और स्टट गवनमैंट्स की मशीनरी यहां तक कार्यवाही करती है ।

श्री त्यागी : दबाव नहीं अपील करते हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री काशी राम गुप्त : इसलिये यह कार्रवाई की गई है । मैं आप को एक मिसाल देना चाहता हूं । जल्दी में कोई भी काम किया जाय वह अच्छा नहीं होता है । अगर कोई चोर चोरी कर के जल्दी में भागेगा भी तो कोई न कोई चीज़ वह छोड़ जायेगा । इसी प्रकार से जल्दी में उन्हों ने एक आर्डिनेंस बनाया, जल्दी में यह बिल पेश किया और उस के दस पंद्रह दिन के बाद ही इन को यह सूझा कि इस के अन्दर और एमेंडमेंट्स पेश करें । यह सारी कार्रवाई यह ज़ाहिर करती है कि इस के पीछे मंशा कुछ और है । पिछली चीज़ को रेग्युलराइज़ करने के लिये, उन्हों ने कहा है कि यह कार्रवाई की जा रही है और उस के लिये भी मैं समझता हूं कि हमें जल्दी नहीं करनी चाहिये थी । जब इस को सिलैक्ट कमेटी में भेजने का प्रस्ताव किया गया तो कहा गया कि तब तक हाउस खत्म हो जायगा और इस बिल को पास नहीं किया जा सकेगा । अभी माननीय सदस्य श्री पटेल ने कहा कि यह एक अहम मसला है और अगर जरूरी हो तो इस के लिये हम फिर सैशन बुला सकते हैं । मैं समझता हूं कि ऐसा करना कोई मुश्किल नहीं है ।

कांस्टीट्यूशन के आर्टिकल ३१ का हवाला दिया गया है । वह आर्टिकल बहुत अहम है । माननीय श्री जैन ने अभी कहा कि सैक्शन ३८(ए) जोकि लैंड एक्वीज़ीशन एक्ट १८९४ का है, उस में जो इंडिविजुअल को राइट दिया गया है, उस को भी हटाने की कोशिश नहीं की गई है और इंडिविजुअल या एसोसिएशन आफ इंडिविजुअल्ज़ उस में विद्यमान है । हमारे मंत्री महोदय के यह ध्यान में नहीं आया कि कोआप्रेटिव सोसाइटीज़ को जब जोड़ने लगे तो उस के साथ इंडिविजुअल का मेल कैसे बैठता है । उस को कम से कम सुरक्षा देने की बात को तो न रखें । सुरक्षा की बात को यहां से तो हटा दें । जब आप एमेंडमेंट लाने जा रहे हैं तो कम से कम उन बातों को तो देख लो जो जरूरी हैं । लेकिन उन का ध्यान सैक्शन ४० और ४१ पर ही क्यों है, सैक्शन ३८(ए) पर क्यों नहीं गया है ? सम्भवत: इस का कारण यह है कि उन को यह फिक्र हो रही है कि जो कुछ पीछे हो गया, उस को दबाया कैसे जाय । उस को दबाने के लिये चाहे कितना ही नुक्सान हो जाय, चाहे प्लानिंग जो है वह उल्टा ही पड़े, इस की उन को चिन्ता नहीं है ।

आज के युग में जब हम प्लानिंग की तरफ जा रहे हैं . . . .

†**श्री बड़े** (खारगोन) : कृषि मंत्री उपस्थित नहीं हैं ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : सरकार का प्रतिनिधित्व तो है ।

श्री काशीराम गुप्त : आप कह सकते हैं कि नियमों के अनुसार गवर्नमेंट यहां पर रिप्रेज़ेंटेड है । लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि मुझे अफसोस है कि इतना अहम मसला विचाराधीन है और कोई भी इस डिपार्टमेंट का मिनिस्टर या डिप्टी मिनिस्टर नहीं है । उन में से किसी एक को तो अवश्य यहां होना चाहिये था ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी का विशेष तौर से ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि आज का युग प्लानिंग का युग है । आज के युग में व्यक्ति विशेष को या कम्पनियों को बीच में लाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है । आज के युग में अगर हम सिटी का मास्टर प्लान बनाते हैं तो उस के अन्दर अपने आप इंडस्ट्रियल एरिया बनेगा, छोटे शहर का बनाते हैं तो उस में बनेगा, देहात में भी इंडस्ट्रियल एरिया बनेगा । जब हम इंडस्ट्रियल एरिया अलग रखते हैं तो फिर किसी कम्पनी के लिये एक्वायर करने का प्रश्न इस तादाद में आयगा कहां से और खास कर उस कम्पनी के लिये जोकि प्राइवेट कम्पनी है ? इस के अतिरिक्त आप शब्द चाहे कितने ही लिख दें, लेकिन यदि "प्राइवेट कम्पनी" का मोटिव प्राफिट है तो उस लाभ की बात को "पब्लिक यूज़" के

---

†मूल अंग्रेजी में

साथ जोड़ने से वह मोटिव पूरा नहीं हो सकता। दो चीजें साथ साथ नहीं चल सकती हैं। अगर प्राइवेट कम्पनी जो हैं वे कम्पनियां हैं, तो उन्हें सब अधिकार दे दिये जायें। यह लम्बे चौड़े शब्द जोड़ने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिये। लेकिन वह तो आप इस डर से नहीं जोड़ रहे हैं कि कहीं कांस्टिट्यूशन लागू हो कर उसे निरस्त्र न कर दे। इतना कहने के बाद भी अगर कांस्टिट्यूशन निरस्त्र कर देगा तो फिर आप कौन सी बात ले कर हमारे सामने आयेंगे ? अभी अभी इस हाउस के माननीय सदस्यों ने बार-बार इस बात को सामने रक्खा कि यह विधेयक जो जल्दी में लाया गया है, वह गलत है।

एक बात, जिस की ओर मैं सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं, यह है कि जो हमारे गरीब लोग हैं, खेतिहर किसान हैं, उन पर इस विधेयक का सीधा असर पड़ता है, या उस आदमी के ऊपर इस का असर पड़ता है जोकि शहर के नजदीक है या शहर के भीतर है, जिस के पास छोटे छोटे जमीन के टुकड़े हैं। उस की जमीन को एक मामूली कीमत पर, मार्केट प्राइस कह कर, ले लेने से, उस की प्राइवेट प्रापर्टी की सुरक्षा कहां से होती है ? असल बात यह है कि ऐग्रीकल्चर भी एक इंडस्ट्री है और बाकी इंडस्ट्रीज़ भी हैं . . . .

श्री त्यागी : वह भी ले सकता है। अगर ऐग्रिकल्चरिस्ट चाहे तो वह भी फैक्ट्री के लिये जमीन एक्वायर कर सकता है।

श्री काशी राम गुप्त : यह हो नहीं रहा है। वह चाहे तो कर सकता है, लेकिन उस में भी आप ने और बाधायें डाल दी हैं। सीलिंग है, दूसरे तरीके हैं, जिन की वजह से छोटे-छोटे लोग जो हैं वे फैक्ट्री के लिये जमीन ले ही नहीं सकते। त्यागी जी स्वयं जानते हैं कि यह व्यावहारिक नहीं है। इसलिये उस के लेने का सवाल ही कहां पैदा होता है ?

मेरा निवेदन है कि जो लोग छोटी-छोटी कीमत के रोजगार वाले हैं उन को एक तरफ तो कांस्टिट्यूशन गारन्टी देता है कि उन को रोजगार देने की कोशिश होगी—रोजगार दे नहीं रहे हैं, देने की कोशिश होगी—दूसरी तरफ इस कोशिश के बजाय उन को बेरोजगार करने की कोशिश कर रहे हैं जिस की जमीन ऐक्वायर होती है, वह बेरोजगार हो जाता है। हमारे यहां अलवर में जमीन ऐक्वायर की गई है नगर को बढ़ाने के लिये, इस पर भी हम ने कोशिश की कि जो लोग वहां से हटाये जा रहे हैं, उन्हें दूसरी जगह जमीन मिले। सब से बड़ी दिक्कत तब होती है जब जो किसान शहर के नजदीक होते हैं उन को हटाया जाता है। उन की जमीन जब उन के हाथ से जाती है तो उन को बड़ी दिक्कत होती है। आप देखिये कि जमीन ले लिये जाने के बाद उन की क्या दशा होती है। वे बिलबिलाते हैं, उन के कुंएं हाथ से जाते हैं, रोटी जाती है। यह कोई तमाशा नहीं है कि नया कानून बना कर दे दो।

मैं अर्ज करना चाहता हूं कि जो कलेक्टर वगैरह होते हैं, उन के न तो दिल होता है और न दया होती है।

श्री बड़े : दिमाग तो होता है।

श्री काशी राम गुप्त : दिमाग की तो कहूं क्या, तन्ख्वाह बड़ी मिलती है, लेकिन दिल नहीं होता, दया नहीं होती। फिर इस तरह की बात तो एक तरफ, आज राजनीति में चल गई है, जोकि पहले नहीं थी। वे लोग दबाव डाल कर जिस प्रकार चाहते हैं करा लेते हैं। आज दलबन्दियां होती हैं पार्टियों की। एक पार्टी तो इस बात में मिल जाती है कि इस को जरूर ऐक्वायर करना चाहिये

[श्री काशी राम गुप्त]

और दूसरे लोग कहने लगते हैं कि इस को कैसे करोगे । यह एक नया झगड़ा पैदा हो गया है । इस पर वे जिस तरह से अमल करने की कोशिश करते हैं वे ऐसे तरीके होते हैं जिन से किसी को फायदा नहीं होता । मैं नहीं समझता कि जब आप मार्केट प्राइस की बात करते हैं तो इस के बजाय यह क्यों नहीं रखा जाता कि जो भी कम्पनियां वगैरह हैं उन को पहले गोशिएशन करना चाहिये, और नेगोशिएशन से ही उन्हें लेना चाहिये, उन कम्पनियों को छोड़ कर जोकि गवर्नमेंट की हैं । इसलिये यह कहना कि पहले वे बतायेंगे, गवर्नमेंट उन को देखेगी, गवर्नमेंट सोचेगी, यह सही नहीं है । यह भ्रष्टाचार बढ़ाने का तरीका है, और कुछ नहीं । जिस का दांव लगेगा वह गवर्नमेंट की फाइल पर बहुत अच्छे-अच्छे शब्द लिखवा लेगा और जिस को दांव नहीं लगेगा वह रह जायेगा । फिर इंडस्ट्रियलिस्ट्स लड़ते फिरेंगे आपस में ।

अभी लोक सभा के सदस्यों के पास एक ऐसा लेटर आया है कि कानपुर में कोई फर्म है, उस की जमीन कौड़ियों की कीमत में चली गई, और उस की जो मार्केट वैल्यू है वह उस से तीस गुनी या पचास गुनी या शायद सौ गुनी से भी ज्यादा है । यह स्थिति जहां पर हो वहां न्याय कहां से हो सकता है ? इसलिये इस बात की तरफ ध्यान देना चाहिये कि जो एग्रीकल्चरिस्ट आज है उस को पहले बनाये रखना है । जमीन हमारे पास पहले ही थोड़ी है, और उस जमीन में भी आबादी बढ़ती जाती है । उस को किसी नाम से लेने की कोशिश करना, बिना किसी प्लैन या योजना के, ठीक नहीं है । यह चीज आयोजना शब्द के विपरीत है । पहले यह बतलाया जाये किसी कम्पनी के लिये कि वह योजना के अन्दर शामिल है या नहीं । अगर योजना के अन्दर है तो उस के लिय लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती । एक तरफ आप योजना के आधार पर चलना चाहते, दूसरी तरफ उस योजना के आधार को तोड़ना चाहते । फिर ऐसे-ऐसे स्थान ले लिय जाते हैं जिन को नहीं लेना चाहिये । फरीदाबाद के पास जो मेंहदी के बाग हैं वह एक्वायर कर लिये गये । क्या वहां मेंहदी की इंडस्ट्री नहीं थी ? कोई इस बात को सोचता नहीं है कि एक्वायर करना चाहिये या नहीं । अगर एक्वायर ही करना है तो किसी इंडस्ट्री का नाम ले लो, चाहे उस का उल्टा ही असर पड़ता है । ऐसी ऐसी इंडस्ट्रीज के बारे में कहा जाता है जिन का उल्टा असर पड़ता है ।

श्री त्यागी : मेंहदी कोई इंडस्ट्री नहीं है, वह सिर्फ औरतों के काम की चीज है ।

श्री काशी राम गुप्त जब चोट लगती है तो वह हमारे काम की चीज भी हो जाती है । इस प्रकार से समस्यायें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं कि किसी एक को देने में जनहित हो जायगा और अगर किसी दूसरे के पास हो तो जनहित नहीं होगा, या यह कि अगर किसी प्राइवेट कम्पनी के लिये ली जायेगी तो विशेष जनहित में होगा । मैं कहूंगा कि प्राइवेट कम्पनी के मामले में तो एक स्पष्ट दृष्टिकोण होना चाहिये कि अगर यह सारे इलाके योजना में आते हैं तो गवर्नमेंट इन योजनाओं के अन्तर्गत देगी । प्राइवेट तौर पर इलाके एक्वायर करने का प्रश्न नहीं उठना चाहिये । गवर्नमेंट की भी अपनी योजना होती है । इसलिये जब योजना के आधार पर शहर बढ़ रहे है या गांवों की योजना लाई जारही है उस को अलग रखने का जो प्रश्न है, वह केवल पिछली चीजों को ठीक करने के लिये है, आगे के लिये कोई बात नहीं है । चाहिये तो यह था कि गवर्नमेंट सब से, शान्ति से, इस बिल को नये सिरे से लाती । जिस प्रकार से इनकम टैक्स एक्ट हम को नये सिरे से बनाना पड़ा, उसी तरह से इस लैंड ऐक्विजिशन ऐक्ट को भी नये हालात को देख कर, नये रूप में लाना चाहिये ।

सेलेक्ट कमेटी अगर आप बनाना चाहें तो वह भी कर सकते है, लेकिन मैं समझता हूं कि जितने बड़े परिवर्तन देश में हो रहे है उनके अनुकल यह चीज नहीं आई है, किसी भी सूरत में यह उनके अनुकूल नहीं आती है। यह कहा जाता है कि अगर हम इसको पास नहीं करेंगे तो हमारी सारी स्कीम अपसेट हो जायेगी। इसकी जांच कहां से कराई गई, कौनसा आधार दिया गया है, मिनिस्टर साहब ने कहीं पर भी आंकड़े देकर नहीं बतलाया है कि क्या-क्या नुकसान होने वाला है, अगर हम इसको रेग्युलेराइज़ नहीं करेंगे। और अगर नुकसान होता था और इस विधेयक को पास करने के बाद इसमें अमेंडमेंट लाने की जरूरत पड़ी, तो शायद आगे इससे भी ज्यादा अमेंडमेंट लाने की जरुरत पड़ जाये। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि पहले व्याख्या तो कीजिये कि किन का नुकसान होने वाला है। साठ साल पहले वालों का नुकसान होगा या आजादी के बाद वालों का नुकसान होगा, या गवर्नमेंट को होगा या किस को होगा ? बिना इस बात की जांच करवाये हुए कि इससे वास्तव में नुकसान कोई होने वाला है या नहीं, रिट्रोस्पेक्टिव ऐफेक्ट की बात कर दी गई। क्या यह आप दो चार मिल वालों के लिये कर रहे है ? इसके लिये पहले आप को कुछ और एन्क्वायरी करनी चाहिये थी और इन्क्वायरी करने के बाद उसके आधार पर इसको रिट्रोस्पेक्टिव ऐफेक्ट देने की बात होनी चाहिये थी। अन्यथा इसका मतलब यह होगा कि आज के पश्चात् जो लोग सुप्रीम कोर्ट के फैसले से न्याय पा सकते है उनको न्याय से वंचित कर दिया जाये। जिन गरीबों को बड़ी मुश्किल से मौका मिला है कुछ न्याय पाने का, उनको वंचित कर दिया जाय। जो कुछ किया जा रहा है, उसका यही मतलब होगा।

अमल के सम्बन्ध में यह सब जानते है कि ऐक्वायर करने वाले जो लोग होते है वे कौन होते है। किस प्रकार से मशीनरी चलती है, पटवारी से लेकर ऊपर तक क्या होता है। किस प्रकार से जमीन ले ली जाती है और मुआवजा नहीं मिलता। वर्षों तक लोग मारे-मारे फिरते है। अब तो गांव के गांव उठा दिये जाते हैं मगर उनको फिर से बसाने की कोशिश नहीं की जाती। यह कोशिश तो दूर उनको बहुत सी और तकलीफें होती है। फिर भी पब्लिक इंटरेस्ट के नाम पर लोग उसको बरदाश्त करने के लिये तैयार रहते हैं। लेकिन जो पब्लिक इंटरेस्ट नहीं होता उसको पब्लिक इंटरेस्ट बना दिया जाता है। वहां इस का कोई प्रश्न नहीं होता कि हमें संविधान को लागू करना है या हम संविधान के हामी है। इससे सोशलिस्टिक पैटर्न आफ सोसायटी की बात जो हम कहते हैं उसकी कलई खुल जाती है।

एक माननीय सदस्य : वह सिर्फ वोट लेने के लिये हैं।

श्री काशी राम गुप्त : इस बात का सोशलिस्टिक पैटर्न आफ सोसायटी से क्या नाता है ? कोई नाता नहीं है।

अब रही वोट लेने की बात। वह लम्बी चौड़ी बात हो जायेगी, उसको यहां कहने से कोई लाभ नहीं है। एक बात मैं सिर्फ आपसे निवेदन करना चाहता हूं। इस हाउस में कल की तरह से आज भी हमारे बहुत से साथी, चाहे वे विरोधी पक्ष में हों या दूसरी तरफ हों, अन्तरात्मा से यह चाहते है है कि यह विधेयक, जो बहुत गलत है, ठीक होना चाहिये। इसलिये मैं चाहूंगा कि गवर्नमेंट बहुमत का सवाल बना कर या पार्टी व्हिप देकर वोट लेने की बात इस सम्बन्ध में न करे। अगर वह खुले वोट से इस अमेंडमेंट के बारे में यहां पर निश्चय करने की बात करे तो वास्तविक स्थिति सामने आ जायेगी। इसलिये या तो वह सेलेक्ट कमेटी की बात को मान ले या फिर खुले वोट के आधार पर इस पर मत ले। यहां पर हमारे साथी भाषण तो बहुत अच्छे अच्छे देते है, लेकिन जब वोट देने का प्रश्न आता है तो उनको पक्ष में वोट देना पड़ता है। तो वह तरीका यह नहीं होना चाहिये। यह लाखों करोड़ों आदमियों की मूल जिन्दगी से सम्बन्ध रखने वाली चीज है। तो मैं यह निवेदन करूंगा

[श्री काशी राम गुप्त]

कि प्रथम तो उनको सिलेक्ट कमेटी की बात मान लेनी चाहिए, और इस बात को नहीं मानते है तो राइट आफ वोट फ्री करवा देना चाहिए, व्हिप को हटा दोजिए और फिर देखिए कि उनका क्या रंग है, उस वक्त पता चल जाएगा कि जो लोग बोलते है वे कहां है।

यह नाजुक मामला है, इसे जल्दबाजी में पास नहीं करना चाहिए। उन्होंने दलीलें तो अच्छी दी है, लेकिन इसको जल्दबाजी में पास करने से देश का नाश होगा, और उस नाश से बचाने के लिये ही मैं यह निवेदन करता हूं कि इसको जल्दबाजी में पास न किया जाए बल्कि शान्तिपूर्वक सोच विचार करने के बाद पास किया जाए।

†**श्री ब० बा० गांधी** (बम्बई मध्य-दक्षिण) : यह विधेयक स्पष्ट है। आज देश में स्थिति यह है कि भूमि सार्वजनिक प्रयोजन और समवायों के प्रयोजनार्थ अर्जित की जा सकती है। उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद सरकार के सामने इस विधेयक को प्रस्तुत करने के सिवाय और कोई मार्ग नहीं रह गया था। अधिनियम के संचालन में त्रुटियों का निवारण सरकारी प्रक्रिया में सुधार से तथा अर्जन सम्बन्धी मामलों को सुलझाने के लिये ठीक प्रकार की व्यवस्था बनाने से ही हो सकता था। यह निवारण वर्तमान नीति के त्याग से नहीं हो सकता था। अन्त में मैं इस विधेयक का पूरा-पूरा समर्थन करता हूं।

†**श्री हिम्मतसिंहका** (गोंडा) : आज जो विधेयक प्रस्तुत किया गया है मैं उसके सिद्धान्तों का समर्थन करता हूं। माननीय मन्त्री महोदय ने विस्तार से बताया है कि इस विधेयक की आवश्यकता क्या है। यह अधिनियम १८७० में लागू हुआ था और इसमें १८९४ में संशोधन किया गया था। परन्तु धारा ४१ के निर्वचन के बारे में काफी कठिनाई रही है। मेरे विचार में विधेयक के बारे में मुख्य सन्देह यही रहा है कि राज्य सरकारों को उन प्रयोजनों के लिये भी भूमि अर्जन की प्रेरणा मिल सकती है जिनका इस विधेयक में वर्णन नहीं किया गया। अतः मेरा निवेदन यह है कि इस प्रयोजन के लिये केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकारों को निवारक उपाय किये जाने चाहियें।

सबसे बड़ी बात यह है कि हमें व्यवस्था करनी चाहियं कि उपबन्धों का दुरुपयोग न किया जाय। राज्य सरकारों को कहा जाय कि इस विधेयक का कुछ प्रयोजनों के लिये प्रयोग न किया जाय? यदि यह व्यवस्था हो जाय तो बहुत से सन्देह अपने आप दूर हो जायेंगे। वैसे मैं विधेयक के सिद्धान्त का समर्थक हूं परन्तु मेरा निवेदन है कि यदि कोई छोटा मोटा आवश्यक संशोधन हो तो उसे मन्त्री महोदय द्वारा स्वीकार कर लिया जाना चाहिए।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : (कानपुर) : श्रीमान् जी, मैं प्रस्तुत करता हूं :

> "कि विधेयक को राय जानने के लिये ३० सितम्बर, १९६२ तक परिचालित किया जाये।"

मैं इस सम्बन्ध में सभा को विशेष जानकारी देना चाहता हूं। यह खेद की बात है कि अध्यादेश और संशोधन विधेयक कुछ उद्योगपतियों के लाभ के लिये प्रस्तुत किया गया है। इससे केवल कुछ विशेष वर्ग के लोगों को ही लाभ पहुंचने की सम्भावना है। हमारी सरकार का दावा है कि वह समाजवादी समाज के निर्माण के लिये तत्पर है। यदि ऐसा है तो सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह पूंजीपतियों के लिये भूमि के अर्जन करने के लिये

---

†मूल अंग्रेजी में

'एजेन्ट' का काम नहीं करेंगे । मेरा सदन से निवेदन है कि विधेयक को प्रवर समिति को सौंपा जाय । इससे यह लाभ होगा कि वे सभी लोग अपने विचार प्रवर समिति के सन्मुख रख सकेंगे जिन्हें इसके बारे में कुछ शिकायत हो । आशा है कि माननीय मन्त्री इसे स्वीकार कर लेंगे । आज यदि एक उद्योगपति के लिये एक अध्यादेश लागू किया जाता है तो देश में कल हजारों अध्यादेश लागू हो जायेंगे ? अतः मैं एक बार फिर यह निवेदन करता हूं कि विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय ।

†**श्रीमती रेणुका राय** (मालदा) : हम से पहिले बोलने वाले एक माननीय सदस्य पूछ रहे थे कि इस छोटे से सरल से संशोधन में इतनी गर्मी क्यों है । जब से भी इस विधेयक को प्रस्तुत किया गया है सदन के सभी वर्गों द्वारा इसके बारे में परेशानी व्यक्त की गयी है । और इसके बारे में मैं इतना ही कह सकती हूं कि यह समाजवादी समाज के निर्माण के अनुकल नहीं है । मेरा निवेदन यह है कि यह संशोधन विधेयक संविधान के अनुच्छेद ३१ के उपबन्धों के अनुकूल नहीं है । इसका कोई निश्चित उल्लेख नहीं है कि संविधान के उस अनुच्छेद के अन्तर्गत किस कौने से 'सार्वजनिक प्रयोजन' के लिये भूमि का अर्जन किया जा सकता है। नये खण्ड (कक) में उल्लिखित कोई समवाय उस भूमि का प्रयोग किसी भी प्रयोजन, जैसे—सिनेमा घर अथवा पार्क, के लिये कर सकता है ।

मेरा तो यह निश्चित मत है कि इस संशोधन से भ्रष्टाचार के नये मार्ग खुल जायेंगे । इससे न वह समस्या हल होगी जिसके लिए सरकार यह विधेयक ला रही है । और वह उद्देश्य भी पूरा नहीं होगा जोकि हमारी दृष्टि में है । मेरे विचार में यह सुझाव ठीक ही था कि यह बहुत अच्छा हो कि इस विधेयक को एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय और तनिक विस्तार से इसकी छानबीन हो जाय । और अन्ततोगत्वा आवश्यक परिवर्तन कर लिये जायं ।

मैं इस बात पर जोर देना चाहती हूं कि विधेयक में जो यह कहा गया है, "जिनसे देश के आर्थिक विकास में योग मिलने की सम्भावना है," इसकी सविस्तार व्याख्या की जानी चाहिए । साथ ही साथ विभिन्न श्रेणियां तैयार की जानी चाहियें । सरकार को एक बात का तो आश्वासन दे ही देना चाहिए कि किसानों से भूमि लेकर उद्योगपतियों को उनके लाभ के लिये न दी जाय । किसानों के हितों की रक्षा बड़ी जरूरी है ।

श्री बड़े : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब मैं ने इस लैंड एक्वीजीशन बिल को देखा तो मैं ने समझा कि इस को लैंड रिक्वीजीशन बिल का नाम देना चाहिये था । जब नादिरशाही, तानाशाही या मनमानी प्रजातंत्र का कपड़ा पहन कर आती है तो उस का स्वरूप लैंड एक्वीजीशन बिल होता है । यह प्रजातंत्र का खून है ऐसा मैं समझता हूं । उस का कारण यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है कि सरकार पूंजीपतियों का एजेन्ट बन जायेगी ये शब्द जों सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में लिए हैं ये बताते हैं कि आगे क्या होने वाला है । इस का मतलब यह है कि गवर्नमेंट आज एजेंट बन गई है नहीं तो इस तरह के कानून की जरूरत ही न होती ।

इस सिलसिले में मुझे बेकन का एक वाक्य याद आता है । उस ने लिखा है :

"विधि द्वारा ही समाज आगे चलता है ।"

और बेकन अन्त में कहता है कि एक ऐसा क्लास उत्पन्न होगा जो बड़ा कनिंग और होशियार होगा और वह क्लास अपनी स्थिति का फायदा उठा कर अपने मतलब के कानून बनवायेगा प्रजातंत्र के नाम

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री बड़े]

पर। बेकन ने तो इतने साल पहले यह कहा था लेकिन आज इस पार्लियामेंट में यह प्रतीत हो रहा है कि हम प्रजातंत्र के नाम पर काश्तकारों की जमीन की आहुति देने जा रहे हैं।

इस बिल के कारण आज गांवों में बड़ा असंतोष है। जैसे जैसे उद्योग बढ़ते जाते हैं पूंजीपति बढ़ते जाते हैं और जैसे जैस पूंजीपति बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे लोग देखते है कि वे सत्ताधारियों के कपड़े पहन कर और दबाव डाल कर बड़े बड़े काश्तकारों की जमीनों को ले रहे है। गांवों में आज बड़ा असंतोष है कि कांग्रेस सरकार लोगों की जमीनें ले रही है और इस कारण जिन के बाल बच्चों ने पहले कभी मजदूरी नहीं की थी आज उन की जमीन चली जाने के कारण उन को दर दर की ठोकर खानी पड़ती है। हम ने इस कारण किसानों के आंसू देखे हैं और मैं इस बात को ले कर मिनिस्टर साहब के पास भोपाल गया था तो उन्हों ने कहा था कि जैसा तुम्हारे अन्दर किसानों क लिये दूध है वैसा हमारे अन्दर भी है। मैं ने कहा था कि तुम्हारा दूध तो सूख गया है कि किसानों की जमीन को उद्योग के लिये और दूसरे कामों के लिये दूसरे लोगों को दिया जा रहा है। आज आप जमीन तो पूंजीपतियों को दे रहे हैं और ग्रो मोर फूड का नारा लगाते है। किसान अन्न कैसे उत्पन्न करेंगे अगर उन की जमीन ले ली जायेगी।

मैं ने देखा है कि शुरुआत में जो ऐक्ट है उस के सैक्शन ४० और ४१ के पीछे सैक्शन ३८ ए० की बैकग्राउंड है। सैक्शन ३८ ए० में लिखा है कि जहां तक भूमि अर्जन का संबंध है एक निश्चित संख्या तक काम पर लगाने वाला कोई भी औद्योगिक समवाय धारा ५(क), ६, ७, १७ और ५० के अन्तर्गत एक समवाय माना जायेगा। सैक्शन ३८ ए० को सन् १९३३ में जोड़ा गया है। इस के लिये सिलेक्ट कमेटी बैठी थी। सिलेक्ट कमेटी ने भी खतरे की घंटी बजाई थी। उस ने अपनी रिपोर्ट में कहा है :

> "समवाय की व्याख्या को विस्तृत कर के निजी व्यक्तियों द्वारा चलाये जाने वाले कन्सर्नों को उस में मिला लेने से, इस बात की आशंका है कि इस अधिनियम का दुरोपयोग भी किया जा सकता है।"

और उन्हों ने सैक्शन ४० और ४१ का बन्धन डाल दिया है। यदि सैक्शन ४० और ४१ में पब्लिक परपज के वास्ते जरूरत हो तभी जमीन लेनी चाहिये। कम्पनीज़ के फ़ायदे के लिये जमीन नहीं लेनी चाहिये। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, साथ साथ सैक्शन ४० के बारे में यह दिया हुआ है :

> "कि इस प्रकार की हुई अर्जित भूमि क्षतिपूर्ति अथवा जनता के अच्छे काम में आ सकती है।"

ये जो शब्द है उस के बाद अमेंडमेंट में ये शब्द डाल दिये गये :

> "कि इस प्रकार अर्जित भूमि मजदूरों के रहने के मकानों के लिये काम में लाई जायेगी।

सैक्शन ४० और ४१ में ये जो शब्द लिखे गये है इन के पीछे सैक्शन ३८ ए है और ये शब्द इसलिये डाले गये कि इस का लाभ कोई प्राइवेट इंडीविजुअल कम्पनी बना कर न उठा ले।

हमारे मंत्री जी पाटिल साहब हैं। हमारे यहां पालिट बड़े काश्तकार को कहा जाता है। लेकिन इन्होंने जो अमेंडमेंट रखा है उस में शब्द रखे है "ऐनी एक्टिविटी"। यह देख कर मुझे बड़ा दुःख हुआ और सदन के अन्य सदस्यों को भी इस से धक्का लगा है। एक्टिविटी का अर्थ है "मूविंग आफ लिम्ब्स", ऐसा डिक्शनरी में दिया गया है। तो हम मूविंग आफ लिम्ब्स के लिये जमीन ले सकते है।

श्री स० कु० पाटिल : इसे नाम के लिये उद्योग के लिये प्रयोग किया है ।

श्री बड़े : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मिनिस्टर साहब हाउस में बैठ कर यह कह रहे हैं कि इसका यह मतलब नहीं है, लेकिन जब कोर्ट में मामला जाता है तो कोर्ट देखती है कि ये लूज़ शब्द रखे गये है । इसमें आपने इंडस्ट्री का शब्द डाला है और लिखा है कि यह कानून न बना तो प्लान फेल हो जायगा । आज प्लान का तो एक महा मंत्र हो गया है । प्लान का शब्द देख कर हर कोई चौंकन्ना हो जाता है । इसीलिये आपने बड़ी चतुराई से लिखा है कि यदि यह बिल पास नहीं किया जायगा तो प्लान फेल हो जायगा । आप कहते है कि प्लान खतरे में है । लेकिन मैं कहता हूं कि प्लान खतरे में नहीं । प्लान पूरी होगी । लेकिन वास्तव में गवर्नमेंट खतरे में है, पूंजीपति खतरे में है, मंत्री जीं खतरे में है और कांग्रेस पार्टी खतरे में है, ऐसी बात कहते तो मैं समझता कि सच्ची बात कही है । लेकिन मंत्री जी ने कहा है कि पंचवर्षीय योजना खतरे में है, प्लान खतरे में है । मैं कहता हूं कि यह बात गलत है । ऐसी स्थिति है कि आज सारे सदस्य चाहे वे अपोजीशन के हों या कांग्रेस पार्टी के उनमें काफी चर्चा है और काफी असन्तोष है ।

इसके बाद मेरे पास सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है जोकि अरोड़ा के केस के बाद का जजमेंट है । यह सुप्रीम कोर्ट आफ इंडिया का पिटीशन नम्बर २४८ का जजमेंट है जोकि २ मई सन् १९६२ को दिया गया था । मैं मिनिस्टर साहब की जानकारी के लिये इसकी कुछ लाइन्स पढ़ देना चाहता हूं । उन्हों ने अपने डिस्सेंटिंग जजमेंट में यह लिखा है कि विधान मंडल किसी को स्वामित्व से वंचित करने का कोई इरादा नहीं रखता था । इस तरह के शब्द उसमें लिखे हैं । अरोड़ा के जजमेंट का भी जिक्र किया है । मैं यह कहना चाहता हूं कि यह अमेंडमेंट बिल जो आप ला रहे हैं उसमें इस्तेमाल हुए शब्द इतने लूज है कि कोई भी ऐडवोकेट या वकील जोकि वकालत करता है वह जिस तरह का चाहे इन का अर्थ लगा सकता है और वह ऐसे लूज शब्द हैं कि उनमें कोई भी बात आ सकती है । क्लाज २ इस प्रकार है :—

> "कि वह भूमि किसी कम्पनी को मकान के लिये जोकि किसी प्रकार का उद्योग चलाना चाहती हो, के लिये चाहिये ।"

आपके मन में आ गया अथवा कलक्टर साहब के मन में आ गया कि इस तरह के ऐक्वीजीशन से एकोनामिक डेवलपमेंट लाइक्ली टु बी प्रमोटेड है, और इस वास्ते बीच में कोई प्रीवेंटिव मैडिसिन ले आये बीच में कोई अड़चन आ गई और वह सम्भव न हुआ तो भी जमीन तो ले ही ली जायेगी ।

जहां तक मुआविजे का सवाल है उस का मिलना बड़ी टेढ़ी खीर है और हालत यह है कि १०, १० और १५, १५ साल तक वकीलों को फीसें भरने के बाद भी उन बेचारों को कम्पेंसेशन नहीं मिलता है । मैं इस सम्बन्ध में सदन् में एक उदाहरण उपस्थित करना चाहता हूं कि हमारे वहां एक बनजारिन थी । गवर्नमेंट ने उसकी जमीन ले ली थी । जब वह मुआविजे के वास्ते गई तो उसको यह कहा गया कि तेरी जमीन चूंकि तेरे पति के नाम है इस वास्ते जब तक वारसा सर्टिफिकेट नहीं लाती तुझे मुआविजा नहीं मिल सकता । वह बेचारी अब इधर उधर रोती हुई फिरती है पैसा उसके पास इतना कहां है जोकि वकीलों को फीस देकर अदालत में जाय ? कम्पेंसेशन लैंड रेवेन्यू का दस गुना या बीस गुना दिया जाता है । लैंड रेवेन्यू सैटिलमेंट जोकि १९०६ या १९२६ में हुआ था केवल दस या पन्द्रह रुपये निश्चित किया गया था । उसकी कीमत उस वक्त १००० रुपये थी अब उसकी कीमत १०,००० रुपये हो गई लेकिन उस को जो मुआविजा मिलेगा वह १०० रुपये या २०० रुपये ही मिलेगा । अब यह कहां का उचित मुआविजा हुआ ? यह मुआविजा सोशलिस्टिक पैट्रन के मिनिस्टर साहब दे रहे है और यह देख कर मुझे आश्चर्य होता है कि इस तरह

[श्री बड़े]

का तरमीमी बिल और कोई दूसरे नहीं बल्कि हमारे फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर ला रहे है। मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि इस तरह का बिल यदि पार्लियामेंट में पास किया गया तो इसका बहुत बुरा नतीजा उस को भोगना पड़ेगा। सारे भारतवर्ष में इस से असन्तोष उत्पन्न होगा और इसकी गम्भीर प्रतिक्रिया होगी।

यह तरमीमी बिल सुप्रीम कोर्ट का सन् १९६२ में जो जजमेंट हुआ है उस की वजह से गवर्नमेंट इसे लाई है। ऐक्वीजीशन की वैलेडिटी के बारे में चूंकि शक और शुबहात जाहिर किये गये हैं इसलिये इस तरमीमी बिल को लाना जरूरी समझा गया। मिनिस्टर साहब ने बतलाया कि सात-आठ स्टेटों ने भी लिखा है कि इस किस्म का कानून पास होना चाहिये। अब मेरा कहना यह है कि इस के लिये ७, ८ स्टेटों ने इतनी जल्दी कैसे लिखा और अगर लिखा तो गवर्नमेंट ने इतनी जल्दी ऐक्शन कैसे लिया ? जो वकालत करते है उनको मालूम ही होगा कि एक दफे जमीन दूसरे व्यक्ति में वैस्ट हो गई तो फिर वापिस मिलने के लिये ला औफ लिमिटेशन आड़े आता है और परिणामस्वरूप वैस्ट का डिवैस्ट होना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मिनिस्टर साहब एक भी ऐसा केस बतलायें जिस में अरोड़ा के केस में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट होने के बाद कोई भी शख्स कोर्ट में फिर जमीन वापिस लेने को गया हो ? दरहकीकत हुआ यह है कि सन् ६२ में अरोड़ा केस में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट हो जाने के बाद पूंजीपतियों ने गवर्नमेंट को लिखा है कि इस रूलिंग से हम यहां डूब रहे है और चूंकि यह सरकार पूंजीपतियों के हाथ में सदा से खेलती आई है इसलिये उनको सैटिसफाई करने के लिये वह यह कानून यहां पास करा रही है . . . . . .

†**श्री स० कु० पाटिल** : एक राज्य तो माननीय सदस्य का ही है।

श्री बड़े : मैं मध्य प्रदेश का नाम नहीं लेना चाहता था और किसी स्टेट विशेष का नाम यहां पर ले कर नहीं चलना चाहिये लेकिन चूंकि मिनिस्टर साहब ने मध्य प्रदेश का नाम ले दिया है तो मैं बतलाना चाहता हूं कि हमारे इंदौर में काफी क्लौथ मिलें है, ७,७ और ८, ८ कपड़ा मिलें वहां पर हैं और वहां की मिनिस्ट्री उन पूंजीपतियों के हाथ में खिलौना बनी हुई है। अब अरोड़ा केस के जजमेंट के बाद यहां के पूंजीपति भाई लोगों ने वहां के पूंजीपतियों को लिखा होगा कि समय रहते सावधान हो जाओ अन्यथा हम यहां डूब रहे है तुम भी डूबोगे। यही कारण है कि अरोड़ा जजमेंट होने के बाद ही मंत्री महोदय एकदम जागरूक हो गये और पूंजीपतियों के इशारे पर स्टेट गवर्नमेंट्स ने भी इस तरह का तरमीमी कानून लगाने की मांग की।

कोल की हमारे यहां कमी हो गई। चूंकि हमारे यहां कोयला आया नहीं इसलिये हमारे कारखाने बन्द हो गये। हमारी स्टेट गवर्नमेंट ने सैंटर को उस के बारे में लिखा लेकिन उस का कोई जवाब नहीं आता है और मिनिस्टर साहब जागरूक नहीं हुए लेकिन पूंजीपतियों के इस तरह की कानन के लिये मांग करने पर कांग्रेस गवर्नमेंट जागरूक हो जाती है क्योंकि यह कांग्रेस सरकार पूंजीपतियों के हाथों की कठपुतली बनी हुई है। टाटा, बिड़ला और बाटा इन तीन टीज के हाथों में कांग्रेस सरकारें खेल रही है। इन पूंजीपतियों और मिल वालों के बलबूते पर यह यहां पर आते है। आप यह कानून महज इसलिये लाये है चूंकि उन्होंने आपको इसके लिये लिखा होगा। चूंकि इस बारे में मेरे पास डोक्युमेंटरी एविडेंस नहीं है केवल उन के बारे में सुना है इसलिये कोई स्पैसिफिक इंस्टांस नहीं दे सकता कि फलां पूंजीपति ने मंत्री को लिखा कि इस प्रकार का कानून पास होना चाहिये लेकिन यह हकीकत है जिससे कि इनकार नहीं किया जा सकता है। मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि

†मूल अंग्रेजी में

यहां के पूंजीपतियों ने वहां के पूंजीपतियों को इस के लिये लिखा होगा कि ऐसा कानून पास करवाओ वरना तुम भी डूबोगे और चूंकि कांग्रेसी सरकारें सभी जगह पूंजीपतियों के हाथ में खेलती है इसलिये वहां की सरकारों ते आप को लिखा होगा कि ऐसा कानून पास करवाया जाय .....

†**श्री स० कु० पाटिल** : भिलाई संयन्त्र का किसी पूंजीपति का सम्बन्ध नहीं ।

श्री बड़े : भिलाई प्लान्ट के लिये जो आप कहते हैं तो वहां के इंडस्ट्रियलिस्ट्स ने आप को लिखा होगा.....

श्री स० का० पाटिल : इन्डस्ट्रियलिस्ट्स ने नहीं वरन् मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने लिखा है ।

श्री बड़े : अन्त में और अधिक न कहते हुए मुझे केवल मन्त्री महोदय से यही निवेदन करना है कि मैंने सच्चे दिल से इस बिल को लेकर जो मन में एक सात्विक गुस्सा था उसका इजहार मैंने किया है । मैं पुनः उनसे अपनी अपील करूंगा कि वह हाउस के रुख को देखते हुए इस बिल को वापिस ले लें और अगर यह मुमकिन न हो तो कम से कम इसको सेलेक्ट कमेटी के सिपुर्द तो कर ही दें । इस तरमीमी बिल के बगैर यह लैंड ऐक्वीजीशन ऐक्ट पिछले २०० साल से चल रहा है और मैं समझता हूं कि उसे उसी तरह से चलने दें और उसमें कोई गड़बड़ नहीं आनी है । लेकिन अगर गवर्नमेंट इसे पास करने पर ही तुली है तो कम से कम इसको अभी सेलेक्ट कमेटी के सिपुर्द तो कर ही दिया जाय ।

श्रीमती सुभद्रा जोशी (बलरामपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, आज जब से यह बिल लोक सभा के सामने आया है बहुत कम सदस्य ऐसे हैं जिनसे कि इसको सपोर्ट मिली है । यह बात ठीक है कि मिनिस्टर साहब ने कहा कि इस तरमीमी बिल को जल्दी पास करने की जरूरत है वरना बहुत नुकसान हो जाने का खतरा है । लेकिन जैसा कि बाकी मेम्बर साहबान ने कहा मैं भी आपसे यह निवेद करूंगी कि अगर इस को पास करने की जल्दी भी हो तो भी इसको अभी आप सेलेक्ट कमेटी के सिपुर्द कर दें और सेलेक्ट कमेटी को आदेश दें कि वह इस पर विचार समाप्त करके हाउस में पुनः लाने की जल्द से जल्द कोशिश करें । सेलेक्ट कमेटी द्वारा विचार होने पर जल्दी से जल्दी हाउस में दुबारा यह बिल लाया जाय । मैं समझता हूं कि इसको सरकार को मंजूर कर लेना चाहिए । अगर सेलेक्ट कमेटी द्वारा विचार किये जाने के बाद इसको हाउस में बहुत जल्द लाना मुमकिन न हो सके तो सैशन कुछ दिन के लिये और बढ़ा दिया जाय और यदि ऐसा किया जाता है तो मैं समझती हूं कि सदस्यों को इसमें कोई ऐतराज नहीं होगा ।

एक बात के लिये मैं आनरेबुल मिनिस्टर को जरूर मुबारकबाद देती हूं कि जब अरोड़ा का किस्सा आया तो उसके साथ कोआपरेटिव्स की याद भी आई । उपाध्यक्ष महोदय, मुझे याद है कि यहां पर पिछले दिनों जब काफी बोर्ड ने अपने काफी हाउसेज बन्द कर दिये तो गवर्नमेंट की राय से और गवर्नमेंट के सजैशन से काफी हाउस के जो रिट्रेंच्ड वर्कर्स थे उन्होंने अपनी एक कोआपरेटिव सोसाइटी बना लीं और उस सोसाइटी ने सरकार को कहा कि हमारी कोआपरेटिव सोसाइटी के लिये यह जगह दे दीजिये । उन्होंने इसके लिये मिनिस्टर साहब का दर्वाजा खटखटाया तो उनसे जवाब यह मिला कि आपकी कोआपरेटिव सोसाइटी पब्लिक परपज में नहीं आती है । जो काफी बोर्ड काफो हाउसेज चलाता था जिसमें काफी भी कम बिकती थी और एम्प्लाइज भी कम थे वह तो पब्लिक परपज में आता था लेकिन उसी काफी बोर्ड के कर्मचारियों ने अपनी नौकरी लगाने के लिये और काफी का काम चलाने का खुद बन्दोबस्त किया और एक कोआपरेटिव सोसाइटी बना ली जिसमें खानसामा, बैरे, स्वीपर्स,

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्रीमती सुभद्रा जोशी]

कुक्स और मैनेजर वगैरह सब शामिल हैं तो वह पब्लिक परपज नहीं रहा और उन को वह जगह नहीं दी गई । अब जिस कारण से यह बिल आया है उस कारण में मैं नहीं जाना चाहती हूं क्योंकि जो लोग इसको ज्यादा जानते हैं उन्होंने इस बारे में कहा है ।

अभी माननीय सदस्य, श्री जैन ने एक सवाल रखा और पूछा कि श्री अरोड़ा जो कारखाना बनाना चाहते थे, वह पब्लिक परपज़ में क्यों नहीं आया और जिस कारखाने के लिए ज़मीन दी जा रही थी, वह पब्लिक परपज़ में क्यों नहीं आया । यह गहुत दुःख की बात है । अब क्या कहा जाये ? जितनी चर्चा इस बिल के बारे में इस हाउस में और हाउस के बाहर हो रही है, उससे यह मालूम होता है कि अगर अरोड़ा साहब अगली बार लोक-सभा के मेम्बर हो जायें, तो शायद उनकी फैक्ट्री भी पब्लिक परपज़ में आ सकेंगी और शायद उन की तरफ ज्यादा तवज्जह दी जा सकेगी ।

इसलिये मैं बड़े दुःख के साथ मिनिस्टर साहब से निवेदन करना चाहती हूं कि जिस तरह की चर्चा इस बिल के लाने के कारणों पर और डिटेल्ज़ के बारे में हो रही है, उसको दृष्टि में रखते हुए यह और भी ज्यादा मुनासिब और उचित है कि इस बिल को बहुत जल्दी से पास न किया जाय । इस सम्बन्ध में लोक-सभा के मेम्बरों का नाम लिया जा रहा है, हमारी सरकार और हमारी पार्टी का नाम लिया जा रहा है । इसलिये मुनासिब यह हो कि सग को इस बात का मौका दिया जाय कि वे ज्यादा डिटेल में जाबर इस पर विचार करें ।

जहां तक प्राइवेट सैक्टर का ताल्लुक हैं, मैं मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहती हूं कि प्राइवेट सैक्टर में किस को प्राटेक्शन चाहिए । क्या इस बिल मैं कोई ऐसी डेफ़ीनीशन है कि कम्पनी कौनसी होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए या बड़ी होनी चाहिए ? जिसकी ज़मीन ली जा रही है, क्या इस बात को स्पष्ट किया गया है कि वह थोड़ी ज़मीन वाला होना चाहिए या ज्यादा ज़मीन वाला होना चाहिए ? अगर इस बात को साफ़ न किया गया, तो इसका मतलब तो यह होगा कि सरकार ज़मीन के छोटे से छोटे मालिक से भी ज़मीन लेकर, जिसके पास थोड़ी से थोड़ी ज़मीन है, उस को एक्वायर करके, उसको बेरोज़गार कर सकती है ।

जहां तक कम्पनी का ताल्लुक है, यह डिफ़ाइन किया गया है कि एसी कम्पनी हो, जो सौ से ज्यादा आदमियों को एम्पलाय करती हो । जहां तक मेरा ख्याल है, मैं मन्त्री साहब से निवेदन करना चाहती हूं कि अगर सरकार को बीच में पड़ कर किसी की हिफ़ाज़त करनी है, तो उनकी नहीं करनी चाहिए, जो कि सौ से ज्यादा आदमियों को एम्पलाय कर सकते हैं, बल्कि उसको उन लोगों की हिफ़ाज़त करनी चाहिए, जो सौ आदमियों से कम एम्पलाय कर सकते हैं । जो बड़े बड़े कारखानों के मालिक हैं, बड़े बड़े पूंजीपति हैं, जो सौ या हजार आदमियों को एम्प्लायमेंट दे सकते हैं, वे हर कीमत पर बहुत अच्छी तरह नेगोशिएट करके ज़मीन ख़रीद सकते हैं और ख़रीदते हैं । लेकिन जो छोटे आदमी हैं—चाहे वह एक हो—जिनको अपने रोज़गार के लिये मारे मारे फिरना पड़ता है, चाहे वह दुकानदार हो, चाहे उसने एक कारखाना लगाना हो और चाहे उसने घर बैठ कर कोई काम-धंधा करना हो उसके लिये ऐसा कोई कानून नहीं है कि उसके लिये ज़मीन एक्वायर करके उसको दे दी जाये । इसके मुकाबले में सरकार उन धनी आदमियों के लिये कानून ला रही है, जो कि सौ आदमियों को एम्पलाय कर सकते हैं और उस कानून के मुताबिक सस्ती जमीन एक्वायर करके उनको दी जायगी ।

मुझे याद है कि यहां दिल्ली में स्लम क्लीयरेंस के लिये एक कानून बनाया गया, जिसके मुताबिक यह फ़ैसला हुआ कि उन लोगों के लिये सस्ती ज़मीन एक्वायर की जाये, जो कि झोंपड़ियों में

रहते थे, मज़दूर थे, फुटपाथ पर पड़े हुए थे, जिनको कार्पोरेशन के लोग दिन रात तंग करते थे और जिनकी झौंपड़ियां गिरा गिरा कर फेंक देते थे। उन लोगों के लिए उसी फ़ार्मूले के अन्तर्गत सस्ती ज़मीन एक्वायर करने का प्राविज़न रखा गया था, जिस फ़ार्मूले के मुताबिक इस बिल में ज़मीन एक्वायर करने की बात हो रही है। जब वह बिल पास हो गया, तो मालूम यह हुआ कि जिस ज़मीन पर पहले से झोंपड़ियां बनी हुई हैं, वह तो स्लम क्लीयरेंस के अन्तर्गत आ जाती हैं, लेकिन दिल्ली शहर में स्थित धनी लोगों की वह बीसियों, सैकड़ों और हजारों गज़ ज़मीन, जो कि खाली पड़ी है, किसी काम नहीं आ सकती है। वह उस तरह से सस्ती एक्वायर नहीं की जा सकती है—न उसको गवर्नमेंट एक्वायर कर सकती है और न वह किसी को-आपरेटिव सोसायटी को दी जा सकती है। उसको किसी भी तरह से सस्ता एक्वायर नहीं किया जा सकता है। मैं निवेदन करना चाहती हूं कि जब छोटे लोगों के लिये सस्ती ज़मीन एक्वायर करने की कोई व्यवस्था नहीं है, तो बड़े बड़े लोगों के लिये सस्ती ज़मीन एक्वायर करने के लिये छोटे लोगों को बेरोज़गार करके उनकी ज़मीन लेना बहुत अन्याय की बात है।

एक अमेंडमेंट के द्वारा माननीय मन्त्री ने जो शब्द "एक्टिविटी" जोड़ दिया है वह भी मुझे ऐतराज़ की बात मालूम होती है। अगर वह यह समझ रहे हैं कि शब्द "एक्टिविटी" को को-आपरेटिव सोसायटीज़ को कतर करने के लिये डाला गया है, तो मैं निवेदन करूंगी कि जहां तक को-आपरेटिव सोसायटीज़ का ताल्लुक है, ऐसी खुली छट उनको भी नहीं देनी चाहिये कि वे किसी भी परपज़ के लिये सस्ती ज़मीन ख़रीदें। जब यहां पर रिहैबिलिटेशन के कानून के मातहत बहुत सी ज़मीन छोटे आदमियों और छोटे किसानों से ली गई और कई हाउसिंग को-आपरेटिव को दे दी गई, तो वे उसका मनमाना दाम लेते हैं, बड़ी भारी कीमत चार्ज करते हैं, मनी-मेकिंग करते हैं और खूब मुनाफा कमाते हैं। उसकी कोई रोकथाम नहीं है।

जैसा कि एक माननीय सदस्य ने कहा है, प्राइवेट सैक्टर के जो आदमी कारखाना खोल कर उसमें कपड़ा वगैरह जो भी चीज़ प्रोड्यूस करते हैं, जब उसकी कीमत पर कोई कन्ट्रोल नहीं है, तब उसी तरह उन को जो ज़मीन देते हैं, बेचते हैं, उसकी कीमत पर कोई कण्ट्रोल नहीं हो सकता है। वे उसको जो चाहे करें, सरकार उसको काबू नहीं कर सकती है। इसलिये चाहे को-आपरेटिव हों, चाहे प्राइवेट लोग हों, उनको इस तरह की खुली छूट देना कि वे "एक्टिविटी" के लिये सरकार द्वारा एक्वायर की गई सस्ती ज़मीन हासिल कर सकें, ठीक नहीं है। मैं आपको बताना चाहती हूं कि आज "पब्लिक परपज़" का बहुत मिसयूज़ होता है। मैंने एक स्कूल का कांस्टीट्यूशन देखा, जिसमें लिखा हुआ था कि "टू विल फ़ार्म दि क्वोरम"। उस संविधान के मुताबिक दो आदमी क्वोरम पूरा करते थे और इसलिये वे पति-पत्नी घर बैठ कर रोज़ मीटिंग करके मिनट्स पर दस्तख़त कर देते थे। कानसिलियेशन आफिसर ने उस स्कूल का एक डिस्पूट मेरे पास भेजा। चूंकि कायदे-कानून में लिखा था कि दो से क्वोरम होगा, इसलिये हर पेज पर पति-पत्नी ने मीटिंग के मिनट्स पर दस्तखत कर रखे थे।

मैं कहना चाहती हूं कि कम्पनीज़ और सोसायटीज़ भी ऐसी ही हो सकती हैं और इस तरह का वेग कानून बना कर "पब्लिक परपज़" का मिसयूज़ किया जा सकता है। अगर को-आपरेटिव्ज़ की मदद करने के लिये "एक्टिविटी" को जेनरल छोड़ दिया जाये, तो मुनासिब नहीं होगा। यह डिफाइन करना चाहिये कि किन लोगों को ज़मीन देनी चाहिए।

दिल्ली क्लाथ मिल दिल्ली की सबसे बड़ी मिल है। इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट ने कोड़ियों के मोल ज़मीन ख़रीद कर उन को दी, ताकि वे दिल्ली शहर के बाहर अपनी मिल ले जायें, क्योंकि शहर के अन्दर मिल कारखाने नहीं होने चाहियें। आज दिल्ली क्लाथ मिल वहीं पर मौजूद है और आसपास के घरों

[श्रीमती सुभद्रा जोशी]

में कोयला और धुआं फेंक रही है और जो जमीन कोड़ियों के मोल उन को दी गई, वहां पर उन्होंने अपना दूसरा कारखाना बना लिया है। इससे साफ़ ज़ाहिर हो जाता है कि जब एक बार किसी को जमीन दे दी जाती है, तो उस पर कोई काबू नहीं है। इसलिये "पब्लिक परपज़, "पब्लिक इन्ट्रेस्ट" और को-आपरेटिव्ज़ की मदद की बात करके ऐसा कानून पास करना मेरे विचार में बहुत अनुचित है।

इसलिये मैं निवेदन करूंगी कि, जैसा कि इस हाउस के ज्यादातर साथी मांग कर रहे हैं, इस बिल को सिलेक्ट कमेटी के पास भेज देना चाहिये।

†**श्री कृष्ण पाल सिंह** (जलेसर): यह बड़े आश्चर्य की बात है कि खाद्य तथा कृषि मन्त्री इस प्रकार का विधेयक प्रस्तुत करके कृषकों की भूमि को अर्जित किया जायेगा और उसे उद्योग पतियों को दिया जा रहा है। ऐसा काम करने से तो यह अच्छा था कि मन्त्री महोदय त्याग पत्र दे देते। जिस व्यक्ति से देश की कृषि के कल्याण की आशा की जा रही थी वही किसानों को भूमि से वंचित कर रहा है। १९५८-५९ में ३००० लाख हैक्टर भूमि थी जिसमें से ४६० लाख हैक्टर कृषि के लिये उपलब्ध नहीं थी। ३८४ लाख हैक्टर भूमि ऐसी है जिस पर सिंचाई नहीं होती। क्योंकि बहुत सी भूमि खेती के योग्य नहीं है और उस पर जंगल है अतः उस भूमि को अर्जित करने की कोई आवश्यकता नहीं जिस पर खेती होती है। मुझे इस बात का सन्तोष है कि विधेयक को पर्याप्त समर्थन प्राप्त नहीं हुआ। शासक दल के सदस्यों ने भी उसका समर्थन नहीं किया है। मेरा निवेदन है कि सरकार को इसे वापिस ले लेना चाहिये। इसे पारित करके सरकार का कुछ गौरव नहीं होगा।

डा० मा०श्री० अणे (नागपुर) : इस विधेयक पर यदि इसके होने वाले परिणामों की दृष्टि से विचार किया जाय तो इसके बड़े दूरगामी परिणाम होने वाले हैं। मेरे विचार में इस विधेयक पर विचार करने में शीघ्रता से काम नहीं लिया जाना चाहिये। मेरा निवेदन है कि सदन को यह अवसर दिया जाय कि वह पहिले यह समझ जाय कि वास्तव में यह विधेयक है क्या।

उच्चतम न्यायालय के एक निर्णय के कारण इसकी आवश्यकता उत्पन्न हुई है। परन्तु सरकार को यह नहीं भूलना चाहिये कि जब तक कि ऐसे निर्णय के परिणामस्वरूप कोई संकट उत्पन्न होने की सम्भावना न हो तब तक कानून में संशोधन नहीं किया जाना चाहिये। हमने न्यायपालिका की उच्चतम स्थिति को स्वीकार किया है। अतः इस समय यह देखा जाना चाहिये कि क्या उच्चतम न्यायालय के निर्णय के परिणामस्वरूप ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गयी है? यह बहुत ही विवादास्पद विधेयक है, अतः इसे प्रवर समिति को सौंपे जाने का सुझाव विचार किये जाने योग्य है। इससे यह होगा कि स्थिति पर विस्तारपूर्वक पुनर्विलोकन किये जाने का अवसर मिलेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

उच्चतम न्यायालय के निर्णय के परिणामस्वरूप यह स्थिति उत्पन्न हुई है। और इस विधेयक को प्रस्तुत किया गया है। लेकिन सरकार को यह नहीं भूलना चाहिये कि जब तक ऐसे निर्णय के परिणामस्वरूप कोई संकट उत्पन्न होने की सम्भावना न हो तब तक कानून में कोई संशोधन नहीं किया जाना चाहिये। इसलिये यह सुझाव अच्छा है कि इसे प्रवर समिति को सौंप देना चाहिये। सभा के सामने मुख्य प्रश्न यह है कि क्या उच्चतम न्यायालय के निर्णय के परिणामस्वरूप ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। विधेयक को एक प्रकार समिति को निर्दिष्ट करने का सुझाव विचार करने के योग्य है क्योंकि उससे स्थिति के विस्तारपूर्वक पुनर्विलोकन किये जाने का अवसर मिलेगा।

इस विधेयक का उद्देश्य एक तो उच्चतम न्यायालय के निर्णय से उत्पन्न स्थिति का निरसन करता है तथा दूसरा अब तक के सभी अक्षम अधिनियमों को सक्षम बनाना है। तीसरे यह "सार्वजनिक प्रयोजन" के क्षेत्र को विस्तृत एवं व्यापक बनाता है। मेरे विचार में इसकी यह व्यापक परिभाषा ठीक नहीं है। इसलिये यह व्याख्या निश्चित की जानी चाहिये।

मुख्य अधिनियम की धारा ३८ से ४१ तक एक साथ पढ़ी जानी चाहिये जैसा कि उच्चतम न्यायालय ने संकेत किया है। विधेयक की सबसे आपत्तिजनक बात यह है कि इसे भूतलक्षी प्रभाव से लागू किया जा रहा है, वह अवैध कार्यों को वैधता प्रदान करने का प्रयत्न है। अन्त में मैं यही निवेदन करूंगा कि इस विधेयक को प्रवर समिति को सौंपा जाये जो इस पर अच्छी तरह विचार करे। इसमें कोई लाभ नहीं कि इसे यहां जल्दी से पारित कर दिया जाये।

श्री जेधे (बारामती) : "समितियों" के बारे में मैंने एक संशोधन रखा है। समितियां कुछ सीमित व्यक्तियों के द्वारा बनती हैं और उनके इस समिति में शेयर अंश होते हैं। और जो व्यक्ति इस समिति का भागीदार नहीं हैं उसे इस समिति द्वारा अर्जित भूमि में से कोई भूमि नहीं मिलेगी। इसलिये "सार्वजनिक प्रयोजन" शब्द की व्याख्या ठीक नहीं है। उसे और भी स्पष्ट किया जाना चाहिये। इस लिये मेरा निवेदन है कि नये उपखण्ड (क) में सहकारी समितियां भी सम्मिलित की जानी चाहियें। सरकार यह भी बताये कि क्या विधेयक की सम्बन्धित धाराओं में सहकारी आवास समितियां भी आ जायेंगी।

†**श्री अ० श० आल्वा** (मंगलौर) : उच्चतम न्यायालय के निर्णय के फलस्वरूप यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है।

मूल अधिनियम १८९४ में पारित किया गया था और उस समय "सार्वजनिक प्रयोजन" का जो अर्थ था अब उसमें काफी परिवर्तन हो गये हैं।

विधेयक की धारा ४० में प्रयुक्त "जिनसे देश के आर्थिक विकास में योग मिलने की सम्भावना हो" शब्द अनिश्चित है उससे समवायों को उचित प्रतिकर का भुगतान बचाने में मदद मिलेगी। और वे भूमि का अर्जन करने में सरकार की सहायता मांगेंगे। जिन समवायों को इस विधेयक के अन्तर्गत भूमि मिलनी चाहिये उनको इसमें श्रेणीबद्ध किया जाना चाहिये। अन्यथा सरकार को भ्रष्टाचार आदि के अनेक आरोपों का सामना करना पड़ेगा। यह आवश्यक है कि इस विधेयक को जल्दी से जल्दी पारित किया जाना चाहिये अतः मैं इस विधेयक का पूर्ण समर्थन करता हूं। और यह निवेदन करता हूं कि इसे प्रवर समिति को सौंपा जाये जो इसकी अच्छी छानबीन कर सके। तथा अपना प्रतिवेदन एक सप्ताह में या उससे भी पहिले दे।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री सिंहासन सिंह (गोरखपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, यह भूमि अधिग्रहण संशोधन बिल जिस मंत्री के द्वारा उपस्थित किया गया है वह एक आश्चर्य का विषय है। क्योंकि वह हमारे खाद्य और कृषि मंत्री हैं और काश्तकारों की जमीन बचाने वाले हैं लेकिन आज शायद वह उनके कुछ विरुद्ध जान पड़ते हैं। खाद्य मंत्री महोदय ने इंडस्ट्रियलिस्ट्स की तरफ से किसानों को जमीन लेने के लिये सदन के सामने यह विधेयक उपस्थित किया है। दिल में उनके भले ही कुछ हो लेकिन इस विधेयक से नतीजा यही निकलने वाला है। वह समझते हैं कि एक तरफ तो खाद्य की वृद्धि हो और दूसरी तरफ इंडस्ट्रीज की वृद्धि हो, दोनों में संतुलन होना चाहिए, इस विचार से उन्होंने यह संशोधन विधेयक उपस्थित किया है या किस विचार से किया है यह तो वही बेहतर जानते हैं लेकिन इसका जो असर पड़ने वाला है उसकी तरफ मैं आपका कुछ ध्यान दिलाना चाहता हूं।

सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट मैंने देखा। वहां ३ महीने में लैंड एक्वायर हुए थे जो कि मैं समझता हूं कि दुनिया में शायद आज तक कहीं भी ऐसा ऐक्वीजीशन नहीं हुआ होगा। मई महीने में दरख्वास्त पड़ती है और जुलाई में लैंड ऐक्वायर कर लिया जाता है। हाईकोर्ट में रिट पटीशन करते हैं। ३१ जुलाई को हाईकोर्ट यह कहता है कि जमीन पर कब्जा हो गया और वह अपील खारिज हो जाती है फिर उसके बाद पार्ट ७ की जो कार्यवाही है वह गवर्नमेंट ने बेकार की है। जमीन पर कब्जा कर लिया था। जब हाईकोर्ट ने कहा कि यह कार्यवाही होना चाहिए तो बाद में कार्यवाही होती है। कार्यवाही होने के बाद फिर दूसरी रिट पैटीशन करते हैं कि यह कार्यवाही गलत है क्योंकि यह बाद को हुई और पुनः वह रिट खारिज हो जाती है। हाई कोर्ट ने प्रार्थी को सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की आज्ञा प्रदान की और सुप्रीम कोर्ट में अपील हुई। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि सब गलत है अनियमितता हुई है। आज हमारे मंत्री महोदय ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के कारण बड़ी उथल पुथल की संभावना है इसलिए आर्डिनेंस की जरूरत पड़ी। और इस कानून को तुरन्त तबदील करने की जरूरत पड़ी। मैं बहुत अदब से कहना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट १५ दिसम्बर, सन १९६१ को और यह आर्डिनेंस बना २० जुलाई, सन १९६२ को। सात महीने का अवकाश मिला। इस सात महीने के अन्दर आपके पास कितने आंकड़े हैं जिन आंकड़ों से आप यह साबित कर सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के आधार पर इतनी उथल पुथल हो गयी ?

[श्री मूलचन्द दुबे पीठासीन हुये]

श्री सिंहासन सिंह : कितने लोगों ने इस बारे में दरख्वास्तें दीं ?

†**श्री स० का० पाटिल** : भारत के आधे से अधिक राज्यों ने।

†**श्री सिंहासन सिंह** : कितने व्यक्तियों ने आवेदन किया .....

†**श्री स० का० पाटिल** : व्यक्ति राज्य सरकारों को आवेदन देते हैं।

†**श्री सिंहासन सिंह** : ऐसे कितने व्यक्तियों ने भूमि को फिर से पाने के लिये आवेदन किया जिनकी भूमि इस अधिनियम के अधीन अर्जित की गई थी ?

†**श्री स० का० पाटिल** : यह प्रश्न राज्य सरकारों से किया जाना चाहिये।

†**श्री सिंहासन सिंह** : जब आप विधेयक प्रस्तुत करते हैं तो आपके पास आंकड़े होने चाहिये। क्या उथल पुथल हो गयी वह तो कुछ बतलाया नहीं जाता है। अब जैसा कि आप कहते हैं कि स्टेट्स के पास इसके फीगर्स होंगे तो आपका यह कह देना ही काफी नहीं है बल्कि जब कि यह विधेयक ला रहे हैं तो आपके पास वह सब आंकड़े रहने चाहिएं, मैटीरियल रहना चाहिए।

---

†मूल अंग्रेजी में

जिस तरह से यह कानपुर में लैंड ऐक्वायर हुआ उस जल्दबाजी की ओर आप जरा ध्यान देवें कि तीन महीने में लैंड ऐक्वायर हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट के आर्डर को कम्पलाई करना चाहते थे : सात महीने तक उसको कम्पलाई नहीं किया जाता है। आप स्वयं देखें कि तीन महीने में लैंड ऐक्वायर हो जाये और कुल कार्यवाही हो जाये कानून के विरुद्ध और सात महीने तक सुप्रीम कोर्ट की आज्ञा का पालन न हो। अब यह सुप्रीम कोर्ट की आज्ञाओं का गवर्नमेंट द्वारा अवलेहना करना है या उनका पालन करना है ? उसकी आज्ञा का पालन नहीं हुआ। पालन किस रूप में हो रहा है ? आर्डिनेंस के रूप में पालन हो रहा है। अब आर्डिनेंस पास करने का भी जहां तक सम्बन्ध है संविधान की धारा १२३ में साफ दिया हुआ है कि ऐसे समय जब कि पार्लियामेंट का सेशन न हो रहा हो और देश में इस तरह के गैर मामूली हालात पैदा हो जायें जिससे कि तात्कालिक कदम उठाने की जरूरत पड़ जाये तो प्रेसीडेंट उस दौरान में आर्डिनेंस जारी कर सकता है। अब जहां तक सरकार द्वारा स बारे में आर्डिनेंस जारी करने का सवाल है मेरा कहना यह है कि ६ अगस्त को पार्लियामेंट बैठने वाली थी और पार्लियामेंट उसके पहले भी हुई। हमारी पार्लियामेंट बैठी थी। जहां तक मुझे याद है ९ मई से जून तक हम पार्लियामेंट की कार्यवाही करते रहे। जजमेंट सरकार के सामने मौजूद था। पार्लियामेंट का लम्बा सेशन भी हुआ और फिर भी होने वाला था फिर बीच में क्या चीज हो गई जिसकी कि वजह से २० जुलाई को सरकार ने यह आर्डिनेंस पास कर दिया। मालूम ऐसा पड़ता है जैसा कि बनर्जी साहब ने बतलाया कि बीच में बातचीत चल रही थी, चीफ मिनिस्टर से करसपोंडेंस चल रही थी वह मामला तय नहीं हुआ फिर दौड़ कर यहां आये। अब सौभाग्य से या दुर्भाग्य से वह सम्बन्धित व्यक्ति आज पार्लियामेंट के मेम्बर भी हैं और उनको और हमको आपको गौर करना चाहिए कि जहां हमारा आपका नाम घसीटा जाता हो और उसका सम्बन्ध मेम्बर से हो तब तो हमें इस तरह की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, इस तरह की कार्यवाही करने से थोड़ा बहुत विलम्ब करना चाहिए था, सोच विचार कर लेना चाहिए था क्योंकि इस तरह से तो हम पार्लियामेंट के मेम्बर्स बदनाम हो सकते हैं कि पार्लियामेंट के मेम्बर्स अपने मुआफिक कानून भी बनवा लेते हैं। अपने मुआफिक आर्डिनेंस भी बनवा लेते हैं।

मंत्री महोदय ने अपनी स्पीच में बड़े जोरों से कहा कि गवर्नमेंट की जो कारपोरेशंस हैं उनमें भी दिक्कत हो रही है और आगे भी हो सकती है। इसके सम्बन्ध में मैं सुप्रीम कोर्ट को ही जजमेंट का ही वह रेलेवेंट हिस्सा आपको पढ़ कर सुना देना चाहता हूं जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर और अनऐमबिगुएस शब्दों में इस बात को कहा है कि गवर्नमेंट जो लैंड अपने परपज के लिए ले रही है उसके बारे में वह कोई राय नहीं दे रहेहैं।

इस तरह से आप देखेंगे कि उन्होंने स्टेट ओंड कारपोरेशन के बारे में साफ कह दिया है कि यह जजमेंट उनके लिए लागू नहीं है। यह केवल प्राइवेट कम्पनियों के लिए लागू हैं। यही नहीं बल्कि लैंड ऐक्वीजीशन ऐक्ट का सैक्शन ३९ भी यही कहता है। उसमें दिया हुआ है कि सैक्शन ६ से ३७ ऐप्लाई नहीं करेंगे। आम तौर पर यह प्राइवेट कम्पनीज के लिए ऐप्लाई नहीं होंगे। सैक्शन ३९ इस प्रकार है :—

> "धारा ६ से ३७ (दोनों शामिल हैं) किसी समवाय के लिये मुझे अर्जन करने के लिये उस समय तक प्रयोग नहीं लाये जायेंगे जब तक कि उपयुक्त सरकार की पूर्वानुमति न हो अथवा उस समवाय ने उसके बाद बैनामा न किया हो।"

इस तरह से जो कुछ कार्यवाही है अथवा रोकथाम है वह प्राइवेट कम्पनियों के लिये है। आपके लिए इस एक्ट में कोई रोकथाम और बाधा नहीं है ? सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में भी आपके बारे में कुछ नहीं कहा। दामोदर वैली कारपोरेशन का सैक्शन ५० रैफर हुआ था। उसके ऊपर

[श्री सिंहासन सिंह]

भी उन्होंने कहा था कि हम कोई राय देने को तयार नहीं हैं । लेकिन जहां तक गवर्नमेंट की कुल कायवाही का सम्बन्ध है उसके बारे में जब उनकी राय आती है तब आप कहते हैं कि हमारे काम में बाधा पड़ रही है । सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से साफ जाहिर है कि स्टेट ओंड कारपोरेशन के बारे में उन्होंने कोई बाधा नहीं खड़ी की है और उनके काम के बारे में वह कोई दखल नहीं दे रहे ह ो भी आप प्राइवेट कम्पनीज और लोगों को बचाने के लिए कद पड़े । मैं नहीं समझ सकता कि इस तरह से गवर्नमेंट क्यों जल्दबाजी कर रही है और हर जगह जो जल्दी की जा रही है वह किस उद्देश्य से और किस परपज को लेकर की जा रही है ?

अब आप वर्तमान संशोधन विधेयक पर थोड़ा विचार करें । अगर यह अमेंडमेंट बिल इसी रूप में पास हो गया तो इस कानून का क्या स्वरूप होगा । इसके पास हो जाने के बाद लैंड ऐक्वीजीशन ऐक्ट का जो सैक्शन ४० है और उस की जो ४०(१)(ए) और ४० (१)(बी) की दो उपधाराएं हैं उनके बीच में अर्थात् क्लाज (ए) के बाद जो आप (एए) क्लाज जोड़ रहे हैं तो मेरा कहना है कि इस (एए) जिसे आप जोड़ रहे हैं यह ऊपर और नीचे के दोनों क्लाज बेकाम हो जाती हैं ।

(एए) क्लाज इन दोनों को बकाम कर देता है । उन के बीच में जो "और" वड रक्खा गया है वह इन्हीं बातों की जांच करने को रक्खा गया है । लेकिन यह बीच में आप क्या घुसेड़ रहे हैं ? इस (एए) ने तो दोनों क्लाजों को ही बेकाम कर दिया है । क्लाज २(एए) जो आप नया जोड़ने जा रहे हैं वह इस प्रकार हैं :—

> "(कक) यह अर्जन मकान अथवा किसी ऐसे समवाय का कोई निर्माण कर काय करने के लिय आवश्यक होता है, जो कि किसी उद्योग में लगी अथवा काम शुरु करने वाली है ।

आप कहते हैं कि हम ने खाली कोआपरेटिव्स के लिये किया है । लेकिन आप स्वयं गौर करें कि इस के रहते कौन सी अपनी कम्पनी ऐसी होगी जो कि पहले और दूसरे में एप्लाई करेगी वह तो तीसरे में एप्लाई करेगी और कहेगी कि हम डेवलपमेंट के लिये कर रहे हैं । नतीजा यह होगा कि सैक्शन ४० के ए और बी दोनों सैक्शनों को इनडायरेक्टली आप रिपील किये देते हैं । उन का कोई मतलब नहीं रह गया है ।

सैक्शन ४१ को भी आप अमेंड कर रहे हैं । यह चीजें गवर्नमेंट देखेगी इस को आप कहते हैं कि गवर्नमेंट कुछ नहीं देखेगी । जो दरख्वास्त ए० और बी० में पड़ी है उस को ही देखा करेगी। अब (एए) में ही सारी दरख्वास्तें पड़ेंगी कि मुझे जरूरत है जमीन की हम फैक्टरी बनायेंगे और गवर्नमेंट कहेगी कि जरूरी है तो वह पबलिक परपज हो गया और जमीन एक्वायर कर ली जायगी और कहीं पबलिक परपज नहीं है ।

यही नहीं, हमें दुख है कि सुप्रीम कोर्ट में हमारी गवर्नमेंट, उत्तर प्रदेश सरकार, की तरफ़ से अमरीका को क्वोट किया गया । हम तो एक सोशलिस्ट स्टेट बनते हैं, जबकि अमरीका कोई सोशलिस्ट स्टेट नहीं है, बल्कि वह पूरा कैपिटलिस्ट स्टेट है । अमरीका इंडिया को एड दे रहा है । उस की सीनेट ने कहा था कि हम इंडिया को पब्लिक सेक्टर की किसी योजना के लिये एड नहीं देंगे, हम एड देंगे प्राईवेट सैक्टर के लिये । आज अमरीका पब्लिक सैक्टर को एड दे रहा है ।

जो स्टेट पब्लिक सैक्टर के बिल्कुल ख़िलाफ़ है, वहां भी पब्लिक सैक्टर है । हमारी सुप्रीम कोर्ट की इसी जजमेन्ट में कहा गया है कि वहां के कांस्टीट्यशन में लिखा है :—

"किसी भी निजी भूमि को जब तक अर्जित नहीं किया जा सकता जब तक कि वह सार्वजनिक उपयोग के लिय न हो ।"

इस का मतलब है कि वहां भी पब्लिक परपज़ का ध्यान रखा जाता है और हमारे कांस्टीट्यूशन में भी पब्लिक परपज़ की बात कही गई है कि बिना पब्लिक परपज़ के कोई प्राईवट लैंड एक्वायर नहीं होगी । जब वहां यह मामला पेश हुआ, तो वहां की कोर्ट ने भी आबज़र्व किया कि अगर इस तरह से पब्लिक परपज़ के नाम पर सब ज़मीनें एक्वायर कर लिया करें, तो सब कैपिटलिस्ट्स सब ज़मीनें ले लेंगे । हमारी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसी को हम एडाप्ट करते हैं ।

इस सम्बन्ध में यह कहा गया कि सरकार को कम्पनियों का एजेन्ट नहीं होना चाहिये । लेकिन दुर्भाग्य है कि हम देखते हैं कि यह पार्लियामेंट ही इन कैपिटलिस्ट्स की एजेन्ट होने जा रही है । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मंत्री, श्री पाटिल, काश्तकारों को रिप्रेज़ेन्ट करते हैं और हम भी काश्तकारों को रिप्रेज़ेन्ट करते हैं । हम में से अधिकतर यहां पर उन काश्तकारों के वोट्स से बैठे हुए हैं, शहर वाले पूंजीपतियों के वोट्स से नहीं । चुनाव के काम में भले ही हमें उन का पैसा मिला हो, लेकिन हम उन के वोट्स से यहां नहीं बैठे हैं, बल्कि हम काश्तकारों के वोट्स से यहां बैठे हैं, जिन की ज़मीन आज इस बिल के द्वारा छीनने का विचार किया जा रहा है ।

अगर हम ने इस विधयक को पास कर दिया और इस रूप में उन काश्तकारों की ज़मीन ली जायगी, तो पता नहीं, वे क्या सोचेंग, क्या नहीं सोचेंगे, लेकिन एक बार वे यह ज़रूर सोचेंगे कि शायद यह गवर्नमेंट हम ग़रीब काश्तकारों का कम ध्यान रखती है और इंडस्ट्रीज़ के नाम पर पूंजीपतियों का अधिक ध्यान रखती है ।

सरकार मूल कानन, लैंड एक्वीज़ीशन एक्ट, के सैक्शन ४०(१) में (ए ए) जोड़ कर उस एक्ट को इनडायरेक्टली एक दम से रेपील कर रही है । उस एक्ट में कम्पनियों के लिय ज़मीन लेने का कहीं पर कोई प्राविज़न नहीं है, सिवा सेक्शन ४० के, जिस में वर्कर्ज़ के लिये ड्वैलिंग हाउसिज़ बनाने और पब्लिक युटिलिटी के काम के लिये लैंड को एक्वायर करने की व्यवस्था की गई है । अब सरकार उस सैक्शन में ऐसा संशोधन कर रही है कि अब कम्पनी वाले कम्पनी के बनने पर शुरू में ही ज़मीन ले लेंगे, जब चाहे तब ले लेंगे और प्राइवेट नेगोशिएशंज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी । पहले कम्पनी वालों को यह प्रूव करना पड़ता था कि वे प्राईवट नेगोशिएशंस से ज़मीन लेने में फ़ेल हुए हैं और उन को ज़मीन नहीं मिल रही है, तब गवर्नमेंट मदद को आती थी । अब यह होगा कि कोई प्राईवट नेगोशिएशन्ज़ की ज़रूरत नहीं है । इस अमेंडमेंट के बाद बिला किसी प्राईवट नेगोशिएशंज़ के कम्पनी वाला सीधे लैंड एक्वीज़ीशन आफ़िसर को दरख़्वास्त देगा कि मुझे ज़मीन चाहियें, मुझे ज़मीन नहीं मिल रही ह और मुझे अमुक काम करना है, जिस से जन-समूह का लाभ होने वाला है । इस तरह जन-समूह के लाभ के अन्तर्गत आ कर सब ज़मीन चलीं जायगी । वह किस भाव और दाम पर चली जायगी, इस का एक उदाहरण दे कर मैं अपनी बात ख़त्म करूंगा ।

[श्री सिंहासन सिंह]

इसी दिन्ली शहर का मामला है । इस शहर के अगल-बग़ल के काश्तकारों की ज़मीन डेढ़ आना स्क्वयर फुट के हिसाब से यहां की कार्पोरेशन ने डेवलपमेंट करने के लिये ली थी । वही ज़मीन उस ने दे दी यहां के पूंजीपतियों को और वह ज़मीन सात आठ रुपये गज़, कई रुपये गज़, के हिसाब से बिकने लगी । प्रधान मंत्री ने पिछले होम मिनिस्टर, स्वर्गीय पन्त जी, से इस के बारे में इस लोक सभा में मेरे द्वारा प्रश्न उठाने पर कहा था कि यह बहुत अनुचित है और हम इस की जांच करेंगे । जांच हुई और काश्तकारों को कुछ और दाम मिल गये होंगे, लेकिन वह ज़मीन उन के हाथ से निकल गई । इसी तरह सब ज़मीनें निकल जायेंगी ।

इस बिल में यह भी कहा गया है कि यह ज़रूरी नहीं है कि कोई कम्पनी इस प्रकार का काम कर रही हो, चाहे वह काम न करती हो, वह केवल सोचती हो कि आईन्दा काम करेंगे—इस बिल में ये शब्द हैं : "टु बि इंगलैंड"—, तो उस के लिये भी ज़मीन ले ली जायगी । हम तो नहीं समझते कि यह बिल किसी उचित कानून या ला की परिधि या क्षेत्र में आता है, या न्याय की दृष्टि से इस योग्य है कि हम इस का समर्थन कर सकें ।

उन काश्तकारों के नाम पर, जिन के हितों की रक्षा का माननीय मंत्री जी दम भरते हैं, जिन की कमाई और अन्न की उपज के बल पर वह कहते हैं कि हम ने देश में अन्न की पूर्ति करने का बीड़ा उठाया है और शायद दो चार बरस के बाद हम को इस सम्बन्ध में अमरीका की शरण नहीं लेनी पड़ेगी, हम माननीय मंत्री जी से अपील करेंगे कि वह इस बिल के बारे में पुनर्विचार करें । वह इंडस्ट्रीज़ कायम करें, लेकिन हमारी कास्ट पर नहीं, मुल्क के अन्न की कास्ट पर नहीं, इस तरह के कानून के द्वारा काश्तकारों के साथ अन्याय कर के नहीं ।

मैं फिर अर्ज़ करूंगा कि हालांकि यह मूल कानून ब्रिटिश टाइम का है और ब्रिटिश सरकार हमारा कम ख़याल करती थी, लेकिन उस ने भी प्राईवेट ओनर्ज़ और काश्तकारों के हितों का ख़याल कर के यह कानून बनाया । हम ने अपना संविधान बनाया, लेकिन उस के आधार पर आज हम सब कुछ मिटियामेट कर के उस कानून में ऐसा संशोधन करने जा रहे हैं, जिस से सिवा पूंजीपतियों के किसी को कोई लाभ नहीं होगा । इस संशोधन के बाद पूंजीपति जब चाहेंगे, तब कोई ज़मीन ले लेंगे । जहां तक दाम का प्रश्न है, पंद्रह परसेंट क्या होता है ? उस का मिलना या न मिलना एक ही बात है और उस से कुछ बनने बिगड़ने वाला नहीं है ।

माननीय मंत्री जी यह भी सोच समझ लें कि उन के पक्ष और उन की पार्टी के आदमी ये विचार प्रकट कर रहे हैं । वे वह देखें कि कितने मनानीय सदस्य बोले हैं और उन में से कितनों ने उन को सपोर्ट किया है । वह विरोधी दलों को छोड़ दें । हम तो उन के ही साथी हैं । हम उन के विरोधी नहीं हैं । जब हम इस बिल के बारे में ऐसा अनुभव करते हैं, तो हम अनुरोध करेंगे कि वह भी हमारे साथ ऐसा ही अनुभव करें । इस बिल से न देश का कल्याण होने वाला है और न किसी और का कल्याण होने वाला है । हो सकता है कि पूंजीपतियों के एक वर्ग-विशेष का इस से कल्याण हो लेकिन केवल उन के लिये ही यह पार्लियामेंट नहीं बनी हुई है । यह पार्लियामेंट सब के लिये बनी हुई है ।

मैं माननीय मंत्री जी से फिर अर्ज़ करूंगा कि वह इस बिल को वापस ले लें। जहां तक आर्डिनेंस के लैप्स होने का सवाल है, उस से दुनिया मिटने वाली नहीं है। जब पिछले सात महीनों में कुछ नहीं हुआ है, तो इस पर और विचार कर लें। वह इस को सिलेक्ट कमेटी को रेफ़र कर दें। अगर बहुत जल्दी है, तो चूंकि यह सेशन ७ सितम्बर तक चल रहा है, इसलिये और बिज़िनेस को मुल्तवी कर दिया जाय। सिलेक्ट कमेटी पांच दिन बैठ कर इस पर विचार करे और सितम्बर के पहले हफ्ते में इस बिल को ले लिया जाये। इस बिल का रूप बदल कर इस को इस सदन में पास किया जाय, ताकि हम समझ सकें कि पूरा ग़ौर करने के बाद हम ने इस को पास किया है।

श्री भू० ना० मंडल (सहरसा) : सभापति जी, अभी जो विधेयक हम लोगों के सामने आया है, उस के सम्बन्ध में कुछ बातें ध्यान देने लायक है।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुये]

अभी हाल में सुप्रीम कोर्ट में एक केस का फ़ैसला हुआ है, जिस का असर यह हुआ है कि इस देश के जो पूंजीपति सरकार के ज़रिये किसी बहाने से ज़मीन एक्वायर करवाते थे वे अब उस ढंग से नहीं करवा सकेंगे। इस का परिणाम यह हुआ कि उन लोगों ने सरकार के बड़े बड़े लोगों के बीच में आन्दोलन किया, जिस का नतीजा यह हुआ है कि सरकार की ओर से यह बिल इस हाउस में लाया गया है।

यह बिल जिस वजह से लाया गया है, उस सिलसिले में ध्यान देने की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस बात की ओर इशारा किया था, वह बात सिर्फ़ प्रोसीडयर की थी कि किस ढंग से काम होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि ज़मीन एक्वायर करने से पहले यह बात निश्चित तरीके से साबित हो जाये कि जो ज़मीन ली जा रही है, वह पब्लिक परपज़ के लिए ली जा रही है और ज़मीन एक्वायर करने के बाद उस पर जो कुछ निर्माण किया जायगा, पब्लिक को उसे अपने काम के लिए उपयोग करने का राइट होगा।

मैं नहीं समझता हूं कि वह सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट किसी के ख़िलाफ़ था। लेकिन सरकार ने उस बात को उस ढंग से न लेकर एक भिन्न प्रकार से कार्यवाही की, जिस के परिणामस्वरूप यह संशोधक विधेयक इस सदन के सामने लाया गया है। अगर सरकार यह समझती थी कि मूल ला के सैक्शन ४० और ४१ के साथ कुछ एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत थी, तो वह एक्सप्लेनेशन भी दे देती, लेकिन ऐसी न कर के जो ला वह ला रही है, उस का यह नतीजा हो रहा है कि अब अगर पूंजीपति सरकार से कोई ज़मीन एक्वायर करवाना चाहेंगे, तो उन को इस बात को साबित करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि उन को उस ज़मीन की किसी पब्लिक परपज़ के लिए ज़रूरत है। अगर वे सिर्फ़ यह ऐलान कर देंगे, अपने मुंह से सिर्फ़ यह कह देंगे कि जो कुछ हमारा कारोबार होगा, वह इस ढंग से होगा, जिस से देश की आर्थिक उन्नति होगी और देश के लिए जो एसेंशल काम है, उस में हमारा योग होगा। जो कम्पनी इस ढंग से एलान कर दे, उस के लिए ज़मीन एक्वायर हो सकती है। जो राइट पहले उनको नहीं था वह राइट अब उनको दिया जा रहा है। जिस ढंग से यह कानून बन रहा है उसका सिर्फ एक ही मतलब हो सकता है कि आज देश का पूंजीपति वर्ग इतना प्रबल हो चुका है और उसका प्रभाव देश की केन्द्रीय सरकार तथा देश की राज्य सरकारों पर इतना जम चुका है कि वह जो कुछ भी चाहे, उनसे करवा सकता है, अपने स्वार्थ के लिए कानून बनवा सकता है। इसमें मुझे कोई आश्चर्य नहीं है कि आज की सरकार

[श्री भू० ना० मंडल]

उनके इशारे पर चल रही है। आज की सरकार जो है वह पार्टी की सरकार है और पार्टी के ऊपर ही निर्भर करती है। जिस ढंग से वह कार्य कर रही है, उससे स्पष्ट है कि वह पूंजीपतियों की सरकार हो गई है, और इस में कोई सन्देह की बात नहीं है।

यह विधेयक जो हमारे सामने आया है, यह उसका एक उदाहरण है। मैं समझता हूं कि जिस देश में गिरोहबन्दी रहती है, अलग अलग तथा परस्पर गिरोह स्वार्थ रहते हैं, और वे टक्कर खाते हैं तो देश की जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं, उनको किसी न किसी एक गिरोह के स्वार्थ का साधन बन कर रहना पड़ता है। कांग्रेस पार्टी ने इस बात को कबूल किया है, अपने दिल से और अपने कार्य से और इसको हम देख भी रहे हैं, कि हिन्दुस्तान के पूंजीपतियों के स्वार्थ का साधन वह बनी हुई है और इसीलिए उसने इस बिल को इस हाउस के सामने रखा है। में समझता हूं कि इस बिल से इस देश का अहित होने वाला है, देश की जनता का अहित होने वाला है, किसान का अहित होने वाल है, इस वास्ते यह जरूरी है कि इस बिल को वापिस लिया जाए। अगर सरकार इस बिल को वापिस नहीं लेंगी तो मैं यही समझंगा और देश की जनता यही समझेगी कि इस सरकार का कोई भी ख्याल देश की बहुसंख्यक जनता की तरफ नहीं है और जो अल्पसंख्यक पूंजीपति वर्ग है, उसकी ही यह सरकार है और उसी की खातिर इसकी सारी की सारी कार्रवाई चलती है। इसलिए मैं समझता हूं कि सरकार को इन सब बातों पर विचार करके इस बिल को विदड्रा कर लेना चाहिये।

†**श्री स० का० पाटिल** : इस विधेयक के बारे में दो सुझाव आये हैं। एक तो यह है कि इसे जनमत जानने के लिये परिचालित किया जाये और दूसरा सुझाव यह है कि इसे प्रवर समिति को सौंप जाये। जहां तक इसे जनमत जानने की बात है वह तो संभव नहीं है कि क्योंकि यह विधेयक इस सत्र की समाप्ति से पहले ही पारित किया जाना है। मैं भी चाहता था कि यदि समय होता तो इस विधेयक को प्रवर समिति या संयुक्त समिति को सौंपा जाता। लेकिन समय की कमी को देखते हुए यह संभव नहीं है। मैंने संसद कार्य मंत्री से भी सत्र बढ़ाने के लिये निवेदन किया। लेकिन वह भी संभव नहीं है। अतः ऐसी स्थिति में यह अधिक अच्छा होगा कि इस विधयक पर चर्चा स्थगित कर दी जाय क्योंकि उससे सरकार को यह विचार करने का मौका मिल जायगा कि क्या इस चर्चा में भाग लेने वाले सदस्यों द्वारा दिये गये सुझावों को पूरा करने के लिये आंवश्यक संशोधन पेश किये जा सकते हैं। अतः मेरा निवेदन यह है कि इसे किसी दूसरे दिन के लिये स्थगित कर दिया जाय।

†**अध्यक्ष महोदय** : आगामी सोमवार को इस पर विचार किया जा सकता है।

†**श्री स० का० पाटिल** : मंगलवार ठीक रहेगा।

†**अध्यक्ष महोदय** : अच्छी बात है।

†**श्रीमती सरोजिनी महिषी** (धारवाड़ उत्तर) : वैसे तो इस विधेयक के उद्देश्य से मैं सहमत हूं। लेकिन यह अच्छा होगा यदि इसे एक विशेषज्ञ समिति को सौंपा जाये। ताकि विशेषज्ञों की राय मालूम हो सके कि इसमें क्या अच्छाइयां और क्या बुराइयां हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

देश की विकसित अर्थ व्यवस्था तथा योजना को ध्यान में रखत हुए भूमि का अर्जन अत्यावश्यक है ।

"सार्वजनिक प्रयोजन" के सम्मन्ध में काफ़ी मतभेद है । न्यायालयों ने इसका निर्वाचन किसी और ढंग से किया है तथा प्रत्येक राज्य किसी और ही ढंग से करत हैं । तथा इसका निर्वाचन भी स्थान-स्थान पर बदलता रहता है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या आप अपना भाषण आज समाप्त करना चाहती है अथवा कल जारी रखेगी ।

†**श्रीमती सरोजिनी महिषी** : कल जारी रखूंगी ।

†**अध्यक्ष महोदय** : आप अपना भाषण कल जारी रख ।

इसके पश्चात् लोक-सभा बुधवार, २२ अगस्त, १९६२/३१ श्रावण, १८८४ (शक) के लिये स्थगित हुई ।

---

†मूल अंग्रेजी में

दैनिक संक्षेपिका

मंगलवार, २१ अगस्त, १९६२
30 श्रावण, १८८४ (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	१४७३--९६
तारांकित प्रश्न संख्या	
४७६ हुगली नदी पर पुल	१४७३-७४
४७७ ई० एन० आई० द्वारा छिद्रण कार्य . . .	१४७५-७६
४८० दिल्ली में हत्यायें तथा अन्य अपराध . .	१४७६--७९
४८१ कोयल के मूल्य	१४८०--८२
४८२ चीन द्वारा वायु-सीमा का उल्लंघन . . .	१४८२--८४
४८३ दुर्गापुर में धातुमिश्रित तथा विशेष इस्पात कारखाना .	१४८४--८६
४८४ केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड	१४८६--८९
४८५ चीनी राष्ट्रजन .	१४८९--९१
४८६ विमानों की टक्कर . . .	१४९१-९२
४८७ भारतीय इंजीनियरों का प्रशिक्षण . . .	१४९२--९४
४८८ सोल्वीन प्रतिनिधिमंडल की रिपोर्ट . . .	१४९५-९६
प्रश्नों क लिखित उत्तर	१४९६--१५८४
तारांकित प्रश्न संख्या	
४७८ जरूरतमन्द प्रविधिक (टेक्निकल) छात्रों को सहायता .	१४९६-९७
४७९ बाल कल्याण के लिये केन्द्रीय बोर्ड . .	१४९७
४८९ चौथी योजना के दौरान इस्पात की आवश्यकता . .	१४९७
४९० नूनमती तेल शोधक कारखाने के लिये अशोधित तेल .	१४९७-९८
४९१ दिल्ली में यातायात सम्बन्धी अपराध . . .	१४९८
४९२ केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की काम की दशा सम्बन्धी अन्तर्विभागीय समिति	१४९८-९९
४९३ हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लि०	१४९९

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

तारांकित
प्रश्न संख्या

४९४ ई० एन० आई० के साथ करार . . . १४९९
४९५ सिंगरेनी कोयला खानें . . . १५००
४९६ त्रिपुरा में बाढ़ें १५००
४९७ राष्ट्रमण्डलीय वैज्ञानिक १५००
४९८ गोआ में इस्पात संयंत्र १५०१
४९९ एवरो–७४८ . . . . . १५०१
५०० दक्षिणी-राज्यों के लिये संयुक्त पुलिस बल . . १५०१
५०१ राज्यों को कोयले का अभ्यंश १५०२
५०२ नागा विद्रोही १५०२
५०३ विमान द्वारा यात्रा पर प्रतिबन्ध . . १५०२–०३
५०४ गुजरात के लिए कोक . . . १५०३
५०५ उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति . . १५०३
५०६ कावेरी बेसिन में तेल की खोज . . . १५०४
५०७ गोरखपुर में उर्वरक कारखाना . . १५०४
५०८ जनसंख्या के आंकड़े तथा मतदाता सूचियां . . . १५०५
५०९ राजभाषा के सम्बन्ध में राष्ट्रपति के आदेश . . १५०५
५१० केन्द्रीय क्षेत्रीय परिषद् १५०५
५११ टेल्को द्वारा ट्रकों का उत्पादन १५०५–०६
५१२ नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक . . . १५०६
५१३ आयात तथा निर्यात १५०६–०७
५१४ केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के साम्प्रदायिक नाम . . १५०७
५१५ ढलाई तथा गढ़ाई का दूसरा कारखाना . . . १५०७
५१६ रूस से परिवहन विमान तथा हैलिकाप्टर . . १५०७–०८

अतारांकित
प्रश्न संख्या

१२५४ भूतपूर्व सैनिकों को पेंशन १५०८
१२५५ सहायक उपकरणों का निर्माण . . . १५०८
१२५६ स्टाक बाजार १५०९
१२५७ सिन्दरी उर्वरक कारखाना १५०९–१०
१२५८ कुल्लू और स्पिती का भगर्भीय सर्वेक्षण . . . १५१०

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर--(क्रमशः)		
तारांकित प्रश्न संख्या		
१२५९	शिक्षा सम्बन्धी पर्यटन	१५१०
१२६०	प्रादेशिक सेना	१५१०-११
१२६१	उद्योगों में भतपूर्व सैनिक	१५११
१२६२	त्रिपुरा में जनगणना	१५१२
१२६३	त्रिपुरा के महाजन	१५१२
१२६४	मलयाली भाषा का विश्वकोष	१५१२
१२६५	बहुभाषी शब्द-कोष	१५१२-१३
१२६६	जम्मू म कोयला	१५१३
१२६७	काश्मीर में सीमेन्ट उद्योग	१५१३
१२६८	त्रिपुरा में आदिम जाति रक्षित क्षेत्र	१५१४
१२६९	केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की सेवावधि बढ़ाना	१५१४
१२७०	त्रिपुरा में विस्थापित व्यक्तियों को ऋण	१५१५
१२७२	निर्वाचक नामावली का वार्षिक पुनरीक्षण	१५१५
१२७३	प्रादेशिक सेना	१५१५
१२७४	सेना मुख्यालय में प्रादेशिक सेना निदेशालय	१५१६
१२७५	दिल्ली में उपनगरीय प्रादेशिक सेना यूनिट	१५१६
१२७६	प्रादेशिक सेना यूनिट	१५१६-१७
१२७७	संगीत नाटक अकादमी के वार्षिक पुरस्कार	१५१७
१२७८	गंधक के तेज़ाब पर कर	१५१७-१८
१२७९	विदेशी छात्रवृत्तियां	१५१
१२८०	पश्चिम बंगाल में उर्वरक परियोजनायें	१५१८
१२८१	अन्दमान विशेष वेतन	१५१९
१२८२	मेहतर कार्य जांच समिति	१५१९-२०
१२८३	पश्चिम जर्मनी द्वारा भेंट किया गया मुद्रणालय	१५२०-२१
१२८४	रुपये का नया सिक्का	१५२१
१२८५	पुरानी चुनाव याचिकायें	१५२१-२२
१२८६	कोयला खानों के श्रमिकों की मजदरी	१५२२
१२८७	औद्योगिक सहकारी समितियां	१५२२-२३
१२८८	आयुध कारखाने	१५२३

प्रश्नों के लिखित उत्तर--जारी

अतारांकित

प्रश्न संख्या

१२८६	उत्तर प्रदेश के अध्यापकों का मंहगाई भत्ता	१५२३–२४
१२६०	मशीनी औज़ारों का कारखाना	१५२४
१२६१	हिमाचल प्रदेश में कला वीथिका	१५२४
१२६२	उत्तर प्रदेश राज्य वेधशाला, नैनीताल	१५२४–२५
१२६३	दिल्ली पब्लिक लायब्रेरी	१५२५
१२६४	बर्मा से बकाया ऋण	१५२५–२६
१२६५	घटिया दर्जे के कोयले का आयात	१५२६
१२६६	गैर-सरकारी फर्मों में नौकरी मंजूर करने वाले पदाधिकारी	१५२६–२७
१२६७	कांगड़ा जिले में तांबे के निक्षेप	१५२७
१२६८	गैर-सरकारी संगठन	१५२७–२८
१२६६	सीमेन्ट के दाम	१५२८
१३००	भारत में दबा हुआ सोना	१५२८–२६
१३०१	दिल्ली में प्लाटों का दिया जाना	१५२६
१३०२	विदेश भेजे गये विद्वान	१५२६–३०
१३०३	उर्वरक कारखाने	१५३०–३१
१३०४	प्रतिरक्षा विभाग की कैंटीनों के लिये तेल	१५३१–३२
१३०५	त्रिवर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम	१५३२
१३०६	विद्रोही नागा	१५३२
१३०७	रांची आवास परियोजना की लागत	१५३२–३३
१३०८	खेतरी तांबा परियोजना	१५३३–३४
१३०६	औद्योगिक प्रबन्ध 'पूल'	१५३४
१३१०	त्रिपुरा में अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम की क्रियान्विति	१५३४
१३११	उर्वरक परियोजनाओं के सम्बन्ध में संयुक्त राष्ट्र संघ के दल की रिपोर्ट	१५३५
१३१२	दिल्ली विश्वविद्यालय	१५३५
१३१३	सैनिक, नाविक और वैमानिक बोर्ड	१५३५–३६
१३१४	सरकारी कर्मचारियों के छुट्टी यात्रा	१५३६
१३१५	व्यापार शिक्षा	१५३७
१३१६	विद्रोही नागा	१५३८
१३१७	कावेरी बेसिन् में तेल	१५३८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(जारी)

अतारांकित
प्रश्न संख्या

	विषय	पृष्ठ
१३१८	सरकारी क्षेत्र के तेल शोधक कारखानों का विस्तार	१६३९
१३१९	जीवन बीमा निगम के मंडलीय सम्मेलन	१५३९
१३२०	पॉलिटैक्निकों के लिये राज्यों को केन्द्रीय सहायता	१५३९
१३२१	आन्ध्र प्रदेश को अकाल राहत के लिये वित्तीय सहायता	१५४०
१३२२	इंडिया आयल कम्पनी का पैट्रोल डिपो	१५४०
१३२३	भ्रष्टाचार	१५४०
१३२४	दिल्ली राज्य संस्कृत विश्व परिषद्	१५४०-४१
१३२५	त्रिपुरा में हाई स्कूल	१५४१
१३२६	अगरतला में म्यूनिसिपल मार्केट	१५४२
१३२७	राष्ट्रीय लेखागार	१५४२
१३२८	स्कूल के बच्चों को मध्याह्न भोजन	१५४२-४३
१३२९	रिजर्व बैंक द्वारा प्रदत्त ऋण	१५४३
१३३०	नूनमती तेल शोधक कारखाना	१५४३
१३३१	लोक सेवा आयोगों के प्रधानों का सम्मेलन	१५४४
१३३२	निर्वाचन आयोग के अधिकार	१५४४
१३३३	मनीपुर के पहाड़ी इलाकों में राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंड	१५४४-४५
१३३४	मनीपुर प्रशासन का सतर्कता विभाग	१५४५
१३३५	तेल शोधक कारखाने	१५४५-४६
१३३६	अध्यापकों के नये वेतन-क्रम	१५४६
१३३७	इस्पात की उत्पादन लागत	१५४७
१३३८	नेशनल स्पोर्ट्स क्लब स्विमिंग पूल में डूबने की दुर्घटना	१५४७
१३३९	नौ-सेना युद्ध पोतों का निर्माण	१५४७-४८
१३४०	वैज्ञानिक उपकरणों के लिये विदेशी मुद्रा	१५४८
१३४१	उड़ीसा में आयकर की अपीलें	१५४८
१३४२	योजना कालों में वास्तविक आय	१५४९
१३४३	आय कर अपवंचन	१५४९
१३४४	अधिवास प्रमाणपत्र	१५४९-५०
१३४५	राजनैतिक पीड़ितों के बच्चे	१५५०
१३४६	कोयला खानों को पट्टे पर देना	१५५०
१३४७	खेल गांव	१५५०-५१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(जारी)

अतारांकित
प्रश्न संख्या

	विषय	पृष्ठ
१३४८	रुपया भुगतान	१५५१–५२
१३४९	हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के उत्पादन और प्रबन्ध का अध्ययन .	१५५२
१३५०	सीमान्त क्षेत्रों में सड़कें	१५५२
१३५१	हिन्दी में उच्च शिक्षा के लिये छात्रवृत्तियां . .	१५५२
१३५२	तस्कर व्यापार	१५५३
१३५३	दिल्ली में निर्वाह व्यय	१५५३
१३५४	भारत में प्राथमिक शिक्षा	१५५३–५४
१३५५	राज्यों को केन्द्रीय ऋण	१५५४–५५
१३५६	पुरानी पाण्डुलिपियां	१५५५
१३५७	जापानी पुरातत्ववेता	१५५५–५६
१३५८	केरल विश्वविद्यालय	१५५६
१३५९	मझगांव पत्तन गोदियां	१५५६
१३६०	घड़ियों का निर्माण	१५५६–५७
१३६१	लद्दाख में प्रतिरक्षा सेनाओं में उत्तुंग शिखरीय रोग .	१५५७
१३६२	भारतीय वायु सेना के विमान की दुर्घटना . .	१५५८
१३६३	सीमेंट का उत्पादन	१५५८
१३६४	नव वर्ष दिवस	१५५८–५९
१३६५	योग	१५५९
१३६६	जन्म मृत्यु के आंकड़ों सम्बन्धी विधान . .	१५५९
१३६७	विदेशी	१५५९
१३६८	यूरोप को जाने वाले युवक शिष्ट मंडल . . .	१५६०
१३६९	आसाम में तेल	१५६०
१३७०	प्लाइवुड का अनुसन्धान	१५६१
१३७१	बोकारो इस्पात संयंत्र	१५६१
१३७२	गोहाटी विश्वविद्यालय	१५६१
१३७३	चित्रों का तस्कर व्यापार	१५६२
१३७४	अवध के नवाब वाजिद अली शाह के वंशज . .	१५६२
१३७५	म न्द्रगढ़ जिले में लौह अयस्क के निक्षेप . . .	१५६२–६३
१३७६	विश्वविद्यालय "कैम्पस" कार्य योजना . . .	१५६३–६४
१३७७	डकैतियां आदि	१५६४

प्रश्नों क लिखित उत्तर--(जारी)

अतारांकित
प्रश्न संख्या

	विषय	पृष्ठ
१३७८	अनुसूचित जातियां और आदिम जातियों के विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां	१५६४–६५
१३७९	'शक्तिमान' और 'निसान' मोटर गाड़ियां . . .	१५६५
१३८०	धातू मिश्रित इस्पात परियोजना . . .	१५६६
१३८१	जीवन बीमा निगम कर्मचारियों की मांगें . . .	१५६६
१३८२	"चाइना टुडै" का मुद्रण	१५६६–६७
१३८३	लघु उद्योगों के लिये इस्पात	१५६७–६८
१३८४	मध्य प्रदेश में चूना उद्योग को कोयला .	१५६८
१३८६	राज्यों को स्टेनलैस स्टील का कोटा . . .	१५६९
१३८७	राजस्थान में लघु सिंचाई योजनायें . . .	१५६९
१३८८	साक्षर सेना तैयार करन की प्रस्थापना . .	१५६९–७०
१३८९	दिल्ली में प्राथमिक शिक्षा	१५७०
१३९०	नया नांगल के उर्वरक कारखाने के कर्मचारी . .	१५७०
१३९१	विदेश स्थित भारतीय सैनिकों के लिये मनोरंजन .	१५७०–७१
१३९२	व्यावसायिक कालिजों में स्थान रक्षण . .	१५७१
१३९३	कासीपुर की गन शैल फैक्टरी की दमदम एस्टेट के लिय क्वार्टर	१५७१
१३९४	बीजापुर (मैसूर) में कोयला निक्षेप . .	१५७२
१३९५	मैसूर का सैनिक स्कूल	१५७२
१३९६	मैसूर में खनिज . . .	१५७२–७३
१३९७	पंजाब में प्रविधिक कालिज .	१५७३
१३९८	गुजरात तेल शोधक कारखाना	१५७३
१३९९	त्रिपुरा कर्मचारियों के लिये प्रतिकरात्मक भत्ता . .	१५७३–७४
१४००	त्रिपुरा में पशुचिकित्सालय . . .	१५७४
१४०२	अगरतल्ला में बार लाइब्रेरी की इमारत . .	१५७४
१४०३	चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिय सामान्य भविष्य निधि जीवन बीमा . .	१५७४–७५
१४०४	कुछ सैनिकों को वतन तथा भत्ता . . .	१५७५
१४०५	अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति छात्रों को छात्रवृत्तियां	१५७५–७६
१४०६	टस्ट मैच की टीमों पर खर्च . . .	१५७६
१४०७	हिमाचल प्रदेश में समाज कल्याण केन्द्र . .	१५७६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

तारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
१४०८	पुनर्वित्त निगम	१५७७
१४०९	दिल्ली में अपराध	१५७७–७८
१४१०	पंजाब और दिल्ली में विधि परिषदें	१५७८
१४११	हिमाचल प्रदेश में निकिल और कोबाल्ट	१५७८
१४१२	अलप्पी तट पर तेल के निक्षेप	१५७८–७९
१४१३	मद्रास में जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों को मकान निर्माण सम्बन्धी ऋण	१५७९
१४१४	खम्भात में तेल और प्राकृतिक गैस	१५७९–८०
१४१५	खम्भात में अग्रिम तेल शोधक कारखाना	१५८०
१४१६	गुजरात तेल क्षेत्रों में रूसी और रूमानियन टेक्नीकल कर्मचारी	१५८०
१४१७	अगरतला में रवीन्द्र भवन	१५८०
१४१८	केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को अध्ययन अवकाश	१५८१
१४१९	भारी पानी का उत्पादन	१५८१
१४२०	गरीब विद्यार्थियों के लिये ऋण छात्रवृत्ति	१५८१–८२
१४२१	जम्मू और काश्मीर के लिय सैनिक स्कल	१५८२
१४२२	जम्मू तथा काश्मीर में जड़ी बुटियों सम्बन्धी अनुसन्धान	१५८२
१४२३	सिंगरनी कोयला खानों के कोयले की बिक्री की कीमत	१५८२
१४२४	रक्षित बैंक को 'क्लियरेस सरटिफिकेटों' के लिय आवदन पत्र	१५८२–८३
१४२५	पांडिचेरी में सीमेंट का कारखाना	१५८३
१४२६	पम्बन, रामेश्वरम् में सीमेंट का कारखाना	१५८३–८४
सभा पटल पर रखे गये पत्र		१५८४–८५

(१) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति :—

(एक) कंपनीज़ अधिनियम, १९५६ की धारा ६१९-क की उप-धारा (१) के अन्तर्गत सिंगरेनी कोलियरीज़ कम्पनीज़ लिमिटेड, हैदराबाद की वर्ष १९६१ की वार्षिक प्रतिवदन लेखापरीक्षित लेख और उस पर नियंत्रक महालेखापरिक्षक की टिप्पणियों सहित।

(दो) उक्त कम्पनीज के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा।

(२) निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति :—

(एक) भारतीय विज्ञान संस्था, बंगलौर की वर्ष १९६०-६१ का वार्षिक प्रतिवेदन।

सभा पटल पर रख गये पत्र—(क्रमशः) विषय पृष्ठ

(दो) भारतीय प्रोद्योगिकी संस्था, खड़गपुर की वर्ष १९६०–६१ का वार्षिक प्रतिवेदन ।

(तीन) भारतीय प्रोद्योगिकी संस्था, बम्बई की वर्ष १९६०–६१ का वार्षिक प्रतिवेदन ।

(चार) भारतीय प्रोद्योगिक संस्था, मद्रास की वर्ष १९६०–६१ का वार्षिक प्रतिवेदन ।

(पांच) भारतीय प्रोद्योगिकी संस्था, कानपुर की वर्ष १९६०–६१ का वार्षिक प्रतिवेदन ।

(३) अखिल भारतीय सेवाय अधिनियम, १९५१ की धारा ३ की उपधारा (२) के अन्तर्गत दिनांक २१ जुलाई, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ९६६ में प्रकाशित अखिल भारतीय सेवायें (मृत्यु-वसेवानिवृत्ति लाभ) संशोधन नियम, १९६२ की एक प्रति ।

(४) केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, १९५६ की धारा १३ की उपधारा (२) के अन्तर्गत केन्द्रीय बिक्री कर (पंजीयन तथा निकास) नियम, १९५७ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक २८ जुलाई, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १००१ की एक प्रति ।

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित १५८५

छटा प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया

विधेयक पुरस्थापित . . . . . १५८५—८७

(१) संविधान (तेरहवां संशोधन) विधयक, १९६२

(२) नागालैण्ड राज्य बिल, १९६२

(३) विनियोग (संख्या ४) विधयक, १९६२

(४) विनियोग (रेलवे) संख्या ४ विधयक, १९६२

विधेयक पारित . . . . . १५८७—९१

(१) वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत) ने प्रस्ताव किया कि विनियोग (संख्या ४) विधेयक १९६२ पर विचार किया जाये । प्रस्ताव स्वीकृत हुआ । खंड वार विचार के बाद विधेयक पारित किया गया ।

(२) रेलवे मंत्री (श्री सण सिंह) ने प्रस्ताव किया कि विनियोग (रेलवे) संख्या ४ विधेयक, १९६२ पर विचार किया जाये । प्रस्ताव स्वीकृत हुआ । खंड वार विचार के बाद विधयक पारित किया गया ।

विधेयक के लिये नियत किये गये समय को बढ़ाने के बारे में प्रस्ताव १५९१

श्री हरिविष्णु कामत ने प्रस्ताव किया कि भूमि अर्जन संशोधन विधेयक पर विचार करने के लिये नियत किये गये चार घंटे के समय को बढ़ाकर ६ घंट कर दिया जाये । प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विषय **पृष्ठ**

विधेयक विचाराधीन . . . . . १५९१—१६२३

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री स० का० पाटिल) ने प्रस्ताव किया कि भूमि अर्जन (संशोधन) विधेयक पर विचार किया जाये। दो संशोधन, श्री रा० बरुआ तथा श्री दाजी द्वारा क्रमशः एक विधेयक पर राय जानने के लिये उसे परिचालित करने के बारे में और दूसरा विधेयक को एक प्रवर समिति को सौंपने के बारे में, प्रस्तुत किये गये। चर्चा समाप्त नहीं हुई।

बुधवार, २२ अगस्त, १९६२ / ३१ श्रावण, १८८४ (शक) के लिये कार्यावलि

भाषाई अल्पसंख्यकों के आयुक्त के प्रतिवेदनों के बारे में प्रस्ताव पर चर्चा

GMGIPND—LS III—1699 (Ai) LSD—22-12-62—140.